

फॉर्म ITR-5 भरने के लिए निर्देश

ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी फॉर्म-5 में विवरण भरने के लिए दिशानिर्देश हैं। किसी भी शंका के मामले में, कृपया आयकर अधिनियम, 11961 और आयकर अधिनियम, 1962 के सुसंगत उपबंधों का संदर्भ लें।

1. निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह विवरणी फॉर्म लागू होता है

यह विवरणी फॉर्म केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए लागू होता है, अर्थात् यह वित्तीय वर्ष 2020-21 में अर्जित आय से संबंधित है।

2. इस विवरणी फॉर्म का उपयोग करने के लिए कौन पात्र है?

यह फॉर्म किसी भी फर्म, सीमित देयता भागीदारी (LLP), व्यक्तियों का संघ (AOP), व्यष्टियों का निकाय (BOI), कृत्रिम विधिक व्यक्ति (AJP), जिसे धारा 2(31) के खंड [vii] में निर्दिष्ट किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी जिसे धारा 2(31) के खंड [vii] में निर्दिष्ट किया गया है, धारा 160(1)[iii] या [iv] के तहत निर्दिष्ट प्रतिनिधि निर्धारिती, प्राथमिक कृषि समिति, सहकारी समितिके अलावा प्राथमिक कृषि उधार समिति, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कोई अन्य सहकारी समिति, वो समिति जिसे समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत या किसी राज्य के किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत समिति, ITR-7 में फॉर्म फाइल पात्र न्यास के कोई अन्य न्यास, मृत व्यक्ति की संपदा, दिवालिया व्यक्ति की संपदा जिसे धारा 139(4E) के तहत निर्दिष्ट किया गया है, धारा 139(4F) के तहत निर्दिष्ट निवेश फंड और कोई अन्य को-ऑपरेटिव फंड, धारा 139(4B) या 139(4D) के तहत आय की विवरणी फाइल करना आवश्यक है, इस फॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।

3. इस विवरणी फॉर्म को दाखिल करने का तरीका

यह विवरणी फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) (www.incometax.gov.in पर 7-जून-2021] से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है और इसे नीचे दिये गये किसी एक तरीके से सत्यापित किया जा सकता है -

- सत्यापन भाग पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना, या,
- इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के माध्यम से प्रमाणित करना, या
- आधार OTP, या
- निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा CPC को विधिवत हस्ताक्षरित कागजी फॉर्म ITR-V-आयकर

विवरणी सत्यापन फॉर्म भेजकर -

"केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र,

आयकर विभाग,

बेंगलुरु— 560500,

कर्नाटक"।

फॉर्म ITR-V-आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म विवरणी की ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए।

केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र में ITR-V की प्राप्ति की पुष्टि ई-फाइलिंग खाते में पंजीकृत ई-मेल ID पर निर्धारिती को भेजी जाएगी।

तथापि, ऐसे मामले में जहां धारा 44AB के तहत खातों की लेखा परीक्षा की जानी है, डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तौर पर विवरणी की पुष्टि करना अनिवार्य है।

यदि कोई निर्धारिती को धारा 10AA, 44AB, 44DA, 50B, 80 -IA, 80 -IB, 80 -IC, 80 - ID, 80JJAA, 80LA[1], 80LA(1A) 92E, 115JB या 115JC के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तो उसे रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सन्देश तिथि को या उससे एक माह पहले आय के विवरणी को दाखिल करना होगा।

4. ITR-V भरना – आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म

जहां विवरणी फॉर्म 3(iv) में उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो निर्धारिती को फॉर्म ITR-V-आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहिए। निर्धारिती द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ITR-V-आयकर विवरणी सत्यापन फॉर्म, केवल केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बंगलुरु -560500 (कर्नाटक) को साधारण डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

5. मुख्य परिवर्तन (निर्धारण वर्ष 2020 - 21 के लिए ITR की तुलना के रूप में)

- सहकारी समितियों के लिए फॉर्म 10IF दर्ज करने के बाद ITR में धारा 115BAD के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प:
 - प्राथमिक कृषि ऋण समिति
 - प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
 - सहकारी बैंक "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" या "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के अलावा
 - अन्य सहकारी समिति
- सहकारी समितियों के लिए, जो 115BAD के तहत विकल्प का चयन करते हैं, कर 22% की दर से चार्ज किया जाएगा और अधिभार रु.1/- से 10% की दर से चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे निर्धारिती कुछ कटौती और भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:
 - धारा 10AA के तहत छूट
 - धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (iia) के तहत अतिरिक्त मूल्यहास
 - धारा 32AD / 33AB / 33ABA के तहत कटौती
 - धारा 35 की उप-धारा (2AA) या उप-धारा [1] का उप-खंड (ii) या उप-खंड (iia) या उप-खंड (iii) के तहत कटौती
 - धारा 35AD के तहत कटौती
 - धारा 35CCC के तहत कटौती या
 - IFS इकाई के 80JJAA और 80LA(1A) को छोड़कर अध्याय VIA के तहत कटौती।
 - ऊपर की कटौती की सीमा तक आगे लाई गई हानि में किसी भी राशि को आगे बढ़ाने और आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और
 - शेष अवक्षय की सीमा तक आगे लाए गए किसी भी नुकसान को संपत्ति में वापस जोड़ा जाएगा।
- धारा 153A और 153C के तहत नोटिस के जवाब में ITR दाखिल करने का विकल्प ITR से हटा दिया गया है क्योंकि इन अनुभागों के अंतर्गत ITR फाइल करने की आवश्यकता को छोड़ दिया गया है।
- निर्धारण वर्ष 2020-21 में, कारोबार करने वाले व्यक्ति के लिए प्रारम्भिक सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पाँच करोड़ रुपये कर दी गई थी, जहाँ किसी कारोबार द्वारा नकद प्राप्तियाँ या भुगतान ऐसी प्राप्तियों या ऐसे भुगतानों के 5% से अधिक नहीं होते हैं, हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2021-22 में, **पाँच** करोड़ रुपये की सीमा बढ़ाकर **दस** करोड़ रुपये कर दी गई है

- 17 संहिता के वर्तमान प्रतिबंध को कारोबार/व्यवसाय की प्रकृति में अनुसूची से हटा दिया गया है।
- अनुसूची P&L में sl.no.65 पर "खाते की कोई पुस्तक नहीं" के अंतर्गत हानि (नकारात्मक मूल्य) प्रतिबंधित है।
- अनुसूची BP में, "अन्य स्रोतों" शीर्ष के तहत माने गए लाभ और हानि लेखा में जमा की गई आय/प्राप्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है
 - "लाभांश आय" और
 - "लाभांश आय के अलावा"
- **115B से संबंधित सभी क्षेत्र – आय जीवन बीमा कारोबार अर्थात्,**
 - sl.no.4b, Sl.no.तालिका E अनुसूची BP की "धारा 115B में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारोबार से आय की संगणना",
 - अनुसूची CYLA का Sl.no.iv, अनुसूची BFLA का Sl.no.iii,
 - अनुसूची CFL का स्तंभ 8 और
 - अनुसूची SI का sl.no.12**हटा दिया गया है।** और संबंधित मैपिंग को भाग B-TI में अपडेट किया गया है
- धारा 44BBB को अनुसूची BP के Sl.no.4a और sl.no.36 से हटा दिया गया है
- अनुसूची DPM में, स्तंभ "3a.कराधान धारा 115BAD के विकल्प यथा समायोजित की गई राशि" और "3b। पिछले वर्ष के पहले दिन पर समायोजित अवलिखित मूल्य [3] + [3a]" जोड़ा गया है।
- इसलिए समरूपी मैपिंग परिवर्तन अनुसूची DPM में किए गए हैं
- CBDT ने दिनांक 20 सितंबर 2019 को अधिसूचना के माध्यम से 23 अगस्त, 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई गई हो को खरीदी गई मोटर कारों, मोटर बसों आदि आस्तियों पर अवक्षयण को बढ़ाकर 45% कर दिया। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2021-22 से इस तरह की परिसंपत्तियों में 45% ब्लॉक में कोई वृद्धि की
- **अनुसूची में, विद्यमान अधिकारी के अनुसार धारा के 50 C तहत प्रतिफल के कुल मूल्य और सम्पत्ति के मूल्य के बीच अनुज्ञेय भेद को 1.05 से गुना बढ़ाकर 1.10 गुना कर दिया गया है**
- OS अनुसूची में,
 - (i) "लाभांश आय" से संबंधित मौजूदा गिरावट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् "लाभांश आय [(ii) के अलावा]" और "लाभांश आय धारा 2(22)(e) के तहत" और संबंधित परिवर्तन sl.no.2e _DTAA क्षेत्र में और sl.no.10[i]_लाभांश आय के तिमाही
 - (ii) ~~विभाजन में विभाजित किया गया है।~~ कर योग्य होगा क्योंकि धारा 115BBDA को छोड़ दिया गया है। तदनुसार धारा 57(1) के तहत लाभांश उपार्जन करने के लिए ब्याज व्यय का दावा sl.no.3 पर किया जा सकता है।
 - (iii) क्रम संख्या 2d "115AD(1)(i) पर विद्यमान ड्रॉप डाउन प्रतिभूतियों के संबंध में एक FII द्वारा प्राप्त आय (section 115AB में संदर्भित इकाइयों के अलावा)" को 2 ड्रॉप डाउन में निम्नानुसार विभाजित किया गया है:-
 - ❖ 115AD(1) (i) - प्रतिभूतियों (section 115AB में निर्दिष्ट इकाइयों के अलावा) के संबंध में FII द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय @20% की दर से
 - ❖ 115AD(1)(i)-FII द्वारा प्रतिभूति के संबंध में प्राप्त लाभांश आय के अलावा आय (section 115AB में निर्दिष्ट इकाइयों के अलावा) @20% की दर से
 - (iv) आगे नए ड्रॉप डाउन क्रम संख्या 2d और क्रम संख्या 2e "धारा 194LC(1) में संदर्भित ब्याज" और धारा 194LBA में संदर्भित लाभांश के रूप में वितरित आय के संबंध में

- अब, निर्धारिती को "सीमांत राहत" से पहले और अनुसूची भाग BTAI में "सीमांत राहत" के बाद अधिभार को प्रकट करने की आवश्यकता है।
- अनुसूची TDS में, पहले TDS अतिशेष की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब इस वर्ष कर के लिए समरूपी आय की पेशकश की जा रही हो, हालांकि TDS के लिए धारा 194N के लिए अपवाद जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा फॉर्म 16D सम्मिलित करने के लिए लेबल संशोधित किया गया है।
- ~~है।~~ ~~विवरण~~ ~~की~~ ~~टीडीएस~~ ~~बना~~ ~~वा~~ ~~क्रिया~~ ~~जा~~ ~~सकें~~ wrt ITR fields which should be tallied with corresponding amount mentioned in Tax Audit report i.e Form 3CA-3CD/3CB-3CD, if applicable.
- अपलोड स्तर सत्यापन तालिका को मैपिंग परिवर्तन और नए नियमों के अनुसार संशोधित किया गया है।

विवरणी फॉर्म भरने के लिए मद दर मद निर्देश

भाग A – सामान्य जानकारी

क्षेत्र का नाम	अनुदेश												
व्यक्तिगत जानकारी													
cc	PAN कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें												
पैन	PAN दर्ज करें जैसा PAN कार्ड पर दिया गया है												
क्या नाम में कोई परिवर्तन है? अगर हाँ, तो कृपया पुराना नाम प्रस्तुत करें	यदि पिछले वर्ष की तुलना में नाम में कोई परिवर्तन हुआ है, तो कृपया इस स्तंभ में पुराना नाम दर्ज करें।												
MCA द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (LLPIN), यदि लागू हो	यदि आप सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) हैं, तो कृपया इस स्तंभ में MCA द्वारा जारी LLPIN दर्ज करें।												
फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या	फ्लैट या घर का नंबर दर्ज करें												
परिसर / भवन / गांव का नाम	परिसर या भवन या अपार्टमेंट या गांव का नाम दर्ज करें												
निर्माण की तिथि (DD/MM/YYYY)	PAN के आवंटन के लिए आवेदन में उल्लिखित, निर्माण की तिथि दर्ज करें।												
कारोबार शुरू करने की तिथि (DD/MM/YYYY)	कृपया कारोबार शुरू करने की तिथि दर्ज करें।												
सड़क/गली/ डाकघर	डाकघर या मार्ग या गली का नाम दर्ज करें जिसमें घर स्थित है												
क्षेत्र/परिक्षेत्र	जहाँ घर स्थित है उस क्षेत्र या इलाके का नाम दर्ज करें												
स्थिति	कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करें, जिस स्थिति के अंतर्गत विवरणी फाइल की जा रही है यह दर्शाता है, और ड्रॉप-डाउन मेनू												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कोड</th> <th>स्थिति</th> <th>उप-स्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>फर्म</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ➤ पार्टनरशिप फर्म ➤ सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>स्थानीय पाधिकरण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>AOP/BOI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ➤ समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 या उस राज्य के </td> </tr> </tbody> </table>	कोड	स्थिति	उप-स्थिति	1.	फर्म	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पार्टनरशिप फर्म ➤ सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) 	2.	स्थानीय पाधिकरण		3.	AOP/BOI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 या उस राज्य के
कोड	स्थिति	उप-स्थिति											
1.	फर्म	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पार्टनरशिप फर्म ➤ सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) 											
2.	स्थानीय पाधिकरण												
3.	AOP/BOI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 या उस राज्य के 											

क्षेत्र का नाम	अनुदेश		
			<p>समरूपी किसी अन्य कानून के तहत एंजीनियरिंग समिति</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ प्राथमिक कृषि ऋण समिति ➤ सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि उधार समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण ➤ अन्य सहकारी समिति ➤ प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ➤ न्यास के अलावा वो न्यास जो फॉर्म ITR-7 विवरणी फ़ाइल करने के लिए हैं ➤ कोई अन्य AOP/BOI ➤ कारोबार न्यास ➤ निवेश निधि
	4.	कृत्रिम विधिक व्यक्ति (AJP)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मृतक की संपदा ➤ दिवालिया की संपदा ➤ कोई भी अन्य AJP
नगर / शहर / जिला	नगर या शहर या जिले का नाम दर्ज करें जिसमें घर स्थित है		
राज्य	डॉपडाउन से राज्य का नाम चर्नें		
देश	डॉपडाउन से देश का नाम चर्नें		
पिन कोड/ ज़िप कोड	डाकघर का पिन कोड/ ज़िप कोड दर्ज करें		
STD कोड के साथ कार्यालय का फोन नंबर/मोबाइल नंबर.1	STD कोड के साथ कार्यालय का लैंडलाइन नंबर दर्ज करें, या पैन धारक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसका उपयोग PAN धारक के		
मोबाइल नंबर.2	संचार के लिए वैकल्पिक नंबर के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करें।		
ई-मेल पता (स्वयं)	PAN धारक का ई-मेल एड्रेस दर्ज करें। इसका उपयोग PAN धारक के साथ संप्रेषण के लिए किया जाएगा।		
ई-मेल एड्रेस-2	संप्रेषण के लिए वैकल्पिक ई-मेल एड्रेस के रूप में, PAN धारक या किसी अन्य व्यक्ति का ई-मेल पता दर्ज करें।		
दाखिल स्थिति			
धारा के तहत फ़ाइल किया गया	<p>कृपया आवेदन पत्र पर लागू टिक करें, जो जिस धारा के तहत विवरण दाखिल किया जा रहा है उसे दर्शाता है -</p> <p>(a) यदि नियत तिथि को या उससे पहले स्वेच्छा से दाखिल किया गया हो तो '120(1)' पर टिक करें</p> <p>(b) यदि नियत तिथि के बाद स्वेच्छा से दाखिल किया गया है, तो '120(1)' पर टिक करें</p> <p>(c) यदि यह एक संशोधित विवरणी है, तो '139(5)' पर टिक करें</p> <p>(d) यदि यह एक संशोधित विवरणी है, जो एक उन्नत कीमत-निर्धारण समझौते (APA) के अनुसार दायर की गई है, तो '92CD' पर टिक करें।</p>		

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	(e) यदि धारा 119(2)(b) के तहत विलम्ब को माफ करने के आदेश के अन्वय में दाखिल किया गया है तो '119(2)(b)' पर टिक करें।
यदि संशोधित/ दोषपूर्ण/ संशोधित सूचना के जवाब में है, तो मूल विवरणी दाखिल करने की आवती संख्या और तिथि दर्ज करें	यदि यह एक संशोधित विवरणी है, या धारा 139(9) के तहत सूचना के जवाब में दाखिल की जा रही है, या APA के अनुसार दाखिल एक संशोधित विवरणी है, तो कृपया मूल विवरणी दाखिल करने की अभिस्वीकृति संख्या और तिथि दर्ज करें।
या फिर धारा के तहत सूचना के जवाब में दाखिल की गई है	कानूनी नोटिस के जवाब में विवरणी दाखिल होने की स्थिति में, कृपया लागू चेकबॉक्स पर टिक करें - (a) अगर धारा 139(9) के तहत नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है तो '139(9)' पर टिक करें (b) अगर धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है तो '142(1)' पर टिक करें (c) यदि धारा 148 के तहत की नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है तो '148' पर टिक करें
यदि नोटिस या आदेश के जवाब में दाखिल किया गया है, तो कृपया अनन्य संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (DIN) और ऐसी किसी नोटिस या आदेश की तिथि दर्ज करें या यदि 92CD धारा के तहत दाखिल किया गया है तो अग्रिम कीमत-निर्धारण करार की तिथि दर्ज करें	यदि विवरणी एक कानूनी नोटिस के जवाब में या यदि धारा 119[2(b)] के तहत आदेश के अनुसरण में जिसमें देरी माफ़ कर रहे हों या APA के अनुसार धारा 92CD के तहत दाखिल किया जा रहा है, कृपया अनन्य संख्या/ दस्तावेज पहचान संख्या (DIN) और सुसंगत नोटिस की तिथि या माफी के आदेश की तिथि या अग्रिम कीमत-निर्धारण करार की तिथि [जैसा लागू हो] दर्ज करें।
क्या आप एक कारोबार न्यास हैं?	लागू चेक बॉक्स पर टिक करके कृपया यह संकेत करें कि आप कारोबार न्यास हैं या नहीं। <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क्या आप धारा 115UB के तहत निर्दिष्ट निवेश निधि हैं?	कृपया लागू चेक-बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या आप धारा 115UB के तहत निर्दिष्ट निवेश निधि हैं। <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
क्या आप धारा 115BAD के तहत नए कर शासन का विकल्प चुन रहे हैं	कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके संकेत करें कि क्या आप नए शासन का विकल्प चुन रहे हैं। <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यह विकल्प केवल AOP द्वारा निम्न उप-स्थिति के साथ प्राप्त किया जा सकता है - <ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक कृषि ऋण समिति प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी बैंक "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" या "प्राथमिक ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के अन्वय में अन्य सहकारी समिति

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
यदि आप धारा 115BAD के तहत नए कर शासन का विकल्प चुन रहे हैं	<p>कृपया आवेदन पत्र 10F के दाखिल करने की तिथि और अधिष्ठीकृति संग्रहण पत्रानुसार की गति रूप "हाँ" चयन करना है</p> <p>i. <u>कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त बताई गई सहकारी समिति, भारत का निवासी होने की वजह से, जो धारा 115BAD के तहत लाभ चुनते हैं, को धारा 115BAD के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से फॉर्म 10-IF को धारा 139(1) के तहत नियत तिथि के भीतर फॉर्म 10IF फ़ाइल करने के बाद, धारा 115BAD के तहत लाभ उठाने के लिए मूल विवरणी या संशोधित विवरणी को फ़ाइल करने की आवश्यकता है और ITR 5 में फॉर्म 10IF की पावती संख्या और फ़ाइलिंग की फॉर्म 10IF एक बार दाखिल किये जाने के बाद उस वर्ष का अन्तर्निर्णय वर्ष में लागू नहीं होगा।</u></p> <p>ii. अगर निर्धारित धारा 115BAD की उप-धारा (2) में निहित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो इस निर्धारण वर्ष और उसके अनुवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में धारा 115BAD के फायदे को इस्तेमाल करने</p>
भारत में आवासीय स्थिति (लागू विकल्प पर टिक करें)	<p>कृपया लागू चेकबॉक्स को टिक करके भारत में अपनी आवासीय स्थिति को निर्दिष्ट करें:</p> <p><input type="checkbox"/> निवासी।</p>
क्या निर्धारित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय प्राप्त करता है?	<p>यदि आप IFSC में स्थित हैं और केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा विनिमय से आय व्युत्पन्न करते हैं, तो कृपया लागू चेकबॉक्स पर टिक करें</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p>
क्या आपको DPIIT द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त है यदि हाँ, कृपया DPIIT द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या प्रदान करें	<p>यदि आप स्टार्ट-अप हैं, तो कृपया लागू चेकबॉक्स में टिक करके संकेत दें कि क्या आप उद्योग प्रोन्नति और आन्तरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>यदि हाँ, कृपया सुसंगत स्तंभ में DPIIT द्वारा आवंटित स्टार्ट-अप मान्यता संख्या का उल्लेख करें।</p>
क्या अंतर-मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है?	<p>यदि आप स्टार्ट-अप हैं, तो LLP होने के कारण लागू चेक बॉक्स में टिक करके, कृपया संकेत दें कि क्या धारा 80-IAC के प्रयोजनों के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p>
यदि हाँ, तो कृपया प्रमाणन संख्या प्रदान करें	<p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p>

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	<p>c) यदि असूचीबद्ध साधारण शेयर उपहार, वसीयत, समामेलन, विलयन, निविलयन, या बोनस निर्गम आदि के रूप में प्राप्त या अर्जित किए जाते हैं, ऐसे मामलों में आप “अर्जन की लागत” या “विक्रय प्रतिफल” के विरुद्ध शून्य या समुचित मूल्य दर्ज कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि वर्ष के दौरान धारित गैर-सूचीबद्ध साधारण शेयरों का विवरण केवल रिपोर्टिंग के उद्देश्य से आवश्यक है। इस स्तंभ में दर्ज किया गया मात्रात्मक ब्यौरा कर दायित्व की या कुल आय की संसंगणना के प्रयोजन से सुसंगत</p> <p>d) वैश्व मामलों में भी जहाँ आपने असूचीबद्ध विदेशी कम्पनी में शेयर धारित किए हैं जो अनुसूची FA में विधिवत रिपोर्ट किए गये हैं। आपको उसे इस खंड में फिर से रिपोर्ट करना होगा।</p> <p>e) यदि आपने पूर्व वर्ष के दौरान कारोबार के व्यापार भंडार के रूप में असूचीबद्ध साधारण स्टॉक को धारित किया है, तो भी आपको इस खंड में इसका रिपोर्ट करना आवश्यक है।</p> <p>f) यदि आप सहकारी बैंक या उधार समितियों के इक्विटी शेयरों को अपने पास रखते हैं, जो असूचीबद्ध हैं, तो केवल किसी भी संस्था में साधारण शेयरधारिता का ब्यौरा जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, और किसी भी मान्य शेयर बाजार में सचीबद्ध नहीं है केवल उनकी रिपोर्ट की जानी चाहिए।</p>
लेखा-परीक्षा की जानकारी	
<p>a) क्या धारा 44AA के रूप में खातों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं?</p>	<p>कृपया लागू चेकबॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या आप आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुल आय की संगणना के लिए आवश्यक लेखा बहियाँ और धारा 44AA के तहत अन्य</p> <p><input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट व्यवसाय में लगे हैं (जैसे कि कानूनी, चिकित्सा सम्बन्धी, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, लेखा-कर्म, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सज्जा या किसी अन्य अधिसूचित व्यवसाय), या आपके कारोबार या गैर-निर्दिष्ट व्यवसाय से आय रु.1.2 लाख से अधिक है, या ऐसे कारोबार या गैर-निर्दिष्ट व्यवसाय की कुल बिक्री रु. 10 लाख से अधिक है, आप अन्य टिकाने को टिकाने और बनाए</p>
<p>a2) Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA</p>	<p>Please indicate whether you are declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA by ticking the applicable checkbox:</p>

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
a2i) यदि नहीं, तो क्या वर्ष के दौरान कुल बिक्री/टर्नओवर/कारोबार की सकल प्राप्तियाँ रु. 1 करोड़ से अधिक हैं लेकिन यह रु. 10 करोड़ से अधिक नहीं है?	ययदि a2 में नहीं पर टिक किया गया है, तो कृपया लागू चेकबॉक्स में टिक करके इंगित करें कि वर्ष के दौरान कुल विक्रय/बिक्री/कारोबार की सकल प्राप्तियाँ रु. 1 करोड़ से अधिक हैं लेकिन रु. 10 करोड़ से अधिक नहीं हैं: <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
a2ii) If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of said amount?	यदि a2i में हाँ पर टिक किया गया है, तो कृपया लागू चेकबॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या पूर्व वर्ष के दौरान नकद में प्राप्त सभी राशियाँ, जिनमें विक्रय पर प्राप्त, बिक्री या सकल प्राप्तियाँ या पूँजी खाते पर जैसे पूँजी अंशदान, ऋण आदि शामिल हैं, कथित <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
a2iii) If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loan etc., in cash, during the previous year does not exceed five per cent of the said payment ?	यदि a2i में हाँ पर टिक किया गया है, तो लागू चेकबॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या कुल मिलाकर पूर्व वर्ष के दौरान नकद में किए सभी भुगतान सहित व्यय या पूँजी खाते पर उपगत राशि जैसे परिसंपत्ति अर्जन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि, कथित भुगतान के <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(b) क्या धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है?	कृपया लागू चेकबॉक्स पर टिक करके बताएँ कि क्या आप एक लेखापाल द्वारा अपने खातों की लेखा-परीक्षा कराने और धारा 44 <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
यदि (b) हाँ है, तो क्या किसी लेखापाल द्वारा खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? यदि हाँ, तो नीचे दी गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें	यदि आप लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, तो कृपया इंगित करें कि लेखापाल द्वारा लेखा परीक्षित किए गए हैं और लेखा-परीक्षा के (1) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तिथि (DD/MM/YYYY) (2) कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा-परीक्षक का नाम (3) लेखा-परीक्षक की सदस्यता संख्या (4) लेखा-परीक्षक का नाम (स्वत्वधारिता/फर्म) (5) स्वत्वधारिता/फर्म पंजीकरण संख्या

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	<p>(6) स्थाई लेखा संख्या (PAN)/ लेखा-परीक्षक का आधार नंबर (स्थायी पहचान / फॉर्म)</p> <p>(7) लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि</p> <p>कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म 3CA-3CD या फॉर्म 3CB-3CD ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल किया गया है</p>
<p>क्या आप धारा 92E के तहत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं?</p>	<p>यदि आपने पूर्व वर्ष के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या निर्दिष्ट एग्रेसिव प्रत्यक्षता में एग्रेसिव किया है तो रूपरग "हाँ" पर टिक करें अन्यथा, "नहीं" पर टिक करें।</p> <p>यदि हाँ चुना गया है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि फॉर्म 3CEB ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल किया गया है</p>
<p>यदि हाँ, तो क्या धारा 92E के तहत लेखा परीक्षित किए गये हैं?</p>	<p>यदि "हाँ" ऊपर चुना गया है, तो कृपया "हाँ" चुनें यदि धारा 92E के तहत लेखा परीक्षित किए गए हैं। अन्यथा "नहीं" चुनें</p>
<p>लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि? DD/MM/YYYY</p>	<p>यदि लेखा परीक्षित किए गये हैं, तो कृपया DD/MM/YYYY फॉर्मेट में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक दें</p>
<p>यदि आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो क्या आपने ऐसी रिपोर्ट दी है? लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक का उल्लेख करें? (DD/MM/YYYY)</p>	<p>यदि आप आयकर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो कृपया दी गई सूची से संबंधित खंड और धारा का चयन करें और यदि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो "हाँ" का चयन करें और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि का भी उल्लेख करें। कृपया "नहीं" चुनें यदि</p> <p>लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिदेशित उपबंधों की सूची: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10A 2. 10AA 3. 44DA 4. 50B 5. 80-IA 6. 80-IB 7. 80-IC 8. 80-ID 9. 80JJAA 10. 80LA 11. 115JC
<p>यदि आयकर अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत लेखा-परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिनियम, धारा और दिनांक का उल्लेख करें?</p>	<p>यदि आपके खाते किसी अन्य कानून (आयकर अधिनियम के अलावा) के अंतर्गत परीक्षित किए जाने हैं, तो कृपया लेखा-परीक्षा के अधिदेशित प्रासंगिक उपबंध का चयन करें और ऐसी</p> <p>लेखा-परीक्षा के लिए अधिदेशित अन्य कानूनों की सूची:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	3 केंद्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 4 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 5 धर्मार्थ तथा परोपकार न्यास अधिनियम, 1920 6 विदयत अधिनियम, 2003 7 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 8 विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम, 1999 9 सरकारी अधिवाषिकी निधि अधिनियम, 1956 10 भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 11 एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 12 सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 13 उपदान का भगतान अधिनियम, 1972 14 SEBI अधिनियम, 1992 15 प्रतिभति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 16 राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 17 संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 18 कोई अन्य कानून (कृपया टेक्स्ट बॉक्स में ब्यौरा दर्ज करें)
क्या पूर्व वर्ष के दौरान भागीदारों/फर्म के सदस्यों/AOP/BOI में कोई परिवर्तन था (समितियों और सहकारी बैंकों के मामले में प्रबंध-समिति का ब्यौरा दें यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान करें)	यदि आप एक फर्म या AOP या BOI हैं, तो कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या भागीदारों या सदस्यों या प्रबंध-समितियों में कोई परिवर्तन था। <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि 'हाँ', तो कृपया उस भागीदार या सदस्य इत्यादि का नाम उल्लेख करें जो वर्ष के दौरान स्वीकृत या सेवा-निव्यवसाय हो चुके हैं, प्रवेश/सेवा-निव्यवसाय का दिनांक और दिए गए तालिका में
क्या AOP/BOI/AJP के निष्पादक का कोई सदस्य एक विदेशी कम्पनी है?	यदि आप AOP या BOI या AJP हैं, तो कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि कोई सदस्य या कोई निष्पादक एक विदेशी कम्पनी है।
यदि हाँ, तो AOP/BOI/AJP के निष्पादक में विदेशी कम्पनी के शेयर के प्रतिशतता का उल्लेख करें।	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि 'हाँ', तो कृपया सुसंगत स्तंभ में AOP या BOI या AJP में ऐसी विदेशी कम्पनी द्वारा धारित शेयर के प्रतिशतता का उल्लेख करें।
क्या AOP/ BOI/ AJP के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसे संघ या निकाय या AJP के निष्पादक को छोड़कर) उस सदस्य के मामले में अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है?	यदि आप AOP या BOI या AJP हैं, तो कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या किसी सदस्य या कोई निष्पादक की कुल आय अधिकतम राशि से अधिक है, जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
उन व्यक्तियों की विशिष्टियाँ जो फर्म/AOP/BOI में	यदि आप एक फर्म, AOP, BOI, न्यास, मृत व्यक्ति की सम्पदा है या निवृत्त व्यक्ति की सम्पदा है, तो टी आई आर-5 के अनुभाग

क्षेत्र का नाम		अनुदेश
भागीदार/सदस्य या न्यासी में सेटलर/ट्रस्टी/हिताधिकारी थे या मृतक की संपत्ति/दिवालिया सम्पदा के मामले में 31 ^{वें} मार्च, 2021 के दिन या विघटन के दिनांक को निष्पादक थे।		कृपया मार्च 2020 के 31 ^{वें} तिथि तक या विघटन होने के दिनांक पर लागू भागीदारों/ सदस्यों/ न्यासी/ हिताधिकारी/ निष्पादक/ के 1. नाम और पता 2. उनके संबंधित प्रतिशतता शेयर (यदि निर्धारित हैं) 3. PAN 4. आधार संख्या/ नामांकन Id (यदि आधार के लिए पात्र हों) 5. निर्दिष्ट भागीदार पहचान संख्या, उस मामले में जहाँ LLP में 6. स्थिति 7. पंजी पर ब्याज दर 8. भगतान / संदेय पारिश्रमिक
धारा 160(1)(iii) या (iv) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में भरा जाना		यदि आप धारा 160(1) के तहत निर्दिष्ट प्रतिनिधि निर्धारित हैं, तो कृपया लागू चेक-बॉक्स पर टिक करके निम्नलिखित जानकारी
1	क्या हिताधिकारी के शेयर निर्धारित या ज्ञात हैं?	कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या हिताधिकारी के शेयर निर्धारित या ज्ञात हैं. <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क्या धारा 160(1)(iv) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति की कारोबार से आय है?	कृपया लागू चेक बॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या धारा 160(1)(iv) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति के पास कारोबार भाग है. <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या धारा 160(1)(iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति वसीयत द्वारा घोषित किया गया है और /या केवल समाधानकर्ता के किसी आश्रित सापेक्ष के फायदे के लिए है और/या समाधानकर्ता द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है?	कृपया लागू चेक-बॉक्स पर टिक करके इंगित करें कि क्या धारा 160(1)(iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति वसीयत द्वारा घोषित किया जाता है और / या केवल समाधानकर्ता के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (जैसा लागू होता है)	कृपया आगे के निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें, यदि लागू हो तो:-
i	क्या सभी लाभार्थियों की आय मूल-भूत छूट सीमा से कम है?	कृपया लागू चेक बॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या सभी लाभार्थियों की आय मूल भूत सीमा से कम है. <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ii	क्या किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत आय या उसका कोई भाग वसीयत द्वारा घोषित न्यास के अंतर्गत प्राप्य है और ऐसा न्यास	कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक करके इंगित करें, कि क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति वसीयत द्वारा घोषित न्यास के अंतर्गत प्राप्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा घोषित एकमात्र <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

क्षेत्र का नाम		अनुदेश
	उसके द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है?	
iii	क्या न्यास गैर वसीयती न्यास है जिसका गठन 01-03-1970 से पहले समाधानकर्ता के रिश्तेदारों /HUF के सदस्य के अनन्य लाभ के लिए किया गया है जो मुख्यतः उसपर / परिवार पर आश्रित है?	कृपया लागू चेक बॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या न्यास गैर वसीयती न्यास है जिसका गठन 01-03-1970 से पहले समाधानकर्ता के रिश्तेदारों/HUF के सदस्य के अनन्य लाभ के लिए किया गया है जो मुख्यतः उसपर / परिवार पर आश्रित है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iv	क्या न्यास भविष्यनिधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी कारोबार या व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति द्वारा सृजित वास्तविक निधि की ओर से सृजित किया गया है जो उस कारोबार या व्यवसाय के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से है?	कृपया लागू चेक बॉक्स में टिक करके इंगित करें कि क्या न्यास भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी कारोबार या व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति द्वारा सृजित वास्तविक निधि की ओर से सृजित किया गया है जो उस कारोबार या व्यवसाय के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

कारोबार की प्रकृति

कृपया कारोबार का नाम, कारोबार का कोड और कारोबार का वर्णन दर्ज करें। इस अनुदेश के अंत में उपबंध की गई सूची से लागू कारोबार संहिता का चयन किया जा सकता है। यदि आप पूर्व वर्ष के दौरान, एक से अधिक कारोबार या व्यवसाय में संलग्न थे तो सभी क्रियाकलापों या उत्पादों का संकेत दें। यदि चयनित उपस्थिति "प्राथमिक कृषि साख समिति" या "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" या "अन्य सहकारी समिति" है, तो सहकारी समितियों की गतिविधियों के लिए कार्यसूची कोड की सूची के अनुसार अतिरिक्त चौदह क्रियाकलाप में से उपबंध की गई इस अनुदेश के अंत में लागू व्यापार कोड का चयन किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यदि आप किसी कटौती का दावा धारा 80P के तहत कर रहे हैं, तो संबंधित कारोबार कोड "कारोबार की प्रकृति" और "अनुसूची 80P" दोनों में चुना जाना चाहिए।

तथापि, यदि आप धारा 44AD के तहत, धारा 44ADA के तहत, धारा 44AE के तहत प्रकल्पित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से आय घोषित कर रहे हैं, तो आप इस अनुसूची की जगह कारोबार की प्रकृति के बारे में आय के अनुसार धारा 44AD के तहत, धारा 44ADA के तहत, धारा

44AE के तहत भाग A- P&L (जैसा लागू हो) के स्तंभ 62 या स्तंभ 63 या स्तंभ 64 का ब्यौरा भरें।
भाग A – BS (मद संख्या A, B और C)

इस भाग में, कृपया वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान किए गए कारोबार या व्यवसाय के संबंध में विघटन के दिनांक के अनुसार दिए गए फॉर्मेट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र मदों का विवरण भरें।

तुलन पत्र के रिपोर्ट किए गए आँकड़े परीक्षित तुलन पत्र के साथ मिलने चाहिए यदि लेखे परीक्षित किए जाने हैं। कोई अन्य गतिविधि जो कारोबार या व्यवसाय की लेखा बहियों में लेखांकित नहीं किए गये हैं, इस तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि, यदि आपको कारोबार या व्यवसाय की नियमित लेखा बहियों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृपया केवल इस भाग के मद संख्या C में मांगी गई सारांश का विवरण भरें (*लेखा का कोई मामला नहीं है*) और अन्य मदों को छोड़ दें

भाग A - विनिर्माण खाता (मद संख्या 1 से 3)

इस भाग में, कृपया वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए विनिर्माण खाते का ब्यौरा भरें जैसे शुरुआती इन्वेंट्री, खरीद, प्रत्यक्ष मजदूरी, प्रत्यक्ष खर्च, फैक्ट्री ओवरहेड और अंतिम भंडार। इस भाग की मद संख्या 3 पर, उत्पादित माल की लागत का परिकलन विनिर्माण खाते में जमा और अंतिम भंडार आदि के लिए रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो तब ट्रेडिंग खाते की मद संख्या 11 को अंतरित किया जाता है।

हालाँकि, यदि आपको कारोबार या व्यवसाय के लेखा की नियमित लेखा बहियों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृपया केवल भाग A – P&L, की मद संख्या 62 या 63 या 64 या 65 या 66 जो भी लागू हो, पर केवल ब्यौरों को भर दें और इस भाग को छोड़ दें।

भाग A-ट्रेडिंग खाता (मद संख्या 4 से 12)

इस भाग में, कृपया वित्तीय वर्ष 2020-2021 के व्यापार खाते का विवरण भरें जैसे क्रय के संबंध में आपूर्ति, अंतिम स्टॉक और तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, प्रत्यक्ष खर्च, शुल्क/कर आदि के लिए कारोबार/व्यवसाय की सकल प्राप्तियाँ, शुल्क, कर और उपकर आदि। इस भाग की मद संख्या 12 में, कारोबार/व्यवसाय से सकल लाभ की संसंगणना बिक्री आदि के लिए रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के आधार पर की जाती है, जिसे बाद में लाभ और हानि लेखा की मद संख्या 13 में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालाँकि, यदि आपको कारोबार या व्यवसाय के लेखा की नियमित लेखा बहियों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृपया केवल भाग A – P&L, की मद संख्या 62 या 63 या 64 या 65 या 66 जो भी लागू हो, पर केवल ब्यौरों को भर दें और इस भाग को छोड़ दें।

भाग A - P&L (मद संख्या 13 से 61)

इस भाग में, कृपया वित्तीय वर्ष 2020 - 2021 के दौरान किए गए कारोबार या व्यवसाय के संबंध में, दिए गए फॉर्म के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि खाते का ब्यौरा भरें।

यदि आपको कारोबार या व्यवसाय के लिए नियमित लेखा बहियों को बनाए रखना आवश्यक था, तो कृपया मद संख्या 13 से 61 पर ब्यौरा भरें।

यदि आपको नियमित लेखा बहियों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृपया इस भाग की मद संख्या 62 या 63 या 64 या 65 या 66, जो भी लागू हो, पर केवल ब्यौरों को भरें और दूसरे मदों को छोड़ दें।

लाभ और हानि लेखा के रिपोर्ट किए गए आँकड़े परीक्षित लाभ और हानि लेखा से मेल खाने चाहिए, यदि खातों को परीक्षित किया जाना है। कारोबार या व्यवसाय में नहीं लिये गए अन्य क्रियाकलाप को इस लाभ और हानि लेखा में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

भाग A - P & L (मद संख्या 62)

कृपया मद संख्या 62 केवल तभी भरें जब आप एक भागीदारी फर्म (LLP के अलावा), भारत में निवासी और धारा 44AD के तहत प्रकल्पित आधार पर किसी भी कारोबार गतिविधि से आय घोषित करते हैं। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह की कारोबार गतिविधि से प्राप्तियाँ/आय को मद संख्या 1 से 61 में सूचित किए जा रहे प्राप्तियाँ/कारोबार या व्यवसाय से आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तालिका में, कृपया कारोबार का नाम, कारोबार संहिता और कारोबार का वर्णन दर्ज करें। इस अनुदेश के अंत में उपबंध की गई सूची से लागू कारोबार संहिता का चयन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार से प्राप्त सकल बिक्री या प्राप्तियों को स्तंभ 62(i) में सूचित किया जाना चाहिए। डिजिटल ढंग के माध्यम से प्राप्त बिक्री और अन्य ढंग (नकदी आदि.) के माध्यम से प्राप्त बिक्री के नियम में कुल बिक्री का ब्यौरा भी क्रमशः स्तंभ 62 (ia) और 62 (ib) में दिया जाना चाहिए।

कारोबार से प्रकल्पित आय को स्तंभ 62(iii) पर सूचित किया जाना चाहिए, जिसकी संगणित डिजिटल ढंग के माध्यम से प्राप्त कुल बिक्री के संबंध में कम से कम @ 6% की दर से और अन्य ढंग (नकदी आदि) के माध्यम से प्राप्त बिक्री के संबंध में कम से कम @ 8% की दर से की जानी चाहिए।

यदि आपने वास्तव में बिक्री के निर्दिष्ट प्रतिशत (अर्थात् 8% या 6%, के रूप में लागू) से अधिक दर पर आय अर्जित की है, तो कृपया ध्यान दें कि आपको ऐसी उच्चतर दर पर आय घोषित करनी होगी।

हालाँकि, यदि घोषित की जा रही आय कुल बिक्री के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम है, तो लेखा बहियों का संधारण करना और धारा 44AB के तहत उनकी लेखा परीक्षा कराना अनिवार्य है। ऐसे मामले में, कर लेखा-परीक्षा के ब्यौरों का उल्लेख भाग-A (सामान्य) में किया जाना चाहिए - लेखा-परीक्षा सूचना तथा आय के ब्यौरों आदि को नियमित स्तंभों अर्थात् मद संख्या 1 से 61 में सूचित किया जाना चाहिये।

भाग A - P & L (मद संख्या 63)

कृपया मद संख्या 63 केवल तभी भरें जब आप भागीदारी फर्म (LLP के अलावा), भारत में निवासी और धारा 44ADA के तहत प्रकल्पित आधार पर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि से आय घोषित करते हैं। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्तियाँ/आय को कारोबार या व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो मद संख्या 1 से 61 में रिपोर्ट की जा रही है।

तालिका में, कृपया व्यवसाय का नाम, कारोबार संहिता और व्यवसाय का वर्णन दर्ज करें। इस अनुदेश के अंत में उपबंध की गई सूची से लागू कारोबार संहिता का चयन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त सकल प्राप्तियाँ स्तंभ 63(i) में रिपोर्ट की जानी चाहिए।

व्यावसायिक गतिविधि से प्रकल्पित आय को स्तंभ 63(ii) पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जिसकी संगणित सकल प्राप्तियों के 50% की दर से की जानी चाहिए।

यदि आपने वास्तव में सकल प्राप्तियों के निर्दिष्ट प्रतिशतता (अर्थात् 50%) से अधिक दर पर आय अर्जित की है, तो कृपया ध्यान दें कि आपको ऐसी उच्चतर दर पर आय घोषित करनी होगी।

तथापि, यदि घोषित की जा रही आय सकल प्राप्तियों के विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से कम है, तो लेखा बहियों को बनाए रखना और धारा 44AB के तहत उसे लेखा परीक्षित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामले में, कर लेखा-परीक्षा के ब्यौरों का उल्लेख भाग-A (सामान्य) में किया जाना चाहिए - लेखा-परीक्षा सूचना तथा आय के ब्यौरों आदि को नियमित स्तंभों अर्थात् मद संख्या 1 से 61 में सूचित किया जाना चाहिये।

भाग A - P & L (मद संख्या 64)

कृपया मद संख्या 64 को केवल तभी भरें जब आप अनुभाग 44AE के अनुसार अनुमानित आधार पर माल वाहनों को चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने के व्यवसाय से आय की घोषणा कर रहे हों। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह के कारोबार क्रियाकलापों से प्राप्त प्राप्तियों/आय को मद संख्याएं 1 से 61 में बताए जा रहे कारोबार या व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

पहली तालिका में, कृपया कारोबार, कारोबार कोड और कारोबार का ब्यौरा दर्ज करें। इस अनुदेश के अंत में उपबंध की गई सूची से लागू कारोबार संहिता का चयन किया जा सकता है। दूसरी तालिका में क्रम संख्या 64(i) पर, कृपया संबंधित स्तंभ में प्रत्येक माल वाहक के संबंध में पंजीकरण संख्या, स्वामित्व, टन-क्षमता, स्वामित्व की कालावधि और प्रकल्पित आय का ब्यौरा दर्ज करें। इन ब्यौरों को वर्ष के दौरान स्वामित्व वाले प्रत्येक माल वाहक के लिए अलग-अलग पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या दस वाहनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्वामित्व *null* [स्तंभ संख्या(2)] पर स्तंभ में, कृपया बताएं कि निर्धारिती द्वारा मालगाड़ी को चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने के लिए लगाया गया था। स्वामित्व की कालावधि [स्तंभ संख्या(4)] के स्तंभ में, कृपया उन महीनों की संख्या का उल्लेख करें जिनके लिए निर्धारिती द्वारा माल गाड़ी चलाने, किराए पर लेने या पट्टे पर देने में लगाया गया था। यदि "माल वाहन की टनधारिता क्षमता (MT में)" > 12 है, धारा 44AE के तहत ऐसे वाहन के माल वाहक के लिए प्रकल्पित आय की यथा संगणित @ रु.1000 प्रति टन प्रति माह की दर से करनी चाहिये और यदि टनधारिता 12MT से ज्यादा नहीं होती है तो धारा 44AE के तहत ऐसे वाहन के माल वाहक के लिए प्रकल्पित आय की संगणित कम से कम @ रु.7500 प्रति माह की दर से करनी चाहिये। इन दोनों दरों से प्राप्त कुल प्रकल्पित आय को क्रम संख्या स्तंभ 64(ii) पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो द्वितीय तालिका के स्तंभ (5) पर रिपोर्ट किए गए प्रत्येक माल वाहक से प्रकल्पित आय की कुल राशि है।

यदि आपने वास्तव में प्रति वाहन प्रति माह निर्दिष्ट दर से अधिक की दर पर आय अर्जित की है, तो कृपया ध्यान दें कि आपको ऐसी उच्चतर दर पर आय घोषित करनी होगी।

तथापि, यदि घोषित की जा रही है आय प्रति वाहन विनिर्दिष्ट दरों से कम है, या वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या दस से अधिक है, तो लेखा बहियां बनाना और उसे अनुभाग 44AB के अंतर्गत परीक्षित करना अनिवार्य है। ऐसे मामले में, कर लेखा-परीक्षा के ब्यौरों का उल्लेख भाग-A (सामान्य) में किया जाना चाहिए - लेखा-परीक्षा सूचना तथा आय के ब्यौरों आदि को नियमित स्तंभों अर्थात् मद संख्या 1 से 61 में सूचित किया जाना चाहिये।

भाग A - P & L (मद संख्या 65)

यदि आपको वर्ष के दौरान किए गए कारोबार या व्यवसाय के संबंध में नियमित लेखा बहियों को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, तो कृपया स्तंभ 65 पर ऐसी गतिविधि के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा अर्थात् सकल प्राप्तियाँ, सकल लाभ, व्यय और शुद्ध मुनाफ़ा भरें। किसी भी लेखा बहियाँ के अंतर्गत कारोबार/व्यवसाय से होने वाली हानि की घोषणा प्रतिबंधित नहीं है।

भाग A - P & L (मद संख्या 66)

यदि आप वर्ष के दौरान किसी सट्टेबाजी में लगे हैं, तो कृपया इस तरह के क्रियाकलाप के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरा अर्थात् कुल बिक्री, सकल लाभ, व्यय और शुद्ध आय स्तंभ 66 पर भरें।

भाग A- OI (अन्य जानकारी)

इस अनुसूची में आयकर अधिनियम के अंतर्गत विकास भत्ते और अस्वीकृतियाँ संबंधी ब्यौरा दिया गया है। In case the books of accounts of the business or profession were required to be audited under section 44AB, it is mandatory to fill up the information sought at various items (item No. 1 to 17) of this part. अन्यथा, कृपया उन मदों पर जानकारी भरें जो लागू हैं। रिक्त संख्यात्मक क्षेत्रों को शून्य माना जाएगा

इसके अलावा, उन मदों के विरुद्ध उल्लिखित आँकड़े जिन्हें भी धारा 44AB के तहत कर लेखापरीक्षा में भी रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है वो कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई जानकारी से मेल खाने चाहिये। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के क्षेत्रों के लिए विवरणियों के साथ तुलना करने के लिए कृपया अनुबंध 1 देखें।

भाग A- QD (मात्रात्मक ब्यौरा)

भाग A-QD में, मुख्य मदों के संबंध में व्यापार और विनिर्माण खाते का मात्रात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

यदि अनुभाग 44AB के अंतर्गत कारोबार या व्यवसाय की लेखा बहियों की लेखा-परीक्षा की आवश्यकता थी, तो इस भाग के विभिन्न मदों में मांगी गई जानकारी को भरना अनिवार्य है।

व्यापारी समुत्थान के मामले में, कृपया वर्ष के दौरान प्रारंभिक भंडार, खरीद और बिक्री और मुख्य मदों के लिए अंतिम भंडार का मात्रात्मक ब्यौरा भरें।

विनिर्माण प्रतिष्ठान के मामले में, कृपया कच्चे माल की मुख्य मदों का मात्रात्मक ब्यौरा (अर्थात् प्रारंभिक भंडार; वर्ष के दौरान खरीद, उपभोग और बिक्री; अंतिम भंडार और तैयार उत्पादों की पैदावार उपज) और तैयार उत्पादों और उप-उत्पादों की मुख्य मदों का मात्रात्मक ब्यौरा भरें (अर्थात् प्रारंभिक भंडार; वर्ष के दौरान खरीद, विनिर्माण और बिक्री; अंतिम भंडार)।

अनुसूची HP- गृह सम्पत्ति से आय का ब्यौरा

कृपया ड्रॉप डाउन – मेन्यू सेल्फ/मान्य स्वामी की सूची में से चयन करके गृह संपत्ति का स्वामित्व, जिससे आय इस अनुसूची में सूचित की जा रही है, का उल्लेख करें।	
क्षेत्र का नाम	अनुदेश

सम्पत्ति का पता	
नगर/ शहर	कृपया सम्पत्ति का सम्पूर्ण पता दर्ज करें जिसमें नगर या शहर, राज्य, देश और पिन कोड/ज़िप कोड का नाम शामिल है। राज्य
राज्य	
पिन कोड/ ज़िप कोड	
सम्पत्ति का स्वामी	कृपया डॉपडाउन मेन्यू से सम्पत्ति के स्वामी का चयन करें: <ul style="list-style-type: none"> • स्वयं • मान्य स्वामी
क्या सम्पत्ति सह-स्वामित्वाधीन है	कृपया लागू चेकबॉक्स को टिक करके बताएं कि क्या संपत्ति आपके <p>द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से स्वामित्व में है या नहीं</p> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
सम्पत्ति % में निर्धारित के हिस्से की प्रतिशतता	यदि हाँ, तो कृपया दिए गए बॉक्स में संपत्ति में अपने हिस्से के प्रतिशत को निर्दिष्ट करें।
अन्य सह-स्वामियों का नाम	यदि हाँ, तो कृपया सम्पत्ति के अन्य सह-स्वामियों के नाम, PAN, आधार संख्या और संबंधित प्रतिशतता शेयर विनिर्दिष्ट करें। कृपया आवश्यक के रूप में पंक्तियों को जोड़ें।
सह-स्वामी(यों) का PAN	
सह-स्वामी(यों) की आधार संख्या	
सम्पत्ति (%) में प्रतिशतता हिस्सा	
गृह संपत्ति का प्रकार	कृपया पिछले वर्ष के दौरान गृह संपत्ति के उपयोग को दर्शाते हुए <p>व्याज नोट्स बॉक्स पर टिक करें-</p> <p>(a) यदि गृह संपत्ति में एक घर, या एक घर का हिस्सा है, जो स्व-अध्यासित है, या धारा 23(2) के तहत स्व-अध्यासित के रूप में माना जाता है, तो 'स्व-अध्यासित' पर टिक करें।</p> <p>(b) यदि गृह संपत्ति, या उसका भाग, वास्तव में पूर्ण या वर्ष के भाग के दौरान किराए पर संदत्त था, तो 'किराए पर संदत्त' पर टिक करें।</p> <p>(c) यदि गृह संपत्ति, या उसका भाग, धारा 23(4) के तहत किराये पर मान्य है तो 'किराए पर मान्य' पर टिक करें।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि, दो से अधिक गृह संपत्तियों को "स्व-अधिकृत" के रूप में चला नहीं जा सकता है।</p>
अभिधारी(यों) का नाम (यदि किराए पर संदत्त है)	यदि सम्पत्ति वास्तव में वर्ष या वर्ष के भाग के दौरान किराए पर दी गई थी, तो कृपया नाम, PAN का उल्लेख करें। अभिधारी(यों) की आधार संख्या और TAN। यदि धारा 194-IB के तहत स्रोत पर कर की कटौती की गई है तो अभिधारी का PAN प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर कर धारा 194-1 के तहत स्रोत पर काटा गया है तो अभिधारी का TAN प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अभिधारी(यों) का PAN	
अभिधारी(यों) की आधार संख्या	
अभिधारी(यों) की PAN/TAN/आधार संख्या (यदि TDS जमा का दावा किया जाता है)	

1a	वर्ष के दौरान प्राप्त सकल किराया/प्राप्य/किराए पर लेने योग्य मूल्य	यदि गृह संपत्ति वास्तव में किराए पर संदत्त है, तो कृपया वर्ष के दौरान संपत्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराए की राशि दर्ज करें। अन्यथा, उस राशि को दर्ज करें जिसके लिए संपत्ति उचित रूप से वर्ष के दौरान किराये पर दिये जाने की उम्मीद की जा सकती
1b	किराए की वह राशि जो वसूल नहीं की जा सकती	कृपया प्राप्य सकल किराए में से, किराए की राशि दर्ज करें, जिसे स्वामी द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता है और यह अवसूलनीय हो गया है। [कृपया नीचे अनुभाग 23 की उप-धारा(1) के नियम 4 और
1c	स्थानीय प्राधिकारी को सन्दत्त किया गया कर	कृपया गृह संपत्ति पर कर की राशि दर्ज करें जो वास्तव में वर्ष के दौरान स्थानीय प्राधिकरणों को सन्दत्त की गई है, जैसे सन्दत्त
1d	कुल (1b + 1c)	यह एक स्वतः भरने वाला क्षेत्र है जो अप्राप्त किराए [1b] और स्थानीय अधिकारियों को सन्दत्त करों [1c] के कुल योग का
1e	वार्षिक मूल्य (1a-1d)	यह एक स्वतः-भरा गया क्षेत्र है जो वार्षिक मूल्य [1d] की संगणना के लिए सकल किराए [1a] की राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से कटौती योग्य राशियों को घटाया जाता है। स्व-अध्यासित
1f	स्वामित्वाधीन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य	कृपया सम्पत्ति के हिस्से के वार्षिक मूल्य की संगणना करें जो आपके स्वामित्वाधीन है, संपत्ति में अपने प्रतिशतता हिस्से के साथ
1g	1f का 30%	कृपया अपनी सम्पत्ति के अपने हिस्से के वार्षिक मूल्य का 30% दर्ज करें।
1h	उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज	यदि संपत्ति का अर्जन/निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण/पुनर्निर्माण उधार ली गई पूँजी से किया गया है, तो कृपया ऐसी उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज की वास्तविक राशि दर्ज करें। यदि अनुभाग 23(2) के उपबंधों के अनुसार गृह संपत्ति 'स्व-अध्यासित' है, तो यथास्थिति, उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज की
1i	कुल (1g + 1h)	यह एक स्वतः-भरा गया क्षेत्र है जो 'गृह संपत्ति' मद के तहत धारा 24 के तहत कटौती योग्य कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात्, वार्षिक मूल्य का 30% [1g] और उधार ली गई पूँजी [1h] पर देय
1j	वर्ष के दौरान बकाया/अवास्तविक किराया 30% से कम	यदि वर्ष के दौरान किराए की बकाया राशि प्राप्त हो गई है, या गृह संपत्ति के संबंध में अभिधारी से तत्पश्चात अप्राप्त किराए की वसूली की गई है, कृपया बकाया/अवास्तविक किराए के 30% के बराबर राशि को कम करने के बाद, इस प्रकार प्राप्त बकाया/अवास्तविक
1k	गृह सम्पत्ति 1(1f-1i + 1j) से आय	यह एक स्वतः-भरा जाने वाला क्षेत्र है जो गृह संपत्ति से शुद्ध आय को निरूपित करता है, जिसकी संगणना धारा 24 [1i] के तहत कटौती योग्य कुल राशि से वार्षिक मूल्य [1f] को कम करके और बाकी

कृपया वर्ष के दौरान आपके स्वामित्वाधीन या सह-स्वामित्वाधीन प्रत्येक सम्पत्ति के लिए उपर्युक्त सभी ब्यौरे अलग से भरें, जिससे आय शीर्ष 'गृह संपत्ति' के अंतर्गत निर्धारण योग्य है और प्रत्येक गृह सम्पत्ति से		
2	गृह सम्पत्ति 2(2f-2i +2j) से आय	यह गृह संपत्ति-2 से आय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी संगणित रूप से गृह संपत्ति 1 के समरूप की जाती है।
3	पास थ्रू आय/हानि, यदि कोई हो	धारा 115UA या 115UB के तहत कारोबार न्यास या निवेश निधि से आय/हानि के माध्यम से पास किए जाने वाले विवरण, अनुसूची PA यदि उसमें सूचित की गई पास थ्रू आय की कोई भी राशि गृह संपत्ति आय की प्रकृति की है, तो उसे शीर्ष-वार संसंगणना में शामिल करने
4	"गृह संपत्ति से होनेवाली आय" शीर्ष के अंतर्गत आय	यह एक स्वत-भरा जाने वाला क्षेत्र है जो वर्ष के दौरान स्वामित्वाधीन सभी गृह संपत्तियों से शुद्ध आय (1k+2k +)] और साथ ही गृह

अनुसूची व्यव./व्यवसाय- कारोबार या व्यवसाय से आय की संसंगणना

इस अनुसूची में, लाभ और हानि लेखा में आने से पहले शीर्ष 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ' के अंतर्गत प्रभार्य आय की संगणित शुद्ध लाभ से शुरू की जाती है जो मद सं. 54 या मद सं. 62(ii) या मद सं. 63(ii) या मद सं. 64(iv) या मद सं. 65(iii) या मद सं. 66(iv) में दिखाई दे रही है।

टिप्पणी: यदि आय में रॉयल्टी और FTS से आय शामिल है और यदि आप DTAA की कम कर दर के लाभ का दावा करना चाहते हैं, तो इस आय को अनुसूची OS में सूचित किया जाएगा। यदि इसे भाग A-P&L में शामिल किया गया है, तो आप इसे कारोबार या व्यवसाय के शीर्ष क्रमांक 3c के तहत प्रभार्य आय से कम कर सकते हैं और अनुसूची अन्य स्रोतों के तहत आय की रिपोर्ट कर सकते हैं।

यदि किसी अन्य आय के स्रोत के अंतर्गत दिखाए जाने वाले लाभ और हानि लेखा के जमा पक्ष में से कोई राशि कम की जाती है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि इसे आय के स्रोत को समरूपी सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है।

यदि किसी राशि को करमुक्त आय होने के कारण लाभ और हानि लेखा के जमा पक्ष में से कम किया जाता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि उसे करमुक्त आय की अनुसूची में सही ढंग से रिपोर्ट किया गया है।

इसके बाद निम्नलिखित प्रकृति के मुनाफ़े या आय, जो उपर्युक्त शुद्ध लाभ में शामिल हैं, की अलग-अलग प्रतिफल के लिए उसमें से कटौती की जाती है:-

- सट्टा कारोबार से मुनाफ़ा
- धारा 35AD के तहत किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कारोबारों से होने वाला लाभ
- आय जो P&L में जमा की गई हो जिसे आय के अन्य शीर्षों के अंतर्गत माना जाना है/ (टिप्पणी – कृपया लाभांश आय और लाभांश आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय का ब्यौरा बताएं)
- धारा 115BBF या 115BBG के तहत विशेष दर पर प्रभार्य आय
- प्रकल्पित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से संगणित लाभ
- P&L में जमा की गई आय जो छूट प्राप्त है
- क्रियाकलाप से आय जो नियम 7, 7A, 7B और 8 के अंतर्गत आती है

आय की उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित P&L खाते से निकाली गई व्यय को बही अवक्षयण और परिशोधन के साथ वापस जोड़ा जाता है। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य अवक्षयण को मद संख्या 13 पर अवक्षयण के समायोजन के बाद मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए काटा जाता है।

मद नंबर .14 से मद नंबर 19 तक, P&L खाते में डेबिट किए गए खर्चों की विभिन्न अस्वीकृतियों को सूचीबद्ध करते हैं, यतः मद नंबर 20 से 25 में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मानित आय के अतिरिक्त प्रावधान हैं। इनमें से, मद संख्या 23 किसी अन्य प्रकार की जोड़े जाने वाली आय में दर्ज करने के लिए शेष स्तंभ है और यह अनुसूची OI के क्रम संख्या (5a से 5d) का न्यूनतम होना चाहिए। कोई भी अन्य आय जो लाभ व हानि लेखे में शामिल न की गई हो, जैसे कि वेतन, कमीशन, बोनस या ब्याज जो भागीदार के तौर पर किसी फ़र्म से व्यक्ति/HUF द्वारा अर्जित किया गया हो, अलग से मद क्रमांक 24 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अतिरिक्त और अस्वीकृतियों की कुल राशि को मद संख्या 26 में एक स्वतंत्र स्तंभ में दर्ज किया जाना चाहिए। विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अनुज्ञेय कटौतीका प्रावधान है। इनमें से, मद सं. 32 कटौती के रूप में अनुमत किसी अन्य राशि को भरने के लिए अवशेष स्तंभ है। मद सं. 34 पर स्वीकृत कटौती की कुल राशि स्व-भरित आंकड़े के रूप में ली जाती है।

समायोजित मुनाफ़ा और हानि (मद संख्या 13) में परिवर्धन और अस्वीकृतियाँ (मद संख्या 26) की कुल राशि को जोड़ने और उससे अनुमेय कटौती (मद संख्या 34) को कम करने के बाद, शुद्ध कारोबार आय को मद संख्या 35 पर संगणित किया जाता है।

कारोबार और व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की संसंगणना विशेष प्रावधानों के रूप में प्रकल्पित आधार पर अलग से मद संख्या 36 में की गई है। ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के संबंध में लाभ को एक अलग रेखा मद के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

कारोबार या व्यवसाय से कुल शुद्ध मुनाफ़े की संगणित मद संख्या 37 पर शुद्ध कारोबार आय (मद संख्या 35) के कुल योग के रूप में की जाती है और मुनाफ़े की संसंगणना प्रकल्पित आधार (मद संख्या 36) पर की जाती है।

ऐसे मामले में जहाँ नियम 7, 7A, 7B और 8 के अंतर्गत शामिल क्रियाकलाप से होने वाली आय को P&L खाते में शामिल किया गया है, इन नियमों के अंतर्गत प्रभार्य मानद/मान्य कारोबार आय और इन नियमों के अलावा अन्य प्रभार्य कारोबार आय का ब्यौरा निम्नलिखित मद संख्या 38 में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, कृषि आय के रूप में मानी गई आय का शेष मद सं.39 पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

किसी भी अन्य मामले में, मद संख्या 37 पर संगणित किए गए कारोबार या व्यवसाय से केवल शुद्ध मुनाफ़े का आँकड़ा मद संख्या 38 पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: यदि आप अनुसूची कारोबार या व्यवसाय के क्रमांक 38 पर या क्रमांक 65(i)(b), 65(i)(d), 65(ii)(b) और 65(ii)(d), 66ii, 66iv P&L में (कोई खाता मामला नहीं) तो आपको लेखा बहियों के संधारण करने और उनकी लेखा परीक्षा कराने की आवश्यकता है। वैकल्पिक रूप से, आपको टर्नओवर का कम से कम 8% अपनी आय के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए अन्यथा विवरणी को दोषपूर्ण माना जा सकता है।

कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित मामलों में धारा 139[1] के तहत निम्नलिखित लेखापरीक्षा रिपोर्ट विवरणी को फ़ाइल करने की नियत तारीख या उससे एक माह पहले फ़ाइल की गई है:-

धारा	फॉर्म संख्या
धारा 33AB(2) के तहत कटौती का दावा	3AC
धारा 33ABA(2) के तहत कटौती का दावा	3AD
Deduction claimed u/s 35D/35E (form to be filed only when deduction is claimed for the first time)	3AE
धारा 44DA के तहत कराधेय आय	3CE

इस अनुसूची का भाग B सट्टा कारोबार से आय की अलग संसंगणना प्रदान करता है, यदि सट्टा कारोबार से कोई लाभ P&L खाते में शामिल किया गया था।

इस अनुसूची का भाग C धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट कारोबार से आय की संसंगणना प्रदान करता है, यदि निर्दिष्ट कारोबार से किसी भी मुनाफ़े को P&L खाते में शामिल किया गया था।

'कारोबार और व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य कुल आय की संगणना, कारोबार या व्यवसाय के अलावा विनिर्दिष्ट कारोबार या सट्टेवाले कारोबार से कुल सकललाभ (मद संख्या A38), सट्टेवाले कारोबार से आय (मद संख्या B43) और विनिर्दिष्ट कारोबार से आय (मद संख्या C49) के रूप में इस अनुसूची के भाग D पर की जाती है।

इस अनुसूची का भाग E चालू वर्ष के दौरान निर्दिष्ट कारोबार या सट्टा कारोबार या बीमा कारोबार से आय के साथ सामान्य कारोबार हानियों के अंतर-शीर्ष सेट-आफ प्रदान करता है। विनिर्दिष्ट व्यापार या सट्टेबाजी व्यापार से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, सामान्य व्यावसायिक आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किए जा सकते हैं।

अनुसूची DPM

अनुसूची DPM वर्ष के लिए संयंत्र और मशीनरी के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास की संसंगणना प्रदान करता है। इसमें वह संयंत्र और मशीनरी शामिल नहीं है जिस पर पूरा पूँजीगत व्यय स्वीकार्य है। इसके अलावा, यदि आप पात्र हैं और धारा 115BAD के तहत लाभ उठा रहे हैं, तो धारा 115BAD के तहत कराधान के लिए विकल्प के रूप में वो राशि जिसे प्रारंभिक WDV में वापस जोड़ना है/समायोजित करना है, दर्ज करें।

टिप्पणी:

1. CBDT ने दिनांक 20 सितंबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से 23 अगस्त, 2019 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 2020 से पहले और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लाई गई हो को खरीदी गई मोटर कारों, मोटर बसों आदि आस्तियों पर अवक्षयण को बढ़ाकर 45% कर दिया। इसलिए, इस तरह की परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण वर्ष 2021-22 में 45% ब्लॉक में कोई वृद्धि
2. ~~की अवधि समाप्त नहीं है, जिससे धारा 115BAD के तहत विकल्प चुना है, अवक्षयण के लिए 45% की दर से (नियम 5 के अनुसार) और धारा 32(1)(ii) के तहत अतिरिक्त अवक्षयण के लिए, जैसा कि पंक्ति संख्या 12, 13 और 14 में निर्दिष्ट है, के लिए पात्र नहीं है।~~

अनुसूची DOA

अनुसूची DOA आस्तियों के अन्य प्रवर्ग - भूमि, भवन, उपस्कर एवम् साजो-सामान, अमूर्त आस्तियाँ और जहाजों के संबंध में वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवक्षयण की संसंगणना प्रदान करता है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय स्वीकार्य हो।

अनुसूची DEP

अनुसूची DEP में वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के तहत सभी श्रेणी के लिए स्वीकार्य परिसंपत्तियों - संयंत्र और मशीनरी, भूमि, भवन, फर्नीचर एवम् साजो-सामान, अमूर्त संपत्तियों और जहाजों के संबंध में अवक्षयण का सारांश शामिल है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय स्वीकार्य हो। इस अनुसूची में आँकड़े को अनुसूची DPM और अनुसूची DOA के सुसंगत स्तंभ(ओं) में यथा संगणित लिया गया है।

अनुसूची DCG

अनुसूची DCG में आस्तियों के विभिन्न प्रवर्ग - संयंत्र और मशीनरी, भूमि, भवन, उपस्कर एवम् साजो-सामान, अमूर्त आस्तियाँ और जहाजों के अंतर्गत आयकर अधिनियम के रूप में वर्ष के दौरान अवक्षयी आस्तियों की विक्रय पर मानद अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ का संक्षिप्त शामिल है। इस अनुसूची में आँकड़े को अनुसूची DPM और अनुसूची DOA के सुसंगत स्तंभ(ओं) में यथा संगणित लिया गया है।

अनुसूची ESR

अनुसूची ESR में धारा 35 में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय के विवरण, धारा 35CCC में निर्दिष्ट कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय और 35CCD में निर्दिष्ट कुशल विकास परियोजना पर व्यय को शामिल किया गया है। P&L खाते में निकाली गई निर्दिष्ट प्रकृति की राशि, यदि कोई हो, को अनुसूची के स्तंभ (2) में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसमें से, वह राशि जो सुसंगत उपबंध अर्थात् अनुभाग 35, अनुभाग 35CCC या अनुभाग 35CCD के तहत कटौती के लिए पात्र है स्तंभ (3) में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि अनुसंधान संघों आदि को दान के कारण किसी भी कटौती का दावा किया गया है तो आदाता का नाम, पता और PAN एवं भुगतान किए गए दान के तरीके अनुसूची RA के अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए।

कृपया ध्यान दें: सहकारी समिति जिसने धारा 115BAD के तहत विकल्प चुना है वो अधिनियम की धारा 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii), 35(2AA), 35(2AB), 35CCC और 35CCD के तहत कटौती का दावा करने के पात्र नहीं है

अनुसूची CG - पूँजी अभिलाभ

विभिन्न प्रकार की पूँजी आस्तियों की विक्रय/स्थानांतरण से होने वाले पूँजी अभिलाभ को अलग कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में जहाँ पूँजी लाभ एक से अधिक पूँजी परिसंपत्ति की बिक्री या अंतरण से उत्पन्न होता है, जो समान प्रकार की हों, कृपया निम्न के लिए छोड़कर ऐसी सभी पूँजी परिसंपत्तियों के संबंध में पूँजीगत लाभ की समेकित संसंगणना करें:-

- (a) अचल सम्पत्ति यानी A1 और B1 की विक्रय पर उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक/अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ के मामले में जहाँ प्रत्येक संपत्ति के लिए पूँजीगत लाभ की अलग से संगणित करना आवश्यक है और

(b) किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिस पर STT का भुगतान किया गया है, इसमें इक्विटी शेयरों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (LTCG) के मामले में, पूँजी अभिलाभ की संगणना मद संख्या B5 यामद संख्या B8 के अनुसार की जानी चाहिए।
 B8 के अनुसार की जाननी चाहिए।
 धारा 112A और 115AD[1](b)(iii)-परंतुक के अनुसार वर्ष के दौरान बेचे गए प्रतिभूति पत्र या म्यूचुअल फंड की इकाइयों के लिए पूँजी अभिलाभ की अलग संगणना की जानी चाहिए। It may be noted that if the shares are acquired after 31st Jan 2018, taxpayer can show consolidated amount of sales & purchase in respective schedule 112A & 115AD(1)(b)(iii)-proviso. उत्पन्न होने वाले शुद्ध पूँजी अभिलाभ का कुल योग किया जाना चाहिए और क्रमशः B5 और B8 को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद, धारा 112A और 115AD[1][b][iii] के तहत प्रत्येक को रु.1 लाख का लाभ देने के बाद संगणना के प्रयोजन से कुल LTCG पर 10% की फ्लैट दर से कर प्रभारित किया जाएगा। रु.1 लाख का यह लाभ अनुसूची SA में दिया जाएगा।
 इस अनुसूची के भाग A में विभिन्न प्रकार की पूँजी गतसंपत्तियों की बिक्री से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (STCG) की संगणना का प्रावधान है। इसमें से मद संख्या A4 और A5 केवल अनिवासियों के लिए लागू हैं।

इस अनुसूची का भाग B विभिन्न प्रकार की पूँजी आस्तियों की विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (LTCG) की संगणना प्रदान करता है। इसमें से मद संख्या B6, B7 और B8 केवल अनिवासियों के लिए लागू हैं।

STCG/LTCG on sale of immovable property, if any, should be reported at item No. A1/B1. दी गई तालिका के अनुसार अचल सम्पत्ति, खरीदार का नाम और PAN आदि का ब्योरा प्रकट करना अनिवार्य है। वर्ष के दौरान स्थानांतरण की गई प्रत्येक अचल सम्पत्ति के लिए ये ब्योरे अलग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

- यदि आपने भूमि और भवन बेचा है, तो खरीदार के पैन को उद्धृत करना तभी अनिवार्य है, जब धारा 194-IA के तहत कर काटा जाता है या दस्तावेजों में उल्लिखित है।
- यदि आप निवासी हैं और भारत से बाहर स्थित भूमि और भवन बेचते हैं, तो संपत्ति और खरीदार के नाम का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। हालाँकि, खरीदार के PAN को उद्धृत करना केवल तभी अनिवार्य है जब धारा 194-IA के तहत कर काटा जाता है या दस्तावेजों में उल्लिखित होता है।

धारा 115UA या 115UB के तहत कारोबार न्यास या निवेश निधि से आय/हानि के माध्यम से पास किए जाने वाले विवरण, अनुसूची PTI में अलग से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता है। यदि उसमें रिपोर्ट की गई पास थ्रू आय/हानि वाली कोई राशि अल्पावधि पूँजी लाभ की प्रकृति की है, तो उसे इस अनुसूची की मद संख्या A8 पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि उसमें पास थ्रू आय/ हानि से कोई राशि दीर्घकालिक पूँजी लाभ की प्रकृति की है, तो उसे इस अनुसूची की मद संख्या B11 पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

Amount of STCG/ LTCG on assets referred in A1-A8/ B1- B11 which is chargeable at special rates or not chargeable to tax in India in accordance with the relevant article of

Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) of India with another country, if any, should be reported at item no. A9/ B12.

दी गई तालिका में, कृपया स्तंभ (2) पर आय की राशि की रिपोर्ट करें और तालिका में मांगे गए अन्य प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करें जैसे कि स्तंभ (5) पर DTAA का प्रासंगिक अनुच्छेद, स्तंभ (6) पर संधि दर, स्तंभ (9) पर आयकर अधिनियम के अनुसार दर और स्तंभ (10) पर वो लागू दर जो दोनों दरों में कम है। कृपया रिपोर्ट करें कि क्या कर रेसिडेंसी प्रमाणपत्र (TRC) स्तंभ(7) में निवास के देश से प्राप्त किया जाता है। यह स्तंभ केवल अनिवासियों के मामले में लागू होता है। कृपया ध्यान दें, यदि TRC फ्लैग 'नहीं' है, तो आय भाग A/B में विनिर्दिष्ट लागू दरों के अनुसार प्रभार्य होगी।

इस अनुसूची का भाग C अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (मद संख्या A10) और दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (मद संख्या B13) की कुल संगणना करता है। यदि मद संख्या B13 पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ की कुल राशि हानि का आँकड़ा है, तो उसे अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ के खिलाफ समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में, मद संख्या B13 के आँकड़े को 'शून्य' के रूप में लिया जाना चाहिए और केवल मद संख्या A10 के आँकड़े को मद C के रूप में लिया जाना चाहिए।

पूँजी अभिलाभ के संबंध में कटौती का दावा किया जा सकता है बशर्ते धारा 54D या 54EC या 54G या 54GA के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो। धारा 54EC के तहत कटौती केवल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ के लिए उपलब्ध है। यदि किसी भी प्रकार के पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध कोई कटौती का दावा किया जाता है, तो इस अनुसूची के भाग D के अनुसार ऐसे दावे का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस अनुसूची का भाग E चालू वर्ष के पूँजी लाभ के साथ वर्तमान वर्ष के पूँजी हानि का इंद्रा हेड समायोजन का प्रावधान देता है। अनुसूची जिस दर से यह कर के लिए प्रभार्य होता है उसके अनुसार विभिन्न श्रेणी के पूँजी अभिलाभ (दीर्घकालिक और अल्पकालिक) को अलग-अलग कर देती है। लागू दर का अर्थ उस कर की दर से है जिस पर निर्धारिती की सामान्य आय अन्यथा कर योग्य है। DTAA दर का अभिप्राय उस विशेष दर से है जिस पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ दोहरे कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) के संगत अनुच्छेद के अनुसार कर प्रभार्य किया जा सकता है।

स्तंभ 1 में दिए गए आंकड़े पूँजी अभिलाभ की श्रेणियों की सूची बनाते हैं, जिसके विरुद्ध चालू वर्ष की पूँजी हानि को समायोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार पंक्ति 'i' में आंकड़े चालू वर्ष के पूँजीगत हानियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए हैं, जिन्हें स्तंभ 1 में पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। पंक्ति 'i' और स्तंभ '1' में आंकड़े अनुसूची CG की प्रासंगिक मदों पर संगणित आंकड़ों के योग से प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार, $(A3e^* + A4a^* + A8a^*)$ जिसमें से अल्पकालिक पूँजीगत लाभ की राशि से कम कर दिया गया है जो कर प्रभार्य है या DTAA दरों पर कर के लिए प्रभार्य है जो उसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त, यदि $(A3e^* + A4a^* + A8a^*)$ एक ऋणात्मक आंकड़े को निरूपित करता है तो इसे कक्ष '2i' में भरा जाना चाहिए और यदि यह धनात्मक है तो इसे कक्ष '1ई' में भरा जाना चाहिए। निर्धारिती स्तंभ '1' में पूँजी लाभ की किसी भी श्रेणी के साथ पंक्ति 'i' की पूँजी हानि को समायोजित कर सकता है, सिवाय इसके कि दीर्घकालिक पूँजी हानि को केवल किसी भी दीर्घकालिक पूँजी लाभ के साथ समायोजित किया जा सकता है। सेट-ऑफ की गई पूँजीगत हानि की राशि को स्तंभ 2 से 8 तक की संसंगत पंक्तियों में दर्ज किया जाएगा। वर्तमान वर्ष के इंद्रा हेड समायोजन के बाद शेष पूँजी लाभ की संसंगणना स्तंभ 9 में की जाती है, जिसे चालू वर्ष के नुकसान के इंटर हेड समायोजन की संसंगणना करने के लिए अनुसूची CYLA में लिया जाता है। चालू वर्ष की शेष पूँजी हानि की संसंगणना पंक्ति (x) में की जाती है, जो भावी वर्षों के लिए होने वाले नुकसान की रिपोर्टिंग के लिए अनुसूची CFL में लिया जाता है।

इस अनुसूची के भाग F में, दी गई तालिका के अनुसार, शीर्षक 'पूँजी अभिलाभ' के तहत आय की आवृत्ति या अभिवर्द्धन के तिमाही-वार विवरण को कृपया रिपोर्ट करें।

प्रोद्भवन या प्राप्ति के विवरण को विभिन्न दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (STCG) और विभिन्न दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (LTCG) को सभी तिमाहियों के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। STCG और LTCG की राशि, जिसके संबंध में तिमाही-वार ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है, उसे अनुसूची BFLA के स्तंभ 5 में संसंगणना के अनुसार लिया जाना चाहिए, अर्थात् चालू वर्ष की हानि और अग्रणीत हानि को सेट-ऑफ करने के बाद शेष पूँजीगत।

दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ की संसंगणना करने के लिए, अर्जन की लागत और सुधार की लागत को सूचीबद्ध किया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निम्न लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर सूचीबद्ध की जा सकती है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रास्फीति तालिका
1.	2001-02	100
2.	2002-03	105
3.	2003-04	109
4.	2004-05	113
5.	2005-06	117
6.	2006-07	122
7.	2007-08	129
8.	2008-09	137
9.	2009-10	148
10.	2010-11	167
11.	2011-12	184
12.	2012-13	200
13.	2013-14	220
14.	2014-15	240
15.	2015-16	254
16.	2016-17	264
17.	2017-18	272
18.	2018-19	280
19	2019-20	289
20	2020-21	301

If capital gain is arising from the slump sale u/s 50B i.e. figures are reported in A2/B2 of schedule CG, please ensure that form 3CEB is filed at e-filing portal on or before one month prior to due date of filing of return u/s 139(1).

अनुसूची 112A और अनुसूची 115 AD(1) (b) (iii) - प्रावधान

अनुसूची 112-A के तहत कृपया कंपनी के साधारण शेयरों की बिक्री, साधारण-उन्मुख निधि या व्यापार न्यास की एक इकाई, जिस पर STA का भुगतान धारा 112A के तहत किया जाता है का प्रतिभूति पत्र

वार/इकाई वार विवरण प्रविष्ट कीजिए। यह अनुसूची निवासियों और अनिवासियों दोनों के लिए लागू होती है।

115AD(1)(b)(iii) परंतुक अनुसूची में -कृपया किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों, एक इक्विटी-उन्मुख फंड, या एक कारोबार ट्रस्ट की एक इकाई, जिस पर अनुभाग 115AD(1)(b)(iii)-परन्तुक के तहत धारा 112A के तहत STT का भुगतान किया जाता है, उसकी बिक्री STT ब्यौरा दर्ज करें। यह अनुसूची विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPI) के लिए लागू है।

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1	क्रम संख्या	कृपया क्रमांक दर्ज करें। जोड़ी जा सकने वाली पंक्ति की जरूरत है
1a	अर्जित शेयर/इकाई	कृपया "31 ^{री} जनवरी, 2018 को या उससे पहले" के रूप में नीचे के ड्रॉपडाउन का चयन करें, यदि संबंधित शेयर(ओं) को 31 ^{वीं} जनवरी, 2018 या उससे पहले अर्जित किया गया है। अन्यथा, कृपया ड्रॉपडाउन " 31 ^{री} जनवरी, 2018 के बाद"
2	ISIN कोड	टेक्स्ट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN संहिता) दर्ज करें। नोट: यदि प्रतिभूति या शेयर में ISIN कोड नहीं है, तो 'INNOTAVAILAB' का उपयोग ISIN कोड के रूप में करें। यदि शेयर के मामले में 31 ^{थी} जनवरी, 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, तो कृपया
3	शेयर / इकाई का नाम	कृपया दिए गए बॉक्स में शेयर/ इकाई का नाम दर्ज करें। ऐसे शेयर के मामले में जिन्हें 31 ^{री} जनवरी, 2018 के बाद प्राप्त किया गया है, आप "CONSOLIDATED" दर्ज करना चुन सकते हैं यदि एक से अधिक कंपनी शेयर/ यूनिट शामिल हैं या आप दिए गए क्षेत्र में शेयर/ इकाई का नाम नहीं दर्ज
4	शेयर/इकाई की संख्या	दिए गए बॉक्स में बिक्रीत शेयरों/इकाइयों की संख्या दर्ज करें।
5	प्रति शेयर/ इकाई बिक्री-मूल्य	कृपया दिए गए बॉक्स में प्रति शेयर/ इकाई बिक्री मूल्य दर्ज करें।
6	पूर्ण मूल्य प्रतिफल यदि शेयर 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए जाते हैं (कुल बिक्री मूल्य 4*5) - यदि शेयर 31.01.2018 के बाद अर्जित किए जाते हैं- तो कृपया पूर्ण मूल्य प्रतिफल दर्ज करें	यह क्षेत्र शेयरों/ इकाइयों की संख्या [4] और बिक्री मूल्य [5] के गुणनफल के रूप में स्वतः भर जाएगी, यदि 31 ^{वीं} जनवरी, 2018 को/ उससे पहले शेयर अर्जित किए गए हों। यदि शेयर 31 ^{वीं} जनवरी, 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, तो यह टेक्स्ट बॉक्स होगा और इसलिए कृपया ऐसे

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
7	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत स्तंभ 8 या स्तंभ 9 में से जो भी अधिक हो उसके अनुसार
8	अर्जन की लागत	टेक्स्ट बॉक्स में राशि दर्ज करें।
9	यदि दीर्घकालिक पूँजी आस्ति को 01.02.2018 से पहले, 11 और 6 से	यह फ़ील्ड स्तंभ 11 और स्तंभ 6 के निचले हिस्से के रूप में स्वतः भरी जाएगी
10	31 जनवरी, 2018 को प्रति शेयर/यूनिट का उचित बाजार मूल्य	31 जनवरी, 2018 को या उससे पहले अर्जित शेयरों के लिए टेक्स्ट बॉक्स में प्रति शेयर/ इकाई उचित बाजार मूल्य दर्ज करें। यदि शेयर/ इकाई 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित हुए हैं तो कृपया शून्य का उल्लेख करें।
11	धारा 555(2)(ac)- (4*10) के तहत पूँजी परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	यह क्षेत्र 31 ^{वीं} जनवरी, 2018 को या उससे पहले अर्जित शेयरों के लिए स्तंभ 4 के मूल्य के साथ स्तंभ 10 के गुणनफल के रूप में स्वतः भर जाएगा यदि शेयर/ इकाई 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित होती है तो कृपया शून्य का उल्लेख करें।
12	स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण और	दिए गए बॉक्स में अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से और अलग-अलग की राशि दर्ज करें।
13	कुल कटौती (7+12)	यह क्षेत्र स्तंभ 7 + स्तंभ 12 के योग के रूप में स्वतः उत्पन्न हो जाएगी
14	दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ शेष राशि (6-13) अनुसूची CG के LTCG का मद 5 /	यह क्षेत्र स्तंभ 6- के मूल्य से स्तंभ 13 पर स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। कृपया अनुसूची 112A के मामले अनुसूची CG के Sl.no-5 में और sl.no-8 के मामले में अनुसूची 115AD में इस स्तंभ का
	>प्रत्येक स्तंभ का योग	These fields should auto populate as sum of columns 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14

अनुसूची-05 - अन्य स्रोतों से आय

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1	सामान्य लागू दरों पर कर प्रभाय्य सकल आय	कृपया अन्य स्रोतों से आय की सकल राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दरों पर कर के लिए प्रभाय्य हैं। यह स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र है जो नीचे स्तंभ 1a, 1b, 1c, 1d और 1e में रिपोर्ट किए गए समग्र आँकड़ों
1a	लाभांश, सकल	यह 1 a(i) और 1a (ii) में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के योग को निरूपित करने वाला स्वतः भरा जाने

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
i	लाभांश आय ((iii) के अलावा)	कृपया लाभांश आय की सकल राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दर पर अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के
ii	लाभांश आय धारा 2(22)(e) के तहत	कृपया लाभांश आय धारा 2(22)(e) के तहत सकल राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दर पर अन्य स्रोतों
1b	ब्याज, सकल	ब्याज आय की सकल राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दरों पर कर के लिए प्रभार्य है। कृपया अलग-अलग स्रोतों से ब्याज जैसे बचत बैंक खाते से ब्याज, बैंकों, डाकघर या सहकारी समिति के साथ जमा पर ब्याज, आयकर प्रतिदाय पर ब्याज, ब्याज की प्रकृति में आय/ हानि के माध्यम से कोई भी पास की
1c	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों आदि से किराये की आय, सकल	कृपया निर्धारित से संबंधित मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर या भवनों को किराये पर देने से होने वाली किराये की आय की कुल राशि दर्ज करें, जो अनुभाग 56 (2) (ii) या 56 (2) (iii) के तहत 'अन्य
1d	अनुभाग 56[2][x] में संदर्भित प्रकृति की आय जो कर हेतु प्रभार्य हो	कृपया अनुभाग 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की कुल राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दरों पर कर के लिए प्रभार्य है। "यह एक स्वतः भर जाने वाला क्षेत्र है जो नीचे दिए गए स्तंभ di, dii, diiii, div और DV
1di	बिना प्रतिफल प्राप्त की गई धनराशि का कुल मूल्य	कृपया बिना प्रतिफल प्राप्त धनराशि की कुल राशि का कुल मूल्य दर्ज करें, यदि कुल मूल्य रु. 50,000/-
1dii	यदि अचल संपत्ति बिना प्रतिफल प्राप्त हुई है तो संपत्ति का स्टांप ड्यूटी शुल्क मूल्य	यदि मुद्रांक शुल्क मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो कृपया बिना प्रतिफल प्राप्त संपत्ति का मुद्रांक
1diii	यदि अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रतिफल से आधिक्य में संपत्ति का मुद्रांक शुल्क मूल्य	कृपया प्रतिफल से अधिक संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य दर्ज करें, यदि स्टांप ड्यूटी मूल्य प्रतिफल से रु. 50,000/- से या धारा 56 (2)(x) के तहत समायोजित प्रतिफल के 10% से अधिक हो, जो भी Surcharge has been increased from 10% to 20% under section 43CA of the Act for the period from 12th November, 2020 to 30th June, 2021 in respect of only primary sale of residential units of value up to Rs. 2 crore. उक्त अवधि के लिए अधिनियम के अनुभाग 56 (2) (x) के तहत इन आवासीय इकाइयों के खरीदारों को सेफ हार्बर को 10% से बढ़ाकर 20% करने के

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1div	यदि बिना प्रतिफल के कोई अन्य संपत्ति प्राप्त होती है, तो संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	यदि FMV 50,000 रुपये से अधिक है, तो कृपया बिना प्रतिफल प्राप्त संपत्ति का कुल उचित बाजार
1dv	यदि कोई अन्य संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्त की जाती है, तो ऐसे अधिक प्रतिफल से संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	यदि FMV प्रतिफल से 50,000/- रुपये से अधिक है तो कृपया प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य (FMV) दर्ज करें।
1e	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति निर्दिष्ट करें)	कृपया सामान्य दरों पर शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत प्रभार्य किसी अन्य आय को दर्ज करें।
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (1 से संबंधित 2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2)	कृपया अन्य स्रोतों से आय की सकल राशि दर्ज करें जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है जैसे कि लॉटरी से जीतना आदि, धारा 115BBE के तहत प्रभार्य आय है। यह स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र है जो नीचे स्तंभ 2a, 2b, 2c, 2d और 2e में रिपोर्ट किए गए समग्र आँकड़ों को दर्शाता है। कृपया ध्यान दें कि क्रम संख्या 1 से संबंधित अनिवासी तत्वों को केवल तभी जोड़ा जाएगा जब TRC फ्लैग क्रम संख्या 1 से संबंधित संचित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि क्रम संख्या 1 से संबंधित अनिवासी तत्वों को केवल तभी जोड़ा जाएगा जब TRC फ्लैग क्रम संख्या 1 से संबंधित संचित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि क्रम संख्या 1 से संबंधित अनिवासी तत्वों को केवल तभी जोड़ा जाएगा जब TRC फ्लैग क्रम संख्या 1 से संबंधित संचित किया गया है।
2a	लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीती गयी राशि धारा 115 BB के तहत प्रभार्य है	इस स्तंभ में, लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या रेस जैसे घुड़दौड़ या कार्ड खेल सहित किसी भी प्रकार के खेल या जुआ या किसी भी रूप या प्रकृति के दांव को जीतने से होने वाली आय दर्ज करें, जो धारा
2b	धारा 115BBE के तहत प्रभार्य आय (bi + bi + bi + biv + bv + bv + bvi)	कृपया धारा 115BBE में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय, जो उसमें निर्धारित विशेष दरों पर प्रभार्य है, इस स्तंभ में रिपोर्ट करें। यह एक स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र है जो नीचे स्तंभ 2 bi, 2 bii, 2 biii, 2 biv, 2bv और 2 bvi में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के योग को
2bi	धारा 68 के तहत नकद उधार	कृपया इस स्तंभ में अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट की प्रकृति की किसी भी राशि को रिपोर्ट करें, जिसे धारा 68 के तहत वर्ष की आय के रूप में मान्य किया
2bii	धारा 69 के तहत अस्पष्टीकृत विनिधान	कृपया इस स्तंभ में किसी भी अस्पष्टीकृत निवेश की रिपोर्ट करें जो लेखा बहियां में दर्ज नहीं है, उसे धारा 69 के तहत वर्ष की आय के रूप में मान्य/मान्य

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
2biii	धारा 69A के तहत अस्पष्टीकृत धन आदि।	इस स्तंभ में कोई भी अस्पष्टीकृत धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है, जो धारा 69A के तहत वर्ष की आय के
2biv	धारा 69B के तहत अघोषित निवेश आदि।	इस स्तंभ में कृपया कोई भी अस्पष्टीकृत निवेश या किसी बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु जो लेखा बहियों में पूर्णतः दर्ज नहीं है, लेकिन धारा 69B के तहत वर्ष की आय के रूप में मान्य है, उसे रिपोर्ट
2bv	धारा 69C के तहत अस्पष्टीकृत व्यय आदि	कोई भी अस्पष्टीकृत व्यय या उसका हिस्सा, जो कि धारा 69C के तहत वर्ष की आय के रूप में मान्य है,
2bvi	धारा 69D के तहत हुण्डी पर उधार ली गई या प्रतिसंदत्त गई राशि	कृपया इस स्तंभ में हुण्डी पर उधार ली गई किसी भी राशि, या हुण्डी पर देय, अन्यथा बैंक पर आहरित खाता देय चेक के माध्यम से किसी भी चुकौती के बारे में रिपोर्ट करें, जो धारा 69D के तहत
2c	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ci से cx का योग)	कृपया इस स्तंभ में 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के तहत किसी अन्य आय की रिपोर्ट करें जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है। कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से आय की प्रकृति का चयन करें और राशि दर्ज करें। एक से अधिक प्रकार की आय के मामले में, कृपया प्रत्येक आय को एक अलग लाइन मद के रूप में रिपोर्ट करें। कृपया सुनिश्चित करें कि कर दायित्व की उचित संसंगणना के लिए इन आय को अनुसूची S1 (विशेष दरों पर कर के लिए आय) में भी सूचित किया गया है।
	<u>विशेष दर पर प्रभार्य आय के प्रकारों की सूची</u>	<p>(i) अनिवासी (जो कम्पनी नहीं है) या धारा 115 A(1)(a)(i) के तहत प्रभार्य विदेशी कम्पनी</p> <p>(ii) सरकार या विदेशी मुद्रा ऋण पर भारतीय संस्था से प्राप्त ब्याज धारा 115A(1)(a)(ii) के</p> <p>(iii) आधारभूत संरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115A(1)(a)(ii) के तहत प्रभार्य है</p> <p>(iv) धारा 194LC(1) के तहत निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115A[1][a][iiiaa] के तहत 5% की दर से</p> <p>(v) धारा 194 LD में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115 A(1)(a)(iiia) के तहत प्रभार्य है</p>

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
		(vi) धारा 194LBA के तहत निर्दिष्ट ब्याज के रूप में वितरित आय धारा 115A[1][a][iiac] के
		(vii) धारा 10(23D) में विनिर्दिष्ट UTI या अन्य म्यूचुअल फंडों की इकाइयों से आय, जो विदेशी मुद्रा में खरीदा गया है, धारा
		(viii) सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क की आय - धारा 115A(1)(b)(A) के तहत और धारा
		(ix) गैर-निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड या GDR से ब्याज या लाभांश के रूप में आय - धारा 115AC(1)(a & b) के तहत
		(x) निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई GDR से लाभांश के रूप में आय - धारा
		(xi) प्रतिभूतियों के संबंध में एक FII द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा) (धारा 115 AB में निर्दिष्ट इकाइयों के अलावा) - धारा 115
		(xii) प्रतिभूति (धारा 115AB में निर्दिष्ट इकाइयों के अलावा) के संबंध में FII द्वारा प्राप्त आय (लाभांश) - धारा 115AD[1][i] के
		(xiii) बांडों या सरकारी प्रतिभूतियों पर FII द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय जो धारा 194LD में निर्दिष्ट है - धारा 115AD[1][i] के तहत
		(xiv) अनिवासी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर कर धारा 115BBA के तहत पश्चर्ग है
		(xv) कुछ मामलों में गुमनाम दान धारा 115 BBC के तहत पश्चर्ग है
		(xvi) Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) chargeable u/s115A(1)(a)(iiaa)@4%
		(xvii) भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंट से रॉयल्टी के रूप में प्राप्त आय - धारा 115BBF
		(xviii) कार्बन क्रेडिट के स्थानांतरण के माध्यम से आय धारा 115BBG के तहत पश्चर्ग है
		(xix) अनिवासी भारतीय की निवेश आय धारा 115E के तहत पश्चर्ग है

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
		(xx) 115AB(1)(a) - अपतटीय फंड-ईकाई के संबंध में आय
		(xxi) धारा 194LBA के तहत निर्दिष्ट वितरित आय जो लाभांश है - धारा 115A[1][a][iiac] के तहत 10% की दर से प्रभाय्य है
2d	अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की प्रकृति की पास के गई आय जो विशेष दरों पर प्रभाय्य है	<p>अनुभाग 115 UA या 115 UB के अनुसार कारोबार ट्रस्ट या निवेश निधि से आय का ब्यौरा अनुसूची PTI में अलग से रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। यदि अनुसूची PTI में रिपोर्ट की गई आय की कोई राशि अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति की है, तो इसे शीर्ष-वार संसंगणना में शामिल करने के लिए अनुसूची OS में इस स्तंभ में रिपोर्ट किया जाएगा कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से पास थ्रू आय की प्रकृति का चयन करें और राशि दर्ज करें। पास थ्रू आय के एक से अधिक प्रकार के मामले में, कृपया प्रत्येक आय को एक अलग लाइन मद के रूप में रिपोर्ट</p>
	<u>पास की गई आय के प्रकार की सूची विशेष दरों पर प्रभाय्य है</u>	<p>PTI-115A(1)(a)(i)- लाभांश ब्याज और विदेशी मुद्रा में खरीदी गई मुद्रा से होने वाली आय</p> <p>PTI-115A(1)(a)(ii)- सरकारी/भारतीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में प्राप्त ब्याज</p> <p>PTI-115A(1) (a)(iia) - इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से ब्याज</p> <p>PTI- 115A(1) (a)(iiaa) - धारा के अनुसार ब्याज। 194IC(1) @ 5%</p> <p>PTI-115A(1) (a)(iiab) - 194LD के अनुसार ब्याज</p> <p>PTI- 115 A (1) (a)(iiac) -अनुभाग 194LBA</p> <p>PTI-115A(1) (a)(iii) -विदेशी मुद्रा में खरीदी गई मुद्रा की दकानों के संबंध में प्राप्त आय</p> <p>PTI-115A(1)(b)(A)- रायल्टी के रूप में आय</p> <p>PTI-115A(1)(b)(B)- तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय</p> <p>PTI-[115AB[1][a]- विदेशी मुद्रा में खरीदी गई दकानों से अपतटीय निधियों की आय</p> <p>PTI -115AC[1][a और b] - अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में लांब या GDR से प्राप्त आय</p> <p>PTI-115ACA(1)(a) - निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई GDR से आय</p>

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
		PTI-115AD(1)(i) प्रतिभूतियों के संबंध में एक FII द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा) (अनुभाग
		PTI-115AD(1)(i) - प्रतिभूतियों के संबंध में एक FII द्वारा प्राप्त आय (लाभांश होने के रूप में) (अनुभाग
		PTI-115AD[1][i] परन्तुक - धारा 194LD के तहत किसी FII द्वारा बांड या सरकारी प्रतिभूतियों के
		PTI-115BBA- अनिवासी खिलाड़ियों या खेलकूद संघ की आय
		PTI-115BBC - गुमनाम दान
		PTI-115BBF- पेटेंट से आय
		PTI-115BBG - कार्बन क्रेडिट के स्थानांतरण से आय
		PTI-115E(a) - निवेश से आय
		PTI-115A(1) (a)(iiaa) - Interest referred to in Proviso to section 194LC(1P) chargeable u/s115A(1)(a) (iiaa)@4%
		धारा 194LBA के तहत निर्दिष्ट वितरित आय जो लाभांश है - धारा 115A[1][a][iiac] के तहत 10% की दर से प्रभार्य है
2e	ऊपर 1 और 2 में शामिल राशि, जो DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे तालिका के कुल स्तंभ (2))	कृपया इस स्तंभ में कोई आय शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत रिपोर्ट करें जो किसी अन्य देश के साथ भारत के दोहरे कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) के प्रासंगिक अनुच्छेद के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है। यह क्षेत्र एक स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र होगा जो दी गई तालिका के स्तंभ 2 (आय की राशि) के योग को दर्शाता है। अनिवासी के लिए स्तंभ 2 के कुल क्षेत्रों को तभी संगणित किया जाएगा जब TRC फ्लैग में हों। दी गई तालिका में, कृपया स्तंभ (2) पर आय की राशि की रिपोर्ट करें और तालिका में मांगी गई अन्य सुसंगत विवरण प्रस्तुत करें जैसे कि स्तंभ (5) पर DTAA का सुसंगत अनुच्छेद, स्तंभ (6) पर टीटी की दर, स्तंभ (9) पर आयकर अधिनियम के अनुसार दर और लागू दर, जो दोनो दरों में कम है, उसे स्तंभ

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
		<p>कृपया रिपोर्ट करें कि क्या कर रेसिडेंसी प्रमाणपत्र (TRC) स्तंभ संख्या 7 में निवास के देश से प्राप्त किया जाता है। यह स्तंभ केवल अनिवासी के मामले में ही लागू है।</p> <p>कृपया ध्यान दें, यदि TRC फ्लैग नहीं है, तो कर के लिए आय ऐसी आय के लिए विनिर्दिष्ट लागू दरों के अनुसार प्रभार्य होगा।</p> <p>कृपया ध्यान दें कि DTAA का दावा "लाभांश आय के लिए धारा 2[22][e] के तहत" नहीं किया जा</p>
3	धारा 57 के तहत कटौती:- (2a, 2b, 2c, 2d और 2e के तहत विशेष दरों पर प्रभार्य आय के अलावा से संबंधित)	<p>सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत आय से संबंधित धारा 57 के तहत कटौती के किसी भी दावे का उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए।</p> <p>संसंगणना के अंतर्गत कटौती तभी उपलब्ध होगी जब आय स्तंभ 1c में दी जाती है। "interest expenditure u/s57(1) will be available only if income is offered in column 1a and the deduction will be restricted to 20% of amount of dividend included in total income.</p> <p>वास्तविक व्यय sl.nosl.no.3c(i) में दर्ज किया जा सकता है, जहाँ "धारा 57 (i) के तहत व्यय पर पात्र ब्याज sl.nosl.no.3c(ii) में दर्ज किया जा सकता है। तो दो क्षेत्र " धारा 57[i] के तहत ब्याज व्यय" के लिए होंगे। "धारा 57 (i) के तहत पात्र ब्याज व्यय" की</p>
4	धारा 58 के तहत कटौती ना करने योग्य राशि	<p>कोई भी राशि जो धारा 58 के आधार पर 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की संसंगणना में कटौती योग्य नहीं है, उसे इस स्तंभ में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई भी व्यय या कटौती का दावा धारा 57 के तहत किया जाता है, लेकिन उसका पूरा या उसका हिस्सा धारा 58 के तहत</p>
5	धारा 59 के तहत कर प्रभार्य लाभ	<p>धारा 59 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 41 के आधार पर शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत कर के लिए प्रभार्य कोई लाभ इस स्तंभ में रिपोर्ट किया जाना</p>
6	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 से संबंधित 1 - 3 + 4 + 5 - 2e)	<p>कृपया शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के अंतर्गत आय की शुद्ध राशि दर्ज करें जो सामान्य लागू दरों पर कर</p>

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	(यदि ऋणात्मक है तो आंकड़े को अनुसूची CYLA के 4i तक ले जाएँ)	यह सामान्य दरों (मद 1) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से सकल आय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्व-उत्पन्न होने वाला क्षेत्र है (DTAA भाग से संबंधित आय को कम करने के बाद) जो धारा 57 null [मद 3] के तहत कटौती से कम हो जाता है और धारा 58 (मद 4) के तहत न कटने वाले राशि में बढ़ जाता है
7	अन्य स्रोतों से प्राप्त आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व के अलावा) (2 + 6) null (यदि ऋणात्मक हो तो शून्य के रूप में 6 दर्ज करें)	कृपया 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय का कुल योग दर्ज करें, जिसमें दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधियों से आय को शामिल नहीं है। यह एक स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र है जो विशेष दर [मद 2] पर प्रभार्य आय और सामान्य लागू दरों पर
8	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाली आय	कृपया इस स्तंभ में दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव के क्रियाकलाप से शुद्ध आय की रिपोर्ट करें। कृपया ब्योरा इस संदर्भ में प्रस्तुत करें: मद 8a पर सकल प्राप्तियों के रूप में प्रस्तुत करें, मद 8b पर ऐसी गतिविधि के संबंध में कटौती, मद 8c पर इस गतिविधि से संबंधित धारा 58 के तहत वो राशि जिसकी कटौती नहीं होनी है, मद 8d पर इस गतिविधि से संबंधित धारा 59 के तहत कर प्रभार्य मुनाफ़ा और तदनुसार मद 8e पर शुद्ध आय की संसंगणना करें। (8a - 8b + 8c + 8d) यदि मद 8e पर संगणित की गई शुद्ध आय नकारात्मक है, तो इस आंकड़े को दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव के क्रिया-कलाप से होने वाली हानि को भविष्य के वर्षों में अग्रणीत करने के
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अंतर्गत आय (7+8e) (यदि नकारात्मक हो तो 8e को शून्य के रूप में लीजिए)।	इस स्तंभ में 'अन्य स्रोतों से आय' के अंतर्गत प्रभार्य कुल आय की संसंगणना करें। यह एक स्वतः-भरा जाने वाला क्षेत्र है जो मद 7 में संगणित अन्य स्रोतों (दौड़ घोड़ों के मालिक और रखरखाव के अलावा) से आय और मद 7 पर संगणित और मद 8e पर संगणित की गई दौड़ घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव के क्रियाकलाप से शुद्ध

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
10	अन्य स्रोतों से आय की उपार्जन/प्राप्ति के बारे में जानकारी	कृपया इस स्तंभ में दी गई तालिका में 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत अभिवर्द्धन या आय की आवृत्ति के कालावधि ब्यौरों की रिपोर्ट करें। लाभांश आय, लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहिलीयों, दौड़, खेल, जुआ, दांव आदि से प्राप्त आय के लिए अलग से विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो धारा 2[24][ix] और 3 के तहत निर्दिष्ट है। DTAA दरों पर प्रभार्य लाभांश आय (अनुबंध 3 और 4 को देखें) के स्पष्टीकरण के लिए cl no 10।

CYLA - चालू वर्ष की हानि के समायोजन के बाद आय का ब्यौरा

यदि शीर्ष 'घर संपत्ति से आय' के अंतर्गत संगणना का शुद्ध परिणाम, 'कारोबार या व्यवसाय' से लाभ और हानि (जीवन बीमा कारोबार से आय को छोड़कर धारा 115B के तहत सट्टा से आय और विनिर्दिष्ट कारोबार से आय) और 'अन्य स्रोतों से आय' एक हानि का आँकड़ा है, तो कृपया संबंधित शीर्ष के तहत पहली पंक्ति में हानि के आँकड़े को भरें।

कृपया ध्यान दें कि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारोबार से होने वाली हानि चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, घुड़दौड़ के स्वामित्व और रखरखाव के क्रियाकलाप से होने वाली हानि को चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष के लिए विभिन्न आय के शीर्ष के अंतर्गत संगणित सकारात्मक आय का उल्लेख स्तम्भ (1) में संबंधित शीर्ष की सुसंगत पंक्ति में किया जाना चाहिए। अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या विभिन्न दरों पर कर के लिए प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ का उल्लेख अनुसूची में दर्शाए अनुसार अलग-अलग पंक्तियों में किया जाना चाहिए।

पंक्ति (i) में उल्लिखित हानि को स्तम्भ (1) में अन्य शीर्षों के अंतर्गत वर्णित सकारात्मक आय के विरुद्ध अनुभाग 71 के उपबंधों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

ऐसे मामले में जहां "गृह संपत्ति से आय" के तहत हानि की संगणना की जाती है, ऐसी हानि किसी अन्य शीर्ष के तहत केवल उस परिमाण/सीमा तक आय के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है जहां यह दो लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।

अन्य शीर्षों के अंतर्गत संगणित आय के विरुद्ध समायोजित चालू वर्ष की हानि की राशि को सुसंगत पंक्तियों में स्तंभ 2, 3 और 4, में दर्ज किया जाना चाहिए।

स्तम्भ (5) में, कृपया सुसंगत पंक्तियों में, संबंधित आय के शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष के नुकसान को समायोजित करने के बाद, शेष शुद्ध आय का उल्लेख करें।

पंक्ति (xvii) में, स्तंभ (2), (3) और (4) से समायोजित चालू वर्ष के कुल नुकसान का उल्लेख करें।

पंक्ति (xviii) में, कृपया विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत शेष हानि अर्थात् स्तम्भ (2), पर गृह संपत्ति हानि, स्तंभ

(3) पर कारोबार हानि और स्तम्भ (4) पर अन्य स्रोतों से हानि का उल्लेख करें।

इससे जो शेष अनुज्ञात अनावशोषित हानि अग्रणीत की जाती है, उसे अनुसूची CFL के अगले पंक्ति xiv पर भविष्य के वर्षों के लिए अग्रणीत लिया जाना चाहिए।

अनुसूची - BFLA- पिछले वर्षों के अग्रणीत नुकसान के समायोजन के बाद आय का ब्यौरा

चालू वर्ष के लिए आय के विभिन्न शीर्षों के तहत, अनुसूची CYLA के अनुसार चालू वर्ष की हानि को सेट-ऑफ करने के बाद शेष सकारात्मक आय का संबंधित शीर्ष के लिए सुसंगत पंक्ति में स्तंभ (1) में उल्लेख किया जाना चाहिए। विभिन्न दरों पर कर के लिए प्रभार्य शुद्ध सकारात्मक अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ या दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ का उल्लेख अनुसूची में दर्शाए अनुसार अलग-अलग पंक्तियों में किया जाना चाहिए।

स्तंभ (2) में, पिछले वर्षों से अग्रणीत की गई हानि की राशि, जो आय के विभिन्न शीर्षों के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है, निर्दिष्ट पंक्ति में दर्ज की जानी चाहिए।

- अग्रणीत अल्पकालिक पूँजी हानि को अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ के किसी भी मद के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। तथापि, अग्रणीत दीर्घकालिक पूँजी हानि को केवल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ के मद के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है।
- घाड़े की प्रजातियों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधियों से अग्रणीत हानि केवल चालू वर्ष में उसी गतिविधि से सकारात्मक आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।
- सट्टेबाजी कारोबार से अग्रणीत हानि केवल वर्तमान वर्ष के दौरान सट्टेबाजी कारोबार से सकारात्मक आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट कारोबार से अग्रणीत हानि को चालू वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट कारोबार से सकारात्मक आय के विरुद्ध ही समायोजित किया जा सकता है।

स्तम्भ (5) में, कृपया सुसंगत पंक्तियों में आय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अग्रणीत लाभ को समायोजित करने के बाद चालू वर्ष की शुद्ध सकारात्मक आय का उल्लेख करें। स्तम्भ (5) का शीर्षवार योग पंक्ति (xvii) में लिया जाना चाहिए, जो वर्ष की सकल कुल आय (GAI) का आँकड़ा होना चाहिए।

चालू वर्ष की सकारात्मक आय के विरुद्ध नियत धारा 35(4) के तहत विभिन्न शीर्षों के तहत कुल अग्रणीत हानि, शेष अवक्षयण और मोक को स्तंभ क्रमशः (2), (3) और (4) की पंक्ति (xvi) में उल्लेख किया जाना चाहिए।

अनुसूची - CFL - भावी वर्षों में अग्रणीत किए जाने वाले नुकसान का ब्यौरा

कृपया संबंधित कॉलम [कॉलम (4) से कॉलम (11)] पर आय के विभिन्न शीर्षों के तहत पहली दस पंक्तियों [पंक्ति (i) से पंक्ति (xi)] में पूर्व के वर्षों से अग्रणीत हानि का निर्धारण वर्ष के अनुसार ब्यौरा दर्ज करें। ।

स्तंभ संख्या 5 को आगे 3 स्तम्भों में विभाजित किया गया है। स्तम्भ "a" में कृपया पिछले वर्षों के लिए अग्रणीत नुकसान की राशि दर्ज करें। स्तंभ b केवल सहकारी समिति के लिए लागू होता है जो कि 115BAD धारा के तहत लाभ का दावा करती है। इसलिए, स्तंभ "b" में, कृपया धारा 115BAD और स्तंभ "C" के तहत कराधान का विकल्प चुनने के कारण समायोजित राशि दर्ज करें, शेष हानि दर्ज करें जो कि निर्धारण के लिए उपलब्ध है अर्थात् "स्तंभ a - स्तंभ b"। "निर्धारिती के अलावा धारा 115BAD के तहत फायदे का दावा" के मामले में, कृपया स्तंभ b में "0" भरें और उसी राशि को स्तंभ a और स्तंभ c में भरें।

आय के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अग्रणीत लाभ की कुल राशि पंक्ति (xii) में उल्लिखित की जानी चाहिए।

पंक्ति (xiii) में, कृपया संबंधित स्तंभ में चालू वर्ष की आय के विरुद्ध सेट-ऑफ विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अग्रणीत हानियों की राशि दर्ज करें। सेट ऑफ किये गए अग्रणीत हानि के शीर्षवार आँकड़े अनुसूची BFLA के स्तम्भ (2) से लिए जाने चाहिए।

पंक्ति (xiv) में, कृपया संबंधित स्तंभ में विभिन्न शीर्षों के तहत चालू वर्ष के शेष नुकसान की राशि दर्ज करें। चालू वर्ष के शेष नुकसान के शीर्ष-वार आँकड़े सुसंगती अनुसूची CYLA, अनुसूची BP, अनुसूची CG और अनुसूची OS से लिए जाने चाहिए जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या xv में क्षेत्र "2021-22 (चालू वर्ष के अग्रणीत नुकसान)"	स्वतः भरा जाने का स्रोत
1	गृह संपत्ति नुकसान (4)	(अनुसूची CYLA का 2xviii)
2	सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारोबार से हानि के अलावा कारोबार से होने वाली हानि (5c)	3 अनुसूची CYLA का xviii
3	सट्टेबाजी कारोबार से हानि (6)	अनुसूची BP का B43, यदि -ve है
4	विनिर्दिष्ट व्यापार से हानि (7)	अनुसूची BP का C49, यदि -ve है
5	अल्पावधि पूँजी हानि (9)	अनुसूची CG के मद E के $[2x + 3x + 4x + 5x]$
6	दीर्घकालिक पूँजीगत हानि (10)	अनुसूची CG की मद E की $(6x + 7x + 8x)$
7	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से हानि (11)	[अनुसूची OS का 8e, यदि -ve है]

पंक्ति (xv) में, कृपया धारा 115UB के उप-धारा 2 के तहत ईकाई धारकों को निवेश फंड द्वारा वितरित चालू वर्ष का नुकसान दर्ज करें। यह क्षेत्र केवल निवेश फंड और केवल गृह संपत्ति हानि के अन्तर्गत, पूँजी हानि, अन्य स्रोतों से हानि के लिए लागू होता है।

पंक्ति (xvi) में, कृपया भविष्य के वर्षों तक के लिए उपलब्ध अग्रणीत चालू वर्ष का नुकसान दर्ज करें (xiv-xv)।

पंक्ति (vii) में, कृपया संबंधित स्तंभ में भविष्य के वर्षों के लिए अग्रणीत विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल हानि की राशि दर्ज करें।

शीर्ष "गृह संपत्ति", 'कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ' (सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारोबार के अलावा), या 'पूँजी लाभ' के तहत नुकसानों को 8 निर्धारण वर्षों के लिए अग्रणीत की अनुमति दी जाती है। तथापि, घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधियों और सट्टेबाजी से हानि केवल 4 निर्धारण वर्षों तक ही अग्रणीत की जा सकती है।

विनिर्दिष्ट व्यापार से हानि अनिश्चित काल के लिए अग्रणीत की जा सकती है। इसके अलावा, चालू वर्ष के नुकसान जैसे पात्र कारोबार हानि, पूँजी लाभ हानि और अन्य स्रोत की हानि को तभी आगे अग्रणीत की जा सकती है जब मूल रिटर्न को यदि धारा 139[1] के तहत निर्दिष्ट संदेय तिथि के भीतर दाखिल किया गया हो।

अनुसूची-UD- धारा 35(4) के तहत शेष अवक्षयण और भत्ता

इस अनुसूची में, शेष अवक्षयण की अग्रणीत राशि, राशि जिसे धारा 115BAD के तहत कर के विकल्प रूप में शेष अवक्षयण के लिए समायोजित किया जाता है, और धारा 35[4] के तहत प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए भत्ता, धारा 35[4] के तहत अवक्षयण की राशि जिसे चालू वर्ष के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और धारा 35[4] के तहत अतिशेष शेष अवक्षयण जिसे अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रणीत किया जाना है, उसे उल्लेखित करने की जरूरत है।

अनुसूची-ICDS - आय संगणना प्रकटीकरण मानकों का लाभ पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2016-17 और आगे से आय संगणना प्रकटीकरण मानक (ICDS) प्रवृत्त हुए हैं। प्रत्येक ICDS से विचलन जैसा कि आयकर अधिनियम के अनुभाग 145(2) के तहत अधिसूचित किया गया है जिसका मुनाफ़े पर प्रभाव पड़ता है, उसे उक्त अनुसूची के स्तम्भ (iii) में भरा जाएगा। यदि मुनाफ़े पर ICDS समायोजन का कुल प्रभाव सकारात्मक है, तो इसका उल्लेख क्रम संख्या 11(a) पर किया जाना चाहिए और भाग A-OI (अन्य जानकारी) के मद संख्या 3(a) पर ले जाया जाना चाहिए। यदि मुनाफ़े पर ICDS समायोजन का कुल प्रभाव नकारात्मक है, तो इसका उल्लेख क्रम संख्या 11(b) पर किया जाना चाहिए और भाग A-OI (अन्य जानकारी) के मद संख्या 3(b) पर ले जाया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि अनुसूची ICDS में दर्ज की गई राशि का आयकर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की खंड संख्या 13(e) के साथ मिलान किया जाना चाहिए, यदि लागू हो। अन्यथा विवरणी का प्रसंस्करण करते समय अनुभाग 143(1)(iv) के अनुसार आवश्यक समायोजन किया जाएगा

अनुसूची-10AA - विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों के परिक्षेत्र में कटौती

यदि इस अनुभाग के अंतर्गत कटौती के लिए हकदार एक से अधिक उपक्रम हैं, तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए कटौती का ब्यौरा अलग-अलग दर्ज करें जैसा कि धारा 10AA के तहत लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के तौर पर फॉर्म 56F में रिपोर्ट किया गया है।

अनुसूची- 80G - धारा 80G के तहत कटौती के लिए हकदार दान का विवरण

कृपया वर्ष के दौरान धर्मार्थ संस्थाओं या निर्दिष्ट निधियों को दिए गए दानकानिम्नलिखित ब्यौरा अनुसूची में दी गई संबंधित तालिका में प्रस्तुत करें:-

1. आदाता का नाम और पता
2. आदाता का पैन
3. दान की कुल राशि – नकदी/ अन्य ढंग में सन्दत्त की गई राशि का ब्यौरा दें

तालिका A में दान की पात्र राशि, बिना अर्हक सीमा के 100% कटौती के हकदार दान का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

तालिका B में, योग्यता सीमा के बिना 50% कटौती के लिए हकदार दान का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
तालिका C में, अर्हक सीमा के अधीन रहते हुए 100% कटौती के हकदार दान का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
तालिका D में, अर्हक सीमा के अधीन रहते हुए 50% कटौती के हकदार दान का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान दें कि:-

- 1) धारा 80G के तहत दावा की गई कटौती की कुल राशि को अनुसूची VI-A की तालिका 1 में वर्णित किया जाना चाहिए।
- 2) यदि नगदी में दान ₹ 2,000/- से अधिक है तो धारा 80G के तहत किसी भी कटौती की अनुमति नहीं होगी।

अनुसूची- 80GGA- वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान का ब्यौरा

कृपया वर्ष के दौरान अनुसंधान संगठन, महाविद्यालय, कॉलेज या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अन्य संस्थान या ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए दिये गए दान का निम्नलिखित ब्यौरा अनुसूची में दी गई संबंधित तालिका में प्रस्तुत करें:-

1. ऐसे सुसंगत खंड जिसके अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है
2. आदाता का नाम और पता
3. आदाता का पैन
4. दान की राशि - इस शीर्षक के अंतर्गत नीचे दिया गया ब्यौरा दें:
 - a. नकदी में दान
 - b. नकदी में दान का दिनांक
 - c. अन्य ढंग से दान
5. दान की कुल राशि जो कटौती के लिए पात्र है

कृपया ध्यान दें कि:-

1. अनुसूची VI-A की तालिका 1 में धारा 80CGA के तहत दावा की गई कटौती की कुल राशि का भी अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि नकदी में दिया गया दान ₹ 10,000/- से अधिक है तो धारा 80GGA के तहत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी- यदि दान 01 जून, 2020 से पहले किया गया है और यदि नकदी में दिया गया दान ₹ 2,000/- से अधिक है तो धारा 80GGA के तहत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी- यदि दान 01 जून, 2020 को या उसके बाद किया गया है

अनुसूची- RA- अनुसंधान संगठनों आदि को दान का ब्यौरा [अनुभाग 35(1)(ii) या 35(1)(iia) या 35(1)(iii) या 35(2AA) के अंतर्गत कटौती]

अनुसूची RA में, कृपया संबंधित स्तम्भ में अनुसंधान संगठनों को दिए गए दान के निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें -

1. आदाता का नाम और पता
2. आदाता का पैन
3. दान की कुल राशि – नकदी/ अन्य ढंग में सन्दत की गई राशि का ब्यौरा दें
4. दान की पात्र राशि

दान के इन ब्यौरों को ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां कटौती का दावा धारा 35(1) (ii) या 35(1) (iia) या 35 (1) (iii) या 35(2AA) के तहत किया जाता है। दावा की गई कटौती की राशि अनुसूची ESR में भी अलग से उल्लिखित की जानी चाहिए।

अनुसूची- 80-IA, अनुसूची- 80-IB, अनुसूची- 80-IC और अनुसूची-80-IE:

यदि इनमें से किसी भी अनुभाग के अंतर्गत कटौती के लिए हकदार एक से अधिक उपक्रम हैं, तो कृपया प्रत्येक उपक्रम के लिए सुसंगत अनुसूची में कटौती का ब्यौरा अलग-अलग दर्ज करें।

किसी उपक्रम के लिए कटौती की राशि फॉर्म संख्या .10 CCB के मद 30 के अनुसार होगी जो निम्नलिखित मामले को छोड़कर धारा 80-IA /80-IB /80- IC तथा 80-IE के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है।

अनुसूची 80IB	फॉर्म संख्या	फॉर्म की फील्ड
मल्टीप्लेक्स थियेटर के मामले में कटौती [अनुभाग 80-IB(7A)]	10CCBA	बिंदु संख्या 10 (v)
कन्वेंशन सेंटर [अनुभाग 80- IB (7B)] के मामले में कटौती	10CCBB	बिंदु संख्या 10 (v)
ग्रामीण अस्पताल के संचालन और रखरखाव में संलग्न उपक्रम के मामले में कटौती [अनुभाग 80-IB (11 P)]	10CCBC	बिंदु संख्या 11 (v)
अपवर्जित क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र में अस्पताल के संचालन और रखरखाव से जुड़े हुए उपक्रम के मामले में	10CCBD	बिंदु संख्या 11 (d)

कृपया ध्यान दें कि धारा 80 IA, 80IB, 80 IC और 80IE के तहत दावा की गई कटौती की कुल राशि का उल्लेख अनुसूची VI-A की तालिका 2 में भी किया जाना चाहिए।

यह भी सुनिश्चित करें कि यदि ऊपर निर्दिष्ट धारा में से किसी भी अनुभाग में कटौती का दावा किया जाता है तो उपरोक्त फॉर्मों को धारा 139(1) के तहत विवरणी दाखिल करने की देय तिथि पर या उसके पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल किये जाते हैं

अनुसूची - 80P - अनुभाग 80P के अंतर्गत कटौती

यदि आप सहकारी समिति हैं और आपकी सकल कुल आय अनुभाग 80P में निर्दिष्ट क्रियाकलाप से कोई आय शामिल है तो कृपया अनुसूची भरें।

कृपया अनुसूची में दी गई सूची के अनुसार क्रियाकलाप की प्रकृति और अनुभाग 80P के सुसंगत खंड , भाग A सामान्य के "कारोबार की प्रकृति" फील्ड में चयनित कारोबार संहिता में से कारोबार संहिता की प्रकृति को निर्दिष्ट करें, इस तरह के क्रियाकलाप से व्युत्पन्न आय की राशि दर्ज करें और उस राशि का उल्लेख करें जो धारा 80P के तहत कटौती के दावे के लिए पात्र है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप आप प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति के अलावा सहकारी समिति हैं, तो आप धारा 80P के तहत किसी भी आय के संबंध में कटौती का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

अनुसूची-VIA - अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती

इस भाग में, कृपया वर्ष के दौरान अध्याय VI-A के विभिन्न प्रावधानों के तहत दावा की गई कटौती का ब्यौरा पटान करें
तालिका 1. भाग B - कतिपय भुगतान के संबंध में कटौती कृपया ध्यान दें कि 01-04-2020 से 31-07-2020 की कालावधि के लिए निवेश/जमा/भुगतान के संबंध में कटौती का दावा फिर से नहीं किया जा सकता है, यदि पहले से निर्धारण वर्ष 20-21 में दावा कर लिया गया है

स्तम्भ संख्या	धारा	कटौती की प्रकृति	अनुदेश
1a	80g	कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं, आदि को दान के संबंध में कटौती।	कृपया वर्ष के दौरान धर्मार्थ संस्थानों या निर्दिष्ट निधियों को किए गए दान की राशि दर्ज करें। कृपया अनुसूची 80G में दान का ब्यौरा भरें। कृपया ध्यान दें कि इस अनुभाग के तहत 2,000/- रुपये से अधिक की राशि के दान के संबंध में किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस तरह का दान नकदी के अलावा किसी भी ढंग से
1b	80GGA	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के संबंध में कटौती	कृपया वर्ष के दौरान अनुसंधान संघ, महाविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए किए गए दान की राशि दर्ज करें, जो धारा 80GGA के तहत कटौती के लिए पात्र है। कृपया अनुसूची 80GGA में दान का ब्यौरा दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि इस अनुभाग के अंतर्गत 10,000/- रुपये या 2000 रुपये से अधिक की राशि के दान के संबंध में किसी कटौती अनुज्ञात नहीं होगी, यथास्थिति, जब तक कि इस तरह का दान नकदी के
1c	80GGC	किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान के संबंध में कटौती	कृपया वर्ष के दौरान किसी राजनीतिक दल या निर्वाचन न्यास में किए गए योगदान की राशि दर्ज करें जो कि धारा 80GGC के तहत कटौती के लिए पात्र है। यह कटौती नकदी के रूप में योगदान की गई किसी राशि के लिए स्वीकार्य नहीं है।
तालिका 2. भाग c- कतिपय आय के संबंध में कटौती			
2d	80-IA	आधारभूत संरचना विकास आदि में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती।	धारा 80-IA के तहत बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कृपया धारा 80 के अनुसार योग्य कटौती की राशि दर्ज करें।
2e	80-IAB	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या	कृपया धारा 80-IAB के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के संबंध में योग्य कटौती की राशि दर्ज

स्तम्भ संख्या	धारा	कटौती की प्रकृति	अनुदेश
		उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ के सम्बन्ध में कटौती	
2f	80-IAC	विनिर्दिष्ट कारोबार के संबंध में विशेष प्रावधान	यदि आप अंतर-मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड से 'पात्र व्यवसाय' का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले 'पात्र स्टार्ट-अप' हैं, तो कृपया पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के संबंध में धारा 80-IAC के तहत कटौती
2g	80-IB	आधारभूत संरचना विकास उपक्रमों के अलावा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के परिक्षेत्र में कटौती	कृपया धारा 80-IB के तहत आधारभूत संरचना विकास उपक्रमों के अलावा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ के सम्बन्ध में अनुभाग 80 के अनुसार पात्र कटौती की राशि दर्ज करें।
2h	80-IBA	आवास परियोजनाओं से लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती	कृपया आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारोबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के संबंध में धारा 80-IBA के तहत पात्र कटौती की राशि दर्ज करें।
2i	80-IC/ 80-IE	कुछ विशेष प्रवर्ग के राज्यों/उत्तर-पूर्वी राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों के संबंध में विशेष उपबंध	कृपया धारा 80-IC के तहत कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्य में पात्र उपक्रम या उद्यम द्वारा, या धारा 80-IE के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक पात्र उपक्रम द्वारा व्युत्क्रम लाभ या अभिलाभ के संबंध में अनुभाग 80 के अनुसार पात्र कटौती की राशि दर्ज करें।
2j	80JJA	जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से	कृपया धारा 80JJA के तहत बिजली पैदा करने या जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशकों या अन्य जैविक एजेंटों के उत्पादन के लिए या बायोगैस के उत्पादन के लिए या ईंधन या जैविक खाद के लिए पेलेट या ब्रिकेट बनाने के लिए बायो-डिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और

स्तम्भ संख्या	धारा	कटौती की प्रकृति	अनुदेश
		लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती	अभिलाभ के संबंध में पात्र कटौती की राशि दर्ज करें।
2k	80JJAA	नए कर्मचारों की नौकरी के संबंध में कटौती	कृपया धारा 80JJAA के तहत वर्ष के दौरान कारोबार के दौरान अतिरिक्त कर्मचारी लागत के सम्बन्ध में पात्र कटौती की राशि दर्ज करें। कृपया सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त कर्मचारी लागत फॉर्म भाग A-P&L के मद संख्या 22 में रिपोर्ट किए गए 'कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति' का हिस्सा है, जहां वर्ष के दौरान कारोबार के क्रियाकलाप के लिए नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने आय की विवरणी के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 10DA फाइल किया है।
2l	80LA(1)	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ	कृपया 'अपतटीय बैंककारी इकाइयों' की कतिपय आय के संबंध में कटौती की राशि दर्ज करें, जो धारा 80LA(1) के तहत कटौती के लिए पात्र है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आय की विवरणी के साथ फॉर्म 10CCF फाइल किया है।
2m	80LA(1A)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती	कृपया 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' की ईकाई की कतिपय आय के संबंध में कटौती की राशि दर्ज करें, जो कि 80LA(1A) धारा के तहत कटौती के लिए पात्र है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आय की विवरणी के साथ फॉर्म 10CCF फाइल किया है।
2n	80P	सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती	यदि आप सहकारी समिति हैं और आपकी सकल कुल आय में अनुभाग 80P में निर्दिष्ट क्रियाकलाप से व्युत्पन्न कोई आय शामिल है तो, कृपया इस स्तम्भ में कटौती की राशि दर्ज करें। कृपया अनुभाग 80P में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में दावा की गई कटौती का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
3		कुल कटौतियाँ	कृपया अध्याय VI-A के तहत दावा की गई कुल कटौती की राशि दर्ज करें। यह भाग P (1) के तहत

स्तम्भ संख्या	धारा	कटौती की प्रकृति	अनुदेश
			दावा की गई कुल कटौती और भाग C (2) के तहत दावा की गई कुल कटौती को दर्शाने वाला एक स्वतः भरा जाने वाला क्षेत्र है।

कृपया ध्यान दें कि भाग C के अंतर्गत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब विवरणी धारा 80JJAA के तहत कटौती के बजाय धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया गया हो।

अनुसूची AMT – धारा 115JC के तहत देय वैकल्पिक न्यूनतम कर की संसंगणना

इस अनुसूची में, कृपया धारा 115JC (कंपनी के अलावा कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान) के तहत देय वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) की संसंगणना का विवरण दें। संदेय वैकल्पिक न्यूनतम कर अनुभाग 115JC के अंतर्गत संगणित की गई समायोजित कुल आय का 18.5 प्रतिशत होगा।

इस अनुसूची के अंतर्गत समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संसंगणना फॉर्म संख्या 29C में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित होनी चाहिए, जिसे 139(1) धारा के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल किया जाएगा।

यदि आप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक निर्धारिती हैं, जो केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा विनिमय में आय प्राप्त कर रहा है तो देय वैकल्पिक न्यूनतम कर 115JC धारा के तहत संगणित समायोजित कुल आय का 9 प्रतिशत होगा।

अनुसूची AMTC- धारा 115JD के तहत कर जमा की संसंगणना

निर्धारण वर्ष 2013-14 और बाद के निर्धारण वर्षों में भुगतान किए गए AMT के लिए लोन, सामान्य कर देयता से अधिक, को चालू निर्धारण वर्ष की सामान्य कर देयता के विरुद्ध निर्धारित करने की अनुमति है।

हालांकि, जमा राशि चालू निर्धारण वर्ष के लिए AMT दायित्व से अधिक सामान्य कर दायित्व की सीमा तक प्रतिबंधित है।

कृपया ध्यान दें कि यदि सहकारी ने अनुभाग 115BAD के अंतर्गत कराधान का विकल्प चुना है, तो वह अनुभाग 115JD के अनुसार AMT के अंतर्गत सन्दत करों के जमा का पात्र नहीं है।

अनुसूची -SI- विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय

इस अनुसूची में, उस आय को रिपोर्ट करें जो कुल आय का एक भाग बनाती है और स्तंभ (i) में विशेष दर पर कर प्रभार्य है और उस पर स्तंभ (ii) पर विशेष दरों पर कर प्रभार्य है। विभिन्न प्रकार की आय के अंतर्गत राशि को संबंधित अनुसूचियों में सुसंगत राशियों से लिया जाएगा अर्थात् अनुसूची CG, अनुसूची OS, अनुसूची BP या अनुसूची BFLA, जैसा कि प्रत्येक प्रकार की आय के विरुद्ध दर्शाया गया है।

अनुसूची -IF- भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार हैं

यह अनुसूची प्रत्येक फर्म के लिए भरी जानी है जिसमें आप भागीदार हैं।

अनुसूची के स्तंभ 2 में, फर्म का नाम प्रस्तुत करें और स्तंभ 3 में उस फर्म का PAN नंबर प्रस्तुत करें जिसमें आप भागीदार हैं।

स्तंभ 6 और 7 में, कृपया आयकर अधिनियम के प्रावधानों के रूप में यथा संगणित फर्म के मुनाफ़े में प्रतिशतता हिस्सेदारी और हिस्सेदारी की राशि को वर्णित करें, जिसे भागीदार के हाथों में कर से छूट प्राप्त है।

स्तंभ 8 में, कृपया पूँजीगत अतिशेष राशि (जिस पर आप ब्याज के हकदार हैं) को उस फर्म में जमा करें जिसमें आपकी भागीदारी है।

अनुसूची - EI - करमुक्त आय का ब्यौरा (आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा या कर प्रभार्य नहीं है)

इस अनुसूची में, कृपया ऐसी आय का ब्यौरा प्रस्तुत करें जिसका करमुक्त आय के रूप में दावा किया गया है जैसे कि ब्याज, लाभांश, कृषि-आय, कोई अन्य छूट प्राप्त आय, आय जो DTAA के अनुसार कर मुक्त है।

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1	ब्याज आय	कृपया ब्याज से किसी आय की राशि दर्ज करें जो कुल आय में शामिल होने के लिए दायी नहीं है या कर प्रभार्य नहीं है।
2i	सकल कृषि प्राप्तियां (आय के अलावा जिसे आयकर के नियम 7A, 7B या 8 के तहत छोड़ा जाएगा।)	यदि आपकी आय कृषि क्रियाकलापों से है, तो कृपया इस स्तंभ में सकल कृषि प्राप्तियों की राशि दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि प्राप्तियाँ जिसके संबंध में आयनिम्न के रूप में संयोजित की जाएँगी (विनिर्माण से आय), <ul style="list-style-type: none"> नियम 7B (काँफी से विनिर्माण से आय) या यहाँ सकल कृषि प्राप्तियों में आयकर नियमों के नियम 8 (चाय से विनिर्माण से आय) को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
2ii	कृषि पर उपगत व्यय	कृपया इन स्तंभों में सकल कृषि-आय से सुसंगत वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV के अनुसार उपबंध किये गए तरीके से, व्यय और अग्रणीत हानियों का दावा दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि पूर्व आठ निर्धारण वर्षों तक की कृषि हानि के शेष को समायोजित किया जा सकता है।
2iii	पूर्व आठ निर्धारण वर्षों की शेष कृषि हानि	
2iv	नियम 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) और 8 से संबंधित कृषि-आय का हिस्सा (क्रम संख्या 39 से)	कृपया नियम 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) और 8 से संबंधित कृषि-आय के हिस्से की राशि दर्ज करें, जो

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
	अनुसूची व्यव./व्यवसाय का)	भरी गई संख्या है
2v	वर्ष के लिए शुद्ध कृषि-आय (i – ii – iii+iv) (हानि होने पर शून्य दर्ज करें)	कृपया वर्ष के लिए शुद्ध कृषि आय की राशि दर्ज करें, जो कि सकल कृषि प्राप्तियों के रूप में संगणित किया गया एक स्वतः भरा जाने वाला आँकड़ा है [3i] जिसमें से नियम 7,7A,,7B(1),7B(1A) और 8 [3iv] से संबंधित कृषि आय के हिस्से को कम किया गया है और व्याय [2ii] और शेष कृषि दानियों [2iii] को कम
2vi	यदि वर्ष के लिए शुद्ध कृषि-आय रूपये .5 लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें	इस स्तंभ में कृषि-भूमि का निम्नलिखित ब्यौरा भरें जिससे कृषि-आय व्युत्पन्न की जा रही है, यदि वर्ष के लिए आपकी शुद्ध कृषि-आय रूपये 5 लाख से अधिक है: (a) पिन कोड सहित जिले के नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है। (b) एकड़ में कृषि-भूमि का मापन (c) क्या कृषि-भूमि स्वामित्वाधीन है या किराये पर धारित है (d) क्या कृषि-भूमि सिंचित है या वर्षा-सिंचित है
3	कर से छूट प्राप्त अन्य आय,	इस स्तंभ में कृपया किसी भी अन्य प्रकार की करमुक्त आय का ब्यौरा भरें। कृपया आय की
4	DTAA के रूप में आय जो कर प्रभार्य नहीं है	कृपया इस स्तंभ में ऐसी किसी भी आय की रिपोर्ट करें जो किसी अन्य देश के साथ भारत के दोहरा कराधान परिवर्जन करार (DTAA) के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं है। दी गई तालिका में, कृपया आय की राशि, आय की प्रकृति, आय के शीर्ष को दर्ज करें और लागू DTAA के अन्य सुसंगत ब्यौरे को रिपोर्ट करें जैसे देश का नाम और कोड और DTAA के सुसंगत लेख। कृपया यह भी वर्णित करें कि क्या क्षेत्राधिकार से कर निवास
5	कर प्रभारित न होने वाली पास थ्रू आय (अनुसूची PTI)	अनुभाग 115 UA या 115 UB के अनुसार कारोबार ट्रस्ट या निवेश निधि से आय का ब्यौरा अनुसूची PTI में अलग से रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है। यदि उसमें रिपोर्ट की गई आय के माध्यम से पास किसी भी राशि से छूट प्राप्त का दावा किया जाता है, तो उसे अनुसूची EI के इस स्तंभ में भी रिपोर्ट किया
6	कुल (1+2+3+4+5 +5)	कृपया आय की कुल मिलाकर राशि दर्ज करें जो कुल आय में शामिल होने के लिए राशि नहीं है या वर्ष के

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
		<p>लिए कर प्रभार्य नहीं है।</p> <p>यह एक स्वतः भरा जाने वाला आंकड़ा है जो स्तंभ [1] पर ब्याज से आय के रूप में संगणित किए गए आँकड़े, स्तंभ [2] पर शुद्ध कृषि-आय, स्तंभ [3] पर अन्य करमुक्त आय, ऐसी आय जो स्तंभ [4] पर DTAA के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है और पास थ्रू आय जो</p>

अनुसूची PTI- अनुभाग 115UA, 115UB के अनुसार कारोबार न्यास या निवेश निधि से पास थ्रू आय का ब्यौरा

इस अनुसूची में, कृपया कारोबार न्यास या निवेश निधि से प्राप्त फॉर्म 64B या 64C के अनुसार पास थ्रू आय/हानि के ब्यौरा की रिपोर्ट करें जैसा कि अनुभाग 115UA या 115UB में निर्दिष्ट है।

प्रत्येक कारोबार न्यास या निवेश निधि से प्राप्त पास थ्रू आय का ब्यौरा अलग-अलग पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्षेत्र का नाम	अनुदेश
Investment entity covered by section 115UA/115UB	<p>कृपया ड्रॉपडाउन मेन्यू से उस अनुभाग का चयन करें जिसके अंतर्गत कारोबार न्यास/निवेश निधि शामिल है:-</p> <p>अनुभाग 115UA</p> <p>अनुभाग 115UB</p>
कारोबार न्यास/निवेश निधि का नाम	स्तंभ संख्या 3 में कारोबार न्यास/निवेश निधि का नाम दर्ज करें।
कारोबारी न्यास / निवेश निधि का PAN	स्तंभ संख्या 4 में कारोबार न्यास/निवेश निधि का PAN दर्ज करें।
आय का स्रोत और चालू वर्ष की आय	<p>कृपया स्तंभ संख्या 7 में आय के स्रोत के सुसंगत शीर्ष के अंतर्गत चालू वर्ष की राशि दर्ज करें:</p> <p>(i) गृह संपत्ति</p> <p>(ii) पूंजी अभिलाभ</p> <p>(iii) अन्य स्रोत</p> <p>(iv) छूट प्राप्ति के लिए दावा की गई आय (कृपया अनुभाग विनिर्दिष्ट करें)</p>
निवेश निधि द्वारा वितरित चालू वर्ष की हानि का हिस्सा	निवेश निधि द्वारा वितरित चालू वर्ष की हानि की राशि को स्तंभ संख्या 8 में दर्ज करें।
शुद्ध आय/हानि (7-8)	कृपया शुद्ध आय/हानि की कुल मिलाकर राशि दर्ज करें। यह एक स्वतः भरा जाने वाला आँकड़ा है जो स्तंभ [7] में चालू वर्ष

	निवेश निधि [8] द्वारा वितरित चालू वर्ष की हानि के हिस्से से घटाया गया है
ऐसी राशि पर TDS, यदि कोई हो	स्तंभ संख्या 10 में ऐसी राशि पर कटौतीकृत टी.डी.एस. दर्ज करें

कृपया सुनिश्चित करें कि इस अनुसूची में परिलक्षित आय आय की समरूपी अनुसूची में परिलक्षित होती है

अनुसूची TPSA- ई-फ़ाइलिंग सेवा में उपबंध की गई अनुसूची के अनुसार अनुभाग 92CE(2A) के अनुसार माध्यमिक समायोजन पर कर का ब्यौरा।

कृपया प्राथमिक समायोजन की राशि दर्ज करें जिस पर ऐसे आधिक्य धन या उसके भाग पर धारा 92CE(2A) के तहत विकल्प प्रयुक्त किया गया है। यह समायोजन उस राशि के संबंध में होना चाहिए जो अधिनियम के अनुभाग 92CE के अनुसार भारत में वापस नहीं भेजी गई है।

अतिरिक्त कर और अधिभार की संगणित इस तरह के आधिक्य धन या उसके भाग पर क्रमशः 18% और 12% की दर से की जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि धारा 92CE(2A) के तहत सन्दत्त किए गए करों को अंतिम भुगतान के रूप में माना जाएगा और आगे किसी क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा। कृपया वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 या वित्त वर्ष 2020-21) का ड्रॉपडाउन चुनें जिसके लिए आप अनुभाग 92CE (2A) के फायदे का दावा कर रहे हैं

अनुसूची FSI- भारत से बाहर की आय और कर अवमुक्ति का ब्यौरा

अनुसूची FSI भारत में निवासी करदाता के लिए लागू होता है।

इस अनुसूची में, कृपया उस आय का ब्यौरा रिपोर्ट करें, जो पहले से ही कुल आय में शामिल है, जो भारत से बाहर किसी भी स्रोत से प्रोद्भूत या उत्पन्न होती है।

कृपया ध्यान दें कि ऐसी आय को कुल आय की शीर्ष-वार संसंगणना में भी अलग से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आय के संबंधित शीर्ष जिसके अंतर्गत ऐसे विदेशी स्रोत आय की सूचना दी गई है, उनका यहाँ संबंधित स्तंभ में भी विधिवत उल्लेख किया जाना चाहिए। देश कोड के लिए देश के अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायलिंग (ISD) कोड का उपयोग करें।

जिस देश में कर सन्दत्त किया गया है, वहाँ निर्धारिती की कर दाता पहचान संख्या (TIN) को भरना होता है। यदि उस देश में TIN का आवंटन नहीं किया गया हो तो पासपोर्ट नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए।

यदि ऐसी विदेशी स्रोत आय पर भारत से बाहर किसी कर का सन्दत्त किया गया है, और भारत में स्वीकार्य, कर अवमुक्ति का दावा किया जा रहा है, तो लागू DTAA के सुसंगत अनुच्छेद का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि अनुसूची FSI में रिपोर्ट किये गए विदेशी कर जमा और आय के ब्यौरे का आपके द्वारा फ़ाइल किये गए फॉर्म 67 के साथ मिलान किया जाना चाहिए

अनुसूची TR- भारत से बाहर सन्दत्त करों के लिए दावा की गई कर अवमुक्ति का संक्षिप्त

अनुसूची TR भारत में निवासी करदाता के लिए लागू होता है।

इस अनुसूची में, कृपया प्रत्येक देश के संबंध में भारत से बाहर सन्दर्भ किए गए करों के लिए भारत में दावा की जा रही कर अवमुक्ति का संक्षेप में प्रदान करें। यह अनुसूची अनुसूची FSI में दी गई विस्तृत जानकारी का संक्षिप्त प्रस्तुत करती है।

स्तंभ (a) और (b) में, कृपया क्रमशः सुसंगत देश का कोड और करदाता पहचान संख्या (TIN) विनिर्दिष्ट करें।

देश कोड के लिए देश के अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायलिंग (ISD) कोड का उपयोग करें।

जिस देश में कर सन्दर्भ किया गया है, वहाँ निर्धारित की करदाता पहचान संख्या (TIN) को भरना होता है। यदि उस देश में TIN का आवंटन नहीं किया गया हो तो पासपोर्ट नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्तंभ [c] में अनुसूची FSI में घोषित आय पर भारत से बाहर चुकाए गए उस कर का उल्लेख करें जो प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के स्तंभ [c] में चुकाया गया कुल कर होगा।

स्तंभ (d) में, उपलब्ध कर अवमुक्ति का उल्लेख करें जो प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के स्तंभ (e) के अंतर्गत उपलब्ध कुल कर अवमुक्ति होगी।

स्तंभ (e) में, कृपया आयकर अधिनियम के उपबंध को विनिर्दिष्ट करें जिसके अंतर्गत कर अवमुक्ति का दावा किया जा रहा है अर्थात् अनुभाग 90, अनुभाग 90A या अनुभाग 91।

अनुसूची FA - भारत से बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियाँ और आय का ब्यौरा

यदि आप भारत में निवासी हैं, तो आपको इस अनुसूची में किसी विदेशी आस्तियों इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आप 'साधारणतया निवासी नहीं' या 'अनिवासी' हैं तो, इस अनुसूची को भरने की आवश्यकता नहीं है।

तालिका A1 से G में, कृपया सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित, विदेशी आस्तियाँ या निम्नलिखित प्रकृति के खातों का ब्यौरा प्रस्तुत करें:-

- तालिका A1 - विदेशी निक्षेपागार खाते
- तालिका A2 - विदेशी अभिरक्षक खाते
- तालिका A3 - विदेशी इक्विटी और ऋण ब्याज
- तालिका A4 - विदेशी नकदी मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा
- तालिका B - भारत से बाहर किसी भी संस्था में वित्तीय हित

- तालिका C - प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित अचल सम्पत्ति का ब्यौरा (किसी भी हितप्रद ब्याज सहित) तालिका डी - प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी अन्य पूँजी (किसी भी हितप्रद ब्याज सहित) का ब्यौरा
- तालिका E - भारत से बाहर स्थित कोई अन्य खाता जिसमें आप एक हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं (जो तालिका A1 से D में रिपोर्ट नहीं किया गया है)

- तालिका F – भारत से बाहर बनाया गया ट्रस्ट जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या सेटलर हैं
- तालिका G – किसी विदेशी स्रोत से व्युत्पन्न कोई अन्य आय (जो तालिका A1 से F और शीर्ष कारोबार या व्यवसाय के अंतर्गत आय में नहीं रिपोर्ट की गई है)

यदि आप भारत के निवासी हैं तो उन सभी विदेशी आस्तियाँ या खातों का ब्यौरा, जिनके संबंध में आप एक हितप्रद स्वामी, हिताधिकारी या विधिक स्वामी हैं, अनुसूची FA में अनिवार्य रूप से प्रकटित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, -

- (a) एक आस्ति के संबंध में हितप्रद स्वामी का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संपत्ति के लिए प्रतिफल प्रदान किया है और जहाँ ऐसी आस्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तत्कालिक या भविष्य में लाभ के लिए प्रतिफल प्रदान करने वाले व्यक्ति या की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित की गई है।
- (b) किसी आस्ति के संबंध में हिताधिकारी का अर्थ उस व्यक्ति से होता है, जो आस्ति के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल या भविष्य में फायदा प्राप्त करता है और जहाँ ऐसी आस्ति के लिए प्रतिदान ऐसे हिताधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो।

यदि आप विधिक स्वामी और हितप्रद स्वामी दोनों हैं, तो कृपया स्वामित्व के स्तंभ में विधिक स्वामी का उल्लेख करें।

तालिका A1 में, लेखा अवधि के दौरान खाते में अधिकतम अतिशेष, लेखा अवधि के अंत में अंतिम शेष और लेखा अवधि के दौरान खाते में सन्दत या जमा किए गए सकल ब्याज को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है।

तालिका A2 में, लेखा अवधि के दौरान खाते में अधिकतम अतिशेष, लेखा अवधि के अंत में अंतिम शेष और लेखा अवधि के दौरान खाते में सन्दत या जमा की गई सकल राशि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है। सन्दत सकल राशि की प्रकृति ड्रॉप-डाउन सूची से विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए अर्थात् ब्याज, लाभांश, विक्रय से आगम या वित्तीय आस्तियों या अन्य आय का मोचन, और संबंधित राशि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

तालिका A3 में, निवेश का प्रारंभिक मूल्य, लेखा अवधि के दौरान निवेश का अधिकतम मूल्य, लेखा अवधि के अंत में निवेश का अंतिम मूल्य, सन्दत सकल ब्याज, लेखा अवधि के दौरान भुगतान की गई या खाते में जमा की गई कुल सकल राशि, लेखा अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल अगम और निवेश के मोचन को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है।

तालिका A4 में, लेखा अवधि के अंत में बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा का नकदी मूल्य या समर्पण मूल्य और संविदा के संबंध में सन्दत या जमा की गई कुल सकल राशि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है।

तालिका B में, लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित लागत पर कुल निवेश का मूल्य और लेखा अवधि के दौरान उससे अर्जित आय की प्रकृति और राशि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है। इसके अलावा, विदेशी स्रोत आय में से भारत में कर के प्रभाय आय की

राशि को भी स्तंभ (10) में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ITR की सुसंगत अनुसूची जहाँ कर के लिए आय की पेशकश की गई है, उसका स्तंभ (11) और (12) में उल्लेख किया जाना चाहिए।

तालिका B में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय हित में, निम्नलिखित में से कोई भी मामला सम्मिलित होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:-

- (1) निवासी निर्धारिती किसी भी वित्तीय खाते के रिकॉर्ड/दस्तावेज़ का स्वामी है या विधिक शीर्षक का धारक है, भले ही वह हिताधिकारी हो या नहीं; या
- (2) रिकॉर्ड/दस्तावेज़ का स्वामी या शीर्षक धारक निम्नलिखित में से एक है: -
 - (i) एक एजेंट, नामनिर्देशिती, वकील या संस्था के संबंध में निवासी निर्धारिती की ओर से किसी अन्य क्षमता में कार्यकारी व्यक्ति;
 - (ii) एक निगम जिसमें निवासी निर्धारिती, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी शेयर या मतदान शक्ति का स्वामी है;
 - (iii) ऐसी साझेदारी जिसमें निवासी निर्धारिती का स्वामित्व प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः साझेदारी लाभ में या भागीदारी पूँजी में ब्याज लेता है;
 - (iv) ऐसा न्यास जिसमें निवासी निर्धारिती का हितप्रद स्वामित्व का हित हों; या
 - (v) कोई अन्य संस्था जिसमें निवासी निर्धारिती, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी मतदान शक्ति या इक्विटी ब्याज या आस्तियाँ या मुनाफे में हित का मालिक है।

तालिका C में, लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित अचल सम्पत्ति में लागत पर कुल निवेश का कुल मूल्य और लेखा अवधि के दौरान सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय की प्रकृति और राशि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है। भारत में विदेशी स्रोत आय से कर प्रभार्य आय की अतिरिक्त राशि को भी स्तंभ (9) में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ITR की सुसंगत अनुसूची जहाँ कर के लिए आय की पेशकश की गई है, उसका स्तंभ (10) और (11) में उल्लेख किया जाना चाहिए।

तालिका D में, लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित किसी भी अन्य पूँजी आस्ति की लागत पर कुल निवेश का मूल्य और लेखा अवधि के दौरान पूँजी आस्ति से व्युत्पन्न आय की प्रकृति और राशि को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है। भारत में विदेशी स्रोत आय से कर प्रभार्य आय की अतिरिक्त राशि को भी स्तंभ (9) में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ITR की सुसंगत अनुसूची जहाँ कर के लिए आय की पेशकश की गई है, उसका स्तंभ (10) और (11) में उल्लेख किया जाना चाहिए।

तालिका D में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, पूँजीगत आस्ति में कोई अन्य वित्तीय आस्तियाँ सम्मिलित होगी जो तालिका B में रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन इसमें व्यापार भंडार और कारोबार आस्तियाँ सम्मिलित नहीं होगी जो तुलन पत्र में शामिल हैं।

तालिका E में, लेखा अवधि के दौरान, उन खातों के संबंध में अधिकतम अतिशेष या लागत पर कुल निवेश का मूल्य, जिनमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं, उन्हें भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के बाद प्रकटित करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं विदेशी खातों को इस तालिका में रिपोर्ट किया जाना चाहिए जिन्हें ऊपर तालिका A1 से तालिका D में रिपोर्ट नहीं किया गया है। यदि इस तरह के विदेशी खाते में अर्जित आय भारत में कराधेय है, तो कृपया उस आय की राशि जो भारत में कर के लिए प्रभाय है, उसे स्तंभ (9) और स्तंभ (10) पर और (11) पर ITR की सुसंगत अनुसूची में भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए विनिर्दिष्ट करें। बाहर के देश की विधियों के अंतर्गत स्थापित न्यास का ब्यौरा, जिसमें आपन्यासी, हिताधिकारी या सेटलर हैं, उसे प्रकटित किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसे न्यास से आपको प्राप्त होने वाली कोई आय भारत में कराधेय है, तो कृपया स्तम्भ [10] में भारत में कर हेतु प्रभाय आय की राशि का और स्तम्भ (11) और (12) में ITR की सुसंगत अनुसूची का उल्लेख करें।

तालिका G में, किसी विदेशी स्रोत से व्युत्पन्न, किसी अन्य आय का ब्यौरा प्रकटित करने की आवश्यकता होती है जिसे उपर्युक्त तालिका A1 से F में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि विदेशी स्रोत से व्युत्पन्न आय में से कोई आय भारत में आपके पक्ष में कराधेय है, तो कृपया उस आय की राशि को भारतीय मुद्रा में बदलने के बाद स्तंभ (7) में और स्तंभ (8) और (9) में ITR की सुसंगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट करें जो भारत में कर के लिए प्रभाय है।

इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, लेखा अवधि का अर्थ वो कालावधि है :-

- 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक, उस अधिकार क्षेत्र में धारित विदेशी आस्तियों या खातों आदि के संबंध में, जहां खातों को समाप्त करने और टैक्स फाइलिंग के प्रयोजन के लिए कैलेंडर वर्ष को आधार के रूप में अपनाया जाता है;
- 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक, उस अधिकार क्षेत्र में धारित विदेशी आस्तियों या खातों आदि के संबंध में, जहां खातों को समाप्त करने और टैक्स फाइलिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष को आधार के रूप में अपनाया जाता है;
- 12 महीने की वह अवधि, जो 1 अप्रैल, 2019 के उत्तरवर्ती किसी भी दिन समाप्त होती है, उस क्षेत्र में धारित विदेशी आस्तियों या खातों के संबंध में जहां खातों को समाप्त करने और कर फाइलिंग करने के प्रयोजन के लिए 12 महीने की किसी अन्य कालावधि को आधार के रूप में अपनाया जाता है।

इस अनुसूची के प्रयोजन हेतु, निवेश के अधिकतम शेष या मूल्य में परिवर्तन के लिए विनिमय दर या भारतीय मुद्रा में विदेशी स्रोत से प्राप्त आय की राशि खाते में अधिकतम शेष राशि की तिथि या निवेश की तिथि या लेखा अवधि की समाप्ति तिथि पर विदेशी मुद्रा की "तार अंतरण खरीद दर होगी।

इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए, विदेशी मुद्रा के संबंध में "तार अंतरण खरीद दर" का अर्थ है, इस प्रकार की मुद्राओं को खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशेष दिशानिर्देशों के संबंध में इस प्रकार की मुद्राएं खरीदने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1955 (1955 के नियम 23) के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें अथवा विनियम दरें, जहां इस प्रकार की मुद्रा बैंक में एक तार अंतरण के जरिए उपलब्ध करवाई जाती है।

अनुसूची GST-nullGST के लिए रिपोर्ट की गई कुल/सकल आवती के संबंध में जानकारी

इस अनुसूची में, कृपया मासिक GST विवरणी में सूचित किए गए आंकड़ों के आधार पर, कॉलम (2) और

(3) में प्रत्येक GSTIN संख्या के विरुद्ध सूचित किए गए सभी GSTIN संख्या पंजीकृत और संबंधित जावक आपूर्ति के वार्षिक मूल्य की संबंधित राशि का ब्यौरा प्रदान करें।

भाग B – TI - कुल आय की संगणना

आयकर अधिनियम की योजना के अनुसार पिछले वर्ष की कुल आय की गणना शीर्षवार करने की आवश्यकता होती है। सभी स्रोतों से आय को आय के किसी एक शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए- 'गृह संपत्ति से आय', 'कारोबार या व्यवसाय से आय', 'पूंजी लाभ' और 'अन्य स्रोतों से आय'। प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आय ITR में दी गई संबंधित अनुसूची के अनुसार अलग से संगणित की जानी चाहिए। किसी भी स्रोत से होने वाली हानि को पहले चालू वर्ष के लिए, आय के समान शीर्ष के अंतर्गत, किसी अन्य स्रोत से आय के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए (अंतर-शीर्ष सेट-ऑफ)। इसके बाद, आय के विभिन्न शीर्षों के तहत शेष हानि को चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के विरुद्ध संगणित की गई आय से समायोजित किया जा सकता है, जैसा कि अनुसूची CYLA (अंतर-शीर्ष सेट-ऑफ) में उपबंध किया गया है। कतिपय शीर्षों के तहत पिछले वर्षों से अग्रणीत की गई हानियों को भी वर्तमान वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के तहत आय से सेट-ऑफ किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची BFLA में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के और अग्रणीत हानियों को सेट-ऑफ करने के बाद वर्तमान वर्ष के विभिन्न मदों के

क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1	घर दी संपत्ति थमां औदन	<p>कृपया अनुसूची HP की मद संख्या 4 में गणना के अनुसार 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के तहत शुद्ध _____.</p> <p>ऐसे मामले में जहां अनुसूची HP में हानि के आंकड़े को संगणित किया गया है, कृपया इस स्तंभ में शून्य दर्ज करें। इसके बजाय हानि के आंकड़े को चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरुद्ध सेट-ऑफ करने के लिए अनुसूची CYLA में ले जाया जाना चाहिए। शेष गृह संपत्ति हानि को अगले वर्ष में अग्रणीत करने के</p>
2	कारोबार या पेशे से लाभ और अभिलाभ	<p>कृपया क्रमशः सामान्य कारोबार से, सट्टेवाले कारोबार से और स्तंभ 2(i), 2(ii) और 2(iii) निर्दिष्ट कारोबार से मुनाफ़ा और अभिलाभ दर्ज करें। The figures of profit have to be taken as computed at item No. A38, 3(ii) of table E and 3(iii) of table E of Schedule BP</p> <p>यदि सामान्य कारोबार से हानि की संगणना अनुसूची BP में की जाती है, तो कृपया स्तंभ 2(i) में शून्य दर्ज करें। चालू वर्ष के लिए सट्टेवाले</p>

		<p>आय के विरुद्ध अंतर-शीर्ष सेट-ऑफ के लिए हानि का आंकड़ा इसके बजाय अनुसूची BP की मद F में ले जाया जाना चाहिए। सामान्य कारोबार से शेष हानि को चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरुद्ध अंतर-शीर्ष सेट-ऑफ के लिए अनुसूची CYLA में ले जाया जाना चाहिए। इसके बाद, सामान्य कारोबारों से शेष हानियों को</p> <p>यदि हानि को अनुसूची BP में सट्टेवाले कारोबार या विनिर्दिष्ट कारोबार से संगणित किया जाता है, तो जैसा लागू हो, कृपया स्तंभ 2(ii) या 2(iii) में शून्य दर्ज करें। सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारोबार से हानि को अनुवर्ती वर्षों में अग्रानीत करने के लिए अनुसूची CFL में ले जाया जाना चाहिए, जैसा अनुज्ञेय हो। इस प्रकार की शेष हानियों को भविष्य में सट्टेवाले कारोबार या विनिर्दिष्ट कारोबारों</p> <p>कृपया कारोबार मुनाफे की राशि दर्ज को करें जो स्तंभ 2(iv) पर धारा 115BBF (पेटेंट से आय) या धारा 115BBG (कार्बन क्रेडिट के स्थानांतरण से आय) के तहत विशेष महसूल पर कर प्रभार्य हैं। जीवन बीमा कारोबार से आय को अगले वर्ष में भ्रान्तीय करने के लिए अनुसूची CFL में ले जाया</p> <p>कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ की कुल राशि स्तंभ 2(v) पर स्वतः भरी जाएगी। यदि संगणित आँकड़ा हानि है, तो स्तंभ 2(v) पर मान</p>
3	पूँजी अभिलाभ	<p>कृपया वर्ष के लिए अल्पावधि पूँजी अभिलाभ (STCG) और दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (LTCG) की राशि दर्ज करें, जो क्रमशः स्तंभ 3(a) और 3(b) पर अलग-अलग महसूल पर कर प्रभार्य हैं। इस प्रयोजन के लिए, STCG और LTCG के आँकड़े अनुसूची CG के संबंधित घटकों पर संगणित</p> <p>यदि STCG या LTCG से हानि संगणित की जाती है, तो कृपया स्तंभ 3(a) या 3(b) में शून्य दर्ज करें।</p>

		<p>लिए पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध अंतर-शीर्ष सेट-ऑफ करने के लिए अनुसूची CG की मद E में ले जाया जाना चाहिए। शेष पूँजी लाभ को अगले वर्ष अग्रणीत करने के लिए अनुसूची CFL में ले जाया जाना चाहिए। इस प्रकार के शेष पूँजी लाभ को भविष्य के वर्षों में पूँजी लाभ के विरुद्ध सेट-ऑफ पूँजीगत लाभ की कुल राशि स्तंभ 3(c) पर स्वतः भरा जाएगा। यदि संगणित आँकड़ा हानि है, तो</p>
4	<p>होरनें ज़रियें थमां औदन</p>	<p>कृपया 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अंतर्गत शुद्ध आय दर्ज करें, जो सामान्य दरों पर कर प्रभाय है, विशेष दरों पर कर प्रभाय है, और कॉलम 4(a), 4(b) और 4(c) में क्रमशः घुड़दौड़ के घोड़ों के ऐसे मामलों में, जहां शीर्ष 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत हानि के आँकड़े की संगणना की जाती है, जो सामान्य दरों पर कर के लिए प्रभाय है, कृपया स्तंभ 4(a) में शून्य दर्ज करें। इसके बजाय हानि के आँकड़े को चालू वर्ष के लिए अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय के विरुद्ध सेट-ऑफ करने के लिए</p> <p>यदि दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके रखरखाव के क्रियाकलाप से हानि की संगणना की जाती है, तो कृपया स्तंभ 4(c) में शून्य दर्ज करें। शेष हानि को अनुवर्ती वर्षों में अग्रणीत करने के लिए अनुसूची CFL में ले जाया जाना चाहिए। इस तरह की शेष हानि को भविष्य के वर्षों में दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके रखरखाव के क्रियाकलाप से होने वाली आय के विरुद्ध सेट-ऑफ किया जा सकता है जैसा भी</p>
5	<p>शीर्ष के अनुसार आय का योग</p>	<p>कृपया इस शीर्ष में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संगणित भाग का योग दर्ज करें।</p> <p>यह क्षेत्र गृह संपत्ति (1), कारोबार और व्यवसाय से मुनाफ़ा और अभिलाभ (2v), पूँजी अभिलाभ (3c) और अन्य स्रोतों से आय (4d) से कुल आय</p>

6	<p>चालू वर्ष की हानि 5 के विरुद्ध सेट-ऑफ की जाएगी</p>	<p>कृपया चालू वर्ष के लिए गृह संपत्ति, कारोबार और अन्य स्रोतों के शीर्षों के तहत संगणित हानियों 'यदि कोई हो' के तहत संगणित हानियों के योग को उस स्तर तक दर्ज करें कि इस तरह की हानियों को अनुसूची CYLA के अनुसार चालू वर्ष के लिए भरा जाना चाहिए।</p> <p>यह आंकड़ा अनुसूची CYLA के स्तंभ (2), (3) और (4) के अनुसार आय के साथ सेट-ऑफ चालू वर्ष की कुल हानि के योग के रूप में स्वतः भरा जाना चाहिए।</p>
7	<p>चालू वर्ष की हानि के सेट ऑफ होने के बाद अतिशेष(5-6)</p>	<p>कृपया चालू वर्ष की हानि के अंतःशीर्ष समायोजन के बाद शेष चालू वर्ष की आय दर्ज करें।</p> <p>यह एक स्वतः भरा जाने वाला आंकड़ा है जिसे शीर्ष-वार आय [स्तंभ (5)] के योग से सेट-ऑफ के लिए अनुमति [स्तंभ (6)] चालू वर्ष की हानि को</p>
8	<p>7 के विरुद्ध सेट-ऑफ होने के लिए अग्रणीत हानियां</p>	<p>कृपया गृह संपत्ति, कारोबार हानि, पूँजीगत हानि, घुड़दौड़ से होने वाली हानि और शेष अवक्षय या भत्ता, यदि कोई हो, के मदों के अंतर्गत पिछले वर्षों से अग्रणीत कुल हानि के योग को उस सीमा तक दर्ज करें, जिस सीमा तक अनुसूची BFLA के अनुसार चालू वर्ष के विभिन्न मदों की शेष हानियां दर्ज की गई हैं।</p> <p>आंकड़ों की संगणना अग्रणीत हानियों, शेष अवक्षयण और अनुसूची BFLA के स्तंभ (2), (3) और (4) के अनुसार वर्तमान वर्ष की आय के साथ सेट-ऑफ शेष भत्तों के योग के रूप में की जानी चाहिए।</p>
9	<p>सकल कुल आय (7-8)</p>	<p>कृपया अग्रणीत की गई हानियों, शेष अवक्षयण और शेष भत्तों के समायोजन करने की अनुमति के बाद कुल आय दर्ज करें।</p> <p>यह चालू वर्ष की आय [स्तंभ (7)] के अतिशेष के रूप में लिया गया स्वतः भरा जाने वाला आंकड़ा है जिसे इस प्रकार की आय [स्तंभ (8)] के विरुद्ध सेट-ऑफ की अनुमति वाले अग्रणीत शेष, शेष अवक्षयण और शेष भत्ते से घटाया गया है।</p>

		<p>यह नीचे स्तंभ 12(a), 12(b) और 12(c) में रिपोर्ट की गई कटौतियों/छूट के कुल योग को दर्शाने वाला एक स्वतः भरा जाने वाला आँकड़ा है।</p> <p>स्तंभ 12(a) में, कृपया अनुभाग 10AA के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित उपक्रमों के संबंध में कटौती के दावे की राशि दर्ज करें। कृपया इस ITR फॉर्म की अनुसूची 10AA में कटौती के दावे का ब्यौरा भरना सुनिश्चित करें। अनुभाग 10AA के अंतर्गत कटौती का दावा केवल BFLA के क्रमांक sl.no.5ii पर सामान्य कारोबार आय से किया जा सकता है, जिसे 80P को छोड़कर भाग C VIA की कटौती से घटाया गया है।</p> <p>स्तंभ 12(b) में, कृपया निवेश निधि की आय का ब्यौरा दर्ज करें, जिसका अनुभाग 10(23FB) या 10(23FBA) के अंतर्गत छूट के रूप में दावा किया गया है।</p> <p>अनुभाग 12(c) में, कृपया कारोबार न्यास की आय का ब्यौरा दर्ज करें, जिसका अनुभाग 10(23FC) या 10(23FCA) के अंतर्गत छूट का दावा किया गया है।</p> <p>अनुभाग 10(23FB) या 10(23FBA) के तहत छूट का दावा करने वाली एक निवेश निधि, या अनुभाग 10(23FC) या 10(23FCA) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले एक कारोबार न्यास करमुक्त आय को प्रत्यक्षतः ITR-5 में भाग B TI (आय की संगणना) के क्रमशः स्तंभ 12(b) या स्तंभ 12(c) में दर्ज करेगा। ऐसी संस्थाओं को अनुसूची BP, अनुसूची HP, अनुसूची CG, अनुसूची as. और अनुसूची SI आदि में शीर्षवार कृपया इस स्तंभ पर पूर्व वर्ष के लिए कर के लिए प्रभार्य कुल आय की राशि दर्ज करें।</p>
13	कुल आय	<p>यह एक स्वतः भरा जाने वाला आँकड़ा है, जिसे अध्याय VI-A (स्तंभ 11(c)) के तहत दावा की गई और धारा 10AA के तहत दावा की गई कुल कटौतियों (स्तंभ 12)) को घटाकर सकल कुल</p>

14	विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य आय	<p>कृपया इस स्तंभ में विभिन्न मदों के अंतर्गत आय के योग को रिपोर्ट करें जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य हैं और कुल आय में सम्मिलित हैं।</p> <p>यह आँकड़ा अनुसूची SI के स्तंभ (i) से लिया जाना चाहिए।</p>
15	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय	<p>कृपया इस स्तंभ में शुद्ध कृषि आय या किसी अन्य आय को रिपोर्ट करें, जिसे कर की लागू दर निर्धारित करने के प्रायोजन से पूर्व वर्ष की कुल आय में जोड़ा जाना आवश्यक है।</p> <p>कृपया इस ITR फॉर्म की अनुसूची EI में कृषि आय का ब्यौरा भरना सुनिश्चित करें।</p>
16	कुल आय (13 - 14 + 15)	<p>कृपया इस स्तंभ में कुल आय की संगणना ऐसी कुल आय [स्तंभ (13)] के रूप में करें, जिसमें से विशेष दरों पर प्रभार्य आय [स्तंभ (14)] को घटाया गया है और दर के प्रयोजनों के लिए शुद्ध कृषि आय/स्तंभ</p>
17	चालू वर्ष की हानि को अग्रेषित किया जाएगा	<p>कृपया इस स्तंभ में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत चालू वर्ष की कुल हानियों को रिपोर्ट करें जिनको अनुवर्ती वर्षों में अग्रणीत करने की अनुमति है। यह आँकड़ा अनुसूची CFL की शीर्ष-चार कुल पंक्ति (xv) से लिया जाना चाहिए, यदि उपस्थिति निवेश निधि के अभाव में है। यदि उपस्थिति निवेश निधि है, तो आँकड़ा अनुसूची CFL के कुल 5xvi+ 6xvi+ 7xvi+ 8xvi</p>
18	धारा 115JC के अंतर्गत मान्य आय	<p>कृपया इस स्तंभ में चालू वर्ष के लिए देय वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) निर्धारित करने के प्रायोजन से धारा 115JC के तहत संगणना की गई समायोजित कुल आय को रिपोर्ट करें।</p> <p>कृपया इस ITR फॉर्म की अनुसूची AMT को भरना सुनिश्चित करें।</p>

<g id="1">भाग B – TII - कुल आय पर कर दायित्व की संगणना</g>

योगफल कुल आय पर कर दायित्व का संगणित सामान्य लागू दरों पर किया जाना चाहिए और धारा 115JC के अंतर्गत संगणित कुल आय पर देय वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) के साथ संगणित किया जाएगा।

<p>जानी चाहिए। The gross tax liability for the year is taken as higher of these two, against which claim of AMT credit and tax reliefs under sections 89/90/90A/91, as admissible, are allowed to arrive at the net tax liability for the year. अनुपालन में विभिन्न व्यतिक्रम के लिए देय ब्याज और शुल्क को कुल कर दायित्व की संसंगणना करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है। देय या प्रतिदाय योग्य शुद्ध राशि की संसंगणना पूर्व जमा करों (अग्रिम कर, TDS, TCS और स्व-</p>		
क्षेत्र संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
1	अनुभाग 115JC के अंतर्गत मान्य आय पर देय कर	<p>स्तंभ 1(a) में, कृपया अनुसूची AMT की मद संख्या 4 के अनुसार अनुभाग 115JC के अंतर्गत संगणित समायोजित कुल आय पर देय वैकल्पिक</p> <p>"स्तंभ 1(b) और 1(c) में क्रमशः AMT पर लगाए जाने वाले अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा</p> <p>स्तंभ 1(d) में, समझी गयी आय पर देय सकल कर को स्तंभ 1(a), 1(b) और 1(c) पर क्रमशः AMT, अधिभार और उपकर के कुल मिलाकर योग के यदि सहकारी समिति ने "115BAD" का विकल्प चुना है, तो धारा 115JC के तहत AMT लागू नहीं</p>
2	कुल आय पर देय कर	<p>&lt;g id="1"&gt;संसंगणना संबंधी अन्य सेवाएं n.e.c.&lt;/g&gt;</p> <p>स्तंभ 2(a) में, स्तंभ 16 भाग B-TI में दर्ज की गई कुल आय पर सामान्य लागू दर पर कर की</p> <p>स्तंभ 2(b) में, कृपया अनुसूची SI के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य कर की गति दर्ज करें।</p> <p>यदि सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय कर प्रभार्य योग्य अधिकतम राशि से अधिक है, तो कृपया स्तंभ 2(c) में शुद्ध कृषि आय पर स्वीकार्य छूट की</p> <p>स्तंभ 2(d) में, कृपया कुल आय पर देय कर की संसंगणना करें और तब तक संशोधन करें।</p> <p>स्तंभ 2(e) में, कृपया सीमांत राहत से पहले और सीमांत राहत के बाद 115BBE और 115BBE आय के अलावा अन्य आय पर अधिभार की संसंगणना करें और क्रमशः स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में राशि</p>

		<p>स्तंभ 2(e) और 2(f) में कर दायित्व पर लगने वाले अधिभार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की संगणना करें। (परिकलन के संदर्भ में ब्यौरे के</p> <p>स्तंभ 2(g) में, कुल आय पर सकल कर दायित्व की संगणना क्रमशः स्तंभ 2(d), 2(e) और 2(f) पर संगणित कर, अधिभार और उपकर के योग के</p> <p>ITR-5 के भाग A -सामान्य में, AOP/BOI के सदस्यों की विशिष्टताओं को उनके संबंधित शेयरों के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि ये विशिष्टताएं प्रदान नहीं की जाती हैं, या गलत तरीके से प्रदान की जाती हैं (उदाहरण के लिए सदस्यों के शेयरों की संख्या का कुल योग</p>
3	देय सकल कर	<p>कृपया वर्ष के लिए देय सकल कर दायित्व की राशि दर्ज करें जिसे सकल AMT दायित्व [स्तंभ 1(d)] और सामान्य उपबंधों के अनुसार देय सकल कर [स्तंभ 2(g)] की उच्चतर राशि के रूप</p>
4	पूर्व के वर्षों में भुगतान किए गए कर के अनुभाग 115JD के अंतर्गत क्रेडिट	<p>यदि देय सकल AMT सामान्य उपबंधों के अनुसार देय सकल कर से अधिक है, तो कृपया इस स्तंभ में इस वर्ष के लिए देय सकल AMT के विरुद्ध उपयोजित पिछले वर्षों का AMT क्रेडिट दर्ज करें।</p> <p>उपयोजित AMT क्रेडिट का आंकड़ा अनुसूची AMTC के अनुसार लिखा जाना चाहिए।</p> <p>यदि सहकारी समिति ने "115BAD" का विकल्प चुना है, तो धारा 115JD के तहत AMTC क्रेडिट</p>
5	अनुभाग 115JD के अंतर्गत क्रेडिट के बाद देय कर	<p>कृपया पूर्वतर वर्षों (यदि लागू हो) के AMT के क्रेडिट की अनुमति देने के बाद वर्ष के लिए देय</p>
6	कर अवमुक्ति	<p>स्तंभ 6(a) में, कृपया उन देशों के संबंध में भारत से बाहर सन्दत्त करों के लिए कर राहत के दावे की राशि दर्ज करें, जहां अनुभाग 90 या अनुभाग</p>

		<p>स्तंभ 6(b) में, कृपया भारत से बाहर उन देशों के संबंध में जहां DTAA नहीं लागू है भुगतान किए गए करों के लिए अनुभाग 91 के अनुसार कर</p> <p>स्तंभ 6(c) में, कृपया उपरोक्त स्तंभ में कर अवमुक्ति के दावों की योग्य संगणना करें।</p>
7	शुद्ध कर दायित्व (5- 6c)	<p>इस स्तंभ में, कृपया स्वीकार्य कर अवमुक्ति की अनुमति देने के बाद वर्ष के लिए शुद्ध देय कर</p>
8	देय ब्याज और देय शुल्क	<p>कॉलम 8(a) में, कृपया अनुभाग 234A के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के</p> <p>स्तंभ 8(b) में, कृपया अनुभाग 234B के अंतर्गत अग्रिम कर के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए प्रभार्य</p> <p>स्तंभ 8(c) में, कृपया अनुभाग 234C के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान में आस्थगन के लिए प्रभार्य ब्याज की राशि दर्ज करें। (परिकलन के लिए</p> <p>स्तंभ 8(d) में, कृपया अनुभाग 234F के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के</p> <p>देय शुल्क ₹ 5,000 है यदि विवरणी नियत तिथि के बाद, लेकिन 31 दिसम्बर, 2020 तक जमा की जाती है।</p> <p>यदि विवरणी 31 दिसम्बर, 2020 के बाद फ़ाइल की</p> <p>हालांकि, यदि कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो धारा 234F के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए देय शुल्क</p> <p>स्तंभ 8(e) में, कृपया ब्याज और देय फीस की कुल राशि दर्ज करें, जैसा कि उपरोक्त स्तंभ में</p>
9	कुल दायित्व (7+ 8 e)	<p>इस स्तंभ में, कृपया वर्ष के लिए देय कर, ब्याज और फीस की कुल राशि दर्ज करें।</p>

10	सन्दत्त कर(भुगतान किया गया कर)	इस स्तंभ में, कृपया अग्रिम कर, TDS, TCS और स्व-निर्धारण कर की कुल राशि दर्ज करें, जिसके लिए सन्दत्त कर भुगतान किया गया है। इन कर भुगतानों का ब्यौरा भाग B-TA के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
11	देय राशि	यदि देय कुल राशि [स्तंभ (9)] वर्ष [स्तंभ (10e)] के null लिए सन्दत्त करों से अधिक है, तो कृपया सन्दत्त करों के क्रेडिट का दावा करने के बाद देय
12	प्रतिदाय (धन की वापसी)	यदि वर्ष के लिए सन्दत्त कर [स्तंभ (10e)] देय कुल राशि [स्तंभ (9)] से उच्चतर है, तो कृपया
13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)	कृपया पूर्व वर्ष के दौरान भारत में किसी भी समय आपके द्वारा धारित सभी बचत/ चालू खातों का ब्यौरा प्रदान करें। निष्क्रिय खातों का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है जो 3 वर्षों से अधिक समय से चालू नहीं हैं। कृपया वह खाता बताएं जिसमें आप धन वापसी जमा करना चाहते हैं, अप्रासंगिक आपके पास प्रतिदाय है या नहीं। यदि अनिवासी भारत में बिना किसी बैंक खाते के धन वापसी का दावा कर रहा है, कृपया इस प्रश्न के लिए 'नहीं' पर टिक करें 'क्या आपका भारत में
	बैंक का IFS कोड (विदेशी बैंक के मामले में SWIFT कोड)	कृपया बैंक का IFS कोड (11 अंक) या विदेशी बैंक खाते के मामले में SWIFT कोड दर्ज करें।
	बैंक का नाम	कृपया बैंक का नाम दर्ज करें।
	खाता संख्या	कृपया बैंक की खाता संख्या दर्ज करें।
	स्थान का देश	अनिवासी के मामले में, कृपया बैंक के स्थान का देश प्रदान करें।
	IBAN	अनिवासी के मामले में, कृपया IBAN प्रदान करें।
14.	क्या आपने पूर्व वर्ष किसी भी समय- (i) भारत से बाहर स्थित (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) हितप्रद, हिताधिकारी या अन्यथा किसी भी आस्ति धारण की हैं; या (ii) भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी का होना; या	यदि आप भारत के निवासी हैं, और आप किसी विदेशी आस्ति या विदेशी खाते के विधिक या हितप्रद स्वामी या हिताधिकारी हैं, या आपके पास किसी विदेशी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है या आपकी किसी विदेशी स्रोत से आय है और यदि आप "पूर्व वर्ष" (भारत में) के दौरान और "प्रासंगिक लेखा अवधि" (विदेशी कर क्षेत्राधिकार में) के दौरान किसी भी समय विदेशी संपत्ति आदि को धारण किया है कृपया इस स्तंभ

	(iii) भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय प्राप्त होती है?	आस्तियों या विदेशी खातों आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा 'नहीं' पर टिक करें।
--	---	--

नोट: ज्यादा अधिभार, ऐसे कर दाता पर लागू होता है, जिसकी स्थिति AOP, BOI, AJP के रूप में है। अनुभाग 111A, 112A और 115AD (1)(b) (केवल AOP, BOI और AJP के मामले में) के अंतर्गत कर प्रभार्य आय से ज्यादा अधिभार, यानि कि 25% या 37%, यथास्थिति, प्रत्याहृत करने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन किया गया था। इसलिए, ऐसी आय पर देय कर पर अधिभार की अधिकतम दर 15% होगी। हालांकि, जहां पर किसी व्यक्ति की अन्य आय 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है लेकिन उपरोक्त वर्गों में निर्दिष्ट आय को शामिल करने के बाद, कुल आय 2 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है, तब अन्य आय की राशि के बावजूद, अनुभाग 111A और 112A में निर्दिष्ट आय के साथ-साथ सामान्य आय दोनों पर देय कर की राशि पर 15% की दर से अधिभार लगाया जाएगा। वित्त अधिनियम, 2021 में संशोधन किया गया है ताकि सामान्य दरों और धारा 115AD(i) के तहत लाभांश आय पर ~~पूरा अधिभार~~ करबड़े हुए अधिभार में ढील दी जा सके।

भाग -A - अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के भुगतान का ब्यौरा

कृपया अग्रिम कर या स्व-निर्धारण कर के भुगतान के प्रासंगिक ब्यौरा दर्ज करें।		
स्तम्भ संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
2	BSR कोड	कृपया उस बैंक का सात अंकों का BSR कोड दर्ज करें जिस पर कर जमा किया गया था।
3	जमा करने की तिथि	कृपया DD/MM/YYYY फॉर्मेट में वह दिनांक दर्ज करें जिस पर कर निश्चित/जमा किया गया था।
4	चालान की क्रम संख्या	कृपया चालान की क्रम संख्या इंगित कीजिए।
5	राशि	कृपया जमा की गई कर की राशि दर्ज करें।

भाग -B- आय के स्रोत पर काटा गया कर का ब्यौरा

कृपया वेतन के अलावा अन्य आय पर स्रोत पर काटे गए करों का सुसंगत ब्यौरा दर्ज करें जैसा कि कर कटौतीकर्ता द्वारा जारी फॉर्म 16A या फॉर्म 16B या फॉर्म 16C या फॉर्म 16D में दिखाया गया है।		
स्तम्भ संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
2	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टी. डी. एस. क्रेडिट (नियम 37BA(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	कृपया इस स्तंभ में विनिर्दिष्ट करें कि जिस TDS के लिए क्रेडिट का दावा किया जा रहा है, वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में काटा गया था। कृपया
3	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार नंबर (यदि TDS क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	यदि TDS क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है [जैसा कि स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है], कृपया अन्य व्यक्ति का

4	कटौतीकर्ता का अभिधारी/खरीदार पैन/आधार TAN का	कृपया कटौतीकर्ता का TAN दर्ज करें। अगर अभिधारी या अचल सम्पत्ति के खरीदार द्वारा स्रोत पर कर काटा गया है, तो कृपया अभिधारी या
5 & 6	अग्रणीत अदावाकृत TDS (b/f)	कृपया अग्रणीत TDS का ब्यौरा दर्ज करें जिसके लिए पूर्व वर्षों में किसी भी क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है। क्रमशः स्तंभ 5 और स्तंभ 6 में वह वित्तीय वर्ष जिसमें TDS काटा गया था और TDS की राशि दर्ज करें। नोट: आगे लाए गए दावा न किए गए TDS (काँलम 5 और 6), स्वयं के पक्ष में कटौतीकृत (स्तंभ 7), नियम 37BA(2) (यदि लागू हो) (स्तंभ 8) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में काटे गए TDS का ब्यौरा
7 & 8	चालू वित्त वर्ष का TDS (वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कटौतीकृत TDS)	कृपया चालू वित्तीय वर्ष यानि कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर काटे गए कर की राशि दर्ज करें कृपया नियम 37BA(2) के अनुसार इस वर्ष में स्वयं के पक्ष में और किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में
9 & 10	इस साल दावा किया जा रहा TDS क्रेडिट (केवल अगर इस वर्ष टैक्स के लिए समरूपी आवती की पेशकश की जा रही है, लागू नहीं होता है यदि TDS धारा 194N के तहत काटा जाता है)	कृपया कटौतीकृत TDS राशि दर्ज करें, जिसके लिए इस वर्ष क्रेडिट का दावा किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि सुसंगत शीर्ष में इस वर्ष में समरूपी आवती भी प्रस्तुत की गई है। कृपया नियम 37BA(2) के अनुसार इस वर्ष में स्वयं के पक्ष में और किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दावा
11 & 12	समरूपी आवती/आहरण की पेशकश	कृपया इस वर्ष की प्रस्तुत की गई समरूपी आवती का ब्यौरा दर्ज करें, जिसके संबंध में TDS क्रेडिट का दावा किया जा रहा है। कृपया आय की सकल राशि और आय का स्रोत दर्ज करें जिसके अंतर्गत क्रमशः स्तंभ 11 और स्तंभ 12 में आय प्रस्तुत दी जाती है। ऐसे मामलों में, जहां भुगतानकर्ता द्वारा चालू वर्ष में TDS काटा जाता है, लेकिन भविष्य के वर्षों में समरूपी आय की पेशकश की जानी है। ऐसे मामलों में, चालू वर्ष के लिए स्तंभ "स्वयं के पक्ष में" के अंतर्गत किसी भी TDS क्रेडिट का दावा नहीं किया

		संगत आवती " स्तंभ को ग्रे-आफ कर दिया जाता है और उसे भरने की आवश्यकता नहीं होती है।
13	अग्रणीत किया जा रहा जमा TDS	कृपया शेष TDS क्रेडिट की राशि दर्ज करें जिसे अग्रणीत वर्षों में अग्रणीत किया जा रहा है।

भाग -C- स्रोत पर एकत्रित कर का ब्यौरा(TCS)

कृपया वर्ष के दौरान स्रोत पर एकत्र किए गए करों का सुसंगत ब्यौरा दर्ज करें जैसा कि संग्रहकर्ता द्वारा जारी फॉर्म 27D में दिखाया गया है।		
स्तम्भ संख्या	क्षेत्र का नाम	अनुदेश
2	संग्रहकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्या	कृपया संग्रहकर्ता का TAN दर्ज करें।
3	संग्रहकर्ता का नाम	कृपया संग्रहकर्ता का नाम दर्ज करें।
4 & 5	अग्रणीत अदावीकृत TCS (b/f)	कृपया अग्रणीत TCS का ब्यौरा दर्ज करें जिसके लिए पूर्ववत वर्षों में किसी क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है। क्रमशः स्तंभ 4 और स्तंभ 5 में उस वित्तीय वर्ष जिसमें TCS एकत्र किया गया था और TCS की राशि दर्ज करें। ध्यान दें: अग्रणीत अदावीकृत TCS [स्तंभ 4 और 5] और चालू वित्तीय वर्ष के TCS (स्तंभ 6) के विवरण
6	चालू वित्त वर्ष का TCS (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संग्रहित कर)	कृपया चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर संग्रहित कर की राशि दर्ज करें।
7	(5) या (6) की राशि का इस वर्ष दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष के कर के लिए समरूपी दावा किया जा रहा है)	कृपया उस TCS की राशि दर्ज करें जिसके लिए इस वर्ष क्रेडिट का दावा किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि सुसंगत आय के स्रोत में इस वर्ष
8	अग्रणीत की जा रही (5) या (6) की राशि	कृपया शेष क्रेडिट TCS की राशि दर्ज करें जिसे अग्रणीत वर्षों में अग्रणीत किया जा रहा है।

सत्यापन:

सत्यापन भाग में, कृपया विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और PAN दर्ज करें।

फर्म के मामले में, आय की विवरणी फर्म के प्रबंधन भागीदार द्वारा सत्यापित की जा सकती है। यदि प्रबंधन भागीदार किसी अपरिहार्य कारण से विवरणी को सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या कोई प्रबंधन भागीदार नहीं है, तो विवरणी को फर्म के किसी अन्य भागीदार द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, जो नाबालिग नहीं है।

सीमित देयता भागीदारी (LLP) के मामले में, आय की विवरणी LLP के निर्दिष्ट भागीदार द्वारा सत्यापित की जा सकती है। यदि निर्दिष्ट भागीदार किसी अपरिहार्य कारण से विवरणी को सत्यापित नहीं कर पाता है, या कोई निर्दिष्ट भागीदार नहीं है, तो विवरणी को LLP के किसी भी अन्य भागीदार द्वारा सत्यापन किया जा सकता है।

स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, आय की विवरणी को स्थानीय प्राधिकारी के मुख्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

किसी भी संघ के मामले में आय की विवरणी का सत्यापन संघ के किसी सदस्य या संघ के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि विवरणी और अनुसूचियों में दी गई जानकारी और कुल आय की राशि, कटौतियां, दावे और दिखाए गए अन्य विशिष्टताएं सत्य और सही हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों और आयकर नियम, 1962 के अनुसार हैं। कृपया ध्यान दें कि विवरणी में या संलग्न अनुसूचियों में मिथ्या बयान देना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 277 के अंतर्गत अभियोजन के लिए दायी होता है।

A.Y2021-22 के लिए ITR फार्म के लिए कारोबार कोड

क्षेत्र	उप - क्षेत्र	कोड
कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय उगाना और विनिर्मित करना	01001
	काँफी को उगाना और विनिर्मित करना	01002
	रबर को उगाना और विनिर्मित करना	01003
	बाजार बागवानी और उद्यान-कृषि की विशेषता	01004
	रेशम के कीड़ों को इकट्ठा करना और रेशम का उत्पादन करना	01005
	मधुमक्खियों को इकट्ठा करना और शहद का उत्पादन करना	01006
	कुक्कुट पालन इकट्ठा करना और अंडों का उत्पादन	01007
	भेड़ का पालन और ऊन का उत्पादन	01008
	पशु-पालन और पशु उत्पादों का उत्पादन	01009
	कृषि और पशुपालन सेवाएँ	01010
	मृदा संरक्षण, मृदा परीक्षण और मृदा विलवणीकरण सेवाएँ	01011
	शिकार, फंसाने और खेल प्रचार सेवाएँ	01012
	इमारती लकड़ी उगाना, वृक्षारोपण, पौधाशालाओं का प्रत्यक्ष और वन संभरण	01013
	तैल पत्तियों का एकत्रीकरण	01014
	अन्य जंगली उगने वाले पदार्थों को एकत्र करना	01015
	वानिकी सेवा के क्रियाकलाप, टिंबर क्रूजिंग, वनरोपण और पत्र-वनरोपण	01016
	लॉगिंग की सेवा के क्रियाकलाप, वन के अंदर लट्ठों का परिवहन	01017
	अन्य कृषि, पशुपालन या वानिकी गतिविधि की n.e.c.	01018
मछली पालन	अन्तर्देशीय जल में वाणिज्यिक आधार पर मछली पकड़ना	02001
	समुद्र और तटीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ना	02002
	मछली पालन	02003
	समुद्री सामग्री जैसे प्राकृतिक मोती, स्पंज, मूंगा भाटिका संग्रह	02004
	समुद्री और मीठा पानी की मछलीमार, फिश हैचरी और फिश फॉर्म से संबंधित सेवाएँ	02005
	अन्य मत्स्य कृषि क्रियाकलाप n.e.c.	02006
खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और संकलन	03001
	लिग्नाइट का खनन और संकलन	03002
	नरम कोयले का निष्कर्षण और संकलन	03003

	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	03004
	सर्वेक्षण के अलावा तेल और गैस निष्कर्षण के पारंपरिक पेट्रोलियम निष्कर्षण	03005
	यूरैनियम और थोरियम अयस्कों का खनन	03006
	लौह अयस्कों का खनन	03007
	यूरैनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर गैर- फेरस धातु अयस्कों का खनन	03008
	रत्नों का खनन	03009
	रासायनिक और उर्वरक खनिजों का खनन	03010
	अपघर्षण पदार्थों के उत्खनन का खनन	03011
	अभ्रक, ग्रेफाइट और एस्बेस्टस का खनन	03012
	पत्थरों का उत्खनन (पंग्राफाइट/ग्रेनाइट/डोनाइट/रेन और मिट्टी)	03013
	अन्य खनन और उत्खनन	03014
	नमक का खनन और उत्पादन	03015
	अन्य खनन और उत्खनन n.e.c	03016
विनिर्माण	मांस और मांस उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और संग्रहण	04001
	मछली और मत्स्य उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और परिष्करण	04002
	वनस्पति तेल, पशु तेल और वसा का उत्पादन	04003
	फलों, सब्जियों और खाने योग्य मेवे का प्रसंस्करण	04004
	डेयरी उत्पादों का उत्पादन	04005
	चीनी का उत्पादन	04006
	कोको, चॉकलेट और शर्करा कंफेक्शनरी का निर्माण	04007
	फ्लोर मिलिंग	04008
	धान कटाई	04009
	दाल पिसाई	04010
	अन्य अनाज मिल उत्पादों का विनिर्माण	04011
	बेकरी उत्पादों का उत्पादन	04012
	स्टार्च उत्पादों का विनिर्माण	04013
	पशुओं के चारे का उत्पादन	04014
	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	04015
	वाइन का विनिर्माण	04016
	बीयर का विनिर्माण	04017
	माल्ट शराब का विनिर्माण	04018
	स्पिरिट्स का आसवन और सम्मिश्रण, एथिल अल्कोहल का उत्पादन	04019
	खनिज जल का विनिर्माण	04020
	सॉफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण	04021
	अन्य गैर मादक पेय पदार्थ का विनिर्माण	04022
	तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	04023
	वस्त्र का विनिर्माण (हथकरघा के अलावा)	04024
	हथकरघा का उपयोग करके वस्त्रों का विनिर्माण	04025

(खादी)	
कालीन, आसनों, कंबल, चादर, शॉल आदि का विनिर्माण (हाथ में विनिर्माण के अतिरिक्त)	04026
कालीन, आसनों, कंबल, शॉल आदि का विनिर्माण	04027
पहनने के वस्त्र का विनिर्माण	04028
चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग	04029
लगेज, हैंडबैग और इसी तरह के सैडलर और साज़-मन्ना का विनिर्माण	04030
जूते का विनिर्माण	04031
लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद, कॉर्क, स्ट्रा और प्लेटिंग सामग्री का विनिर्माण	04032
कागज और कागज उत्पादों का उत्पादन	04033
रिकार्डेड मीडिया का प्रकाशन, मद्रण और पनरुत्थान	04034
कोक भट्ठी उत्पाद का विनिर्माण	04035
परिष्कृत पेटोलियम उत्पादों का विनिर्माण	04036
परमाणु ईंधन का प्रसंस्करण	04037
उर्वरकों और नाइट्रोजन यौगिकों का विनिर्माण	04038
प्राथमिक रूप में प्लास्टिक और संश्लेषित रबर का विनिर्माण	04039
पेंट्स, वार्निश और इनके समरूप कोटिंग्स का विनिर्माण	04040
औषध रसायन, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	04041
साबन और डिटरजेंटों का विनिर्माण	04042
अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	04043
मानव निर्मित फाइबर का विनिर्माण	04044
रबर उत्पादों का विनिर्माण	04045
प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	04046
काँच और काँच के उत्पादों का विनिर्माण	04047
सीमेंट, चना और प्लास्टर का विनिर्माण	04048
कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर की मदों का विनिर्माण	04049
ईंटों का विनिर्माण	04050
मिट्टी और सिरामिक के अन्य उत्पादों का विनिर्माण	04051
अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	04052
पिग आयरन, स्पंज आयरन, डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन आदि का उत्पादन	04053
लोह मिश्रधातु का विनिर्माण	04054
सिल्लियाँ, बिलेट्स, ब्लूमस और स्लैब आदि का विनिर्माण	04055
स्टील उत्पादों का विनिर्माण	04056
सामान्य मल्यवान और नॉन-फेरस का विनिर्माण	04057
अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	04058
धातुओं की ढलाई	04059
कृत्रिम धातु उत्पादों का विनिर्माण	04060

इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	04061
पम्प और कंप्रेसर का विनिर्माण	04062
बेयरिंग और गियर का विनिर्माण	04063
तंदर और भट्टियों का विनिर्माण	04064
उठाने वाले और संचालन उपकरणों का विनिर्माण	04065
अन्य सामान्य प्रयोजन संयंत्रों का विनिर्माण	04066
कृषि और वानिकी संयंत्र का विनिर्माण	04067
मशीन टल्स का विनिर्माण	04068
धातुकर्म के लिए संयंत्रों का विनिर्माण	04069
खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए संयंत्र का विनिर्माण	04070
खाद्य और पेय पदार्थों के प्रसंस्करण के लिए संयंत्रों का विनिर्माण	04071
चमड़ा और वस्त्र के लिए मशीनरी का विनिर्माण	04072
हथियारों और गोला-बारूद का विनिर्माण	04073
अन्य विशेष प्रयोजन के लिए मशीनरी का विनिर्माण	04074
घरेलू उपकरणों का विनिर्माण	04075
कार्यालय, लेखाकरण और कंप्यूटिंग मशीनरी का विनिर्माण	04076
विद्युत संयंत्र और उपकरण का विनिर्माण	04077
रेडियो, टेलीविजन, संप्रेषण उपकरण और सामान का विनिर्माण	04078
चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों का विनिर्माण	04079
औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों का विनिर्माण	04080
मापन तथा जहाज़रानी उपकरणों तथा साधनों का विनिर्माण	04081
ऑप्टिकल उपकरणों का विनिर्माण	04082
घड़ियों और दीवार घड़ियों का विनिर्माण	04083
मोटर वाहनों का विनिर्माण	04084
मोटर वाहनों की बॉडी का विनिर्माण	04085
मोटर वाहनों और इंजन के पुर्जों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण	04086
जहाज़ों तथा नौकाओं का निर्माण तथा मरम्मत	04087
रेल लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक्स का निर्माण	04088
वाययान और अंतरिक्ष यान का विनिर्माण	04089
साइकिल का विनिर्माण	04090
अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	04091
फर्नीचर का विनिर्माण	04092
आभूषणों का विनिर्माण	04093
खेल के सामान का विनिर्माण	04094
संगीत उपकरणों का विनिर्माण	04095
खेलों और खिलौनों का विनिर्माण	04096
अन्य विनिर्माण n.e.c.	04097
धातु के अपशिष्ट और कचरे का पन:-चक्रण	04098

	गैर-धातु अपशिष्ट और स्क्रेप का पनर्चक्रण	04099
बिजली, गैस और जल	बिजली का उत्पादन, संग्रहण और वितरण	05001
	गैस का विनिर्माण और वितरण	05002
	पानी का संग्रहण, शोधन और वितरण	05003
	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा n.e.c.	05004
निर्माण	साइट तैयार करने का काम	06001
	संपर्क निर्माण या भागों का निर्माण - सिविल ठेकेदार	06002
	भवन संस्थापन	06003
	निर्माण को पूरा करना	06004
	सड़कों, पटरियों, पुलों, सुरंगों, पत्तन, बंदरगाहों, विमान पटरियों आदि का निर्माण तथा अन्वेषण	06005
	बिजली संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव	06006
	औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण तथा अनुरक्षण	06007
	विद्युत पारेषण और दूरसंचार लाइनों का निर्माण और अन्वेषण	06008
	जल मार्ग और जल भंडारों का निर्माण	06009
	निर्माण के अन्य क्रियाकलाप n.e.c.	06010
ज़मीन ज़ायदाद और रेंटिंग सर्विसेज	लीज्ड बिल्डिंग की खरीद, बिक्री और किराये पर देना आवासीय तथा गैर-आवासीय	07001
	खुद के स्वामित्वाधीन वाले भवनों की ज़मीन ज़ायदाद का प्रचालन आवासीय तथा गैर-आवासीय	07002
	ज़मीन ज़ायदाद को लॉट में विकसित करना और उप-विभाजन करना	07003
	शुल्क या संविदा के आधार पर जमीन-जायदाद संबंधी क्रियाकलाप	07004
	अन्य जमीन-जायदाद/किरायादारी सेवाएं एन. ई. सी.	07005
संयंत्र को किराए पर देना	भूमि परिवहन उपकरणों का किराया	08001
	जल परिवहन उपकरणों को किराये पर देना	08002
	वायु परिवहन उपकरणों को किराये पर देना	08003
	कृषि मशीनरी और उपकरणों को किराये पर देना	08004
	निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग मशीनरी को किराये पर देना	08005
	कार्यालय मशीनरी तथा उपकरणों को किराये पर देना	08006
	अन्य संयंत्र और उपकरणों को किराये पर देना n.e.c.	08007
	निजी और घरेलू वस्तुओं को किराये पर देना n.e.c.	08008
	अन्य मशीनरी को किराये पर देना एन.ई.सी.	08009

थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों का थोक और खुदरा विक्रय	09001
	मोटर वाहनों की मरम्मत और अनरक्षण	09002
	मोटर पुर्जों तथा सहायक उपकरणों का थोक व खुदरा विक्रय	09003
	ऑटोमोटिव ईंधन की खुदरा बिक्री	09004
	सामान्य कमीशन एजेंट, कमोडिटी ब्रोकर और मीनपी करने वाले	09005
	कृषि के कच्चे माल की थोक बिक्री	09006
	भोजन और पेय पदार्थों और तंबाकू का थोक विक्रय	09007
	घरेलू सामान की थोक बिक्री	09008
	धातुओं और धातुओं के अयस्कों की थोक बिक्री	09009
	घरेलू सामान की थोक बिक्री	09010
	भवन निर्माण सामग्री की थोक बिक्री	09011
	हार्डवेयर और सेनिटरी फिटिंग की थोक बिक्री	09012
	कपास और जट की थोक बिक्री	09013
	कच्ची ऊन और कच्चे रेशम का थोक विक्रय	09014
	अन्य कपड़ा रेशों का थोक विक्रय	09015
	औद्योगिक रसायनों का थोक	09016
	उर्वरकों और कीटनाशकों की थोक बिक्री	09017
	इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	09018
	अन्य संयंत्र, उपकरण और आपूर्ति की थोक बिक्री	09019
	पुनः चक्रण के लिए कचरे, कबाड़ तथा सामग्री की थोक बिक्री	09020
	विशेष स्टोर में खाद्य, पेय और तंबाकू का खुदरा विक्रय	09021
	विशिष्ट स्टोरों में अन्य माल का खुदरा विक्रय	09022
	गैर-विशिष्ट स्टोर में खुदरा विक्रय	09023
	कपड़ा, परिधान, जूते, चमड़े के माल का खुदरा विक्रय	09024
	अन्य घरेलू उपकरणों का खुदरा विक्रय	09025
	हार्डवेयर, पेंट और कांच का खुदरा विक्रय	09026
	अन्य उत्पादों की थोक बिक्री n.e.c	09027
	अन्य उत्पादों का खुदरा विक्रय n.e.c	09028
होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य सेवाएं	होटल - स्टार रेट किया गया	10001
	होटल - नॉन-स्टार रेटेड	10002
	मोटल्स, इन्न और धर्मशालाएं	10003
	गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस	10004
	शैक्षिक संस्थानों में छात्रावास और हॉस्टल	10005
	कम समय के लिए रुकने के लिए आवास n.e.c.	10006
	रेस्टोरेंट- बार के साथ	10007
	रेस्टोरेंट - बिना बार के	10008
	कैन्टीन	10009
	स्वतंत्र कैटरर्स	10010

	कैसीनो और मौके के अन्य खेल	10011
	अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं n.e.c.	10012
ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेवाएं	टैवल एजेंसियां तथा टर ऑपरेटर	11001
	पैकर्स और मोवेर्स	11002
	पैसेंजर लैंड ट्रांसपोर्ट	11003
	वायु परिवहन	11004
	शहरी/उप-शहरी रेलवे द्वारा परिवहन	11005
	अंतर्देशीय जल परिवहन	11006
	समुद्र और तटीय जल परिवहन	11007
	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	11008
	रेलमार्ग द्वारा मालभाड़ा परिवहन	11009
	मालभाड़ा अग्रेषण	11010
	मालभाड़ा प्राप्त करना और स्वीकृति	11011
	कार्गो हैंडलिंग	11012
	भंडारण और वेरहाउसिंग	11013
	पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन [गैस, द्रव, घोल तथा अन्य वस्तुओं का परिवहन]	11014
	अन्य परिवहन और लॉजिस्टिक्स सर्विसेस n.e.c	11015
डाक तथा दूरसंचार सेवाएं	डाक और करियर गतिविधियाँ	12001
	बेसिक दूरसंचार सेवाएं	12002
	मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं	12003
	दूरसंचार नेटवर्क का रखरखाव	12004
	केबल ऑपरेटरों के क्रियाकलाप	12005
	अन्य डाक एवं दूरसंचार सेवाएं एन.ई.सी.	12006
वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और डिस्काउंट हाउस	13001
	ऋण प्रदान करने वाले विशिष्ट संस्थान	13002
	फाइनेंशियल पटटा	13003
	हायर-पर्चेस फाइनांसिंग	13004
	आवास वित्त के क्रियाकलाप	13005
	कमर्शियल लोन के क्रियाकलाप	13006
	क्रेडिट कार्ड	13007

	म्युचुअल फंड	13008
	चिट फंड	13009
	निवेश के क्रियाकलाप	13010
	जीवन बीमा	13011
	पेंशन निधि	13012
	गैर-जीवन बीमा	13013
	वित्तीय बाजारों का प्रबंधन	13014
	स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर और संबंधित क्रियाकलाप	13015
	वित्तीय सलाहकार, गिरवी सलाहकार तथा ब्रोकर	13016
	विदेशी विनिमय सेवाएं	13017
	अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं एन.ई.सी.	13018
कम्प्यूटर तथा संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	14001
	अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी	14002
	डाटा प्रासेसिंग	14003
	इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के डेटाबेस क्रियाकलाप और विज्ञान	14004
	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	14005
	BPO सेवाएं	14006
	साइबर कैफे	14007
	कार्यालय, लेखाकरण और कंप्यूटिंग मशीनरी का भ्रमण और मरम्मत	14008
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थान	14009
	संसंगणना संबंधी अन्य सेवाएं n.e.c.	14010
अनुसंधान तथा विकास	प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग	15001
	सामाजिक विज्ञान और मानविकी	15002
	अन्य अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप एन.ई.सी.	15003
व्यवसाय	लीगल प्रोफेशन	16001
	लेखाकरण, बहीखाता बनाना, और लेखा परीक्षा व्यवसाय	16002
	कर परामर्श	16003
	वास्तुकला व्यवसाय	16004
	इंजीनियरिंग और तकनीकी कंसल्टेंसी विज्ञापन	16005
	फैशन डिजाइनिंग	16006
	आंतरिक सज्जा	16007
	फोटोग्राफी	16008
	नीलामी करने वाले	16009
	बिजनेस ब्रोकरेज	16010
	बाजार अनुसंधान और सार्वजनिक राय मतदान	16011
	कारोबार और प्रबन्ध परामर्श क्रियाकलाप	16012
	श्रमिक भर्ती तथा कार्मिक का उपबंध	16013
	अन्वेषण तथा सुरक्षा सेवाएं	16014
		16015

	बिल्डिंग की सफाई और औद्योगिक सफाई के विभाग/व्यापार	16016
	पैकेजिंग गतिविधियाँ	16017
	सचिवीय क्रियाकलाप	16018
	चिकित्सा संबंधी व्यवसाय	16019_1
	फिल्म कलाकार	16020
	अन्य व्यावसायिक सेवाएं	16019
शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	17001
	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	17002
	तकनीकी और व्यावसायिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	17003
	उच्च शिक्षा	17004
	पत्राचार द्वारा शिक्षा	17005
	कोचिंग सेंटर और टयशन	17006
	अन्य शिक्षण सेवाएं	17007
स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	18001
	स्पेशलिटी और अति विशेषज्ञता अस्पताल	18002
	नर्सिंग होम	18003
	निदान केंद्र	18004
	पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी	18005
	स्वतंत्र ब्लड बैंक	18006
	चिकित्सा ट्रांसक्रिप्शन	18007
	स्वतंत्र एंबलेंस सेवाएं	18008
	चिकित्सा संबंधी आपूर्तिकर्ता, एजेंसी तथा दकानें	18009
	चिकित्सा क्लीनिक	18010
	डेंटल प्रैक्टिस	18011
	आयुर्वेदा प्रैक्टिस	18012
	यनानी प्रैक्टिस	18013
	होमियोपैथी अभ्यास	18014
	नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट या अन्य पैरा-मेडिकल पैक्टिस	18015
	वेटनरी हॉस्पिटल्स और प्रैक्टिस	18016
	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा	18017
	चिकित्सा सम्बन्धी अनसंधान	18018
	अन्य वैकल्पिक चिकित्सा का अभ्यास	18019
	अन्य स्वास्थ्य सेवाएं	18020
सामाजिक और सामुदायिक कार्य	आवास के साथ सामाजिक कार्य क्रियाकलाप (अनाथालय और वृद्धाश्रम)	19001
	बिना आवास के सामाजिक कार्य क्रियाकलाप (क्लीन)	19002
	उदयोग संघ, चेम्बर ऑफ कॉमर्स	19003
	व्यावसायिक संस्थाएं	19004

	व्यापार संघ	19005
	धार्मिक संगठन	19006
	राजनीतिक संगठन	19007
	अन्य सदस्यता संगठन एन.ई.सी. [रोटरी क्लब, पावर क्लब तथा टिकट संगठन क्लब	19008
	अन्य सामाजिक तथा सामदायिक सेवाएं	19009
संस्कृति और खेल	मोशन पिक्चर प्रोडक्शन	20001
	फिल्म वितरण	20002
	फिल्म प्रयोगशालाएं	20003
	टेलीविजन चैनल उत्पादन	20004
	टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्ट	20005
	वीडियो उत्पादन और वितरण	20006
	ध्वनि रिकॉर्डिंग स्टूडियो	20007
	रेडियो - रिकॉर्डिंग और वितरण	20008
	स्टेज प्रोडक्शन और संबंधित क्रियाकलाप	20009
	लेखक को छोड़ कर व्यक्तिगत कलाकार	20010
	साहित्यिक क्रियाकलाप	20011
	अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप	20012
	सर्कस तथा रेस टैंक	20013
	वीडियो पार्लर	20014
	न्यज एजेंसी के क्रियाकलाप	20015
	पुस्तकालय और अभिलेखागार के क्रियाकलाप	20016
	संग्रहालय क्रियाकलाप	20017
	ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों का संरक्षण	20018
	बॉट निकल और जलॉजिकल गार्डन्स	20019
	खेल सविधाओं का परिचालन तथा अनुरक्षण	20020
	खेलों तथा खेल के स्कूलों के क्रियाकलाप	20021
	आंतरिक/बाहरी खेलों का संगठन तथा प्रचालन खेलों के कर्मचारियों का प्रबंधन तथा उत्पादन	20022
	खेलकद प्रबंधन	20023_1
	खेल के अन्य क्रियाकलाप n.e.c.	20023
अन्य मनोरंजक गतिविधियां एन.ई.सी.	20024	
अन्य सेवाएँ	हेयर ड्रेसिंग और अन्य ब्यटी ट्रीटमेंट	21001
	अन्त्येष्टि तथा संबंधी क्रियाकलाप	21002
	मैरिज ब्यरो	21003
	पालत पशु देखभाल सेवाएँ	21004
	सौना और स्टीम बाथ, मसाज सलन आदि।	21005
	ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक क्रियाकलाप	21006
	घरेलू कर्मचारियों के नियोक्ता के रूप में निजी परिवार	21007
	इवेंट प्रबंधन	21008_1
	अन्य सेवाएं n.e.c.	21008

अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन और निकाय	अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन तथा निकाय [IMF, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग आदि]	22001
सहकारी समिति के क्रियाकलाप	अपने सदस्यों को बैंकिंग/ऋण सविधाएं कटीर उदयोग	23001 23002
	अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि-उपज का विपणन	23003
	अपने सदस्यों को आपूर्ति के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आवश्यक कृषि उपकरण, बीज, पशुधन या	23004
	बिजली की सहायता के बिना, अपने सदस्यों की कृषि उपज का प्रसंस्करण।	23005
	अपने सदस्यों के श्रम का सामहिक निपटान	23006
	अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के प्रयोजन के लिए मकली प्रकटन या मदबद्ध क्रियाकलाप।	23007
	ऐसी प्राथमिक सहकारी समिति जो उनके सदस्यों द्वारा उगाए गए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल या सब्जियों को दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करने वाली संघीय सहकारी समिति के साथ लगी हुई केंद्र, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित सरकार/स्थानीय	23008
	80P(2a) या 80P(2b) में विनिर्दिष्ट के अलावा अन्य उपभोक्ता सहकारी समिति	23009
	80P(2a) या 80P(2b) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के अलावा अन्य में शामिल अन्य सहकारी समिति	23010
	अन्य सहकारी समिति में निवेश से ब्याज/लाभांश	23011
	भंडारण, प्रसंस्करण/वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए गोदामों/ वेयरहाउस को किराये पर देने से	23012
	होर दए	23013
	संघीय दग्ध सहकारी समिति	23014

*n.e.c. - अन्य जगहों पर वर्गीकृत नहीं है

उपाबंध 1

ITR उपयोगिता (ऑनलाइन या ऑफलाइन) में आय की विवरणी फ़ाइल करते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

त्रुटि की प्रवर्ग के आधार पर ITR के लिए e-Filing/CPC के अंत में सत्यापन प्रक्रिया की जानी है। प्रवर्ग A दोष वे दोष हैं, जिसमें विवरणी को अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कर दाता को त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा और प्रवर्ग B/D दोष वे दोष हैं, जिसमें विवरणी को अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी और कर दाता को चेतावनी संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

ITR 5 के लिए नियमों की सूची नीचे दी गई है:

Sl. no	प्रवर्ग	नियमों का विवरण	मैपिंग
1)	A	sl.no 2d में अनुभाग VI A में 80-IA क्षेत्र में दावा किया गया मूल्य sl.no 2f में अनुभाग 80-IA में मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	यदि अनुभाग VI-A की कतिपय आय के संबंध में भाग C-कटौती की पद्धति संसगणना क्षेत्र (2d) में मूल्य अनुसूची 80IA की क्रम संख्या (f) में राशि से उच्चतर है।
2)	A	धारा 80-IA के तहत कटौती का sl.no.2d के "अनुसूची VI-A" में दावा किया गया है लेकिन "अनुसूची 80-IA" में दर्ज नहीं है।	यदि अनुभाग VI-A की कतिपय आय के संबंध में भाग C-कटौती की पद्धति संगणना क्षेत्र (2d) में मूल्य शून्य से अधिक है तो अनुसूची 80IA को अवश्य भरा जाना चाहिए।
3)	A	"अनुसूची 80-IA" में अनुभाग 80-IA के तहत कुल कटौती [a + b + c + d + e] में दर्ज किए गए मूल्य के	यदि क्षेत्र f पर मूल्य क्रम संख्या (a + b + c + d + e) की राशि के बराबर नहीं है
4)	A	अनुभाग VI A में 80-IB क्षेत्र में दावा किया गया मूल्य अनुभाग 80-IB के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	यदि अनुभाग VI-A की कतिपय आय के संबंध में भाग C-कटौती की पद्धति संसगणना क्षेत्र (2d) में मूल्य क्रम संख्या (j) में राशि से अधिक है।
5)	A	धारा 80-IB के तहत कटौती का "अनुसूची VI-A" में दावा किया गया है लेकिन "अनुसूची 80-IB" नहीं भरी जा सकती है।	यदि अनुभाग VI-A की कतिपय आय के संबंध में भाग C-कटौती की पद्धति संसगणना क्षेत्र (g) में मूल्य शून्य से अधिक है तो अनुसूची 80-IB को अवश्य भरा जाना चाहिए।
6)	A	अनुसूची 80-IB का योग सभी अलग-अलग पंक्ति के मदों के योग के बराबर होना चाहिए अर्थात (a से i का	यदि क्षेत्र j पर मूल्य क्रम संख्या a से i के योग के बराबर नहीं है
7)	A	अनुभाग VI A में 80-IC या 80IE क्षेत्र में दावा किया गया मूल्य अनुभाग 80-IC या 80IE के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है।	यदि अनुभाग VI-A की कतिपय आय के संबंध में भाग C-कटौती की पद्धति संसगणना क्षेत्र (i) में मूल्य अनुसूची 80-IC/ 80-IE की क्रम संख्या (e) में राशि से अधिक है।

8)	A	धारा 80-IC/IE के तहत कटौती का "अनुसूची VI-A" में दावा किया गया है लेकिन "अनुसूची 80-IC/IE" नहीं	यदि अनुभाग VI-A में भाग C-कटौती की क्षेत्र (i) में पद्धति संसगणना मूल्य शून्य से अधिक है तो अनुसूची 80IC/80-IE को अवश्य भरा जाना चाहिए।
9)	A	Schedule 80-IC/80IE sl. no e should be equal to sum of sl. no. a to dh	यदि क्षेत्र e पर मान, क्रम संख्या a +b+c+dh के योग के बराबर नहीं है
10)	A	अनुसूची 80-IC या 80IE क्रम संख्या dh, क्रम संख्या (da+db+dc+dd+de+df+dg) के योग के बराबर होनी	यदि क्षेत्र dh पर मूल्य क्रम संख्या (da+db+dc+dd+de+df+dg) के योग के बराबर नहीं है।
11)	A	कॉलम "कटौती के लिए पात्र राशि" के तहत "अनुसूची 80P" Sl.no. 11 अनुसूची OS की Sl.No (1a+ 1bii) के योग	अनुभाग 80P sl.no. 11 में- "कटौती के लिए पात्र राशि" bfla के अनुभाग OS की क्रम संख्या 1a+ अनुसूची OS+ 5(ii) के 1bii से अधिक है।
12)	A	धारा 80p के तहत कटौती केवल निम्नलिखित के लिए अनुमति है "प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और, ग्रामीण विकास बैंक, अन्य सहकारी समिति"	सहकारी समिति के अलावा निर्धारित प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक सहकारी कृषि समिति और ग्रामीण विकास बैंक और अन्य सहकारी समितियां जो धारा 80P ((2(n) अनुसूची VI-A) में भाग C के पद्धति संसगणना मूल्य के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं / अनुसूची BP की धारा 44AD(36(i) के तहत) प्रस्तुत आय धारा 80P के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं
13)	A	अनुसूची 80P में, धारा 80P(2a) या 80P(2b) में निदिष्ट के अलावा धारा 80P(2)(c)(i) उपभोक्ता सहकारी समिति के तहत दावा की गई कटौती रु. 100000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है	अनुसूची 80P में, sl.no. 9 पर 80P(2a) या 80P(2b) में विनिर्दिष्ट के अलावा अनुभाग 80P(2)(c)(i) उपभोक्ता सहकारी समिति के तहत दावा की गई कटौती रु. 100000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है

14)	A	अनुसूची 80P में, sl.no.10 पर अनुभाग 80P(2)(c)(ii) में दावा की गई कटौती रु. 50000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है	अनुसूची 80P में, 80P(2a) या 80P(2b) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के अलावा अन्य में शामिल 80P(2)(c)(ii) अन्य सहकारी समिति की दावा की गई कटौती रु. 50000 से अधिक नहीं हो सकती है
15)	A	अनुसूची 80P में, धारा sl.no. 12 पर 80P(2)(e) का सकल कुल आय में शामिल किराये की आय पर दावा किया जा सकता है	अनुसूची 80P में, 80P(2)(e) sl.no.10 : आय स्तंभ में मूल्य पर वस्तुओं के स्टोरेज, प्रसंस्करण/विपणन की सुविधा के लिए गोदाम/वेयरहाउस को किराये पर देने से आय BFLA के (ii5) +BFLA की क्रम संख्या (i5) के मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है
16)	A	अनुभाग 80P(2)(f) अन्य-धारा के तहत कटौती की अनुमति केवल तभी होगी जब सकल कुल आय रु. 20000 से कम या उसके बराबर हो और OS और गृह संपत्ति आय में ब्याज आय से	अनुभाग 80P(2)(f) अन्य-धारा के तहत कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब सकल कुल आय रु. 20000 से कम या उसके बराबर हो और sl.no. 1b में अनुभाग OS में ब्याज के स्तर तक और अनुसूची BFLA के 5i पर गृह संपत्ति तक हो।
17)	A	"अनुसूची IF" में स्तंभ "लाभ में शेयर की राशि" का योग अलग-अलग स्तंभ में दर्ज मूल्य के योग के बराबर होना	शेयर की कुल राशि का योग लाभ में सभी इंटीज के योग के बराबर नहीं है
18)	A	अनुसूची EI में, sl.no. 5 अनुसूची PTI की sl.no 1(iv)(a+b+c) में राशि के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची EI में क्रम संख्या 6 5, अनुसूची PTI की क्रम सं.1(iv)(a+b+c) की शुद्ध आय/हानि स्तंभ, कारोबार न्यास / निवेश निधि के सभी नामों के खिलाफ राशि के योग के बराबर नहीं है
19)	A	"अनुसूची EI में, '6' "कुल" पर मूल्य (1+2(v)+3+4+5) के मूल्य के बराबर होना	अनुसूची EI Sl.no. 6 Sl.no 1+2+3(v)+4+5 के योग के बराबर नहीं है

20)	A	"अनुसूची EI में, '2v' "वर्ष के लिए शुद्ध कृषि आय" पर मूल्य (i - ii - iii + iv) के मूल्य के बराबर होना चाहिए	अनुसूची EI Sl.no. 2v Sl.no i - ii - iii + iv के बराबर नहीं है टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब क्रम संख्या i-ii-iii+iv का आउटपुट धनात्मक या 0 के बराबर होगा।
21)	A	"अनुसूची EI में, '2iv' "नियम 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) और 8" से संबंधित कृषि आय पर मूल्य, "अनुसूची की क्रम संख्या 39 के बराबर होना	अनुसूची EI क्रम. 2 (iv) नियम 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) और 8 से संबंधित कृषि आय का हिस्सा अनुसूची बीपी की क्रम संख्या 39 के बराबर नहीं है।
22)	D	यदि शुद्ध कर दायित्व AMT (यानी, sl.no. 3 = sl.no. 1d) के अनुसार है, तो फॉर्म 29C दाखिल करना आवश्यक है	यदि अनुसूची B-TTI में क्रम संख्या 1d, क्रम संख्या 2g के अधिक है तो फॉर्म 29C दाखिल किया जाएगा
23)	A	अनुसूची AMT में, अनुभाग 115JC के तहत Sl.no. 4 देय कर AMT की Sl.no. 3 के 9% के बराबर होना चाहिए, जहां sl.no. 4 पर मूल्य > 0	यदि फ्लैग y है तो "चाहे निर्धारित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है" है तो क्रम संख्या 4 पर मूल्य अनुसूची AMT की क्रम संख्या 3 के 9% के बराबर नहीं है नोट: + 5 और - 5 को राउंड ऑफ करें ध्यान दें: यह नियम तभी लागू होता है जब sl.no पर मूल्य 4 > 0 हो
24)	A	अनुभाग 115JC के अंतर्गत देय कर IFSC इकाई के भीतर निर्धारितियों के लिए अनुसूची AMT में क्रम संख्या 3 के 18.5% के बराबर	Sl.no. 4 Sl.no.3 के 18.5% के बराबर नहीं है और IFSC फ्लैग 'N' है। नोट: + 5 और - 5 को राउंड ऑफ करें ध्यान दें: यह नियम तभी लागू होता है जब sl.no 4 > 0 पर मूल्य हो
25)	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '1a' पर मूल्य अनुभाग 115JC के अंतर्गत मान्य कुल आय पर देय कर Sl.no.4 पर मूल्य अनुसूची AMT में "अनुभाग 115JC के अंतर्गत देय कर"	बिंदु 1a में मूल्य -भाग B-TTI की धारा 115JC के तहत मान्य कुल आय पर देय कर, अनुसूची AMT के 4 के बराबर नहीं है नोट : यदि 115BAD फ्लैग को भाग A जेनरल में हां के रूप में चुना जाता है, तो 1a "0" के बराबर होना चाहिए

26)	A	<p>"भाग B-TI" में, Sl.no '4' "पूर्व वर्षों में सन्दत कर के अनुभाग 115JD के तहत क्रेडिट" पर मूल्य" अनुसूची AMTC (तभी लागू होता है जब भाग B TI के 2g पर मूल्य भाग B TI के 1d से अधिक है) के Sl.no.5 पर मूल्य के बराबर होना चाहिए</p>	<p>भाग B TI में, बिंदु 4 में मूल्य- धारा 115JD के तहत पिछले वर्षों में सन्दत कर का क्रेडिट निम्न है के बराबर नहीं</p> <p>अनुसूची AMTC के बिंदु 5 में मूल्य</p> <p>नोट : यह नियम तभी लागू होता है जब 2g भाग B TI में 1d से अधिक हो।</p> <p>नोट : यदि 115BAD फ्लैग को भाग A जेनरल में हां के रूप में चुना जाता है, तो 4 "0" के बराबर होना चाहिए</p>
27)	A	<p>"अनुसूची AMT में", क्षेत्र sl.no.1 का मूल्य "भाग B TI के 13" के मूल्य के बराबर होना चाहिए</p>	<p>"अनुसूची AMT में", Sl.no. 1 भाग BTI के Sl.no 13 के बराबर नहीं है</p> <p>नोट : यदि अनुसूची AMT के sl.no.1 पर मूल्य > 0 है तो इसकी जांच करें।</p> <p>यदि sl.no.1 पर मूल्य < =0 है, तो भाग BTI का Sl.no.13 "0" के बराबर होना चाहिए</p> <p>नोट : यदि भाग A सामान्य में 115BAD "हाँ" है, तो AMT का sl.no.1 0 के बराबर होना चाहिए</p>
28)	A	<p>अनुसूची AMT में, Sl.no.2a भाग BTI के sl.no.9-sl.no.10 के अधीन अनुसूची VIA के sl.no.'d' से sl.no.'m' के सिस्टम संगणित मूल्यों के योग के</p>	<p>अनुसूची AMT का Sl.no.2a अनुसूची VIA के 'd' से 'm' (BFLA के 55ii) के अधीन के योग 'm' के बराबर नहीं है</p> <p>नोट : यदि भाग A सामान्य में 115BAD "हाँ" है, तो AMT का sl.no.2a 0 के बराबर होना चाहिए</p>
29)	A	<p>अनुसूची AMT में, Sl.no.2b भाग BTI के sl.no.12a पर धारा 10AA के तहत कुल कटौती के बराबर नहीं है</p>	<p>अनुसूची AMT का Sl.no.2b BFLA के 5(ii) के अंतर्गत भाग BTI के sl.no.12a के बराबर नहीं है</p> <p>नोट : यदि भाग A सामान्य में 115BAD "हाँ" है, तो AMT का sl.no.2b 0 के बराबर होना चाहिए</p>
30)	A	<p>"अनुसूची AMT में, फील्ड '2d' "कुल समायोजन" का मूल्य "2a+2b+2c" के योग के बराबर होना चाहिए</p>	<p>अनुसूची AMT में, अनुभाग 115JC(2) के अनुसार Sl.no. 2d समायोजन Sl.no.2a+2b+2c के योग के बराबर नहीं है</p> <p>नोट : यदि भाग A सामान्य में 115BAD "हाँ" है, तो AMT का sl.no.2d 0 के बराबर होना चाहिए</p>

31)	A	“अनुसूची AMT में”, फील्ड '3' का मूल्य “धारा 115JC(1) के तहत समायोजित कुल आय” "Sl.no.1 + Sl.no.2d" के मूल्य के बराबर होना	अनुसूची AMT में, अनुभाग 115JC के अंतर्गत Sl.no.3 समायोजित कुल आय Sl.no.1 +2d के योग के बराबर नहीं है नोट : यदि भाग A सामान्य में 115BAD “हाँ” है, तो AMT का sl.no.3 0 के बराबर होना चाहिए
32)	A	“अनुसूची AMTC” में, फील्ड '1' “निर्धारण वर्ष 2020-21 में धारा 115JC के तहत कर” का मूल्य “भाग-B-TTI के	In Schedule AMTC, Sl.no1 is not equal to Sl.no1d of Part BTTI
33)	A	“अनुसूची AMTC” में, फील्ड 2 “निर्धारण वर्ष 2020-21 में अधिनियम के अन्य अनुबंधों के अंतर्गत कर” पर मूल्य “भाग-B-TTI के 2g” के	अनुसूची AMTC में, Sl.no. 2 भाग BTTI के Sl.no. 2g के बराबर नहीं है
34)	A	“अनुसूची AMTC” में क्षेत्र sl.no.3 “कर की राशि जिसके विरुद्ध क्रेडिट उपलब्ध है” पर मूल्य (Sl.no.2 - Sl.no.1)के मूल्य	अनुसूची ए.एम.टी.सी में, Sl.no. 3 Sl.no.2-1 के बराबर नहीं है, जब क्रमांक 2, 1 से अधिक है
35)	A	अनुसूची AMTC में, Sl.no. 3 Sl.no. 2-1 के बराबर होना	अनुसूची AMTC में, जब Sl.no. 2 1 से कम या उसके बराबर होता है, तो Sl.no. 3 शून्य के बराबर नहीं होता है
36)	A	“अनुसूची AMTC” में, sl.no.5 पर मूल्य चालू निर्धारण वर्ष (C) के दौरान स्तम्भ "वर्तमान निर्धारण वर्ष के दौरान उपयोजित AMT क्रेडिट" क्षेत्र "4xi" "कुल"	Sl.no. 5 मद संख्या 4c के कुल (पंक्ति xi) के बराबर नहीं है नोट : यदि 115BAD फ्लैग को भाग A सामान्य में हाँ के रूप में चुना जाता है, तो sl.no.5 “0” के बराबर होना चाहिए
37)	A	“अनुसूची AMTC” में, Sl.no.6 पर मूल्य स्तम्भ “अग्रणीत अतिशेष AMT क्रेडिट (D)” के Sl.no.4xi “कल” पर मूल्य के बराबर	AMTC में, Sl.no. 6 मद संख्या 4D के कुल (पंक्ति xi) के बराबर नहीं है नोट : यदि 115BAD फ्लैग को भाग A सामान्य में हाँ के रूप में चुना जाता है, तो sl.no.6 “0” के बराबर होना चाहिए

38)	A	AMT को sl.no.4 पर संगणित करना चाहिए जहां धारा 115JC(2) के तहत कुल आय समायोजित है यदि AOP/BOI/AJP के लिए ऐसी समायोजित कुल आय 20 लाख रुपये से अधिक होती है।	यदि स्थिति को AOP/BOI/AJP के रूप में चुना जाता है और क्रम संख्या 3 20 लाख से अधिक है और क्रम संख्या 2a या 2b या 2c शून्य से अधिक है और AMT की क्रम संख्या 4 शून्य से अधिक नहीं है नोट : यदि 115BAD फ्लैग को भाग A सामान्य में हाँ के रूप में चुना जाता है, तो sl.no.4 "0" के बराबर होना चाहिए
39)	A	AMT को sl.no.4 पर संगणित करना चाहिए, जहां फर्म के लिए कुल आय धारा 115JC(2) के तहत संगणित है।	यदि स्थिति को फर्म के रूप में चुना जाता है और क्रम संख्या 2a या 2b या 2c शून्य से अधिक है और AMT की क्रम संख्या 4 शून्य से अधिक नहीं है
40)	A	अनुसूची AMTC में, sl.no.B2(x) पर पूर्वतर निर्धारित वर्षों में सेट ऑफ निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दावाकत नहीं किया जा	अनुसूची AMTC में निर्धारण वर्ष 2020-21 2021-22 के लिए क्रम संख्या 4(B2) शून्य से अधिक है
41)	A	"भाग B- TTA" में, Sl.no '2b' पर मूल्य अनुसूची-SI के स्तम्भ (ii) "उस पर कर(ii)" फील्ड पर "कुल" मूल्य के	भाग B TTA क्रम संख्या 2b, अनुसूची SI के कुल कर (ii) स्तंभ (ii) के बराबर (समरूप) नहीं है

42)	A	<p>अनुसूची OS के 2c में प्रदान की जाने वाली आय DTAA के अधीन अनुसूची SI में तदनु रूप अनुभाग के तहत प्रदान की जाने वाली आय से मेल खाना चाहिए</p>	<p>अनुसूची SI में प्रदान की जाने वाली विशेष आय की राशि और अनुसूची OS क्रम संख्या 2c के तदनु रूप ड्रॉप डाउन में प्रदान की जाने वाली राशि बराबर नहीं होती है</p> <p>(नए अनुभाग जोड़े गए। कृपया नए अनुभागों को भी लागू करें)</p> <p>नोट : यदि भाग A जेनरल में स्थिति अनिवासी है: अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में संदर्भित है, बशर्ते अनिवासी के मामले में TRC फ्लैग "Y" हो।</p> <p>यदि भाग A जेनरल में स्थिति निवासी है: अप्रासंगिक TRC फ्लैग, अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में निर्दिष्ट है</p>
43)	A	<p>अनुसूची OS के 2d में प्रदान की जाने वाली आय DTAA के अधीन अनुसूची SI में तदनु रूप अनुभाग के तहत प्रदान की जाने वाली आय से मेल खाना चाहिए</p>	<p>अनुसूची SI में प्रस्तुत की गई विशेष आय की राशि और अनुसूची OS क्रम संख्या 2d के समरूपी ड्रॉप डाउन में प्रदान की जाने वाली राशि बराबर नहीं होती है</p> <p>(नए अनुभाग जोड़े गए। कृपया नए अनुभागों को भी लागू करें)</p> <p>नोट : यदि भाग A जेनरल में स्थिति अनिवासी है: अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में संदर्भित है, बशर्ते अनिवासी के मामले में TRC फ्लैग "Y" हो।</p> <p>यदि भाग A जेनरल में स्थिति निवासी है: अप्रासंगिक TRC फ्लैग, अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में निर्दिष्ट है</p>

44)	A	<p>अनुसूची OS में sl.no.2a 115BB पर मूल्य DTAA के अधीन अनुसूची SI में प्रदान की जाने वाली तदनुरूप आय से मेल खाना चाहिए</p>	<p>अनुसूची SI में धारा 115BB के तहत प्रदान की जाने वाली विशेष आय की राशि (लॉटरी, पहेली, दौड़, खेल आदि से जीती गई) अनुसूची OS की क्रम संख्या 2a में प्रदान की जाने वाली राशि के बराबर नहीं होती है</p> <p>नोट : यदि भाग A जेनरल में स्थिति अनिवासी है: अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में संदर्भित है, बशर्ते अनिवासी के मामले में TRC फ्लैग "Y" हो।</p> <p>यदि भाग A जेनरल में स्थिति निवासी है: अप्रासंगिक TRC फ्लैग, अनुसूची SI के प्रयोजन के लिए, इस प्रवर्ग के तहत प्रत्येक विशेष आय को DTAA आय को कम करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए जैसा कि दिए गए अनुभाग के तहत 2f में निर्दिष्ट है</p>
45)	A	<p>अनुसूची SI में ,115BBE (धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D के तहत आय), अनुसूची OS की क्रम संख्या 2b में दी गई संबंधित आय के साथ मेल खानी</p>	<p>अनुसूची SI में प्रस्तुत की गई धारा 115BBE के तहत (अनुभाग 68, 69, 69A, 69B, 69C या 69D के अंतर्गत आय) विशेष आय की राशि अनुसूची OS की क्रम संख्या 2b में प्रदान की जाने वाली राशि के बराबर नहीं होती है</p>
46)	A	<p>अनुसूची SI में, अनुसूची SI में प्रस्तुत की गई प्रमुख कारोबार या व्यवसाय के अंतर्गत धारा 115BBF के तहत विशेष आय अनुसूची BP की क्रम संख्या 3d में</p>	<p>धारा 115BBF के तहत विशेष आय की राशि (पेटेंट से आय पर कर)- प्रमुख कारोबार या व्यवसाय के अंतर्गत आय, अनुसूची SI में प्रदान की जाने वाली अनुसूची BP की क्रम संख्या 3d में प्रदान की जाने वाले राशि के बराबर नहीं होती है</p>
47)	A	<p>अनुसूची SI में, "115BBG पर आय अनुसूची BP की क्रम संख्या 3e में प्रदान की जाने वाले आय की राशि से मेल खानी चाहिए</p>	<p>धारा 115BBF के तहत विशेष आय की राशि (पेटेंट से आय पर कर)- प्रमुख कारोबार या व्यवसाय के अंतर्गत आय, अनुसूची SI में प्रदान की जाने वाली अनुसूची BP की क्रम संख्या 3d में प्रदान की जाने वाले राशि के बराबर नहीं होती है</p>

48)	A	<p>अनुसूची SI में, DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय, अनुसूची OS की क्रम संख्या 2f में दी गई संबंधित आय के साथ घेन जाती है</p>	<p>DTAA के अनुसार भारत में अनुसूची SI में प्रदान की गई विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की राशि अनुसूची OS की क्रम संख्या 2f में प्रदान की गई राशि के बराबर नहीं होती है (नए अनुभाग जोड़े गए। कृपया इन्हें कोडिंग में शामिल करें)</p>
49)	A	<p>स्तम्भ (ii) पर कर की राशि, OS DTAA, 112A , PTI-112A या अनुभाग 115 AD(1)(iii) - परन्तुक (शेयर्स और इकाइयों की ब्रिकी पर LTCG जिन पर STA सन्दत्त है, STCG -DTAA, LTCG-DTAA क्षेत्र) को छोड़कर उस स्तम्भ में वर्णित विशेष दरसे गुणा करके कराधेय आय के बराबर होनी चाहिए।</p>	<p>यदि स्तम्भ (ii) पर राशि उस पर कर कराधेय आय के बराबर नहीं है (*) DTAA के अनुसार फील्ड OS DTAA, STCG, DTAA और 112A और PTI 112A, अनुभाग 115AD(1)(iii) के अनुसार LTCG को छोड़कर विशेष दर- परन्तुक (शेयर्स और इकाइयों की ब्रिकी पर LTCG जिन पर STA सन्दत्त है)</p> <p>नोट : +100 और -100 को पूर्णांकित करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +1 और -1 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)</p> <p>(नए अनुभाग जोड़े गए। कृपया इन्हें कोडिंग में शामिल करें)</p>
50)	A	<p>अनुसूची SI में स्तम्भ (ii) में संगणित कर शून्य/अमान्य नहीं हो सकता है यदि स्तम्भ (i) में आय शून्य से अधिक है</p>	<p>अनुसूची एस.आई में, स्तम्भ कर उस पर (ii) शून्य है और स्तम्भ (i) में आय शून्य से अधिक है</p> <p>नोट : DTAA के अनुसार फील्ड OS DTAA, STCG, DTAA और 112A और PTI 112A, या अनुभाग 115AD(1)(iii) के अनुसार LTCG को छोड़कर- परन्तुक (शेयर्स और इकाइयों की ब्रिकी पर LTCG जिन पर STA सन्दत्त है)</p> <p>(नए अनुभाग जोड़े गए। कृपया इन्हें कोडिंग में शामिल करें)</p> <p>नोट : +100 और -100 को पूर्णांकित करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +1 और -1 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)</p>
51)	A	<p>धारा 111A के तहत, धारा 115AD(1)(ii) के तहत आय का योग- अनुसूची SI में 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में परन्तुक और पास थ्रू इनकम अनुसूची BFLA की क्रम</p>	<p>धारा 111A या अनुभाग 115AD(1)(ii) के तहत कुल आय - अनुसूची SI में 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में परन्तुक (MF उन्मुख शेयर्स/इक्विटी पर STCG जिस पर STA सन्दत्त है) और पास थ्रू इनकम अनुसूची BFLA की क्रम संख्या 5vi के बराबर नहीं होती है</p>

52)	A	<p>115AD धारा के तहत आय की राशि (प्रतिभूतियों पर FII के लिए STCG जहां STT का सन्दत्त नहीं किया गया है) और कम अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति से पास थ्रू आय अनुसूची SI में @ 30% प्रभार्य से अनुसूची BFLA की SI संख्या 5vii में</p>	<p>धारा 115AD के तहत कुल आय (प्रतिभूतियों पर FIIs के लिए STCG जहां STT संदत्त नहीं है) और अनुसूची SI में 30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू इनकम अनुसूची BFLA की क्रम संख्या 5vii के बराबर नहीं होती है</p>
53)	A	<p>धारा 112 के तहत आय की राशि (अन्य पर LTCG) और दीर्घकालिक के पूँजी लाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय, अनुसूची SI के स्तंभ (i) में @ 20% की दर से प्रभार्य अनुसूची BFLA के क्रम संख्या 5xi में समरूपी आय</p>	<p>धारा 112 के तहत कुल आय (अन्य पर LTCG), धारा 115E(a) के तहत विनिर्दिष्ट आस्तियों के अलावा अन्य किसी भी आस्ति पर किसी अनिवासी का अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ और अनुसूची SI में 20% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू इनकम अनुसूची BFLA की क्रम संख्या 5xi के बराबर नहीं होती है</p>

54)	A	<p>धारा के तहत आय की राशि</p> <p>(i) 112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर LTCG/सूचीबद्धन के बिना इकाइयां),</p> <p>(ii) 112(1)(c)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>(iii) 112A (शेयर्स की बिक्री पर LTCG जिस पर STT सन्दत्त है),</p> <p>(iv) 115AB(1)(b) (section 115AB में निर्दिष्ट इकाइयों पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>(v) 115AC(1)(c) (बॉन्ड्स/GDR पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>(vi) 115AD(1)(b)(iii)- FII के द्वारा LTCG,</p> <p>(vii) 115AD(b)(iii)-परंतुक (उन इकाइयों के विक्रय पर LTCG जिन पर STT का सन्दत्त किया जाता है),</p> <p>(viii) @ 10% प्रभार्य से दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय-112A धारा के तहत,</p> <p>(ix) धारा 112A के अलावा</p>	<p>आय का कुल</p> <p>धारा 112 के तहत आय परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/सूचीकरण के बिना इकाइयों पर LTCG),</p> <p>112(1)(c)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>112A (उन शेयर्स की बिक्री पर LTCG जिस पर STT सन्दत्त है),</p> <p>115AB(1)(b) (section 115AB में संदर्भित इकाइयों पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>115AC(1)(c) (बॉन्ड्स/GDR पर अनिवासी के लिए LTCG),</p> <p>115AD(1)(b)(iii)- FII द्वारा LTCG,</p> <p>115AD(b)(iii)-परंतुक (इकाइयों की विक्रय पर LTCG जिस पर STT का सन्दत्त किया जाता है),</p> <p>दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय धारा 112A के तहत @ 10 % की दर से प्रभार्य है,</p> <p>दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय @ 10 % की दर से प्रभार्य है, धारा 112A के अलावा अनुसूची SI, अनुसूची BFL के क्रम संख्या 5x के बराबर होना चाहिए</p> <p>नोट : +2/-2 पूर्णांकन करना। (यानी यदि XML में मूल्य अस्थायी परिकलित मूल्य के 2/- से अधिक/कम तक है, तो xml को प्रतिबंधित नहीं करता है)</p>
55)	A	<p>अनुसूची SI की आय (i) का योग व्यक्तिगत मद की राशि</p>	<p>(i) पर सभी विशेष आयों के योग को अनुसूची SI में कुल आय के साथ मेल खाना चाहिए</p>
56)	A	<p>"उस पर कर" (ii) पर विशेष आयों पर सभी कारों के योग को व्यक्तिगत रेखा मदों के</p>	<p>(ii) पर विशेष आय पर सभी करों का योग अनुसूची SI में कुल कर से मेल खाना चाहिए</p>

57)	A	अनुसूची VIA में क्रम सं 3, भाग BTI के sl.no.9 - sl.no.10 के अधीन क्रमसंख्या 1 और 2 के योग	अनुसूची VIA में क्रम संख्या 3 क्रम संख्या 1&2 के योग के बराबर नहीं है टिप्पणी : भागत: BTI में (Sl.no.9 - Sl.no.10) के मूल्य तक सीमित करें यदि $(9-10) > 0$ है, अन्यथा 0 तक सीमित रखें।
58)	A	अनुसूची VIA में क्रम संख्या 1"भाग B के तहत कुल कटौती $(a + b + c + d)$ ", भाग BTI के sl.no.9-sl.no.10 के अधीन क्रम संख्या a"80G"+ क्रम संख्या b"धारा 80GGA"+ क्रम संख्या c "धारा	अनुसूची VIA में क्रम संख्या 1 क्रम संख्या a से c के कुल के बराबर नहीं है टिप्पणी : भागत: BTI में (Sl.no.9 - Sl.no.10) के मूल्य तक सीमित करें यदि $(9-10) > 0$ है, अन्यथा 0 तक सीमित रखें।
59)	A	धारा 80-IAC के तहत कटौती का दावा सिर्फ LLP द्वारा किया जा सकता है।	स्थिति "LLP के अलावा" चुनी गई है लेकिन अनुसूची VI-A में भाग C का Sl.No.2(f): 80-IAC शून्य से अधिक है।
60)	A	80P का दावा सिर्फ निर्धारित द्वारा किया जा सकता है "प्राथमिक कृषि ऋण समिति/ प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होने के नाते /	VIA में क्रमांक संख्या 2(n) के पद्धति संगणित मूल्य की राशि शून्य से अधिक है और उप स्थिति को 'के अलावा' चुना गया है "प्राथमिक कृषि ऋण समिति/प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या भाग A सामान्य 1 में अन्य सहकारी समिति"
61)	D	भाग BTI में, sl.no.11b पर मूल्य का दावा किया जा सकता है यदि धारा 139(1) के तहत मूल विवरणी नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल की गई है	sl.no.11b पर भाग BTI मूल्य > 0 है और अध्याय VIA में का मूल्य $(Sl.no.2c - 80JJAA$ पद्धति संगणना कटौती) > 0 और विवरणी दाखिल करने की तिथि विवरणी दाखिल करने की तिथि के बाद की है (अपलोड नियम के प्रयोजन के लिए, नियत तिथि की जाँच के बजाय 139(4) लें। PFA_B प्रयोजन के लिए, ITR में चयनित फ्लैग के आधार पर देय तिथि परिभाषित करें और फिर यदि ITR दाखिल करने की तिथि निर्धारित तिथि के बाद है तो PFA_B ट्रिगर करें।)

62)	D	अनुसूची VI-A में, धारा 80LA या 80LA (1) के तहत कटौती की तभी अनुमति होगी जब फॉर्म 10CCF दाखिल किया गया हो	भाग BIA में sl.no.11b>0 और अनुसूची VI-A, "भाग -C कतिपय आय के संबंध में कटौती" के अंतर्गत, Sl.No.2.1 या 2.m में धारा 80LA या 80LA (1) के तहत फॉर्म 10CCF बिना भरे नियत तिथि के भीतर या विस्तारित नियत तिथि (i., 30th Sep 2021) के भीतर कटौती का दावा किया जाता है
63)	A	धारा 80GGA के तहत कटौती की अनुमति केवल उस निर्धारिती को दी जाएगी जिसकी कोई कारोबार आय नहीं है	यदि भाग BIA का 2(v) "0" से अधिक है या अनुसूची BP का Sl.no.D "0" के अलावा है और 80GGA के लिए अनुसूची VIA के क्रमांक संख्या 1b में पद्धति संगणित राशि शून्य से अधिक है 180
64)	A	अनुसूची BP में धारा 32(1)(ii) और 32(1)(iia) के तहत अनुज्ञेय अवक्षयण अनुसूची DEP के बिंदु संख्या	अनुसूची BP- बिंदु 12(i) "धारा 32(1)(ii) और 32(1)(iia) के तहत अनुमत अवक्षयण" का मूल्य, अनुसूची-DEP के मद 6 में मूल्य के बराबर नहीं है
65)	A	अनुसूची BP में क्रम संख्या A3a में घटाई गई राशि अनुसूची HP में दी गई आय से अधिक नहीं हो सकती है	अनुसूची BP में, पंक्ति संख्या A3a से आय कम की गई और अनुसूची HP के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाने का दावा किया गया, लेकिन प्राप्तियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। अनुसूची HP - सभी संपत्तियों का क्रम a + Sl.no.j * सभी संपत्तियों का 100/70 + Sl.no 2 (आय के माध्यम से पास करना) का धनात्मक मूल्य, अनुसूची BP A3a से घटाई गई राशि से कम है
66)	A	अनुसूची BP में, क्रम संख्या A3c में घटाई गई राशि अनुसूची OS में दी जाने वाली आय से अधिक नहीं हो सकती है	अनुसूची BP में, पंक्ति संख्या A3c "आय के अन्य शीर्षों के अंतर्गत आय/आवती लाभ और हानि के खाते में जमा की गई" - अन्य स्रोत का मूल्य, अन्य स्रोत की अनुसूची में 1a + 1b(1biv को नज़रअंदाज करें यदि 1biv ऋणात्मक है) + 1c + 1d + 1e एवं 2a + 2b + 2c + 2d + 8a की कुल राशि से अधिक है"

67)	A	अनुसूची BP में क्रम संख्या A5 में घटाई गई राशि अनुसूची EI में दी जाने वाली आय से अधिक नहीं हो सकती है	In Schedule BP, Total exempt income in A5 is more than the SUM of row no. 1,2(i),3, 4 & 5 in Exempt income Schedule + Column Amount of share in profits from schedule IF , if Sr.no 5a of schedule BP is greater than zero. यदि 2(i) (सकल कृषि प्राप्तियाँ) शून्य के बराबर है और शुद्ध कृषि आय (Sr.no 2iv) शून्य से अधिक है, तो अनुसूची EI में Sr.no 2(i) के बजाय Sr.no 2iv को जोड़ा जाना चाहिए
68)	A	अनुसूची BP में, sl.no.A6 पर मूल्य BP के sl.no.(1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4a - 4b - 4c - 5d) के मूल्य	अनुसूची BP के क्षेत्र A(6) पर मूल्य, क्रम संख्या (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4a - 4b - 4c - 5d) की राशि के बराबर होना चाहिए
69)	A	अनुसूची BP में, Sl.No.A.9. कुल Sl.No.7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a + 8b के मूल्य के बराबर होना	अनुसूची BP के क्षेत्र (A9) पर मूल्य, अनुक्रम संख्या (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a + 8b) के बराबर होना चाहिए।
70)	A	अनुसूची BP के क्षेत्र (A10) पर मूल्य, क्रम संख्या (6 + 9) के कुल योग के बराबर होना	अनुसूची BP के क्षेत्र (A10) पर मूल्य, क्रम संख्या (6+9) के कुल योग के बराबर होना चाहिए।
71)	A	अनुसूची BP के क्षेत्र (A13) पर मूल्य, अनुक्रम संख्या (10 + 11 - 12iii) की राशि के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची BP के क्षेत्र (A13) पर मूल्य, क्रमांक (10 + 11 - 12iii) के योग के बराबर होना चाहिए।
72)	A	अनुसूची BP के क्षेत्र (A26) पर मूल्य, क्रम संख्या A(14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) के योग के बराबर होना	अनुसूची BP में, Sl.No.A.26. Sl.No.A. के साथ कुल असंगत है (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
73)	A	अनुसूची BP के क्षेत्र (A34) पर मूल्य, क्रम संख्या A(27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) के योग के बराबर होना	अनुसूची BP के क्षेत्र (A34) पर मूल्य, क्रम संख्या A(27+28+29+30+31+32+33) के योग के बराबर होना चाहिए

74)	A	"अनुसूची BP" में, क्षेत्र (A14) पर मूल्य अनुसूची OI के SI.No. 6t मूल्य के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची BP के क्षेत्र (A14) पर मूल्य अनुसूची OI के SI.No. 6t मूल्य के बराबर होना चाहिए।
75)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A15 पर मूल्य 7j भाग-OI के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No.15. धारा 37 के तहत "अस्वीकृत सीमा तक मुनाफ़ा और हानि लेखा में डेबिट की गई राशि" और "SI.No.7.j. में दर्शाई गई राशि का कुल अनुसूची OI में धारा 37" के तहत अस्वीकृत सीमा की राशि का योग असंगत है।
76)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A16 पर मूल्य भाग-OI के 8Aj के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP के क्षेत्र (A16) पर मूल्य अनुसूची OI के SI.No. 8Aj पर मूल्य के बराबर होना चाहिए।
77)	A	null"अनुसूची BP" में क्षेत्र A17 पर मूल्य भाग A-OI के 9g के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP के क्षेत्र (A17) पर मूल्य अनुसूची भाग A- OI के SI.No. 9g पर मूल्य के बराबर होना चाहिए।
78)	A	क्षेत्र A18 में मूल्य "अनुसूची BP" में भाग-OI के 11h के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No.18. धारा 43B के तहत अस्वीकृत सीमा तक लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई कोई राशि और SI.No.11.h. में राशि। धारा 43B के तहत अस्वीकृत कुल राशि असंगत है
79)	A	In Schedule BP, value at field A21 should be equal to sum of 21(i) to 21(xii)	The value at field (A21) of schedule BP should be equal to the value at SI.No. 21(i) to 21(xii)

80)	A	In "Schedule BP" value at field A24 should be equal to sum of sl. no 24(a+b+c+d+e)	The value at field A24 of schedule BP should be equal to sum of sl. no 24 (a+b+c+d+e)
81)	A	अनुसूची BP में क्षेत्र A25 पर मूल्य अनुसूची OI के क्षेत्र 3a + 4d के योग के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची BP के क्षेत्र (A25) पर मूल्य, भाग A- OI के स्तम्भ 3a + 4d के कुल योग के बराबर होना चाहिए।
82)	A	अनुसूची BP में क्षेत्र A29 पर मूल्य अनुसूची ESR के स्तम्भ (4) के कुल के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची BP में, Sr.no 29. "धारा 35 या 35CCC या 35CCD के तहत लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई राशि से अधिक कटौती की राशि" और "अनुसूची ESR" SI.No.x "स्तम्भ (4)=(3)-(2)" में दर्शाई गई राशि असंगत है
83)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A30 पर मूल्य भाग-OI के 8B के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No.A30 "पूर्व के किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 40 के तहत अस्वीकृत कोई राशि लेकिन पूर्व के वर्ष के दौरान स्वीकार्य" और ऐसे भाग-B OI के SI.No.8में राशि "पूर्व के किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 40 के तहत अस्वीकृत कोई राशि लेकिन पूर्व के वर्ष के दौरान स्वीकार्य" असंगत हैं
84)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A31 पर मूल्य भाग A-OI के 10h के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No.31 "पूर्व के किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 43B के तहत अस्वीकृत कोई राशि लेकिन पूर्व के वर्ष के दौरान स्वीकार्य(भाग A-OI का 10h)" और SI.No.10.h में दर्शाई गई राशि का कुल।"धारा 43B (10a से 10g का कुल)" के तहत अनुज्ञेय कुल राशि असंगत हैं
85)	A	In schedule BP value at field A33 should be equal to sum of fields 3b + 4e of schedule OI.	In Schedule BP, Sl. No. A33 Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock and sum total of Column 3b + 4e of Part A- OI are inconsistent

86)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A35 पर मूल्य आय के मूल्य (13 + 26-34) के बराबर होना	अनुसूची BP में, SI.No.A.35. SI.No.A.(13+26-34) में दर्ज की गई आय और योग असंगत हैं
87)	A	In "Schedule BP" value at field A36(xii) should be equal to the sum of values at sl.no.36i to 36xi	अनुसूची BP में, SI.No.A.36xii और SI.No.A.36i से 36xi. तक में दर्ज की गई व्यक्तिगत राशि असंगत है
88)	A	In "Schedule BP" value at field A37 should be equal to the sum of values at sl.no. A35 + A36xii	अनुसूची BP में, SI.No.A.37 "सट्टा और निर्दिष्ट कारोबार के अलावा कारोबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि और "SI.No.A.(35 + 36xii)" में दर्ज की गई राशि का कुल असंगत है
89)	A	In "Schedule BP" of valued at A38 should be equal to the sum of values at sl.no. (38a + 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)	अनुसूची BP में, क्रम संख्या 38 पर सट्टा और निर्दिष्ट व्यवसाय के अलावा, कारोबार या व्यवसाय से निवल शुद्ध लाभ या हानि नियम 7A, 7B या 8 लागू करने के बाद कारोबार, यदि लागू हो तो (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f) के योग के बराबर होना चाहिए
90)	A	अनुसूची BP में, SI.No.43, SI.No.B.40+ B 41- B42 पर मूल्य के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची BP में, SI.No.43 "सट्टे के कारोबार से आय(यदि हानि हो तो आंकड़ों को अनुसूची CFL के 6xv तक लें)" SI.No के मूल्य के साथ असंगत है। B.40+ B 41- B42.
91)	A	"अनुसूची BP" में C47 पर मूल्य C(44+ 45-46) के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No C47 "विनिर्दिष्ट कारोबार से लाभ या हानि" और SI.No C (44+45-46) में दर्ज की गई राशि का कुल असंगत है।
92)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र C49 पर मूल्य C(47-48) के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No C49 "विनिर्दिष्ट कारोबार से आय" और SI.No C(47-48) में दर्ज की गई राशि का कुल असंगत है
93)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र (D) पर मूल्य क्रम संख्या A38+B43 + C49 के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची BP में, SI.No.D. "'कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ 'शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय' और SI.No A38+B43+C49 में दर्ज की गई राशि का कुल असंगत है टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब B43 और C49 के व्यक्तिगत मूल्य शून्य के बराबर या उससे अधिक हों।

94)	A	अनुसूची BP में, क्षेत्र A4a के मूल्य क्षेत्र A36 में संबंधित अनुभागों के लिए उल्लेखित	अनुसूची BP में, "क्रम संख्या A(4a)" पर मूल्य और "Sr.no A (36(i) से 36xi तक का मूल्य असंगत हैं।
95)	A	अनुसूची BP में क्षेत्र 11 "लाभ और हानि लेखा खाते से डेबिट किए गए अवक्षयण और परिशोधन" पर मूल्य विनिर्माण खाते के P एवं L खाते के sl.no.53 +	अनुसूची BP में, क्रम संख्या 11 लाभ और हानि लेखा खाते से डेबिट किए गए अवक्षयण और परिशोधन विनिर्माण खाते के sl.no. 53 + 1Evi पर अनुसूची P और L में दिखाए गए अवक्षयण की राशि के साथ असंगत है
96)	A	"अनुसूची BP" में क्षेत्र A39 पर मूल्य [4c-(38a+ 38b + 38c + 38d + 38e)] के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूचित BP में, A39, कृषि से मानद आय का अतिशेष, आय के संकलन के उद्देश्य से नियम 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) और नियम 8 लागू करने के बाद 4c-(38a+38b+38c+38d+38e) के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि [4c-(38a+38b+38c+38d+38e)] का परिणाम सकारात्मक है। टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक है, तो 39 को "0" के बराबर होना चाहिए।
97)	A	"अनुसूची BP" में कुल छूट प्राप्त आय के A(5d) (फर्म (फर्मों) से आय का हिस्सा + AOP/ BOI से आय का हिस्सा + कुल (ci + cii + ciii)) की राशि के बराबर होना	Sl no A5d should be equal to A(5a+5b+5cn)
98)	A	"अनुसूची BP" में तालिका E समायोजन के बाद कारोबार से आय (चालू वर्ष की आय)- (कारोबार से समायोजित हानि) के मूल्य के बराबर	क्रम संख्या F E कॉलम 3 अनुसूची BP में स्तम्भ 1-स्तम्भ 2 के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
99)	A	"अनुसूची BP" में, Ev क्षेत्र की मूल्य क्रम संख्या Eii+ Eiii+ Eiv के योग के बराबर होनी चाहिए।	क्रम संख्या Ev क्रम संख्या Eii+Eiii+ Eiv के योग के बराबर होना चाहिए (115B क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई JSON टैग नहीं हैं)

100	A	अनुसूची BP में क्रम संख्या Evi क्रम संख्या Ei-Ev के बराबर होना चाहिए	क्रम संख्या Evi कारोबार समायोजित हानि के स्तम्भ क्रमसंख्या Ei - Ev के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
101	A	अनुसूची BP में, क्रम संख्या 36(iii) अनुसूची P एवं L की क्रम संख्या 64(iv) के बराबर होना चाहिए	यदि क्रम संख्या 36(iii) अनुसूची P एवम् L की 64(iv) के बराबर नहीं है
102	A	अनुसूची BP में क्षेत्र 8b में मूल्य अनुसूची OI के क्षेत्र 16 के बराबर होना चाहिए।	ऐसे BP में Pt 8b "लाभ और हानि खाते से निकाले गए खर्च जो कर मुक्त और ना मंजूर आय से संबंधित हैं और धारा 14A के तहत अस्वीकृत हैं" को भाग A-OI के 16 के बराबर होना चाहिए
103	A	अनुसूची BP में, sl.no.50 पर विस्तृत कारोबार की प्रकृति का चयन किया जाना चाहिए यदि sl.no.C48 पर विस्तृत कारोबार से आय/हानि दर्ज	यदि क्रम संख्या C48 शून्य के बराबर नहीं है और sl.no C50 अमान्य है
104	A	अनुसूची BP में क्रम संख्या B40 Pt 2a "सट्टेबाजी कारोबार से शुद्ध लाभ या हानि" के बराबर होना	अनुसूची BP में क्रम संख्या B40 Pt 2a "सट्टे के कारोबार से शुद्ध लाभ या हानि" के बराबर नहीं है

105	A	If Income is declared under section 44AD/44ADA/44AE is greater than "Zero" at sl.no.36(i), 36(ii) and 36(iii), then Balance sheet particulars at "Regular books of accounts" or at "No accounts" (S.No C) is mandatory.	यदि अनुसूची BP में "S.No 36(i) (धारा 44AD) + S.No 36(ii) (धारा 44ADA) + S.No 36(iii) (धारा 44AE)" का कुल मूल्य "शून्य" से अधिक है और S.No. 4 तुलन पत्र में "धन के स्रोत" शून्य/अमान्य है और S.No. 6 "ऐसे मामले में जहाँ कारोबार या व्यवसाय की नियमित लेखा-बहियों का रखरखाव नहीं किया जाता है - (कारोबार या व्यवसाय के संबंध में 31 मार्च, 2020, तक निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)" तुलन पत्र में कोई भी क्षेत्र शून्य/अमान्य है
106	A	भाग A OI का Sl.no 3a अनुसूची ICDS के कॉलम 11a(iii) के बराबर होना	यदि भाग A OI की क्रम संख्या 3a अनुसूची ICDS के स्तम्भ 11a(iii) के बराबर नहीं है
107	A	भाग A OI का Sl.no 3b अनुसूची ICDS के स्तम्भ 11b(iii) के बराबर होना	यदि भाग A OI की क्रम संख्या 3b अनुसूची ICDS के स्तम्भ 11b(iii) के बराबर नहीं है
108	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.5a + 5b + 5c + 5d + 5e का योग Sl.No. 5f के	क्रम संख्या 5f अनुसूची OI में लाभ और हानि खाते में जमा कुल योग 5a+5b+5c+5d+5e के योग के बराबर होना चाहिए
109	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.6a से 6s तक का योग Sl.No. 6t के बराबर होना	यदि अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.6a से 6s का योग Sl.No. 6t के बराबर नहीं है
110	A	अनुसूची भाग A-OI में Sl.No.7j, 7a से 7i पर मूल्यों के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.7.j. धारा 37 के तहत (कुल 7a से 7i) कुल अस्वीकृति योग Sl.no.7a से Sl.No.7i तक के योग के बराबर नहीं है
111	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.8A.j. Sl.no.8A.a से Sl.No.8A.i के मूल्य के योग	यदि भाग A-OI का Sl.No. (8Aa से 8Ai तक), Sl.No. (8Aj) के बराबर नहीं है।

112	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.9.g, Sl.no. पर Sl.no.9a से Sl.No.9f के मूल्यों के योग के बराबर	यदि भाग A-OI के Sl.No. (9a से 9f) का योग, Sl.No. (9g) के बराबर नहीं है।
113	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.10h, Sl.no. पर Sl.no.9a से Sl.No.10g के मूल्यों के योग के बराबर	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.10.h, Sl.no.10a से Sl.No.10g तक बराबर नहीं है
114	A	अनुसूची भाग A-OI में, Sl.No.11h, Sl.no. पर Sl.no.11a से Sl.No.11g के मूल्यों के योग के बराबर	अनुसूची अनुभाग A-OI में, Sl.No.11h.धारा 43B के अंतर्गत कुल अस्वीकृत राशि Sl.no.11a से Sl.No.11g तक बराबर नहीं है
115	A	अनुसूची OI में, Sr.no 12i, Sr.no 12a से 12h तक के	अनुसूची OI में, Sr.no 12i Sr.no 12a से 12h तक के योग के बराबर नहीं है
116	A	यदि भाग A-OI में, क्रम संख्या sl.no.17 पर "क्या निर्धारित धारा 92CE के अनुभाग 2A के अंतर्गत विकल्प का प्रकूल कर रहा है" हाँ के रूप में चुना जाता	अनुसूची भाग A-OI में, क्रम संख्या 17 फ्लैग हाँ है और अनुसूची TPSA खाली/भरा नहीं है
117	A	अनुसूची DPM में क्रम संख्या 6 पर "अनुसूची DPM" में मूल्य (3+4-5) के बराबर होना चाहिए या अगर परिणाम नकारात्मक है तो	यदि क्षेत्र 6 पर मूल्य क्रम संख्या 3b+4-5 की राशि के बराबर नहीं है, यदि परिणाम सकारात्मक है। परिणाम नकारात्मक होने पर शून्य तक सीमित करें
118	A	अनुसूची DPM, परिणाम नकारात्मक होने पर क्रम संख्या 9 क्रम संख्या 7-8 के मूल्य के बराबर या 0 होना चाहिए।	यदि परिणाम नकारात्मक होने पर, यदि क्षेत्र 9 का मूल्य क्रम संख्या 7-8 या शून्य के अंतर के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि sl.no.7-8 सकारात्मक है और 3+4-5 नकारात्मक है, तो 9, 7-8+(3+4-5) के बराबर होना चाहिए यदि यह परिणाम सकारात्मक हो। यदि परिणाम नकारात्मक है, तो "0" के बराबर होना चाहिए
119	A	"अनुसूची DPM" में sl.no.15 पर कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14) के	अनुसूची DPM के क्षेत्र (15) का मूल्य, क्रम संख्या (10+11+12+13+14) के बराबर होना चाहिए।

120	A	"अनुसूची DPM" में यदि परिणाम नकारात्मक हो तो 17 शुद्ध कुलमिलाकर अवक्षयण (15-16) के योग के बराबर या "0" होना	यदि परिणाम नकारात्मक है तो अनुसूची DPM के क्षेत्र (17) पर मूल्य क्रम संख्या (15-16) के योग के बराबर या "0" होना चाहिए
121	A	यदि परिणाम नकारात्मक तो अनुसूची DOA में क्रम संख्या 6, (3+4-5) के बराबर या	यदि क्षेत्र 6 पर मूल्य क्रम संख्या 3+4-5 के योग के बराबर नहीं है। शून्य यदि परिणाम नकारात्मक है
122	A	यदि परिणाम नकारात्मक है तो अनुसूची DOA में क्रम संख्या 9, क्रम संख्या 7-8 के बराबर या 0 होना चाहिए	यदि परिणाम नकारात्मक होने पर, यदि क्षेत्र 9 का मूल्य क्रम संख्या 7-8 या शून्य के अंतर के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि sl.no.7-8 सकारात्मक है और 3+4-5 नकारात्मक है, तो 9, 7-8+(3+4-5) के बराबर होना चाहिए यदि परिणाम सकारात्मक हो। यदि परिणाम नकारात्मक है, तो "0" के बराबर होना चाहिए
123	A	"अनुसूची DOA" में कुल अवक्षयण (10 + 11) की	अनुसूची DOA में, क्षेत्र (12) पर मूल्य, क्रम संख्या (10+11) के योग के बराबर होना चाहिए।
124	A	"अनुसूची DPM" में यदि परिणाम नकारात्मक हो तो 14 शुद्ध कुल मिलाकर अवक्षयण [12-13] या "0" के	अनुसूची DOA में Sr.no 14, Sr.no 12-13 के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: परिणाम नकारात्मक होने पर "0" तक सीमित करें
125	A	"अनुसूची DEP" 1e में संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1a + 1b + 1c+ 1d) में दर्ज मूल्य के बराबर	क्रम संख्या 1e, 1a + 1b + 1c+1d के योग के बराबर होना चाहिए
126	A	"अनुसूची DEP" 2d में भवन पर कुल अवक्षयण (2a + 2b + 2c) के योग के बराबर होना	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 2d, क्रम संख्या 2a + 2b + 2c के योग के बराबर होना चाहिए
127	A	"अनुसूची DEP" 6 में कुल अवक्षयण (1d + 2d + 3 + 4 + 5) के योग के बराबर होना	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 6 क्रम संख्या 1e+2d+3+4+5 के कुल के बराबर होना चाहिए
128	A	अनुसूची DEP में sl.no.1a पर मूल्य "15% की दर से अवक्षयण के रूप में संयंत्र और मशीनरी" पर लागू मूल्य, अनुसूची DPM के	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 1a अनुसूची DPM की क्रम संख्या 17i के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी: यदि DPM की क्रम संख्या sl.no.18i में मूल्य > 0 है, तो DEP की क्रम संख्या DPM की क्रम संख्या Sl.no.1a DPM के sl.no.18ic के बराबर होनी चाहिए

		अनुसार क्रम संख्या 17i या 18i के बराबर होना चाहिए	
129	A	अनुसूची DEP में, sl.no.1b पर मूल्य " 30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार सयंत्र और मशीनरी" पर लागू मूल्य अनुसूची DPM के अनुसार क्रम संख्या 17ii या	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 1b अनुसूची DPM की क्रम संख्या 17ii के बराबर होनी चाहिए टिप्पणी: यदि DPM की क्रम संख्या sl.no.18ii में मूल्य > 0 है, तो DEP की क्रम संख्या Sl.no.1बी DPM की क्रम संख्या sl.no.18ii के समान होनी चाहिए
130	A	अनुसूची DEP में, sl.no.1c पर मूल्य "40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार सयंत्र और मशीनरी" पर मूल्य लागू अनुसूची DPM के अनुसार क्रम संख्या 17iii या	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 1c अनुसूची DPM की क्रम संख्या 17iii के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no.18iii में मूल्य > 0, तो DEP की Sl.no 1c, DPM की sl.no 18iii के समान होनी चाहिए
131	A	अनुसूची DEP, sl.no.1d "45% की दर से अवक्षयण होने वाले सयंत्र और मशीनरी" पर मूल्य लागू अनुसूची DPM के अनुसार क्रम संख्या 17iv या 18iv के	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 1d अनुसूची DPM की क्रम संख्या 17iv के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 18iv में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 1d, DPM की sl.no 18iv के समान होनी चाहिए
132	A	अनुसूची DEP, sl.no.2a " 5% की दर से अवक्षयण होने वाले भवन" पर मूल्य लागू अनुसूची DOA के अनुसार क्रम संख्या 14ii या	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 2a अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14ii के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15ii में मूल्य > 0, तो DEP की Sl.no 2a, DPM की sl.no 15ii के समान होनी चाहिए
133	A	अनुसूची DEP, sl.no.2b "10% की दर से अवक्षयण होने वाले भवन" पर मूल्य लागू अनुसूची DOA के अनुसार क्रम संख्या 14iii या	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 2b अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14iii के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15iii में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 2b, DPM की sl.no 15iii के बराबर होनी चाहिए

134	A	अनुसूची DEP, sl.no.2c पर " @ 40% की दर से अवक्षयण होने वाले भवन " का मूल्य लागू अनुसूची DOA क्रम संख्या 14iv या 15iv के बराबर होना चाहिए	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 2c अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14iv के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15iv में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 2c, DPM की sl.no 15iv के समान होनी चाहिए
135	A	अनुसूची DEP, sl.no.3 " फर्नीचर एवम् साजो-सामान " पर मूल्य अनुसूची DOA क्रम संख्या 14v या 15v के बराबर होना चाहिए	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 3 अनुसूची DOA की क्रमांक संख्या 14v के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15v में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 3, DPM की sl.no 15v के बराबर होनी चाहिए
136	A	अनुसूची DEP, sl.no.4 " अमूर्त परिसंपत्तियाँ " पर मूल्य लागू अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14vi या 15vi के बराबर होना चाहिए	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 4 अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14vi के बराबर होना चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15vi में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 4, DPM की sl.no 15vi के बराबर होना चाहिए
137	A	अनुसूची DEP, sl.no.5 " जहाज " पर मूल्य लागू अनुसूची DOA के क्रम संख्या 14vii या 15vii के बराबर होना चाहिए	अनुसूची DEP की क्रम संख्या 5 अनुसूची DOA की क्रम संख्या 14vii के बराबर होनी चाहिए नोट: यदि DPM की sl.no 15vii में मूल्य > 0 है, तो DEP की Sl.no 5, DPM की sl.no 15vii के बराबर होनी चाहिए
138	A	"अनुसूची DCG" में 1e का कुल (1a + 1b + 1c + 1d) के जोड़ के बराबर होना चाहिए	यदि sl संख्या 1e 1a + 1b + 1c + 1d के योग के बराबर नहीं है
139	A	"अनुसूची DCG" में 2d का कुल (2a + 2b + 2c) में दर्ज किए गए मूल्य के बराबर	यदि क्रम संख्या 2d क्रम संख्या 2a + 2b + 2c के जोड़ के बराबर नहीं है
140	A	"अनुसूची DCG" में sl.no.6 पर कुल 1e + 2d + 3 + 4 + 5 के जोड़ के बराबर होना	यदि sl संख्या 6, 1e+2d+3+4+5 के राशि के बराबर नहीं है
141	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.1a पर @15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DPM के sl.no.20i	अनुसूची DCG का क्रम संख्या 1a अनुसूची DPM के क्रम संख्या 20i के बराबर नहीं है

142	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.1b पर @ 30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DPM के sl.no.20ii के बराबर होना	1b अनुसूची DPM के sl संख्या 20ii के बराबर नहीं है
143	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.1c पर @ 40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DPM के sl.no.20iii के बराबर होना	अनुसूची DCG का sl संख्या 1c अनुसूची DPM के sl संख्या 20iii के बराबर नहीं है
144	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.1d पर @ 45 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DPM के sl.no.20iv के बराबर होना	अनुसूची DCG का sl संख्या 1d अनुसूची DPM के sl संख्या 20iv के बराबर नहीं है
145	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.2a पर @5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DOA के sl.no.17ii के बराबर होना	अनुसूची DCG की क्रम संख्या 2a अनुसूची DOA की क्रम संख्या 17ii के बराबर नहीं है
146	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.2b पर @10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DOA के sl.no.17iii के बराबर होना	अनुसूची DCG की क्रम संख्या 2b अनुसूची DOA की क्रम संख्या 17iii के बराबर नहीं है
147	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.2c पर @40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण होने वाले खण्ड का मूल्य अनुसूची DOA के sl.no.17iv के बराबर होना	अनुसूची DCG का sl संख्या 2c अनुसूची DOA के sl संख्या 17iv के बराबर नहीं है
148	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.3 पर फर्नीचर एवम् साजो-सामान अनुसूची DOA- 17v के बराबर होना	अनुसूची DCG की क्रम संख्या 3 अनुसूची DOA की क्रम संख्या 17v के बराबर नहीं है
149	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.4 पर अमूर्त परिसम्पत्तियां अनुसूची DOA- 17vi के बराबर होना	अनुसूची DCG का sl संख्या 4 अनुसूची DOA के sl संख्या 17vi के बराबर नहीं है

150	A	"अनुसूची DCG" में, sl.no.5 पर अपवाहन अनुसूची DOA- 17vii के बराबर होना	अनुसूची DCG की क्रम संख्या 5 अनुसूची DOA की क्रम संख्या 17vii के बराबर नहीं है
151	A	In Schedule CG Sl.no. A6e of STCG should be equal to the sl.no.6 of schedule - DCG	The Amount claimed in A6e of Schedule CG is NOT EQUAL TO value of pt. 6 of Sch DCG
152	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते"में प्रारम्भिक तालिका की कुल क्रम संख्या 1Aiii, 1Ai+1Aii	अनुसूची विनिर्माण खाते में प्रारम्भिक तालिका की कुल क्रम संख्या 1Aiii, 1Ai+1Aii के बराबर नहीं है
153	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते"में sl.no.1Div पर कुल प्रत्यक्ष व्यय 1Di+1Dii+1Diii पर मानों के राशि के बराबर	प्रत्यक्ष व्यय का कुल अनुसूची विनिर्माण खाते में 1Di+1Dii+1Diii के जोड़ के बराबर नहीं है
154	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते"में sl.no.1Evii पर कुल फैक्ट्री उपरिव्यय sl संख्या (ईआईईआई + ईआईआईआई + ईआईवी + ईवी + ईवी) के राशि के	क्रम संख्या 1Evii के अनुसार कुल फैक्ट्री उपरी व्यय अनुसूची विनिर्माण खाते में क्रम संख्या (Ei+Eii+Eiii+Eiv+Ev+Evi) के कुल जोड़ के बराबर नहीं है
155	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते"में sl.no.1F पर विनिर्माण खाते में कुल विकलन (Aiii + B + C + D + Evii) के जोड़ के	क्रम संख्या 1F के अनुसार अनुसूची विनिर्माण खाते में कुल विकलन क्रम संख्या 1(Aiii+B+C+D+Evii) के बराबर नहीं है।
156	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते" में, sl.no.2 पर कुल अंतिम भंडार sl.no.2i +2ii पर मानों के राशि के बराबर होना	भाग A विनिर्माण खाते में 2i+2ii का योग sl संख्या .2 के राशि से असंगत है
157	A	विनिर्माण खाते में, क्रम संख्या 3 पर मूल्य 1F-2 के बराबर होना चाहिए	क्रम संख्या 3 "व्यापार खाते में हस्तांतरित की गई उत्पादित माल की लागत" 1F-2 के बराबर होनी चाहिए
158	A	अनुसूची विनिर्माण खाते में, sl.no.1 और sl.no.2 में ऋणात्मक मूल्यों की	यदि विनिर्माण खाते में क्रम संख्या 3 के अलावा किसी क्षेत्र में मूल्य ऋणात्मक है, तो नियम ट्रिगर होना चाहिए

159	A	व्यापार खाते में, sl.no.4Aiii(c) पर मूल्य 4Aiii(a) + 4Aiii(b) के बराबर होना	भाग A -विनिर्माण खाते में sl.no. 4Aiii(a)+4Aiii(b) का जोड़ क्रम संख्या 4Aiii(c) में मूल्य के संगत नहीं है
160	A	भाग A-ट्रेडिंग खाते में, SI.No. 4A(iv) का "कुल (i + ii + iii)", क्रम संख्या .4A(i)+4A(ii)+4A(iii) के	भाग A -ट्रेडिंग खाते में- क्रम संख्या .4A(i)+4A(ii)+4A(iii) का योग और क्रम संख्या 4A(iv)पर मूल्य समरूप नहीं हैं
161	A	भाग A-व्यापार खाते में,SI.No.4A(Cix) को sl संख्या 4Ci+4Cii+4Ciii+4Civ+4Cv+4Cvi+4Cvii+4Cviii के कुल के बराबर होना चाहिए	भाग A-व्यापार खाते में क्रम संख्या 4Cix में कुल "शुल्क, कर और उपकर प्राप्त या बिक्री या आपूर्ति किया गया माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्य" का कुल क्रम संख्या 4Ci+4Cii+4Ciii+4Civ+4Cv+4Cvi+4Cvii+4Cviii के बराबर नहीं है
162	A	भाग A- व्यापार खाते SI.No 4D में -परिचालन (Aiv + B + Cix) से कुल राजस्व (Aiv + B + Cix) के जोड़ के बराबर	SI संख्या 4D से प्राप्त कुल राजस्व (Aiv + B + Cix) के बराबर नहीं है
163	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते"में sl.no.9 पर प्रत्यक्ष व्यय का कुल 9i+9ii+9iii के जोड़ के	क्रम संख्या 9 में प्रत्यक्ष व्यय 9i+9ii+9iii के जोड़ के बराबर नहीं है।
164	A	"अनुसूची विनिर्माण खाते" '10' में, कुल (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi) के जोड़ के बराबर	SI संख्या 10xii के अनुसार खरीदा गया माल और सेवाओं के संबंध में शुल्क और कर, सन्दत या देय, 10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi के राशि के बराबर हैं
165	A	व्यापार खाते में, क्रम संख्या 12 पर मूल्य क्रम संख्या (6-7-8-9-10xii-11) के जोड़ के बराबर होना चाहिए	व्यापार/व्यवसाय से सकल लाभ - क्रम संख्या 12 के अनुसार लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित क्रम संख्या (6-7-8-9-10xii-11) के बराबर नहीं है।
166	A	भाग A व्यापार खाता, क्रम संख्या 11और/या 12 के अलावा ऋणात्मक मूल्यों की	यदि व्यापार खाते के क्रम संख्या 11और/या 12 के अलावा क्षेत्र में मूल्य ऋणात्मक है तो नियम को ट्रिगर होना चाहिए

167	A	भाग A व्यापार खाते के "क्रम संख्या 11" का मूल्य भाग A विनिर्माण खाते की क्रम संख्या 3 के बराबर होना चाहिए	यदि भाग A व्यापार खाते की "क्रम संख्या 11" का मूल्य भाग A विनिर्माण खाते की क्रम संख्या 3 के बराबर नहीं है
168	A	भाग A P&L में क्रम संख्या 13 एवं भाग A व्यापार खाते की क्रम संख्या 12 के बराबर होना चाहिए	भाग A P&L में क्रम संख्या 13 एवं भाग A व्यापार खाते की क्रम संख्या 12 के बराबर होना चाहिए
169	A	लाभ और हानि खाते में Sl.No. 14.xic, Sl.No. 14.x.(ia + ib) के जोड़ के	अनुसूची भाग A -P & L में, Sl.No. 14.xic, Sl.No. 14.x.(ia + ib) के जोड़ के बराबर होना चाहिए
170	A	अनुसूची भाग A -P & L में, sl.no.14, 14(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+xic) के मूल्यों के जोड़ के	अन्य आय की राशि क्रम संख्या 14 अनुसूची भाग A - P & L में अन्य आय पर अलग-अलग क्षेत्रों (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+xic) के जोड़ के बराबर नहीं है
171	A	"अनुसूची A-P&L" में क्रम संख्या 15, 13+14xii के	भाग A P&L क्रम संख्या 15, 13+14xii के जोड़ के बराबर होनी चाहिए
172	A	भाग A- P और L, यदि Si संख्या 22xii a हाँ है तो Si संख्या 22xii b शून्य या अमान्य या रिक्त नहीं हो	यदि क्रम संख्या 22xii a हाँ है और क्रम संख्या 22xii b लाभ और हानि खाते में शून्य या अमान्य या रिक्त है
173	A	भाग A-P&L में, क्रम संख्या .22i से 22x तक मूल्य SR.NO 22xi के बराबर होना	क्रम संख्या 22xi लाभ और हानि खाते में कर्मचारियों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति 22i से 22x के जोड़ के बराबर होना चाहिए
174	A	अनुसूची लाभ और हानि लेखा में, Sr.no 23i से 23iv तक मूल्य Sr.no 23v	क्रम संख्या 23v बीमा पर कुल व्यय लाभ और हानि खाते में क्रम संख्या 23i + 23ii + 23iii + 23iv) के जोड़ के बराबर होना चाहिए
175	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, क्रम संख्या 30iii कमीशन क्रम संख्या 30i+30ii के बराबर होना	क्रम संख्या 30iii लाभ और हानि खाते में कमीशन क्रम संख्या (30i+30ii) के बराबर होना चाहिए
176	A	"अनुसूची A-P&L" में क्रम संख्या 31iii रॉयल्टी क्रम संख्या 31i+31ii के	क्रम संख्या 31iii रॉयल्टी लाभ और हानि खाते में क्रम संख्या 31i+31ii के बराबर होनी चाहिए

177	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, क्रम संख्या 32iii क्रम संख्या 32i+32ii के बराबर	लाभ और हानि खाते में क्रम संख्या 32iii क्रम संख्या 32i+32ii के बराबर होना चाहिए
178	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, क्रम संख्या 44x क्रम संख्या 44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix के जोड़ के	क्रम संख्या 44x लाभ और हानि खाते में कुल दर और सन्दत या देय कर क्रम संख्या 44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix के जोड़ के बराबर होना चाहिए
179	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, क्रम संख्या 47 अन्य व्यय 47i+47ii+47n के जोड़	क्रम संख्या 47 अन्य व्यय लाभ और हानि खाते में 47i+47ii+47n के जोड़ के बराबर होना चाहिए
180	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में '48(iv)' कुल इबंत ऋण (48i + 48ii + 48iii) के जोड़ के बराबर होना	अनुसूची भाग A-P और L में, इबंत ऋणों, क्रम संख्या 48i + 48ii + 48iii में दर्ज की गई राशि का योग, Sl.No.48.iv के कुल के समरूप होगा। कुल इबंत ऋण
181	A	[15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)] के जोड़ के बराबर होना चाहिए	भाग A P&L, क्रम संख्या 51, क्रम संख्या [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)] के जोड़ के बराबर होनी चाहिए
182	A	अनुसूची P&L में sl.no.52iii पर कुल ब्याज "Sl.No. 52.ia+52ib+52ia+52iib" के बराबर होना चाहिए	अनुसूची भाग A-P&L में, ब्याज की राशि, Sl.No. 52.ia+52ib+52ia+52iib में दर्ज की गई राशि और Sl.no.52.iii में दर्शाई गई राशि का कुल 52(ia+ib+ia+iib) असंगत है।
183	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, sl.no.54 पर मूल्य (51 – 52iii – 53) के जोड़ के	भाग A P&L, क्रम संख्या 54 कर से पहले शुद्ध लाभ क्रम संख्या (51 – 52iii – 53) के बराबर होना चाहिए।
184	A	फर्म के अलावा अन्य द्वारा दावा किए गए लाभ और हानि में sl.no.46 पर भागीदारों को सन्दत	यदि स्थिति फर्म या LLP के अलावा है और P&L की क्रम संख्या 46 शून्य से अधिक है
185	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में '57' कर के बाद मुनाफ़ा (54 – 55 – 56) के	क्रम संख्या 57 कर के बाद मुनाफ़ा 54 - 55 - 56 के बराबर होना चाहिए।

186	A	"अनुसूची भाग A-P&L" में, sl.no.59 पर मूल्य 57	भाग A P&L, क्रम संख्या 59 विनियोग हेतु उपलब्ध राशि 57 + 58 के बराबर होनी चाहिए।
187	A	भाग A P&L, क्रम संख्या 61 स्वामी के खाते में तुलन पत्र के लिए ले जाया गया अतिशेष क्रम संख्या 59-60 के बराबर होना चाहिए	क्रम संख्या 61 स्वामी के खाते में तुलन पत्र के लिए ले जाया गया अतिशेष क्रम संख्या 59-60 भाग A P&L के बराबर होना चाहिए
188	A	भाग A P&L में, क्रम संख्या 62(i) कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ क्रम संख्या 62ia + 62ib के जोड़	क्रम संख्या 62(i) कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ क्रम संख्या 62ia + 62ib के जोड़ के बराबर होनी चाहिए
189	A	भाग A P&L में, क्रम संख्या 62(ii) धारा 44AD के तहत प्रकल्पित आय क्रम संख्या 62iia + 62iib के जोड़	क्र सं 62(ii) धारा 44AD के तहत प्रकल्पित आय, सं 62iia + 62iib की राशि के बराबर होनी चाहिए
190	A	लाभ और हानि खाते में क्षेत्र 62(ii)(a), क्षेत्र 62(i)(a) के 6% से कम नहीं हो सकता है।	क्र सं 62iia, क्र सं 62ia में राशि से 6% से कम नहीं होना चाहिए। नोट : -100 का पूर्णांकन करें (अर्थात् यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से 100/- तक कम है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)
191	A	लाभ और हानि खाते में क्षेत्र 62(ii)(b), क्षेत्र 62(i)(b) के 8% से कम नहीं हो सकता है।	क्र सं 62iib, क्र सं 62ib में राशि से 8% से कम नहीं होना चाहिए नोट : -100 का पूर्णांकन करें (अर्थात् यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से 100/- तक कम है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)
192	A	लाभ और हानि खाते में धारा 44AD के तहत क्रम संख्या sl.no(62iib) पर दावा की गई आय क्रम संख्या sl.no 62(ib) पर सकल प्राप्तियों से	भाग A P&L - क्र सं 62ib, 62iib से कम है
193	A	लाभ और हानि खाते में धारा 44AD के तहत क्रम संख्या sl.no 62 (iia) पर दावा की गई आय क्रम संख्या sl.no 62(ia) पर सकल प्राप्तियों से	भाग A P&L - क्रम संख्या 62ia, 62iia से कम है

194	A	लाभ और हानि खाते में क्षेत्र 63(ii) पर मूल्य क्षेत्र 63(i) के 50% से कम नहीं हो सकता।	क्रम संख्या 63ii क्रम संख्या 63i की राशि के 50% से कम नहीं हो सकता है नोट : -100 का पूर्णांकन करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से 100/- तक कम है, तो xml को प्रतिबंधित न करें।)
195	A	लाभ और हानि खाते में, क्रम संख्या sl.no 62(i) और क्रम संख्या sl.no 62 (ii) में धारा 44AD के तहत घोषित आय के लिए क्रम संख्या sl.no 62 पर धारा 44AD के तहत	P&L के भाग A में, यदि "कारोबार संहिता" धारा 44AD के तहत चुनाव किया गया और क्षेत्र 62(i) और/या 62(ii) में आय शून्य/ अमान्य है
196	A	यदि लाभ और हानि खाते में 62(i) और/या 62(ii) शून्य से अधिक है तो निर्धारिती द्वारा व्यापार का नाम भरा जाना	यदि क्रम संख्या 62 व्यापार का नाम रिक्त है और क्रम संख्या 62(i) और/या 62(ii) शून्य से अधिक है
197	A	लाभ और हानि लेखा में, क्रम संख्या sl.no.63(i) और क्रम संख्या 63(ii) में धारा 44AD के तहत घोषित आय के लिए क्रम संख्या sl.no.63 पर धारा 44AD के तहत व्यापार	भाग A P&L में, यदि "कारोबार संहिता" धारा 44ADA के तहत चयन किया जाता है और क्षेत्र 63(i) और/या 63(ii) पर आय शून्य/ अमान्य है
198	A	लाभ और हानि खाते में, sl.no.63 पर निर्धारिती द्वारा व्यवसाय का नाम भरा जाना चाहिए यदि 63(i) और/या	यदि क्रम संख्या 63 व्यवसाय का नाम रिक्त है और क्रम संख्या 63 (i) और/या 63(ii) शून्य से अधिक है
199	A	लाभ और हानि खाते में, धारा 44AE के तहत घोषित आय के लिए sl.no.64 पर धारा 44AE के तहत व्यापार	यदि भाग A P&L में धारा 44AE के तहत "व्यापार संहिता" को चयन किया गया है और क्षेत्र 64(i) और/या 64(iii) में आय शून्य या अमान्य है
200	A	लाभ और हानि लेखा में, यदि 64(ii) शून्य से अधिक है तो निर्धारिती द्वारा व्यापार का	यदि क्रम संख्या 64 व्यापार का नाम रिक्त है और क्रम संख्या 64 (ii) शून्य से अधिक है
201	A	लाभ और हानि खाते में, क्रम संख्या 63i, 63ii से अधिक	भाग A P&L - क्रम संख्या 63i, 63ii से अधिक है

202	A	यदि क्रम संख्या 36(i) अनुसूची P&L 62 (ii) के बराबर नहीं है	यदि क्रम संख्या 36(i) अनुसूची P&L 62 (ii) के बराबर नहीं है
203	A	यदि क्रम संख्या 36(ii) अनुसूची P&L 63(ii) के बराबर नहीं है	यदि क्रम संख्या 36(ii) अनुसूची P&L 63(ii) के बराबर नहीं है
204	A	यदि क्रम संख्या 36(iii) अनुसूची P&L 64 (iv) के बराबर होना चाहिए	यदि क्रम संख्या 36(iii) अनुसूची P&L 64 (iv) के बराबर नहीं है यह नियम तभी लागू होता है जब 64(iv) पर मूल्य धनात्मक हो
205	A	क्षेत्र "64(ii) धारा 44AE के तहत माल वाहक से प्राप्त कुल प्रकल्पित आय शून्य से अधिक है" पर मूल्य शून्य से अधिक है तो की अनुसूची लाभ और हानि लेखा में	अनुसूची P&L में, अनुसूची 44AE में, माल वाहक अनुसूची के अंतर्गत, क्षेत्र 64(ii) (प्रकल्पित आय) पर मूल्य शून्य से अधिक है, परंतु क्रमांक संख्या 64(i) पर तालिका में ब्यौरा अमान्य/रिक्त/शून्य है
206	A	"अनुसूची लाभ और हानि खाता" क्षेत्र में फील्ड 64(ii) "44 AE धारा के तहत माल वाहकों से कुल प्रकल्पित आय" में प्रवेश किए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए	भाग A P&L - Sl क्र. 64(ii) स्तम्भ 5 "44AE धारा के तहत प्रकल्पित आय" के बराबर नहीं है
207	A	64(i) तालिका 44AE, में "अनुसूची लाभ और हानि लेखा" में, स्तम्भ 4 4 "महीनों की संख्या जिसके लिए माल वाहक स्वामित्वाधीन/पट्टे/निर्धारित द्वारा किराए पर लिया गया	यदि 44AE 120 महीनों की संख्या से अधिक हो स्तम्भ 4 में और 64 (ii) शून्य से अधिक है
208	A	अनुसूची भाग A-P&L में "कुल प्रकल्पित आय u/s 44AE धारा के तहत sl.no.64(iv) पर 64(ii-iii) की राशि के बराबर होना	उद्योग के मामले में, "अनुसूची P&L में 64(iv) पर मूल्य 64(ii) और 64(iii) के अंतर के बराबर नहीं है। यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
209	A	टन भार क्षमता 100MT से अधिक नहीं होनी चाहिए	यदि sl.no.64 में दाखिल टन भार में मूल्य किसी भी पंक्ति में 100MT से अधिक है।

210	A	<p>धारा 44E के तहत प्रस्तावित आय कम से कम होनी चाहिए</p> <p>1. .7500 रुपये प्रति माह यदि टन भार <=12MT है</p> <p>2. <=1000 प्रति माह प्रति</p>	<p>यदि क्रमांक 64 स्तम्भ 5 में नीचे दिए गए संगणित मूल्य से कम है:</p> <p>1. यदि टन भार <=12MT-रु. 7500 *महीनों की संख्या</p> <p>2. यदि टन भार >12MT-टन भार *1000*महीनों की संख्या, तो नियम ट्रिगर हो जाना चाहिए</p>
211	A	<p>अनुसूची BP में बिंदु 2a "सट्टेबाजी के कारोबार से शुद्ध लाभ या हानि" अनुसूची P&L के 66iv के</p>	<p>अनुसूची BP में बिंदु 2a "सट्टेबाजी के कारोबार से शुद्ध लाभ या हानि" अनुसूची P&L के 66iv के बराबर नहीं है</p> <p>टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब sl.no.66iv "अमान्य" या "0" के अलावा है</p>
212	A	<p>धारा 44AD और 44ADA के तहत प्रकल्पित कारोबार आय का दावा केवल निवासी भागीदारी उद्योगद्वारा किया</p>	<p>क्षेत्र क्रम संख्या 62 या 63 शून्य से अधिक है और फ़ाइलिंग स्थिति में उप-स्थिति, निवासी भागीदारी फर्म के अलावा है</p>
213	A	<p>44AD के उपबंध धारा 44AA(1) में संदर्भित सामान्य कमीशन एजेंटों और पेशेवर व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होते हैं</p>	<p>क्षेत्र "62ii" पर मूल्य अनुसूची P/L में "शून्य" से अधिक है और अनुसूची NOB में- कारोबार की प्रकृति, स्तंभ "संहिता [कृपया अनुदेश देखें]" में निम्नलिखित से कोई भी कोड भरा जाता है :</p> <p>14001, 14002,14003, 14004, 14005, 14006,14008, 16001, 16002, 16003, 16004,16005,16007,16008,16009, 16013, 16018, 16019, 16019_1, 16020, 18001,18002,18003,18004,18005,18010,18011,18012, 18013,18014, 18015, 18016,18017, 18018, 18019, 18020, 20010,20011,20012, 09005</p>

214	B	<p>यदि कारोबार और व्यवसाय के अंतर्गत आय का दावा किया जाता है तो लाभ और हानि लेखा में सकल प्राप्तियों का उल्लेख करना आवश्यक है या दिखाया गया लाभ सकल प्राप्तियों का कम से कम 6% / 8% होना चाहिए यदि भाग A-सामान्य में धारा 44AB के तहत लेखा और लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की लेखा बहियों के अनुरक्षण का ब्यौरा उपबंध नहीं किया गया है</p>	<p>यदि स्थिति "उद्योग" है और उप स्थिति "भागीदारी उद्योग" है और "आवासीय स्थिति" = "निवासी" है और लेखा-परीक्षा सूचना अनुसूची में भाग A सामान्य में 44AB फ़्लैग = "N" है और भाग B – TI में, sl.no.13 पर कुल आय >0/- और अनुसूची BP में 44AD क्षेत्र Sl.no.36(i) पर > शून्य या अमान्य और अनुसूची BP का Sl.no.1 = अनुसूची BP का Sl.no.36(i) और 44AD sl.no.36(i) में अनुसूची BP में आय < [((मद की राशि का 6% व्यापार खाते का 4Aiv + 6% भाग A-P&L का 62 (i)(a) +8% भाग A - P &L का 62(i)(b) + 6% भाग A-P&L का 65 (i)(a) +8% भाग A-P&L का 65(i)(b))] या यदि स्थिति "उद्योग" है और उप स्थिति "भागीदारी उद्योग" है और "आवासीय स्थिति" = "निवासी" है और लेखा-परीक्षा सूचना अनुसूची में 44AB फ़्लैग = "N" है और व्यापार खाते का मद 4Aiv >शून्य/अमान्य और Sr.No. 62(i)(a)+62(i)(b) भाग A-P &L की (कुल बिक्री या सकल प्राप्तियाँ) > शून्य/ अमान्य और अनुसूची BP में 44AD में Sl.no.36(i) > शून्य/ अमान्य और भाग B – TI में, कुल आय >0/- और अनुसूची BP में 44AD sl.no.36(i) पर < अनुसूची BP की क्रमांक संख्या 1 और अनुसूची BP में 44AD sl.no.36 (i) पर < (6% भाग A-P&L 62 (i)(a)+8% भाग A - P&L का 62(i)(b)) या यदि स्थिति "उद्योग" है और उप स्थिति "भागीदारी उद्योग" है</p>
-----	---	--	--

			टिप्पणी: 1) उपरोक्त शर्तों में 6% और 8% की संगणना करते समय, 1,000 रुपये का प्रारंभिक लाभ दिया जाना है
--	--	--	---

21	B	<p>कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत हानि का दावा करने वाले करदाता को अतिशेष पत्र और लाभ और हानि लेखा में ब्यौरा भरना आवश्यक है</p>	<p>1a. P&L में, यदि सकल लाभ / शुद्ध लाभ [क्षेत्र संदर्भ(क्षेत्र में 65(i)(b) / 65(i)(d) / 65(ii)(b) / 65(ii)(d) / 66(ii) / 66(iv) < 0 या</p> <p>1b. 65(i)(d) के ऋणात्मक मूल्यों की राशि + 65(ii)(d) + 66(iv) या 65(i)(b) के ऋणात्मक मूल्यों की राशि + 65(ii)(b) + 66(ii) < 0 या</p> <p>2. BP में, sl.no.1 < 0 या</p> <p>3. BP में, sl.no.38 < 0</p> <p>और</p> <p>a. कारोबार या विनिर्माण या P&L भरा है लेकिन अतिशेष पत्र नहीं भरा है या</p> <p>b. अतिशेष पत्र भरा है लेकिन कारोबार या विनिर्माण या P&L नहीं भरा है या</p> <p>c. कारोबार या विनिर्माण या P&L और कारोबार पत्र नहीं भरा है</p> <p>टिप्पणी : शून्य और अमान्य, दोनों को नहीं भरा माना जाता है।</p> <p>नोट : sl.no.1 से sl.no.54 तक व्यापार, विनिर्माण और P&L में क्षेत्र "sl.no.22xiib को छोड़कर "AnyCompPaidToNonRes"" क्योंकि यह डिफॉल्ट रूप से "N" होगा।</p>
----	---	--	---

216	<p>B</p> <p>यदि कारोबार और व्यवसाय के अंतर्गत आय का दावा किया जाता है तो लाभ और हानि लेखा में सकल प्राप्तियों का उल्लेख करना आवश्यक है</p> <p>या</p> <p>दिखाया गया लाभ सकल प्राप्तियों का कम से कम 50% होना चाहिए यदि भाग A-सामान्य में धारा 44AB के तहत लेखा और लेखा-परीक्षण रिपोर्ट की लेखा बहियों के अनुरक्षण का ब्यौरा उपबंध नहीं किया गया है</p>	<p>यदि स्थिति "फर्म" है और उप स्थिति "भागीदारी फर्म" है और "आवासीय स्थिति" = "निवासी" है</p> <p>और</p> <p>44AB फ़्लैग = लेखा-परीक्षा सूचना अनुसूची में N</p> <p>और</p> <p>भाग B – TI में, कुल आय Sl.no.13 > 0/-</p> <p>और</p> <p>अनुसूची BP में 44ADA क्षेत्र sl.no.36(ii) पर > शून्य या अमान्य</p> <p>और</p> <p>sl.no.36(ii) = अनुसूची BP का SL.no.1</p> <p>और</p> <p>44ADA sl.no.36(ii) पर अनुसूची BP में आय < [(मद की राशि का 50% भाग A-व्यापार खाता का 4B & भाग A-P&L का 63 (i) (सकल प्राप्तियाँ)]</p> <p>या</p> <p>यदि स्थिति "उद्योग" है और उप स्थिति "भागीदारी उद्योग" है और "आवासीय स्थिति" = "निवासी" है और लेखा-परीक्षा सूचना अनुसूची में 44AB फ़्लैग = "N" है</p> <p>और</p> <p>कारोबार खाते का मद 4B > शून्य/ अमान्य है</p> <p>और</p> <p>ITR 5 में– Sr.No. 63(i) भाग A-P&L की (सकल प्राप्तियाँ) > शून्य/ अमान्य हैं</p> <p>और</p> <p>अनुसूची BP में 44ADA sl.no.36(ii) पर > शून्य/ अमान्य हैं</p> <p>और</p> <p>भाग B – TI में, sl.no.13 पर कुल आय >0/-</p> <p>और</p> <p>अनुसूची BP में 44ADA sl.no.36(ii) पर < अनुसूची BP की क्रमांक संख्या 1</p> <p>और</p> <p>अनुसूची BP में 44ADA sl.no.36(ii) पर < [(50%का Sl.No. 63(i) (सकल प्राप्तियाँ) भाग A-P&L]</p> <p>या</p> <p>यदि स्थिति "फर्म" है और उप स्थिति "भागीदारी फर्म" है और "आवासीय स्थिति" = "निवासी" है</p>
-----	---	--

			= शून्य/ अमान्य टिप्पणी: 1) उपरोक्त शर्तों में 50% की संगणना करते समय, .1,000 रुपये का प्रारंभिक लाभ दिया जाना है
217	A	अनुसूची P&L में sl.no.65(i)(d) पर शुद्ध लाभ sl.no.65(i)(b) पर सकल लाभ और बिंदु 65(i)(c) में व्यय के बीच अंतर के बराबर	अनुसूची P&L में, SI.No 65(i)(b)- SI.No 65(i)(c), Sr.no 65(i)(d) के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
218	A	अनुसूची P&L में sl.no.65(ii)(d) पर शुद्ध लाभ sl.no.65(ii)(b) पर सकल लाभ और बिंदु 65(ii)(c) में व्यय के बीच	अनुसूची P&L में, Sr.no 65(ii)(b)- Sr.no 65(ii)(c), Sr.no 65(ii)(d) के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
219	A	In Schedule P&L, Si.no 65(i)(b) cannot be more than Si.no65(i)(a)	In Schedule P&L, Si.no 65(i)(b) is more than Si.no65(i)(a)
220	A	अनुसूची P&L में, Si.no 65(ii)(b), Si.no 65(ii)(a) से	अनुसूची P&L में, Si.no 65(ii)(b), Si.no 65(ii)(a) से अधिक है

221	A	अनुसूची P&L में, क्षेत्र संख्या 65(i)(a) 'सकल प्राप्तियाँ' पर मूल्य [65(i)(a)(i)+65(i)(a)(ii)] के	यदि क्षेत्र संख्या 65(i)(a) 'सकल प्राप्तियाँ' पर मूल्य के कुल के बराबर नहीं है [65(i)(a)(i)+65(i)(a)(ii)]
222	A	अनुसूची P&L में, क्रमांक संख्या 65iia क्रमांक संख्या 65iia1+65iia2 की संख्या 65iia1+65iia2 की	क्रमांक संख्या 65iia क्रमांक संख्या 65iia1+65iia2 की राशि के बराबर होना चाहिए
223	A	"अनुसूची A-P&L" में कुल लाभ (65id+ 65iid) की राशि के बराबर होना चाहिए	65iii के अनुसार कुल लाभ 65id+65iid की राशि के बराबर होना चाहिए टिप्पणी : यदि या क्रमांक संख्या 65(id) या 65(iid) में से कोई भी ऋणात्मक है तो इसे शून्य मानें
224	A	भाग A P&L, क्रमांक संख्या 66iv सट्टेबाजी की गतिविधि से शुद्ध आय "सकल लाभ (66ii) - व्यय 66(iii)" के बराबर होनी	क्र सं 66iv सट्टेबाजी से प्राप्त शुद्ध आय सकल लाभ(66ii)-व्यय 66(iii) के बराबर होनी चाहिए
225	A	अनुसूची P&L में यदि sl.no.64(ii) में धारा 44AE के तहत घोषित प्रकल्पित आय अमान्य/रिक्त/शून्य है, तो उद्योग के भागीदारों को P&L वेतन/पारिश्रमिक	यदि क्रमांक संख्या 64(iii) शून्य से अधिक और 64(ii) अमान्य/रिक्त/शून्य है यदि स्थिति उद्योग के अलावा है क्रमांक संख्या 64(iii) शून्य से अधिक नहीं हो सकती
226	A	यदि निर्धारिती धारा 92E, के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो भाग A BS और भाग A &L रिक्त	लेखा-परीक्षा सूचना के "क्या आप धारा 92E के तहत लेखा-परीक्षा के लिए दायी हैं" के लिए फ़्लैग 'हाँ' है और भाग A BS "धन के स्रोत" और "धन का प्रयोग" और भाग A P&L (sl.no. 54 तक सभी क्षेत्र) रिक्त / शून्य
227	A	यदि निर्धारिती धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा के लिए दायी है, तो भाग A BS और भाग A P&L रिक्त नहीं	लेखा-परीक्षा सूचना, क्रमांक संख्या b हाँ है और भाग A BS "धन के स्रोत" और "धन का प्रयोग" और भाग A P&L (sl.no. 54 तक सभी क्षेत्र) रिक्त / शून्य हैं
228	A	अतिशेष पत्र में "धन के स्रोत" का मिलान "धन के कुल प्रयोग" से होना चाहिए	S.No 5.-" धन के स्रोत" S.No 5 अतिशेष पत्र में धन के कुल प्रयोग के बराबर नहीं है टिप्पणी : रु..100/- की भिन्नता की अनुमति है

229	A	यदि क्रमांक संख्या 1c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 1a + 1bvi की	यदि क्रमांक संख्या 1c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 1a + 1bvi की राशि के बराबर नहीं है
230	A	यदि क्रमांक संख्या 2c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 2 (aiii + biii) की राशि के बराबर होना	यदि क्रमांक संख्या 2c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 2 (aiii + biii) की राशि के बराबर नहीं है
231	A	यदि क्रमांक संख्या 5 अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या (1c + 2c + 3 + 4iii) की राशि के बराबर	यदि क्रमांक संख्या 5 अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या (1c + 2c + 3 + 4iii) की राशि के बराबर नहीं है
232	A	यदि क्रमांक संख्या 2c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 2 (aviii + bvii) की राशि के बराबर	यदि क्रमांक संख्या 2c अनुसूची अतिशेष पत्र में क्रमांक संख्या 2 (aviii + bvii) की राशि के बराबर नहीं है
233	A	"अनुसूची भाग A-BS" में sl.no.3av पर कुल चालू आस्तियाँ 3a(iH + iiC + iiiD + aiv) की राशि के बराबर	यदि क्रमांक संख्या 3av क्रमांक संख्या 3a (iH + iiC + iiiD + aiv) की राशि के बराबर नहीं है
234	A	"अनुसूची भाग A-BS" में sl.no.3e पर कुल चालू आस्तियाँ (3c - 3diii) के	यदि क्रमांक संख्या 3e क्रमांक संख्या (3c - 3diii) के अंतर के बराबर नहीं है
235	A	"अनुसूची भाग A-BS" कुल, sl.no.5 पर का आवेदन (1e + 2c + 3e + 4d) की राशि के	यदि क्र.सं.5, क्र.सं. (1e + 2c + 3e + 4d) के राशि के बराबर नहीं है
236	A	निर्धारिती को भाग A सामान्य में मान्य मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए	यदि निर्धारिती अनुसूची "भाग A सामान्य" में "उपबंध किए गए क्षेत्र देश" में देश का कोड "+91 - भारत" के रूप में चयन करता है और मोबाइल नंबर में 1 या 2 अंक 10 अंकों से कम या अधिक प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि शून्य से शुरू मोबाइल नंबर विधिमान्य नहीं है।
237	A	भाग A सामान्य में निर्धारिती का "नाम" PAN डेटाबेस के अनुसार "नाम" से मेल खाना	आपके द्वारा विवरणी में दर्ज किया गया नाम आपके PAN डाटा बेस से मेल नहीं खाता है।

238	A	अगर मूल विवरणी धारा 142(1) के तहत दाखिल की गई है तो करदाता संशोधित विवरणी दाखिल नहीं कर	यदि विवरणी धारा 139(5) के तहत दाखिल की जा रहा है और यदि मूल विवरणी के लिए ई-फाइलिंग तालिका में प्रविष्टि उपलब्ध है जो धारा 142(1) के तहत दाखिल की गई है
239	A	यदि भाग A सामान्य "क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय असूचीबद्ध साधारण शेयरों को धारित किया है" में "हाँ" का चयन किया गया है, तो उसका	यदि भाग A सामान्य "क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय असूचीबद्ध साधारण शेयरों को धारित किया है?" में "हाँ" का चयन किया गया है और कम से कम एक पंक्ति भरी नहीं है
240	A	यदि विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है लेकिन विवरणी में उद्धृत PAN विवरणी अपलोड कर रहे व्यक्ति के	भाग A सामान्य में, विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है लेकिन विवरणी में उद्धृत पैन विवरणी अपलोड कर रहे व्यक्ति के PAN के समान नहीं है।
241	A	यदि सत्यापन भाग में क्षमता के ड्रॉपडाउन से प्रतिनिधि को चुना जाता है तो "क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दाखिल की जा रही है" में हाँ चुना जाना चाहिए और भाग -A सामान्य	"प्रतिनिधि का नाम, प्रतिनिधि की क्षमता, प्रतिनिधि का पता और स्थाई खाता संख्या (प्रतिनिधि का PAN/आधार)" के बारे में ब्यौरा नहीं भरा गया है, लेकिन "सत्यापन" में, "क्षमता" क्षेत्र से ड्रॉपडाउन में "प्रतिनिधि" चुना गया है।
242	A	अनुसूची 80G में आदाता PAN "निर्धारिती PAN" या "सत्यापन के लिए PAN" के समान नहीं हो सकता है	यदि अनुसूची 80G में "आदाता का पैन" (यदि भरा है) तो अनुसूची आय ब्यौरा या पैन की सर्वसाधारण की जानकारी के भाग में उल्लिखित निर्धारिती पैन के बराबर है जैसा कि सत्यापन भाग में दर्ज किया गया है।
243	B	धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी निर्धारिती को फॉर्म 3CA-3CD / फॉर्म 3CB-3CD दाखिल करने की	यदि भाग A- सामान्य लेखा-परीक्षा ब्यौरा (b) "हाँ" के रूप में चुना गया है, और यदि भाग A -सामान्य लेखा-परीक्षा ब्यौरा (c) "हाँ" के रूप में चुना गया है, और फॉर्म 3CA-3CD या फॉर्म 3CB-3CD निर्धारण वर्ष के लिए दाखिल नहीं किया गया है

244	D	धारा 44DA के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी निर्धारिती को फॉर्म 3CE दाखिल करने की आवश्यकता है	यदि क्षेत्र d(ii) में लेखापरीक्षा सूचना में अनुभाग "44DA" के रूप में चुना गया है और यदि भाग A सामान्य लेखा-परीक्षा क्षेत्र में "क्या आपने ऐसी अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है?" हाँ के रूप में चुना गया है, और फॉर्म 3CE दाखिल नहीं किया गया है।
245	D	मंदा में विक्रय के अंतर्गत पूंजीगत लाभ रखने वाले निर्धारिती को फॉर्म 3CEA	यदि अनुसूची CG कि क्षेत्र A2a और B2a शून्य से अधिक है, और फॉर्म 3CEA निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल नहीं किया गया है।
246	D	धारा 92E के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी निर्धारिती को फॉर्म 3CEB दाखिल करने की आवश्यकता है	यदि भाग A सामान्य क्षेत्र "क्या आप धारा 92E के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं" और यदि भाग A सामान्य लेखा-परीक्षा क्षेत्र में "क्या खातों का ऑडिट धारा 92E के तहत किया गया है?" हाँ के रूप में चुना गया है, और निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 3CEB दाखिल नहीं किया गया है।
247	D	धारा 115JC के तहत AMT का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी निर्धारिती को फॉर्म 29C दाखिल करना आवश्यक है	यदि लेखा-परीक्षा सूचना क्षेत्र d(ii) अनुभाग 115JC के रूप में चुना गया है, और यदि भाग A सामान्य लेखा-परीक्षा क्षेत्र में "क्या आपने ऐसी अन्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है?" हाँ के रूप में चुना गया है, और फॉर्म 29C निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल नहीं किया गया है।
248	A	लागू नहीं	यदि भाग A सामान्य में, लेखा-परीक्षा सूचना, क्रमांक संख्या b और c फ़्लैग 'Y' है और क्रमांक संख्या C(i), C(ii), C(iii), C(iv), C(v), C(vi) और C(vii) रिक्त/अमान्य हैं
249	A	In part A General, dropdown at field "whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA" should be selected	Field "Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA" can not be blank in Part A General
250	A	If Assessee selects field Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA as "No", then a2i cannot be left blank	लेखापरीक्षा सूचना, क्रम संख्या a2i रिक्त नहीं हो सकती, यदि भाग A सामान्य में a2 को नहीं के रूप में चुना जाता है

251	A	If Assessee selects field Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA as Yes, a2ii cannot be left blank	Audit Information, Sl. No. a2ii cannot be blank, if a2 is selected as Yes in Part A General
252	A	If Assessee selects field Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA as no, a2iii cannot be left blank	Audit Information, Sl. No. a2iii cannot be blank, if a2 is selected as Yes in Part A General
253	A	भाग A सामान्य में, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पद्धति तिथि से अधिक नहीं	भाग A सामान्य में "लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि" : C-vii, D(i), D (ii), e(iv) पर लेखा-परीक्षा सूचना सिस्टम की तिथि से अधिक नहीं हो सकती।
254	A	अनुसूची OS / अनुसूची BP में धारा 115BBF के तहत आय का दावा केवल निवासी द्वारा किया जा सकता है।	दाखिल करने की स्थिति में आवासीय स्थिति "अनिवासी" है और 115BBF धारा के तहत अनुसूची OS में sl.no.2d अनुसूची BP क्रमांक संख्या 7d में आय शून्य से अधिक है। (JFI : सामान्य 115BBF, sl.no.526 पर नियम में शामिल होता है)
255	D	sl.no.38a से 38e पर प्रकटित कृषि आय वाले निर्धारित को फॉर्म 3AC दाखिल करना आवश्यक है	क्रमांक संख्या 38 a से e तक का कोई भी क्षेत्र अनुसूची BP में शून्य से अधिक है लेकिन फॉर्म 3AC अभी तक दाखिल नहीं किया गया है
256	A	यदि "क्या आपने धारा 44AA के तहत लेखा का रखरखाव किया है" को "नहीं" के रूप में चुना गया है, तो निर्धारित को अतिशेष पत्र और P&L में लेखा बहियां	लेखा-परीक्षा जानकारी, यदि क्षेत्र "क्या आपने धारा 44AA के तहत खातों का रखरखाव किया है" के लिए नहीं का चयन किया गया है और अतिशेष पत्र का क्रमांक संख्या 6 या P&L खाते का क्रमांक संख्या 62 से 66 तक रिक्त/अमान्य/शून्य है
257	A	मान्य TAN दर्ज किया जाना चाहिए	सभी क्षेत्र जहां करदाता द्वारा TAN भरा जाता है और यदि पहले तीन अक्षर TAN कोड की सूची के अनुसार नहीं हैं

258	A	धारा 139(1)/139(4)/139(5)/142(1) के तहत विवरणी दाखिल नहीं की जा सकती यदि धारा 143(3) या 144 के	यदि धारा 143(3)/144 के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारण के लिए प्रविष्टि उपलब्ध है और निर्धारिती उसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139(1)/139(4)/139(5)/142(1) के तहत विवरणी अपलोड कर रहा है
259	A	ITR में "कारोबार या व्यवसाय की प्रकृति" का प्रकटीकरण अनिवार्य है	अनुसूची "भाग A सामान्य (2)" में " कारोबार या व्यवसाय की प्रकृति" & sl.no.62 में कारोबार की प्रकृति और sl.no.63 में कारोबार की प्रकृति और sl.no.64 में कारोबार की प्रकृति रिक्त है (टिप्पणी: यदि ये तीनों रिक्त हैं, तो केवल त्रुटि दर्शाएं। यदि इनमें से कोई भी भरा है तो कोई त्रुटि नहीं है। इसके अलावा, कारोबार की प्रकृति का अर्थ है "कारोबार का नाम" और "कारोबार कोड" क्षेत्र)
260	A	उद्योग, सहकारी बैंक, अन्य सहकारी समिति, LLP, निजी विवेकाधिकृत न्यास, कोई अन्य AOP/BOI, के मामले में "सत्यापन" में दर्ज किया गया PAN "भागीदार/सदस्य/न्यास सूचना" में दर्ज किसी भी PAN से मेल खाना चाहिए।	फर्म, सहकारी बैंक, अन्य सहकारी समिति, LLP, निजी विवेकाधिकृत न्यास, कोई अन्य AOP/BOI, के मामले में भाग B T1 के अंतर्गत "सत्यापन" में दर्ज किया गया PAN भाग A- सामान्य 2 में "भागीदार/सदस्य/न्यास सूचना" की तालिका E में दर्ज "PAN" क्षेत्र में किसी भी PAN से मेल नहीं खा रहा है यदि सत्यापन में क्षमता को "प्रतिनिधि" के रूप में चुना जाता है तो यह नियम लागू नहीं होता है
261	A	यदि निर्धारिती अनुभाग 44AA के तहत लेखा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो भाग A BS और भाग A P&L भरा जाना चाहिए	लेखा-परीक्षा जानकारी, यदि क्षेत्र "क्या आपने अनुभाग 44AA के तहत खातों का रखरखाव किया है" के लिए हाँ का चयन किया गया है और तुलन पत्र (क्रम संख्या 6 के अलावा) या विनिर्माण खाता और व्यापार खाता और मुनाफ़ा और हानि लेखा के सभी क्षेत्र रिक्त/अमान्य/शून्य (क्रम संख्या 62 से 66 के अलावा) हैं
262	A	निर्धारिती फर्म के रूप में "स्थिति" का चयन करें फिर "उप स्थिति" या तो "सीमित दायित्व भागीदारी" या "भागीदारी फर्म" होना	यदि निर्धारिती फर्म के रूप में "स्थिति" का चयन करता है और "उप स्थिति" को इस प्रकार चुना जाता है सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म के अलावा या कोई "उप स्थिति" संहिता उपलब्ध नहीं है।

		"उप स्थिति" को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है।	
263	A	यदि निर्धारित "स्थिति" को "AOP/BOI" के रूप में चुनता है तो "उप स्थिति" इनमें से एक होनी चाहिए प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 या उस राज्य के समरूपी किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत समिति, अन्य सहकारी समिति, ITR 7, कारोबार न्यास, में विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र न्यास के अलावा अन्य न्यास	यदि निर्धारित "AOP / BOI" के रूप में "स्थिति" को चुनता है और "उप स्थिति" को इसके अलावा अन्य के रूप में चुना जाता है प्राथमिक कृषि साख समिति, सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी उस राज्य से संबंधित, अन्य सहकारी समिति, ITR 7, कारबार न्यास, में विवरणी फ़ाइल करने के लिए पात्र न्यास के अलावा अन्य न्यास, निवेश निधि, किसी अन्य AOP/BO में विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र हैं या कोई "उप स्थिति" संहिता उपलब्ध नहीं है।
264	A	यदि निर्धारित कृत्रिम विधिक व्यक्ति के रूप में "स्थिति" का चयन करता है तो उप-स्थिति होनी चाहिए मृतक की सम्पदा, दिवालिया की सम्पदा, अन्य AJP	यदि निर्धारित कृत्रिम विधिक व्यक्ति के रूप में "स्थिति" का चयन करता है तो उप-स्थिति के अलावा अन्य है मृतक की सम्पदा, दिवालिया की सम्पदा, अन्य AJP) या कोई "उप स्थिति" संहिता उपलब्ध नहीं है।

265	A	यदि निर्धारित अनुसूची "भाग A सामान्य" में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में स्थिति का चयन करता है तो उप	यदि निर्धारित "स्थिति" को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में चुना है। और "उप स्थिति" संहिता उपलब्ध है।
266	A	अनुसूची PTI में, स्तंभ 9, स्तंभ 7-8 के बराबर होना चाहिए	अनुसूची PTI में, स्तंभ 9, स्तंभ 7-8 के सभी खंडों के आउटपुट के बराबर होना चाहिए नोट : "लाभांश" के क्षेत्रों के लिए, Sl.no.5(iii) में अन्य और sl.no.5(iv) पर क्षेत्र के लिए अन्य स्रोत, sl.no.9 पर मूल्य sl.no.7 के बराबर होना चाहिए (जैसा कि sl.no.8 उपलब्ध नहीं है, 97 के बराबर होना चाहिए)
267	A	अनुसूची PTI में क्रम संख्या iia अल्पकालिक ai+aii के	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iia अल्पकालिक, ai+aii के सभी खंडों के योग के बराबर होनी चाहिए
268	A	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iib दीर्घकालिक, bi+bii के	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iib दीर्घकालिक, bi+bii के सभी खंडों के योग के बराबर होनी चाहिए
269	A	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iii अन्य स्रोत, a+b के योग के	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iii अन्य स्रोत, a+b के सभी खंडों के योग के बराबर होनी चाहिए
270	A	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iv छूट के लिए दावाकृत आय, a+b+c के योग के	अनुसूची PTI में, क्रम संख्या iv छूट के लिए दावाकृत आय, a+b+c के सभी खंडों के योग के बराबर होनी चाहिए
271	A	अनुसूची FSI में, उपलब्ध कर अवमुक्ति (स्तंभ e) भारत से बाहर सन्दत्त किए गए कर (स्तंभ c) या भारत में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी भाग पर देय कर (स्तंभ d) से	अनुसूची FSI में, स्तंभ e, स्तंभ c या स्तंभ d के कम नहीं है
272	A	अनुसूची FSI अनिवासियों के लिए लागू नहीं है	यदि भाग A सामान्य में, आवासीय स्थिति अनिवासी है और अनुसूची FSI में ब्यौरा भरा गया है
273	A	अनुसूची FSI में, योग, स्तंभ d, c b और e के क्रम संख्या (i+ii+iii+iv) के योग के	अनुसूची FSI में, योग, स्तंभ d, c b और e के क्रम संख्या (i+ii+iii+iv) के योग के बराबर होनी चाहिए

274	A	"अनुसूची TR" में, Sl.no.2 "उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर अवमुक्ति जहाँ DTAA लागू है" पर मूल्य "स्तंभ 1(d) पर कुल मूल्य" के बराबर होना चाहिए जहाँ स्तंभ 1(e) पर अनुभाग	In Schedule TR, sl no 2 is not equal to sum of col no 1d if col no f is 90/90A
275	A	"अनुसूची TR" में, Sl.no.3 "उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर अवमुक्ति जहाँ DTAA लागू है" पर मूल्य "स्तंभ 1(d)" पर कुल मूल्य" के बराबर होना चाहिए जहाँ	अनुसूची TR में, क्रम संख्या 3 स्तंभ संख्या 1d की राशि के बराबर नहीं है यदि स्तंभ संख्या f 91 है
276	A	अनुसूची TR में, क्रम संख्या 2+3 स्तंभ 1d के कुल के	अनुसूची TR में, क्रम संख्या 2+3 स्तंभ 1d के कुल के बराबर नहीं है
277	A	अनुसूची TR अनिवासी के लिए लागू नहीं है	यदि भाग A सामान्य में, आवासीय स्थिति अनिवासी है और ब्यौरा अनुसूची TR में भरा गया है
278	A	अनुसूची TR में, स्तंभ C भारत के बाहर भुगतान किए गए कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के स्तंभ C के कुल के बराबर	अनुसूची TR में, स्तंभ c भारत से बाहर कुल संदत्त कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के कुल स्तंभ c के बराबर होना चाहिए
279	A	अनुसूची TR में, स्तंभ d कुल उपलब्ध कर अवमुक्ति प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के कुल स्तंभ e	अनुसूची TR में, स्तंभ d कुल उपलब्ध कर अवमुक्ति प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची FSI के कुल स्तंभ e के बराबर होना चाहिए
280	A	अनुसूची GST में यदि GSTIN संख्या(संख्याओं) को भरा गया है तो "फाइल GST विवरणी के रूप में जावक आपूर्ति का वार्षिक मूल्य"	यदि "GSTIN संख्या" को भरा गया है और "फाइल GST विवरणी के रूप में जावक आपूर्ति का वार्षिक मूल्य" शून्य है (टिप्पणी: यदि "0" है, तो त्रुटि नहीं आनी चाहिए)
281	A	अनुसूची GST में यदि "फाइल GST विवरणी के रूप में जावक आपूर्ति का	यदि "GST विवरणी फाइल के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य" भरा गया है और "GSTIN संख्या" नहीं भरा गया है।

		"GSTIN संख्या(संख्याएँ)" अनिवार्य है।	
282	A	भाग BTA में कर संगणना को प्रकटित किया गया है लेकिन भाग BTA में सकल कुल आय शून्य है।	"भाग B TA" अनुसूची में, "गृह संपत्ति से आय" से "सकल कुल आय" के सभी क्षेत्र शून्य या अमान्य होने चाहिए(क्षेत्रसंदर्भ 1 से 9) और "अनुभाग 115JC(1) के तहत समायोजित कुल आय" अनुसूची AMT के क्षेत्र संख्या 3 पर शून्य या अमान्य या 0 से अधिक होनी चाहिए और "भाग B TA" अनुसूची में, क्षेत्र sl.no.3 "सकल देय कर" पर मूल्य शून्य से अधिक है।
283	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, '2v' का मूल्य "कुल" (2i + 2ii + 2iii + 2iv) की राशि के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची भाग B TA में बिंदु 2v में मूल्य बिंदु (2i + 2ii + 2iii + 2iv) के योग के बराबर नहीं है
284	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, '3a(v)' "कुल कम अवधि" का मूल्य (ai + aii + aiii + aiv) की राशि के बराबर	अनुसूची में - भाग B TA में बिंदु 3av - "कुल अल्पकालिक" में मूल्य, बिंदु (3ai + 3aiaii + 3aiaiii + 3aiaiv) के योग के बराबर नहीं है
285	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, '3b(iv)' कुल दीर्घ अवधि का मूल्य (bi + bii + biii) की राशि के बराबर होना	अनुसूची में - भाग BTA में मूल्य बिंदु 3biv - भाग BTA में "कुल दीर्घकालिक" मूल्य, बिंदु (3bi + 3biaii + 3biaiii) के कुल के बराबर नहीं होना चाहिए
286	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, '3c' "कुल पूँजी अभिलाभ" का मूल्य (3av + 3biv) की	अनुसूची - भाग B TA में बिंदु 3c - "कुल पूँजी अभिलाभ" में मूल्य, बिंदु (3av + 3biv) के योग के बराबर नहीं है
287	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, '4d' का मूल्य "कुल" (4a + 4b + 4c) की राशि के बराबर	अनुसूची - भाग B TA में बिंदु 4d - "कुल" में मूल्य, बिंदु (4a + 4b + 4c) के कुल के बराबर नहीं है
288	A	"अनुसूची भाग B - TA" में, Sl.no पर मूल्य '5' "शीर्षवार आय का कुल" 1 + 2v + 3c + 4d के मूल्य के बराबर	अनुसूची - भाग B TA में बिंदु 5 में मूल्य, बिंदु (1 + 2v + 3c + 4d) के योग के बराबर नहीं है

289	A	<p>"भाग B- TII" में क्रम संख्या '10a' "अग्रिम कर" और '10d' "स्व-निर्धारण कर" पर मूल्य, अनुसूची IT में संदत्त कुल कर के योग के बराबर होना चाहिए और "भाग B- TI" में, Sl.no '10b' "TDS " पर मूल्य "कुल दावा किए गए" अनुसूची TDS(1) और TDS(2) में मूल्य के बराबर होना चाहिए। और '10c' के "भाग B- TII" में "TCS" TCS अनुसूची के "कुल" क्षेत्र में मूल्य के बराबर होना चाहिए।</p>	<p>If Total of pt10a (Advance Tax) & 10d(Self-Assessment Tax) i.e. pt10a+pt10d is NOT EQUAL TO the amount total field (5) in "pt. 15A-Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax in "Schedule IT "</p> <p>या यदि बिंदु 10b में मूल्य निम्न के योग के बराबर नहीं है बिंदु 15B (वेतन से TDS) में स्तंभ 9 (स्वयं से दावाकृत राशि) का कुल मूल्य बिंदु 15C में स्तंभ 7 (स्वयं से दावाकृत राशि) का कुल मूल्य या यदि बिंदु 10c में मूल्य निम्न के योग के बराबर नहीं है बिंदु 15C में स्तंभ 7 (स्वयं से दावाकृत राशि) का कुल मूल्य</p>
290	A	<p>"अनुसूची भाग B -TI" में, '1' 'गृह सम्पत्ति से आय' का मूल्य "अनुसूची-HP के Sl.no- 3 के मूल्य के बराबर होना</p>	<p>भाग B TI में, Pt1 में मूल्य - "गृह सम्पत्ति से आय" >0 और यह मूल्य, अनुसूची HP (कुल क्षेत्र) के "बिंदु 3" क्षेत्र के बराबर नहीं है</p>
291	A	<p>"अनुसूची भाग B - TI" में, '2i' सट्टा और निर्दिष्ट कारोबार के अलावा कारोबार से लाभ और अभिलाभ का मूल्य "अनुसूची-व्यव./व्यवसाय के A38" के बराबर होना चाहिए।</p>	<p>भाग B TI में, Pt 2(i) - "सट्टा और निर्दिष्ट कारोबार के अलावा कारोबार से लाभ और अभिलाभ" का मूल्य शून्य से अधिक है और यह मूल्य अनुसूची व्यव./व्यवसाय के क्षेत्र "A38 कारोबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि" के बराबर नहीं है।</p>
292	A	<p>"अनुसूची भाग B - TI" में, '2ii' का मूल्य विचारवान कारोबार से लाभ और अभिलाभ "अनुसूची BP की तालिका E" "E3(ii)" के बराबर होना चाहिए।</p>	<p>भाग B TI में, बिंदु 2(ii) - "सट्टेबाजी के कारोबार से लाभ और अभिलाभ" में मूल्य शून्य से अधिक है और this value is NOT EQUAL TO "pt3ii Income from Speculative Business" field in Table E of Schedule BP.</p>

293	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, '2iii' निर्दिष्ट कारोबार से लाभ और अभिलाभ का मूल्य "अनुसूची-व्यव./व्यवसाय की तालिका E" की "E3(iii)" के बराबर	भाग B TI में, बिंदु 2(iii) में मूल्य - "निर्दिष्ट कारोबार से लाभ और अभिलाभ" शून्य से अधिक है। और this value is NOT EQUAL TO pt3iii Income from Specified Business" field in Table E of Schedule BP
294	A	भाग BTI में बिंदु 3ai - "@15% की दर से कम अवधि के लिए प्रभार्य में मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9ii में मूल्य के बराबर	In Part B TI , the value in Pt3ai -"Short term chargeable @15% >0 और यह मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9ii में मूल्य के बराबर नहीं है
295	A	भाग BTI में बिंदु 3aii - "@30% की दर से कम अवधि के लिए प्रभार्य में मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9iii में मूल्य के बराबर	In Part B TI , the value in Pt3aii -"Short term chargeable @30% >0 और यह मूल्य अनुसूची CG की मद E के क्षेत्र 9iii में मूल्य के बराबर नहीं है
296	A	भाग BTI में बिंदु 3aiv - "@लागू दर से कम अवधि के लिए प्रभार्य में मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9iv में मूल्य के बराबर	In Part B TI , the value in Pt3aiv -"Short term chargeable @applicable rate > 0 और यह मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9iv में मूल्य के बराबर नहीं है"
297	A	भाग BTI में बिंदु 3bi - "@10% की दर से दीर्घ अवधि के लिए प्रभार्य में मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9vi में मूल्य के बराबर	In Part B TI , the value in Pt3bi -"Long term chargeable @10% >0 और यह मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9vi में मूल्य के बराबर नहीं है"
298	A	भाग BTI में बिंदु 3bi - "@20% की दर से दीर्घ अवधि के लिए प्रभार्य में मूल्य अनुसूची CG के मद E के "क्षेत्र 9vii में मूल्य के बराबर	In Part B TI , the value in Pt3bii -"Long term chargeable @20% >0 और यह मूल्य "अनुसूची CG के मद E के क्षेत्र 9vii" में मूल्य के बराबर नहीं है
299	A	अनुसूची-भाग B TI के sl.no.4a पर "घुड़ दौड़ के स्वामित्व और विशेष दर पर प्रभार्य आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय" अनुसूची OS के मद E के बराबर	In Part B TI , the value in Pt4a -"Income from Other Sources" >0 और यह मूल्य, अनुसूची OS के क्षेत्र "बिंदु 6" क्षेत्र में मूल्य के बराबर नहीं है

300	A	अनुसूची भाग B TI में sl.no.4a पर मूल्य अनुसूची OS के sl.no.2 के बराबर होना चाहिए	In Part B TI , the value in Pt4b -"Income from Other Sources" >0 और यह मूल्य, अनुसूची OS के क्षेत्र "बिंदु.2" में मूल्य के बराबर नहीं है
301	A	"घुड़ दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण की गतिविधि से आय" का दावा अनुसूची-भाग B TI के sl.no.4c पर अनुसूची OS के sl.no.8e के	In Part B TI , the value in Pt4c -"Income from Other Sources" >0 और यह मूल्य, अनुसूची OS के क्षेत्र "बिंदु 8e" में मूल्य के बराबर नहीं है
302	A	"अनुसूची भाग B - TI" में "अनुसूची CYLA के 2xvii,3xvii और 4xvii के	भाग B TI के बिंदु 6 में मूल्य, अनुसूची CYLA के "2xvii" , "3xvii" और "4xvii" के कुल के बराबर नहीं है
303	A	भाग B TI के बिंदु 8 में मूल्य अनुसूची BFLA के क्षेत्र 2xvi, 3xvi और 4xvi के कुल के बराबर होना चाहिए	Pt 8 में मूल्य- भाग B TI के 7 के विरुद्ध अग्रणीत हानियाँ अनुसूची BFLA के क्षेत्र 2xvi, 3xvi और 4xvi में कुल मूल्य के बराबर नहीं है
304	A	भाग B-TI में, sl.no.9 पर सकल कुल आय, sl.no. (5-6-8) के बराबर होना चाहिए	भाग B, TI, में GI (बिंदु 9) का मूल्य, बिंदु 5 (कुल) - बिंदु 6 (चालू वर्ष की हानियों को 5 के विरुद्ध समायोजित किया गया)-बिंदु 8 (अग्रणीत हानियों को 7 के विरुद्ध समायोजित किया गया) के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य पर प्रतिबंधित करें।
305	A	यदि धारा 10AA के तहत कटौती का दावा भाग B TI में sl.no.12a पर किया जाता है तो अनुसूची 10AA भरा जाना	भाग B TI में, बिंदु .12a - "धारा 10AA के तहत कटौती" पर मूल्य > 0 है लेकिन अनुसूची 10AA नहीं भरी गई है
306	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, sl.no. '17' "वर्तमान वर्ष की हानियों को अग्रणीत किया जाना चाहिए" पर मूल्य, निवेश निधि के अलावा उप-स्थिति के मामले में अनुसूची CFL के कुल xv से प्रवाहित होना चाहिए। यदि उप-स्थिति निवेश निधि	भाग B TI के बिंदु 17 में मूल्य, CFL के कुल के बराबर नहीं है, जो निम्नानुसार है: यदि उप-स्थिति निवेश निधि है तो अनुसूची CLF का योग 5xv+ 6xvi+ 7xvi+ 8xvi+11xvi है यदि उप-स्थिति निवेश निधि के अलावा है तो अनुसूची CFL का कुल xvi है।

		8xvi+11xvi के कुल से प्राप्त होनी चाहिए	
307	A	भागतः B-TI में, कुल आय "पूर्णांक पर विचार करने के बाद (GTA घटाव अध्याय VI-A कटौतियों) का कुल" के बराबर होनी चाहिए।	भाग B TI में, क्षेत्र 13 (कुल आय) में मूल्य, बिंदु 9-11c-12 का मूल्य होना चाहिए "पूर्णांक करना +5 100 या -5 100 धारा 288 के अनुसार हो गया कुल आय क्षेत्र में" नोट : +100 और -100 को पूर्णांकित करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +100 और -100 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित न करें) टिप्पणी : यदि 9-11c-12 नकारात्मक है, तो शून्य तक प्रतिबंधित रहें
308	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '1d' "मानद कुल आय पर देय कुल कर" पर मूल्य (1a+ 1b + 1c) की राशि के बराबर होना चाहिए	भाग B TTI में, बिंदु 1d में मूल्य, कुल (1a + 1b + 1c) के बराबर नहीं है टिप्पणी : यदि 115BAD हाँ है, तो 1a, 1b, 1c और 1d "0" के बराबर होना चाहिए।
309	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '2d' में कुल आय पर देय कर का मूल्य 2a + 2b -2c के मूल्य के	भाग B TTI में, बिंदु 2d में मूल्य, कुल (2a + 2b -2c) के बराबर नहीं है
310	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '2g' सकल कर दायित्व Sl.no.2d + 2eiv + 2f के मूल्यों की	nullभाग B TTI में, बिंदु 2g में मूल्य, कुल (2d + 2eiv +2f) के बराबर नहीं है
311	A	In "PART B- TTI", value at Sl.no value at Sl.no. '6a' "Section 90/90A" should be equal to value at sl.no.2 in Schedule TR.	भाग B TTI में, क्षेत्र बिंदु 6a में मूल्य, अनुसूची TR के बिंदु 2 के मूल्य के बराबर नहीं है

312	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no Sl.no. '6b' "धारा 91" का मूल्य अनुसूची TR में sl.no.3 के मूल्य के बराबर होना	भाग B TTI में, क्षेत्र बिंदु 6b में मूल्य, अनुसूची TR के बिंदु 3 के मूल्य के बराबर नहीं है
313	A	In "PART B- TTI", value at Sl.no value at Sl.no.6c "Total" should be equal to the sum of value at "Section 90/90A" at sl.no.6a + "Section 91" at sl.no.6b	भाग B TTI में, बिंदु 6c में मूल्य, (6a + 6b) के योग के बराबर नहीं है
314	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '8e' "कुल ब्याज और देय फीस" धारा 234A के तहत ब्याज + धारा 234B के तहत ब्याज+ धारा 234C के तहत ब्याज + धारा 234F के तहत ब्याज	भाग B TTI में, बिंदु 8e में मूल्य, कुल (8a + 8b + 8c+8d) के बराबर नहीं है।
315	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no और Sl.no.9 "कुल दायित्व" का मूल्य Sl.no.7 "शुद्ध कर दायित्व" के मूल्य + sl.no.8e "कुल ब्याज और देय फीस" के मूल्य की राशि के बराबर	भाग B TTI में, बिंदु 9 में मूल्य, (7 + 8e) के योग के बराबर नहीं है टिप्पणी: +10 और -10 का पूर्णांकन करने की अनुमति होगी
316	A	'10e' के "भाग B- TTI" में कुल संदत्त कर 'अग्रिम कर + TDS + TCS + स्व-निर्धारण कर" की राशि के	भाग B TTI में, बिंदु 10e में मूल्य (10a+10b+10c+10d) के बराबर नहीं है।
317	A	"बैंक ब्यौरे" के अंतर्गत IFSC RBI के डेटाबेस (प्राथमिक बैंक खाता) के साथ मेल नहीं खा रहा है & "बैंक ब्यौरे" के अंतर्गत IFSC RBI के डेटाबेस के साथ मेल	भाग B-TTI के SI.No.13 में "बैंक खाता" के अंतर्गत उपबंध किया गया IFSC RBI के डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है। & भाग B-TTI के SI.No.13 में "बैंक खाता" के अंतर्गत उपबंध किया गया IFSC RBI के डेटाबेस से मेल नहीं खा रहा है।
318	A	भाग B TI में SI.No.3(iv) पर दावा की गई आय अनुसूची BP के SI.No.3d, 3e की राशि के बराबर होनी	भाग B TI में SI.No.3(iv) पर दावा की गई आय अनुसूची BP की SI.No.3d एवं 3e की राशि के बराबर नहीं है।

319	A	यदि "भाग B TI" के बिंदु संख्या 11a पर कटौती का दावा किया जाता है तो "अनुसूची VI-A भाग B" भरा जाना चाहिए!	भाग B TI में, बिंदु .11a- अध्याय VI-A के भाग B में मूल्य शून्य से अधिक है और "अनुसूची VI A" में, अध्याय VI-A भाग B पद्धति संगणित मूल्य के अंतर्गत कुल कटौती क्षेत्र "शून्य" या "अमान्य" है।
320	A	यदि "भाग B TI" के बिंदु संख्या 11b पर कटौती का दावा किया जाता है तो "अनुसूची VI-A भाग C" भरा जाना चाहिए!	भाग B TI में, बिंदु .11b- अध्याय VI-A के भाग C में मूल्य शून्य से अधिक है और "अनुसूची VI A" में, अध्याय VI-A भाग C पद्धति संगणित मूल्य के अंतर्गत कुल कटौती क्षेत्र "शून्य" या "अमान्य" है।
321	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no' पर मूल्य 12' "प्रतिदाय" Sl.no.10e- Sl.no.9 के मूल्य के बराबर होना चाहिए।	यदि अनुसूची भाग-B TTI में, Sl.no 12 Sl.no 10e- 9 की राशि के बराबर नहीं है (केवल अगर भेद सकारात्मक है) नोट : +5 और -5 को पूर्णांकित करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +5 और -5 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)
322	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no' पर मूल्य 11' "देय राशि" Sl.no.9- Sl.no.10e के मूल्य के बराबर होनी चाहिए।	यदि अनुसूची भाग-B TTI में, Sl.no 12, Sl.no 9- 10e (केवल यदि अंतर धनात्मक है) की राशि के बराबर नहीं है नोट : +5 और -5 को पूर्णांकित करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +5 और -5 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित न करें)
323	A	अनुसूची भाग BTI में- sl.no 12a पर धारा 10AA के तहत कटौती अनुसूची 10AA में दावा की गई कटौती से	भाग B- TI के क्षेत्र का (12)(a) मूल्य अनुसूची-10AA के क्षेत्र (C) के मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है

324	B	<p>ITR में करदाता द्वारा आय का ब्यौरा और कर संगणना का प्रकटन खाली या शून्य नहीं छोड़ा गया है लेकिन सन्दत करों का ब्यौरा उपबंध किया गया है।</p>	<p>अनुसूची HP में, की राशि [Sr.no {1a+(1j*10/7)} (सभी गृह संपत्तियों का) (अर्थात, वार्षिक किराए पर देने योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्यकिराया और विवरणी में वर्ष के दौरान 30% की आढ़त के बाद बकाया/अवास्तविक किराया) + Sl.no. 2 केवल अगर मूल्य धनात्मक है (अर्थात, पास थ्रू इंकम)] = शून्य या अमान्य के बराबर है + In Schedule CG sum of {Total of all blocks of Sl.no. A(1)(a)(i)} , A(2)(a),A(3)(a), A(4)(a)(only if positive),A(4)(b)(only if positive),A(5)(aia), A(5)(aia),A(6)(aia),A(6)(aia),A(6)(aia), A8 only if positive, {Total of all blocks of Sl.no. B(1)(a)(i)}, B(2)(a),B(3)(a), B(4)(a), Column no 6 of schedule 112A, B6a (only if positive),B(7)(aia),B(7)(aia),B(7)(aia) of all 4 sections , Column no 6 of schedule 115AD, B(9)(aia),B(9)(aia) , B11 only if positive , sum of Sl.no 5 & 8 of Schedule DPM & DOA शून्य या अमान्य के बराबर है + SR.NO 4D of Trading account+(positive values of Sl.no.14 + Sr.no 62(i) + 63(i) +64(ii) +65(ia) +65(iaa)+66(i) - in Sch BP (Sl.no.3a +sl.no.3b+sl.no.3c+sl.no5d) , + अनुसूची OS- Sl.no 1a+ sl.no.1b +1c+1e+2a+2c+2d+5+8a+8d के धनात्मक मूल्यों की राशि शून्य या अमान्य के बराबर है + अनुसूची EI- Sl.no 1+2i+3+4+5 शून्य या अमान्य के बराबर है और "भाग B TII" अनुसूची में, "धारा 115JC के तहत मानद कुल आय पर देय कर" से "सकल कर दायित्व" (क्षेत्र संदर्भ Sl.no.1 से Sl.no.3) से कोई क्षेत्र शून्य या अमान्य है। और "भाग B TII" में क्षेत्र "भाग B TII का संतन अग्रिम</p>
325	A	<p>"अनुसूची भाग B - TII" में Sl.no.15 "शुद्ध कृषि-आय/ दर प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय" पर मूल्य</p>	<p>यदि भाग B TII के क्षेत्र 15 पर मूल्य EI के क्रमांक संख्या 2v की राशि के बराबर नहीं है यह तभी लागू होगा जब Sl.no 2v, 5000 से अधिक हो।</p>

		मूल्य के बराबर होनी चाहिए यदि $2v > 5000$ है	
326	A	अनुसूची भाग B TI में sl.no.10 पर विशेष दर पर कर प्रभार्य आय अनुसूची SI के आय कॉलम के "कुल" के	अनुसूची B TI में, क्रमांक 10 अनुसूची SI के स्तम्भ (i) के कुल योग के बराबर नहीं है +100 और -100 को पूर्णांक करते हुए
327	A	अनुसूची भाग B TI में, अध्याय VI-A के भाग B के तहत कटौती, अनुसूची VI-A के क्रम संख्या 1 के बराबर होनी चाहिए	अनुसूची भाग B TI में, क्रमांक संख्या 11a अनुसूची VI-A के क्रमांक संख्या 1 के बराबर नहीं है टिप्पणी: भाग BTI के Sl.no.9-Sl.no.10 के अधीन
328	A	अनुसूची भाग B TI में, अध्याय VI-A के भाग C के तहत कटौती, अनुसूची VI-A के क्रम संख्या 2 के बराबर होनी चाहिए	यदि अनुसूची VIA में $sl.no.2n(80P) = 0$ और भाग B TI में क्रमांक संख्या 11b अनुसूची VI-A की क्रमांक संख्या 2 या [BFLA का 5ii -36(i)-36(ii)-36(iii)] जो भी कम हो के बराबर नहीं है यदि अनुसूची VIA में $sl.no.2n(80P) > 0$ और भाग BTI में $sl.no.11b$ VIA के $sl.no.2$ या BFLA के [5ii -36(i)-36(ii)-36(iii)+ BFLA के 5xiii of BFLA के +5i] के बराबर नहीं है
329	A	"अनुसूची भाग B-TI" में, क्षेत्र '11(c)' पर मूल्य "कुल (11a + 11b)" "11a + 11b" के बराबर होना चाहिए (9-10	SI संख्या 11c sl 11a+11b की राशि के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: क्रम संख्या (9-10) पर मूल्य के अधीन
330	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, Sl.no' पर मूल्य 18' "अनुभाग 115JC के अंतर्गत मानद कुल आय" AMT के Sl.no. 3 पर मूल्य के बराबर	भाग BTI के बिंदु 18 में मूल्य, अनुसूची AMT के बिंदु .3 के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि 115BAD को "हाँ" के रूप में चुना जाता है, तो भाग BTI का Sl.no.18, "0" के बराबर होना चाहिए
331	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no '3' "सकल देय कर" पर मूल्य sl.no.1d "मानद कुल आय पर सकल देय कर" या sl.no.2g	If Sl.no. 3 is not equal to Sl.no1d or 2g whichever is higher in Part BTTI

		मूल्य के अधिक के बराबर होना चाहिए	
332	A	"भाग B- TTI" में, sl.no' पर मूल्य5' "अनुभाग 115JD के अंतर्गत जमा के बाद देय कर" Sl.no.3 - क्रमांक संख्या .4 के बराबर होना	Sl.no. 5 भाग BTTI में SL.no 3 -4 की राशि के बराबर नहीं है टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि क्रमांक संख्या 3, 4 से अधिक होगा
333	A	"भाग B- TTI" में, Sl.no' पर मूल्य7' "शुद्ध कर देयता" Sl.no.5 - Sl.no.6c के मूल्य	Sl.no. 7 भाग BTTI में Sl.no. 5-6c के बराबर नहीं है टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब 5, 6c से अधिक हो
334	B	सुसंगत अनुसूचियों, जो Sch.CG/Sch.OS और Sch.SI हैं, में इसका ब्यौरा दिए बिना, विशेष दर पर कर प्रभार्य आय को केवल अनुसूची भाग-B -TI में दिखाया गया है	[[भाग B-TI में, sl.no.3(a)(i) STCG 15% शून्य से अधिक है और अनुसूची CG में, सभी सुसंगत आय A(3)(ie), A3(ie) , A(4)(a),A(8)(a) क्षेत्र शून्य/अमान्य हैं] या [भाग B-TI में, sl.no.3(a)(ii) STCG 30% शून्य से अधिक है और अनुसूची CG, सभी सुसंगत आय A(5)(e),A(8)(b)(30% only) क्षेत्र शून्य/अमान्य हैं] या { भाग B-TI में, sl.no.3(b)(i) LTCG 10% शून्य से अधिक है और अनुसूची CG, all relevant income sl.no.B4(i)(c),B(5),B(7)(1)(c),B(7)(2)(c),B(7)(3)(c),B(7)(4)(c),B(8),B(11)(a1),B11(a2) fields are zero/null } या [भाग B-TI में, sl.no.3(b)(ii) LTCG 20% शून्य से अधिक है और अनुसूची CG, सभी सुसंगत आय sl.no.B(1)(e),B(2)(e),B(3)(c),B(6C), B(9)(e),B(10C),B(11)(b) क्षेत्र शून्य/अमान्य हैं]\ या [भाग B-TI में, sl.no.3(a)(iv) भारत में विशेष दरों पर STCG

			<p>प्रभार्य है क्योंकि DTAA शून्य से अधिक है और अनुसूची CG, value at sl.no. B12B zero/null] या {भाग B-TI में, OS विशेष आय sl.no.4b शून्य से अधिक है और अनुसूची OS, sl.no.2 शून्य/अमान्य है। } (दोषपूर्ण नियम तभी लागू किया जाना चाहिए जब निर्धारिती ने अनुसूची BII में उपरोक्त शर्त में उल्लिखित केवल विशिष्ट क्षेत्र भरे हों और कोई अन्य अनुसूची नहीं भरी हो अर्थात अनुसूची SI, CG और OS)</p>
335	D	धारा 90 और 91 के तहत राहत का दावा करने वाले निर्धारिती को फॉर्म 67	यदि भाग B -TII के 6a , 6b 0 से अधिक है और फॉर्म 67 निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल नहीं किया गया है
336	A	"अनुसूची II" में कॉलम 5 "राशि" की सभी पंक्तियों का कुल "कुल" क्षेत्र के बराबर	अनुसूची II में कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तिगत मूल्यों की राशि कुल के बराबर नहीं है
337	A	अनुसूची TCS में, "इस वर्ष दावा की गई TCS की राशि" "संग्रहीत कर" से अधिक	यदि "अनुसूची टी.सी.एस." में, Sl.no 7, Sl.no 5 और 6 के कुल से अधिक है
338	A	तालिका 15C में, "अनुसूची TCS" में कॉलम 7 की सभी पंक्तियों का कुल "इस वर्ष दावा की जा रही राशि का (5) या (6)" 'कुल' क्षेत्र के	अनुसूची TCS में -"इस वर्ष दावा किए गए TCS" का कुल कॉलम के व्यक्तिगत मूल्यों की राशि के बराबर नहीं है

339	A	अनुसूची TDS 1 में, "दावाकृत TDS की राशि" से अधिक है।	यदि अनुसूची TDS 1 Sl.no में "10", Sl.no "7" या Sl.no "8" या 9 के TDS से अधिक है।
340	A	अनुसूची TDS 2 में, "दावाकृत TDS की राशि" से अधिक है।	यदि अनुसूची TDS 2 Sl.no में "10", Sl.no "7" या Sl.no "8" या 9 के TDS से अधिक है।
341	A	अनुसूची TDS 1 / TDS 2 / TCS में, यदि अग्रणीत TDS/TCS को उपबंध किया गया है तो कर कटौती के वर्ष	अनुसूची TDS 1 / TDS 2 / TCS में, TDS/TCS b/f शून्य से अधिक है, तो "उस वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है" शून्य या अमान्य नहीं हो सकती है
342	A	"अनुसूची TDS 1" में, स्तंभ 9 "दावा किए गए नकद" की सभी पंक्तियों का कुल "कुल" क्षेत्र के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची TDS में -1 -इस वर्ष दावा किया गया कुल जमा TDS उल्लिखित व्यक्तिगत मूल्यों की राशि के बराबर नहीं है
343	A	"अनुसूची TDS 2" में, स्तंभ 9 "दावा किए गए नकद" की सभी पंक्तियों का कुल "कुल" क्षेत्र के बराबर होना	अनुसूची TDS-2 में, इस वर्ष दावा किया गया कुल जमा TDS उल्लिखित मूल्यों की राशि के बराबर होना चाहिए

344	A	<p>यदि TDS का दावा किया जाता है तो कराधान के लिए समरूपी प्राप्तियाँ/आय प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p>	<p>अनुसूची HP में, की राशि [Sr.no {1a+(1j*10/7)} (सभी गृह संपत्तियों का) (अर्थात, वार्षिक किराए पर देने योग्य मूल्य या प्राप्त या प्राप्यकिराया और विवरणी में वर्ष के दौरान 30% की आढ़त के बाद बकाया/अवास्तविक किराया) + Sl.no. 2 केवल अगर मूल्य धनात्मक है (अर्थात, पास थ्रू इंकम)] = शून्य या अमान्य के बराबर है + In Schedule CG sum of {Total of all blocks of Sl.no. A(1)(a)(i)} , A(2)(a),A(3)(a), A(4)(a)(only if positive),A(4)(b)(only if positive),A(5)(aia), A(5)(aia),A(6)(aia),A(6)(aia),A(6)(aia),A8 only if positive, {Total of all blocks of Sl.no. B(1)(a)(i)}, B(2)(a),B(3)(a), B(4)(a), Column no 6 of schedule 112A, B6a (only if positive),B(7)(aia),B(7)(aia) of all 4 sections , Column no 6 of schedule 115AD, B(9)(aia),B(9)(aia) , B11 only if positive , sum of Sl.no 5 & 8 of Schedule DPM & DOA शून्य या अमान्य के बराबर है + SR.NO 4D of Trading account+(positive values of Sl.no.14 + Sr.no 62(i) + 63(i) +64(ii) +65(ia) +65(iaa)+66(i) - in Sch BP (Sl.no.3a +sl.no.3b+sl.no.3c+sl.no5d) , + अनुसूची OS- Sl.no 1a+ sl.no.1b +1c+1e+2a+2c+2d+5+8a+8d के धनात्मक मूल्यों की राशि शून्य या अमान्य के बराबर है + अनुसूची EI- Sl.no 1+2i+3+4+5+6, शून्य या शून्य/अमान्य के बराबर है और अनुसूची "TDS 1" से "नकद में दावाकृत TDS" की राशि 100 से</p>
345	A	<p>"अनुसूची TDS 1" और "अनुसूची TDS 2" में, "अग्रणीत अदावाकृत TDS" का ब्यौरा और "चालू वित्तीय वर्ष के TDS का ब्यौरा" अनुसूची TDS 1 और TDS 2</p>	<p>If Col 8 & Col 7 of Schedule TDS2 and TDS 1 are filled in the same row.</p>

346	A	अनुसूची TDS 1 में, कॉलम संख्या 9 में इस वर्ष दावा किया गया जमा TDS col.no.11 में प्रकटित सकल राशि से अधिक नहीं हो सकता है, 194N को छोड़कर	TDS- 1, क्षेत्र "अपने हाथों में दावा की गई" राशि अनुसूची TDS 1 में दर्शायी गई "सकल राशि" से अधिक है टिप्पणी: यह नियम "आय का स्रोत" के मामले में "लागू नहीं है (केवल यदि धारा 194N के तहत TDS की कटौती की गई हो)" चुना हो के मामले में लागू नहीं है
347	A	अनुसूची "TDS -1" में, TDS का दावा कॉलम 9 में किया गया है तो "सकल राशि (कॉलम 11)" और "आय का स्रोत (कॉलम 12)" को 194N को छोड़कर अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए।	यदि अनुसूची TDS-1 में, "नकद में दावाकृत TDS" > 0 और क्षेत्र "सकल राशि (स्तंभ 11)" या "आय का स्रोत(स्तम्भ 12)" नहीं भरी गई है। टिप्पणी: यह नियम "आय का स्रोत" को "लागू नहीं है (केवल यदि धारा 194N)के तहत TDS की कटौती की गई हो)" चुना हो के मामले में लागू नहीं है।
348	A	अनुसूची "TDS 2" में, TDS का दावा कॉलम 9 में किया गया है तो "सकल राशि (कॉलम 11)" और "आय का स्रोत (कॉलम 12)" को अनिवार्य	यदि अनुसूची TDS-2 में, "नकद में दावाकृत TDS" > 0 और क्षेत्र "सकल राशि (स्तंभ 11)" या "आय का स्रोत(स्तम्भ 12)" नहीं भरी गई है।
349	A	अनुसूची TDS 1 या TDS-2 में, यदि अन्य व्यक्ति से संबंधित TDS क्रेडिट का चयन किया जाता है तो अन्य व्यक्ति का	अनुसूची TDS 2 और TDS 3 में, "पति या पत्नी की नकदी से कटौती" शीर्ष के अंतर्गत, क्षेत्र "आय" और "TDS" > पर मूल्य 0 है, लेकिन "अन्य व्यक्ति का PAN" नहीं भरा है।
350	A	अनुसूची TDS 1 और TDS 2 में, यदि अन्य व्यक्ति से संबंधित TDS क्रेडिट का चयन किया जाता है तो कटौतीकर्ता का TAN/ अभिधारी/खरीदार का PAN	अनुसूची TDS 2 एवं TDS 3 में, क्षेत्र "के नाम पर जमा TDS....." पर ड्रॉपडाउन "अन्य व्यक्ति" के रूप में चुना गया है, लेकिन "अन्य व्यक्ति का PAN" नहीं भरा है

351	A	अनुसूची TPSA में, sl.no.2a पर देय आयकर प्राथमिक समायोजन की राशि का 18% होना चाहिए sl.no1	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 2a क्रमांक संख्या 1 "प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92CE(2A) के तहत विकल्प को प्रयुक्त किया जाता है और इस तरह के आधिक्य धन को विहित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है" के 18% के बराबर होना चाहिए टिप्पणी : -1 का पूर्णांकन करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से/ 1/- से अधिक तक, तो xml को प्रतिबंधित मत करें)
352	A	अनुसूची TPSA में, अधिभार देय अतिरिक्त आयकर की राशि का 12% होना चाहिए	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 2b (2a "अतिरिक्त देर आयकर) के 12% के बराबर होना चाहिए टिप्पणी : -1 का पूर्णांकन करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से/ 1/- से अधिक तक, तो xml को प्रतिबंधित मत करें)
353	A	अनुसूची TPSA में, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर राशि (अतिरिक्त आयकर देय + अधिभार) का 4% होना चाहिए	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 2c (2a+2b) के 4% के बराबर होना चाहिए टिप्पणी : -1 का पूर्णांकन करें (अर्थात यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य से/ 1/- से अधिक तक, तो xml को प्रतिबंधित मत करें)
354	A	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 2d, (2a +2b+2c) की राशि के बराबर होना चाहिए	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 2d, (2a +2b+2c) की राशि के बराबर होना चाहिए
355	A	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 3 जमा की गई कर	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 3 जमा की गई कर राशि के बराबर होना चाहिए
356	A	अनुसूची TPSA में, क्रमांक संख्या 4, (2d-3) के बराबर होना चाहिए	अनुसूची TPSA में, अनु. संख्या 4 (2d-3) के बराबर नहीं है टिप्पणी : यदि परिणाम नकारात्मक है, तो sl.no.4 "शून्य" के रूप में पॉप्युलेट होना चाहिए
357	A	अनुसूची TPSA में, कर जमा किए जाने की दिनांक पद्धति तिथि के बाद नहीं हो सकती	अनुसूची TPSA में, क्षेत्र "जिस तिथि पर कर जमा किया गया है" पद्धति तिथि से बाद नहीं हो सकती

358	A	अनुसूची RA, कुल दान नकदी और दान + अन्य ढंग में दान के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची RA में कुल, नकदी में दान + अन्य ढंग में दान के बराबर नहीं है
359	A	अनुसूची RA, नकद में कुल दान, नकद में दान के विभाजन के बराबर होना चाहिए	अनुसूची RA में नकदी में यदि कुल दान, नकदी में दान के विभाजन के बराबर नहीं है कुल नकदी दान व्यक्तिगत कतारों की राशि के बराबर नहीं है
360	A	अनुसूची RA, अन्य ढंग से कुल दान नकद के अलावा अन्य ढंग से दान के विभाजन के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची RA में अन्य ढंग से कुल दान, अन्य ढंग से दान के विभाजन के बराबर नहीं है अन्य ढंग से कुल दान अलग-अलग पंक्तियों की राशि के बराबर नहीं है
361	A	अनुसूची RA, कुल दान, कुल दान के विभाजन के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची RA में कुल दान, कुल दान के विभाजन के बराबर नहीं है "कुल दान" का कुल अलग-अलग पंक्तियों की राशि के बराबर नहीं है
362	A	"अनुसूची 10AA" में, क्षेत्र "धारा 10AA के तहत कुल कटौती" पर मूल्य सभी पंक्तियों की राशि के बराबर	अनुसूची 10AA में "अनुभाग 10AA के अंतर्गत कुल कटौती" क्षेत्र में अनुसूची 10AA का मूल्य "कटौती की राशि" की राशि के बराबर होना चाहिए
363	D	धारा 10AA के तहत कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती को नियत तिथि के भीतर ITR दाखिल करना आवश्यक है	यदि sl.no.12a पर मूल्य > 0 है और ITR नियत तिथि के बाद दाखिल किया जाता है। टिप्पणी: पहले फ़ाइल हुई आय कर विवरणी आय कर विवरणी को फ़ाइल करने की जांच तिथि पर विचार किया जाता है (अपलोड नियम के प्रयोजन के लिए, नियत तिथि की जांच के बजाय 139(4) लें। PFA_E प्रयोजन के लिए, ITR में चुने गए फ़्लैग के आधार पर नियत तिथि परिभाषित करें और फिर PFA_E को ट्रिगर करें यदि ITR दाखिल करने की तिथि निर्धारित नियत तिथि के बाद है।)

364	A	"अनुसूची ESR" में, कॉलम (4) में शुल्क अनुसूची ESR के कॉलम (3)-(2) पर मूल्य की राशि के बराबर होना चाहिए यदि कॉलम 3 >= कॉलम 2	अनुसूची ESR के कॉलम (4) में मूल्य अनुसूची ESR के कॉलम (3)-(2) पर मूल्य की राशि के बराबर होना चाहिए यदि कॉलम 3 >= कॉलम 2 यदि कॉलम 2 पर मान > कॉलम 3, तो अनुसूची ESR के कॉलम (4) के मूल्य को "0" के बराबर होना चाहिए
365	A	"अनुसूची ESR" में कुल (i+ ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix) मूल्य की राशि के बराबर होना चाहिए	यदि क्षेत्र x पर मूल्य sl संख्या i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix के राशि के बराबर नहीं है
366	A	अनुसूची BFLA में, धारा 35(4) के तहत 4xvi पर समायोजित अनुमत अग्रणीत मूल्य , UD के स्तंभ 7 के कुल क्षेत्र के मूल्य के	अनुसूची BFLA में, कॉलम संख्या 4xvi अनुभाग 35(4) समायोजन के अंतर्गत अग्रणीत भत्ता में कुल मूल्य UD के स्तंभ 7 के बराबर नहीं है
367	A	अनुसूची BFLA में, 3xvi पर समायोजित अग्रणीत अवक्षयण में मूल्य , UD के स्तंभ 4 के कुल क्षेत्र के मूल्य	अनुसूची BFLA में, स्तंभ संख्या 3xvi पर समायोजित अग्रणीत अवक्षयण में कुल मूल्य, UD के स्तंभ 4 के कुल योग के बराबर नहीं है
368	A	"अनुसूची ICDS" में, क्षेत्र 'XI(a)' मुनाफ़े पर ICDS समायोजन का कुल प्रभाव" पर मूल्य (I+ II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) (यदि धनात्मक हो) की राशि	यदि क्षेत्र 11a का मूल्य sl संख्या (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) की राशि के बराबर नहीं है यदि परिणाम सकारात्मक है
369	A	"अनुसूची ICDS" में, क्षेत्र 'XI(b)' मुनाफ़े पर ICDS समायोजन का कुल प्रभाव" पर मूल्य (I+ II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) (यदि ऋणात्मक हो) की	यदि क्षेत्र 11b का मूल्य sl संख्या (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) की राशि के बराबर नहीं है यदि परिणाम नकारात्मक है
370	A	अनुसूची 80G में, संगणित कटौती की कुल राशि sl.no.E पर पात्र राशि से अधिक है	अनुसूची 80G में यदि "दान की पात्र राशि (अनुसूची 80G में E) के कुल क्षेत्र" पर मूल्य क्षेत्र "कुल दान"(अनुसूची 80G में E) पर मूल्य से अधिक है

371	A	अनुसूची 80G में, क्रमांक संख्या A पर, 2000 रुपये से अधिक नकद में दान की गई राशि 80G कटौती के लिए	यदि नकद में दान > रुपये.2000 है, तो दान की पात्र राशि अनुसूची 80G में SL.no A में अन्य ढंग से दान से अधिक नहीं हो सकती है
372	A	अनुसूची 80G में, क्रमांक संख्या B में, 2000 रुपये से अधिक नकद में दान की गई राशि 80G कटौती के लिए	यदि नकद में दान > .2000 रुपये है, तो दान की पात्र राशि अनुसूची 80G में SL.no B में अन्य ढंग से दान से अधिक नहीं हो सकती है
373	A	अनुसूची 80G, क्रमांक संख्या C पर, 2000 रुपये से अधिक नकद में दान की गई राशि 80G कटौती के लिए	यदि नकद में दान > .2000 रुपये, तो दान की पात्र राशि अनुसूची 80G में SL.no C में अन्य ढंग से दान से अधिक नहीं हो सकती है
374	A	अनुसूची 80G, क्रमांक संख्या D पर, 2000 रुपये से अधिक नकद में दान की गई राशि 80G कटौती के लिए	यदि नकद में दान > .2000 रुपये, तो दान की पात्र राशि अनुसूची 80G में SL.no D में अन्य ढंग से दान से अधिक नहीं हो सकती है
375	A	अनुसूची 80G में, बिंदु A पर दान की गई कुल नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के बराबर होनी	अनुसूची 80G में, बिंदु A पर दान की गई कुल राशि सभी पंक्तियों के लिए (कुल पंक्तियों सहित) नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के बराबर होनी चाहिए।
376	A	अनुसूची 80G में, बिंदु B पर दान की गई कुल राशि नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के	अनुसूची 80 G में, बिंदु B पर दान की गई कुल राशि सभी पंक्तियों के लिए (कुल पंक्तियों सहित) नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के बराबर होनी चाहिए
377	A	अनुसूची 80G में, बिंदु C पर दान की गई कुल राशि नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के	अनुसूची 80 G में, बिंदु C पर दान की गई कुल राशि सभी पंक्तियों के लिए (कुल पंक्तियों सहित) नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के राशि के बराबर होनी चाहिए
378	A	अनुसूची 80 G में, बिंदु D पर दान की गई कुल राशि सभी नकदी में और अन्य ढंग से किए गए दान के योग के	अनुसूची 80G में, बिंदु D पर कुल दान सभी पंक्तियों (कुल पंक्ति सहित) के लिए नकदी और अन्य ढंग से दान की राशि के बराबर होना चाहिए
379	A	अनुसूची 80G में, बिंदु E पर कुल दान (Aiii+Biii+Ciii+Diii) के राशि	अनुसूची 80G में, बिंदु E पर कुल दान (Aiii+Biii+Ciii+Diii) के राशि के बराबर होना चाहिए।

380	A	यदि अनुसूची VI A में 80G का दावा किया गया हो तो अनुसूची 80G में दान का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध किया जाना चाहिए	अनुसूची VIA में, क्षेत्र 80G (Pt. a) में मूल्य सिस्टम में संगणित मूल्य शून्य से अधिक है और "80G अनुसूची" में, "दान की कुल पात्र राशि" क्षेत्र "शून्य" या "अमान्य" है।
381	A	अनुसूची 80GGA में, कुल दान नकदी और अन्य ढंग से दान की राशि के योग के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 80GGA में, कुल दान सभी पंक्तियों (कुल पंक्ति सहित) के लिए नकदी और अन्य ढंग से दान की राशि के योग के बराबर होना चाहिए।
382	A	अनुसूची 80GGA में, कुल दान (i+ii) के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची 80GGA में, कुल दान (i+ii) के योग के बराबर होना चाहिए (कुल नकदी नकदी स्तंभ के व्यक्तिगत पंक्ति के लिये, अन्य स्तंभ ढंग कुल स्तंभ और पात्र दान स्तंभ के योग के बराबर होना चाहिये।
383	A	अनुसूची 80GGA में, पात्र यदि दान 01.06.2020 से पहले किया जाता है तो नकदी में दान की गई राशि 10000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि दान 01.6.2020 को या उसके बाद किया जाता है तो 2000	यदि दान की तिथि 01.06.2020 से पहले है और यदि नकदी > रु.10000 रुपये में दान किया जाता है, तो पात्र दान की राशि अनुसूची 80 GGA में अन्य ढंग से दान की जाने वाली राशि से अधिक नहीं हो सकती है यदि दान करने का दिनांक 01.06.2020 या उसके बाद है और यदि नकदी में दान की राशि > रुपये .2000, है तो दान की पात्र राशि अनुसूची 80GGA में अन्य ढंग से दान से अधिक नहीं हो सकती है
384	A	अनुसूची 80GGA में आदाता का पैना "करदाता के पैना के रूप में समान" या "सत्यापन	अनुसूची 80GGA में आदाता का PAN "निर्धारित के PAN के रूप में समान" या "सत्यापन पर PAN" के समान है
385	A	80GGA अनुसूची VI A में दावा किया गया लेकिन अनुसूची 80GGA में ब्यौरा उपबंध नहीं किया गया	अनुसूची VIA में, क्षेत्र 80GGA (बिंदु b) में मूल्य पद्धति संगणित मूल्य शून्य से अधिक है। और " 80GGA अनुसूची " में, " दान के लिए पात्र कुल राशि " क्षेत्र " शून्य " या " अमान्य " है।

386	A	अनुसूची HP - क्षेत्र "1g" पर मूल्य अनुसूची HP में "1f" पर वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर होना चाहिए। ¹	गृह संपत्ति अनुसूची - क्षेत्र पर मूल्य " 1g" गृह संपत्ति अनुसूची में " 1f" पर वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर नहीं है। यह नियम गृह संपत्ति में सभी संपत्तियों और क्षेत्र " 1g" पर मूल्य शून्य से अधिक वाली संपत्तियों के लिए लागू किया जाएगा टिप्पणी: -5 से +5 की भिन्नता की अनुमति दी जाएगी। (i.e, यदि XML में मूल्य अस्थायी संगणित मूल्य के +5 और -5 के बीच है, तो xml को प्रतिबंधित मत करें)
387	A	सह-स्वामित्वाधीन गृह संपत्ति का मामला। मैं करदाता का हिस्सा और सह-स्वामी(ओं) का हिस्सा 100 % के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची एचपी में, प्रश्न का उत्तर है " संपत्ति सह - स्वामित्व " है और संपत्ति में निर्धारिती के हिस्से का योग और सह - स्वामी का हिस्सा 100 % के बराबर नहीं है। टिप्पणी: विचरण +2 और -2 की भिन्नता की अनुज्ञात दी जानी चाहिए।
388	A	यदि संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन मामला में, स्वामित्व वाली संपत्ति का वार्षिक मूल्य स्वयं के प्रतिशतता हिस्सा *वार्षिक मूल्य के बराबर होना चाहिए।	यदि "HP का प्रकार" किराए पर संदत्त/ किराए पर मान्य है, तो अनुसूची HP - यदि प्रश्न "क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है?" का उत्तर यदि "हाँ" है तो क्षेत्र 1(f) पर मूल्य संपत्ति में निर्धारिती के हिस्से की प्रतिशतता के बराबर होना चाहिए *क्षेत्र 1e पर मूल्य (सभी संपत्तियों के लिए लागू)। टिप्पणी: -5 से +5 की भिन्नता की अनुमति दी जाएगी।
389	A	यदि निर्धारिती का सह-स्वामित्वाधीन संपत्ति का हिस्सा शून्य है तो निर्धारिती उधार ली गई पूँजी पर ब्याज	null सह-स्वामित्वाधीन फ्लैग Y का मामला है और सह-स्वामित्वाधीन संपत्ति में निर्धारिती का हिस्सा "शून्य" है और क्षेत्र "1h" पर मूल्य शून्य से अधिक नहीं होना चाहिए
390	A	यदि सकल प्राप्त किराया/प्राप्य/किराए कुल्य मूल्य शून्य या अमान्य है तो निर्धारिती नगरपालिका कर	"अनुसूची HP" में क्षेत्र "1c" पर मूल्य शून्य से अधिक है और "अनुसूची गृह संपत्ति" में " 1a" क्षेत्र पर मूल्य शून्य या अमान्य है
391	A	जब "गृह संपत्ति" "स्व-अधिकृत" हो, तो उधार ली गई पूँजी पर देय ब्याज 2 लाख से अधिक नहीं हो	यदि गृह संपत्ति का प्रकार को "SOP" के रूप में चुना गया है, और अनुसूची HP के क्षेत्र 1h, 2h....n..... पर मूल्य की राशि का योग 2 लाख से अधिक है।

392	A	गृह संपत्ति का कुल योग स्वतंत्र मूल्यों के कुल योग के बराबर नहीं है+3	यदि क्षेत्र 4 पर मूल्य क्रमांक. संख्या 1k+2K+... की राशि के योग के बराबर नहीं है+3
393	A	यदि संपत्ति का प्रकार किराए पर संदत्त या किराए पर मान्य है तो सकल किराया प्राप्त/प्राप्य/किराए पर देय मूल्य का मूल्य शून्य या अमान्य नहीं हो सकता	"अनुसूची HP" में यदि "गृह संपत्ति के प्रकार" "रिक्त सम्पत्ति" या "किराए पर दी गई" है और तो "सभी संपत्तियों का 1a" क्षेत्र पर मूल्य अमान्य या शून्य है।
394	A	"अनुसूची HP" में 1(e) का वार्षिक मूल्य (1a – 1d) की राशि के बराबर होना	"अनुसूची HP" में यदि क्षेत्र 1e पर मूल्य क्रम. संख्या (1a- 1d) की राशि के बराबर नहीं है। यदि परिणाम ऋणात्मक है तो "0" पर सीमित रखें
395	A	अनुसूची HP में, Sl.no 1d का कुल उत्पादन SL.no 1d का कुल मूल्य का बराबर होना	"गृह संपत्ति अनुसूची" में यदि 1d पर मूल्य क्रम सं. (1b+1c) की राशि के बराबर नहीं है
396	A	"अनुसूची HP" में 1(i) का कुल [1g+1h] की राशि के बराबर होना	"अनुसूची HP" में यदि क्षेत्र 1i पर मूल्य क्रम संख्या. [1g+1h] की राशि के बराबर नहीं होता
397	A	"अनुसूची HP" में आय फॉर्म के 1(k) में HP [1f-1i+1j] के बराबर होना	"अनुसूची HP" में यदि क्षेत्र 1k पर मूल्य क्रम संख्या [1f-1i+1j] की राशि के बराबर नहीं होता
398	A	अनुसूची HP में, Sl.no 3 पास होने वाली आय अनुसूची PTI में बताई गई HP की शुद्ध आय/ हानि की राशि के बराबर होना	अनुसूची HP क्रम संख्या 3, कारोबार न्यास/निवेश निधि के सभी नाम के लिए अनुसूची PTI की क्रम संख्या (i) के स्तंभ 9 शुद्ध आय के योग के बराबर नहीं है
399	A	अनुसूची HP में, दो से ज्यादा गृहों को स्व-अधिकृत के रूप में नहीं चुना जा सकता और यदि वार्षिक किराए योग्य मूल्य दो से अधिक गृह के लिए शून्य या शून्य/ अमान्य नहीं हो सकता है और उधार ली गई पूँजी पर ब्याज दो से अधिक सम्पत्ति के लिए	अनुसूची HP में, दो से अधिक गृह स्व-अधिकृत होने का दावा किया गया है दो गृह सम्पत्तियों के लिए सम्पत्तियों का वार्षिक किराए योग्य मूल्य शून्य या शून्य/ अमान्य है और उधार ली गई पूँजी पर ब्याज दो से अधिक सम्पत्ति की कटौती के रूप में दावा किया गया है

400	A	"अनुसूची CG" में A10 STCG (A1e+A2c+A3e+A4a+A4b+a5e+A6g+A7+A8-A9a) की राशि के योग के बराबर	"अनुसूची CG" में A10 पर मूल्य अनुसूची CG के सभी खंडों (A1e+A2c+A3e+A4a+A4b+a5e+A6g+A7+A8-A9a) की राशि के मूल्य के योग के बराबर नहीं है
401	A	In "Schedule CG" B13 Total should be equal to sum of (B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8 + B9f + B10 + B11 - B12a)	Value at field "B13" in "Schedule CG" is not equal to the sum of value B1e of all the blocks + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8 + B9e + B10 + B11 - B12a of Schedule CG .
402	A	"अनुसूची CG" में, क्षेत्र "C" पर मूल्य कुल LTCG अनुसूची CG के A10+B13 की राशि के बराबर होना चाहिए यदि B13 सकारात्मक है। यदि B13	"अनुसूची CG" में क्षेत्र "C" में मूल्य अनुसूची CG के मूल्य A10+B13 की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह शर्त तभी लागू होगी जब B13 सकारात्मक हो। यदि B13 ऋणात्मक है, तो sl.no. C, A10 के बराबर होना चाहिए
403	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration (sr no A1aiii) is zero , then expenses u/s 48 (sr no A1b(iv) cannot be claimed	If In Schedule CG, Full Value of Consideration (sr no A1aiii) is zero and expenses (sr no A1b(iv) are more than zero
404	A	अनुसूची CG में, यदि प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्रम संख्या A3a) शून्य है, तो धारा 48 के तहत [क्रम संख्या A3b(iv) व्यय का दावा नहीं	यदि अनुसूची CG में, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्रम संख्या A3a) शून्य है और व्यय (क्रम संख्या A3b(iv) शून्य से अधिक हैं
405	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration (sr no A5aiii) is zero , then , expenses u/s 48 (sr no A5b(iv) cannot be claimed	If In Schedule CG, Full Value of Consideration (sr no A5aiii) is zero and expenses (sr no A5b(iv) are more than zero
406	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration (sr no A6aiii) is zero , then expenses u/s 48 (sr no A6b(iv) cannot be claimed	If In Schedule CG, Full Value of Consideration (sr no A6aiii) is zero and expenses (sr no A6b(iv) are more than zero
407	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration (sr no B1aiii) is zero , then expenses u/s 48 (sr no	If In Schedule CG, Full Value of Consideration (sr no B1aiii) is zero and expenses (sr no B1b(iv) are more than zero

		B1b(iv) cannot be claimed	
408	A	अनुसूची CG में, यदि प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्रम संख्या B3a) शून्य है, तो धारा 48 (क्रम संख्या B3b(iv) के तहत व्यय का दावा नहीं	यदि अनुसूची CG में, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्रम संख्या B3a) शून्य है और व्यय (क्रम संख्या B3b(iv) शून्य से अधिक है
409	A	अनुसूची CG में, यदि प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क्रम संख्या B4a) शून्य है, तो धारा 48 (क्रम संख्या B4b(iv) के तहत व्यय का दावा नहीं	यदि अनुसूची CG में, पूरा प्रतिफल का मूल्य (क्रम संख्या B4a) शून्य है और व्यय (क्रम संख्या B4b(iv) शून्य से अधिक है
410	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration(sr no B7a) is zero , then expenses u/s 48 (sr no B7b(iv) cannot be claimed	If In Schedule CG, Full Value of Consideration(sr no B7a) is zero and expenses(sr no B7b(iv) are more than zero
411	A	In Schedule CG, if Full Value of Consideration(sr no B9a) is zero, then expenses u/s 48(sr no B9b(iv) cannot be claimed	If In Schedule CG, Full Value of Consideration(sr no B9a) is zero but expenses(sr no B9b(iv) are claimed
412	A	अनुसूची CG में, sl.no.11 पर LTCG पास करने वाली आय अनुसूची PTI में दिखाई गई शुद्ध आय/LTCG की हानि की राशि के बराबर होनी	अनुसूची CG क्रम संख्या B11, कारोबार न्यास / निवेश निधि के सभी नाम के विरुद्ध अनुसूची PTI के क्रम संख्या (ii)(b) के स्तंभ 9 की शुद्ध आय/ हानि के योग की राशि के बराबर नहीं है
413	A	अनुसूची CG में, sl.no.A8 पर पास करने वाली STCG आय अनुसूची PTI में दिखाई गई शुद्ध आय/STCG की हानि की राशि के बराबर होनी	अनुसूची CG क्रम संख्या A8, कारोबार न्यास / निवेश निधि के सभी नाम के विरुद्ध अनुसूची PTI के क्रम संख्या (ii)(a) के स्तंभ 9 की शुद्ध आय/ हानि के योग की राशि के बराबर नहीं है
414	A	अनुसूची CG में, कुल STCG की क्रम संख्या A1 biv, A1(bi+bii+biii) के योग के	यदि अनुसूची CG में, A1(biv) A1(bi+bii+biii) की राशि के बराबर नहीं है

415	A	अनुसूची CG में, STCG अतिशेष की क्रम संख्या A1c, A1(aiii-biv) के बराबर	यदि अनुसूची CG में, A1c A1(aiii-biv) के बराबर है
416	A	In Schedule CG Sl.no. A1e of STCG should be equal to A(1c-1d)	If in Sch CG A1e is not equal to A(1c-1d) टिप्पणी: यह शर्त लागू होगी जब (1c) (1d) से बड़ा हो। टिप्पणी: यदि $1c < 0$ है, तो 1e, 1c के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यदि (1c-1d) ऋणात्मक है तो मूल्य शून्य तक प्रतिबंधित होना चाहिए
417	A	In "Schedule CG" A2(c) should be equal to A(2a-2b)	If in Sch CG A2c is not be equal to A(2a-2b)
418	A	"अनुसूची CG" में A3b(iv) को A3b(i + ii + iii) की राशि	यदि अनुसूची CG में A3(biv) A3(bi+bii+biii) के राशि के बराबर नहीं है
419	A	In "Schedule CG" A3(c) Balance should be equal to the sum of A(3a – biv)	If in Sch CG A3c is not equal to A(3a-biv)
420	A	In Schedule CG Sl.no. A3e of STCG should be equal to the sum of A(3c + 3d)	If in Sch CG A3e is not be equal to A(3c+3d)
421	A	अनुसूची CG Sl.no में A5(a)(ic), A5(a)(ia) या A5(a)(ib) से अधिक होना	यदि अनुसूची CG Sl.no में A5(a)(ic), A5(a)(ia) या A5(a)(ib) से अधिक नहीं है
422	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या A5(aiii), A5[(a)(ic) + (aii)] के योग के बराबर होना	यदि अनुसूची CG में क्रम संख्या A5(aiii), A5[(a)(ic)+(aii)] के योग के बराबर नहीं है
423	A	"अनुसूची CG" में A5(biv) कुल (i+ii+iii) की राशि के	यदि अनुसूची में A5(biv) A5(bi+bii+biii) की राशि के बराबर नहीं है
424	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या A5c अतिशेष, A5(aiii-biv)	यदि अनुसूची CG में A5c अतिशेष A5(aiii-biv) के बराबर नहीं है
425	A	In Schedule CG Sl.no. A5e of STCG should be equal to the sum of A(5c + 5d)	If in Sch CG A5e is not equal to A(5c+5d)

426	A	अनुसूची CG Sl.no में A6(a)(ic), A6(a)(ia) या A6(a)(ib) से अधिक होना	यदि अनुसूची CG में Sl.no में A6(a)(ic), A6(a)(ia) या A6(a)(ib) से अधिक नहीं है
427	A	In Schedule CG Sl.no. A6aiii of STCG should be equal to the sum of A6a(ic + ii)	यदि अनुसूची CG में क्रम संख्या A6(aiii), A6[(a)(ic)+(aii)] के योग के बराबर नहीं है
428	A	"अनुसूची CG" में A6(biv) कुल (i + ii + iii) की राशि के	यदि अनुसूची CG में A6(biv) A6(bi+bii+biii) की राशि के बराबर नहीं है
429	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या A6c अतिशेष, A6(3ए - बी. आई. वी) के बराबर होनी	यदि अनुसूची CG में A6c अतिशेष A6(aiii-biv) के बराबर नहीं है
430	A	"अनुसूची CG" में A7 को $A(aXi) + Ab$ की राशि के	यदि अनुसूची CG में $A7 A(aXi + b)$ की राशि के बराबर नहीं है
431	A	अनुसूची CG में, STCG का Sl.no. A8, $(A8a + A8b + A8c)$ के योग के बराबर होना	यदि अनुसूची CG में A8 यह $(A8a + A8b + A8c)$ के बराबर नहीं है
432	A	अनुसूची CG में, LTCG की क्रम संख्या B1 biv का कुल, $B1(bi + bii + biii)$ के योग के	यदि अनुसूची CG में B1(biv) यह $B1(bi+bii+biii)$ के योग राशि बराबर नहीं है
433	A	अनुसूची CG में, LTCG की क्रम संख्या B1c अतिशेष, $B1(aiii-biv)$ के बराबर होना	यदि अनुसूची CG में B1c $B1(aiii-biv)$ के बराबर नहीं
434	A	In Schedule CG Sl.no. B1e of LTCG should be equal to $B(1c-1d)$	If in Sch CG B1e is not equal to $B(1c-1d)$ टिप्पणी: यह शर्त लागू होगी जब $(1c) (1d)$ से बड़ा हो। टिप्पणी: यदि $(1c-1d)$ ऋणात्मक है तो मूल्य शून्य तक प्रतिबंधित होना चाहिए टिप्पणी: यदि $1c < 0$ है, तो $1e, 1c$ के बराबर होना चाहिए

435	A	In Schedule CG Sl.no. B2e of LTCG should be equal to B(2c-2d)	If in Sch CG B2e is not equal to B(2c-2d) टिप्पणी: यह नियम तब लागू होगा जब (2c) (2d) से बड़ा होगा. टिप्पणी: यदि (2c-2d) ऋणात्मक है तो मूल्य शून्य तक प्रतिबंधित होना चाहिए टिप्पणी: यदि $2c < 0$ है, तो 2e, 2c के बराबर होना चाहिए
436	A	In schedule CG, Sl. No. B2c of LTCG Balance should be equal to B(2a-2b)	If in Sch CG B2c is not equal to B(2a-2b)
437	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B3(biv) LTCG का कुल, B3(bi+bii+biii) के योग के	यदि अनुसूची CG में B3(biv) यह B3(bi+bii+biii) योग राशि के बराबर नहीं है
438	A	In schedule CG, Sl. No. B3c of LTCG Balance should be equal to B(3a-biv)	If in Sch CG B3c is not equal to B(3a-biv)
439	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B4 biv का कुल, B4(bi + bii + biii) के योग के बराबर	यदि अनुसूची CG में, क्रम संख्या B4 biv, B4(bi+bii+biii) के योग के बराबर नहीं है
440	A	In schedule CG, Sl. No. B4c Balance should be equal to B(4a-biv)	If in Sch CG Sl. No. B4c is not equal to B(4a-biv)
441	A	अनुसूची CG में, धारा 112A के तहत क्रम संख्या B5a LTCG, अनुसूची 112A के स्तंभ 14 के कुल के बराबर	अनुसूची CG में, धारा 112A के तहत क्रम संख्या B5a LTCG, अनुसूची 112A के स्तंभ 14 के कुल के बराबर होना चाहिए
442	A	अनुसूची CG में, Sl.no. B7(a)(ic), B7(a)(ia) या B7(a)(ib) से अधिक होना चाहिए	यदि अनुसूची CG में, Sl.no. B7(a)(ic), B7(a)(ia) या B7(a)(ib) से अधिक नहीं है
443	A	"अनुसूची CG" में B7(1)a(iii) कुल (ic + ii) की राशि के	यदि अनुसूची CG में B7 aiii कुल B7(a)(ic+ii) की राशि के बराबर नहीं है
444	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B7 biv का कुल, B7(bi + bii + biii) के योग के बराबर	यदि अनुसूची CG में, क्रम संख्या B7 biv का कुल, B7(bi+bii+biii) के योग के बराबर नहीं है

445	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B7 biv का कुल, B7(bi + bii + biii) के योग के बराबर	If in Sch CG Sl. No. B7c is not equal to B(7aiii-biv)
446	A	अनुसूची CG में, धारा 112A के तहत क्रम संख्या B8a LTCG, अनुसूची 115AD(1)(iii) के स्तंभ 14 के कुल के बराबर होनी चाहिए	अनुसूची CG में, धारा 112A के तहत क्रम संख्या B8a LTCG, अनुसूची 115AD(1)(iii) के स्तंभ 14 के कुल के बराबर होनी चाहिए
447	A	अनुसूची CG में, Sl.no. B9(a)(ic), B9(a)(ia) या B9(a)(ib) से अधिक होना	यदि अनुसूची CG में, B9(a)(ic), B9(a)(ia) या B9(a)(ib) से उच्चतर नहीं है
448	A	अनुसूची CG में क्रम संख्या B9 aiii का कुल, B9(a)(ic+ii) के योग के बराबर होना	यदि अनुसूची CG में B9 aiii कुल B9(a)(ic+ii) की राशि के योग के बराबर नहीं है
449	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B9 biv का कुल, B9(bi+bii+biii) के योग के	यदि अनुसूची CG में B9 biv कुल B9(bi+bii+biii) की राशि के योग के बराबर नहीं है
450	A	अनुसूची CG में, शेयर या डिबेंचर पर क्रम संख्या B9c LTCG, B9(aiii - biv) के	If in Sch CG Sl. No. B9c Balance is not equal to B(9aiii-biv)
451	A	In Schedule CG Sl.no. B9e of LTCG should be equal to B(9c-9d)	If in Sch CG Sl.no. B9e of LTCG is not equal to B(9c-9d) टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि 9c 9d से बड़ा होगा टिप्पणी: यदि (9c-9d) ऋणात्मक है तो मूल्य शून्य तक प्रतिबंधित होना चाहिए टिप्पणी: यदि 9c < 0 है, तो 9e, 9c के बराबर होना चाहिए
452	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B10, B10(aXi + b) के	यदि अनुसूची CG में, क्रम संख्या B10, B10(aXi+b) के बराबर नहीं है
453	A	In "Schedule CG" B11 Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain should be equal to the sum of (B11a + B11b)	If in Sch CG Sl. No. B11 is not equals to B11a1+B11a2+B11b

454	A	Schedule CG sl no D1e should be equal to sum of D(1a + 1b + 1c + 1d)	If value at field D1e is not equal to the sum of sl no D(1a + 1b + 1c + 1d)
455	A	"अनुसूची CG" में तालिका E में क्षेत्र ix पर मूल्य (ii+iii + iv + v + vi + vii + viii) की राशि के योग के बराबर होना	यदि क्षेत्र Eix पर मूल्य क्रम संख्या (ii + iii + iv + v + vi + vii+viii) की राशि के योग के बराबर नहीं है टिप्पणी: सभी स्तंभ के लिए जाँच -पड़ताल करें (जैसे, 2 से 8)
456	A	"अनुसूची CG" में E(x) कुल को Eix[व्यतिरेक की जाने वाली पूँजी हानि] - Eix[व्यतिरेक की गई कुल हानि] की राशि के बराबर	यदि क्षेत्र Ex पर मूल्य क्रम संख्या i-ix के भेद के बराबर नहीं है। यदि परिणाम ऋणात्मक है तो "0" पर सीमित रखें टिप्पणी: यह नियम तब लागू होगा जब (i) (ix) से बड़ा होगा।
457	A	अनुसूची CG क्रम संख्या Ei2, क्रम संख्या (A3e+ A4a+ A8a) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर कर के लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है	यदि क्षेत्र Ei2 का मूल्य क्रम संख्या (A3e+ A4a+ A8a) की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि क्रम संख्या (A3e+ A4a+ A8a) की राशि ऋणात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1- A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।

458	A	<p>अनुसूची CG क्रम संख्या Ei3, क्रम संख्या (A5e+ A8b) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर कर के लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है</p>	<p>यदि क्षेत्र Ei3 पर मूल्य क्रम संख्या (A5e+ A8b) की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब क्रमांक (A5e+A8b) की राशि नकारात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>
459	A	<p>अनुसूची CG क्रम संख्या Ei4, क्रम संख्या (A1e+A2c+A4b+A6g+A7+A8c) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर कर के लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है</p>	<p>यदि क्षेत्र Ei4 का मूल्य क्रम संख्या (A1e+A2c+A4b+A6g+A7+A8c) की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब क्रम संख्या (A1e+A2c+A4b+A6g+A7+A8c) की राशि नकारात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>

460	A	<p>अनुसूची CG, में क्रम संख्या E15 को क्रम संख्या A9b के बराबर होना चाहिए।</p>	<p>क्षेत्र E15 पर मूल्य क्रम संख्या A9 के स्तम्भ 2 आय की राशि के कुल के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि क्रमसंख्या A9 के स्तम्भ 2 आय की राशि का कुल ऋणात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>
461	A	<p>In Schedule CG sl no E16 should be equal to sl no (B4c+B5+B7c+B8+B9e+ B11a1 +B11a2) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates specified in sl. No B12a & B12b , which is included therein</p>	<p>If value at field E16 is not equal to the sum of sl no (B4c+B5+B7c+B8+B9e+ B11a1 +B11a2) Note: This rule will be applicable only if the sum of sl no (B4c+B5+B7c+B8+B9e+ B11a1 +B11a2) is negative Note: The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या B12 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>

462	A	<p>Schedule CG sl no Ei7 should be equal to sl no (B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10e+ B11+B11b) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates specified in sl. No B12a & B12b , which is included therein</p>	<p>If value at field Ei7 is not equal to the sum of sl no (B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10+ B11b) Note: This rule will be applicable only if the sum of sl no (B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10+ B11b) is negative Note: The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.</p> <p>अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या B12 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है। अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या B12 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>
463	A	<p>In Schedule CG, sl no Ei8 should be equal sl no B12b.</p>	<p>क्षेत्र Ei8 पर मूल्य क्रम संख्या B12 के आय की राशि स्तम्भ 2 के कुल के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि क्रम संख्या B12 के स्तम्भ 2 की आय की राशि का कुल ऋणात्मक हो।</p>

464	A	<p>अनुसूची CG क्रम संख्या Eii, क्रम संख्या (A3e+A4a+A8a) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर करके लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है</p>	<p>यदि क्षेत्र Eii का मूल्य क्रम संख्या (A3e+A4a+A8a) की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब (A3e+A4a+A8a) सकारात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>
465	A	<p>अनुसूची CG क्रम संख्या Eiii, क्रम संख्या (A5e+A8b) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर कर के लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है</p>	<p>यदि क्षेत्र Eiii का मूल्य sl संख्या (A5e+A8b) की राशि के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब (A5e+A8b) सकारात्मक हो। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>

466	A	<p>अनुसूची CG क्रम संख्या Eiv, क्रम संख्या (A1e+A2c+A4b+A6g +A7+A8c) के योग के बराबर होनी चाहिए जैसा कि क्रम संख्या A9a और A9b में निर्दिष्ट विशेष दरों पर करके लिए STCG प्रभार्य या प्रभार्य ना होने वाली राशि से घटाया गया है, जो उसमें शामिल है</p>	<p>यदि क्षेत्र Eiv का मूल्य क्रम संख्या (A1e+A2c+A4b+A6g +A7+A8c) की राशि के बराबर नहीं है। Note: The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या A9 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा जब (A1e+A2c+A4b+A6g +A7+A8c) सकारात्मक हो।</p>
467	A	<p>अनुसूची CG, क्रम संख्या Ev को क्रम संख्या A9b के बराबर होना चाहिए।</p>	<p>क्षेत्र Ev पर मूल्य क्रम संख्या A9b के स्तम्भ 2 की आय की राशि के कुल के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि क्रम संख्या A9b के स्तम्भ 2 की आय की राशि का कुल धनात्मक हो।</p>
468	A	<p>Schedule CG sl no Evi should be equal to sl no (B4c+B5+B7c+B8+B9e + B11a1+B11a2) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates specified in sl. No B12a & B12b , which is included therein</p>	<p>If value at field Evi is not equal to the sum of sl no (B4c+B5+B7c+B8+B11a1+B11a2) Note: This rule will be applicable only if the (B4c+B5+B7c+B8+B11a1+B11a2) is positive Note: The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any. अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या B12 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>

469	A	Schedule CG sl no Evii should be equal to sl no (B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10e+ B11b) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates specified in sl. No B12a & B12b , which is included therein	<p>If value at field Evii is not equal to the sum of sl no (B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10+ B11b)</p> <p>Note: This rule will be applicable only if the(B1e+ B2e+B3c+ B6+ B9e+ B10+ B11b) is positive</p> <p>Note: The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1- B11) as reduced by the amount of LTCG chargeable or not chargeable to tax at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.</p> <p>अनिवासी भारतीयों के लिए राशि तभी कम की जाएगी जब क्रम संख्या B12 के स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ़्लैग हाँ है।</p>
470	A	In Schedule CG, sl no Eviii should be equal sl no B12b.	<p>Value at field Eviii is not equal to total of Col. 2 Amount of income of sl no B12b</p> <p>Note: This rule will be applicable only if the total of Col. 2 Amount of income of sl no B12b is positive</p>
471	A	STCG और LTCG में धारा 54D, 54EC, 54G, 54GA के तहत दावा की गई छूट का तालिका D के संबंधित अनुभाग में दिखाई गई राशि	<p>STCG और LTCG में संबंधित धाराओं के तहत दावा की गई छूट तालिका D में दिखाई गई राशि से नहीं मिल रही है। (उदा: विभिन्न क्षेत्रों में धारा 54 के तहत दावा की गई राशि तालिका D में धारा 54 के तहत दर्ज की गई राशि से नहीं मिल रही है।)</p>
472	A	अनुसूची CG स्तंभ संख्या 9 को स्तंभ संख्या(1-2-3-4-5-6-7-8) के बराबर होना	<p>यदि क्षेत्र E9 पर मूल्य स्तम्भ संख्या [1-2-3-4-5-6-7-8] के बराबर नहीं है।</p> <p>टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, इसे शून्य पर सीमित करें।</p>
473	A	अनुसूची CG में तालिका F पर "अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ 15% की दर पर कराधेय" क्षेत्र की सभी तिमाही का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(vi) "अल्पकालिक पूँजी	<p>अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 1 सभी तिमाहियों का ब्यौरा अनुसूची BFLA के मद 5vi के मूल्य के बराबर नहीं है</p>

474	A	अनुसूची CG में तालिका F पर "अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ 30% की दर पर कराधेय" क्षेत्र की सभी तिमाहियों का कुल क्षेत्र 5(vii) "अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ @ 30% की दर	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 2 सभी तिमाहियों का ब्यौरा अनुसूची BFLA के मद 5vii के मूल्य के बराबर नहीं है
475	A	अनुसूची CG में तालिका F पर क्षेत्र "अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ लागू दरों पर कराधेय" की सभी तिमाहियों का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(viii) "अल्पकालिक	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 3 सभी तिमाहियों का ब्यौरा अनुसूची BFLA के मद 5viii के मूल्य के बराबर नहीं है
476	A	अनुसूची CG में तालिका F पर "दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ 10% की दर पर कराधेय" क्षेत्र की सभी तिमाही का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(x) "दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ @ 10% की दर	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 5 सभी तिमाहियों का ब्यौरा अनुसूची BFLA के मद 5x के मूल्य के बराबर नहीं है
477	A	अनुसूची CG में तालिका F पर "दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ 20% की दर पर कराधेय" क्षेत्र की सभी तिमाही का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(xi) "दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ @ 20% की दर	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 6 सभी तिमाहियों का ब्यौरा अनुसूची BFLA के मद 5xi के मूल्य के बराबर नहीं है
478	A	अनुसूची 112A में, स्तंभ 7 में बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत स्तंभ 8 और स्तंभ 9 से अधिक होनी चाहिए	अनुसूची 112A में, स्तंभ 7 में बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत स्तंभ 8 और स्तंभ 9 से अधिक होनी चाहिए। टिप्पणी : कॉलम 7 के लिए +2 और -2 पूर्णांकन करने की अनुमति दी जाएगी।

479	A	अनुसूची 112A में, स्तंभ 9 "यदि दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ परिसंपत्ति 01.02.2018 से पहले अर्जित की गई थी" स्तंभ 6 और स्तंभ 11 से कम होना चाहिए	अनुसूची 112A में, स्तंभ 9 "यदि दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ परिसंपत्ति 01.02.2018 से पहले अर्जित की गई थी" स्तंभ 6 और स्तंभ 11 से कम होना चाहिए टिप्पणी : कॉलम 7 के लिए +2 और -2 पूर्णांकन करने की अनुमति दी जाएगी।
480	A	अनुसूची 112A, स्तंभ 13 कुल कटौती, स्तंभ [7+12] के योग के बराबर होनी चाहिए	अनुसूची 112A, स्तंभ 13 कुल कटौती, स्तंभ [7+12] के योग के बराबर होनी चाहिए टिप्पणी : प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
481	A	अनुसूची 112A में, स्तंभ 14 अतिशेष, स्तंभ 6- स्तंभ 13 के आउटपुट के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 112A में, स्तंभ 14 अतिशेष, स्तंभ 6- स्तंभ 13 के आउटपुट के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी : प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
482	A	अनुसूची 112A में, स्तंभ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14 का कुल क्रम संख्या (1+2+3+4+.....) के योग के बराबर होना चाहिए	अनुसूची 112A में, स्तंभ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, और 14 का कुल व्यक्तिगत पंक्तियों की राशि के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी : प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
483	A	अनुसूची 115AD(1)(iii) परन्तुक में, स्तंभ 7 बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत स्तंभ 8 और स्तंभ 9 से अधिक होना चाहिए	अनुसूची 115AD(1)(iii) परन्तुक मने, स्तंभ 7 बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत स्तंभ 8 और स्तंभ 9 से अधिक होना चाहिए टिप्पणी : कॉलम 7 के लिए +2 और -2 पूर्णांकन करने की अनुमति दी जाएगी।
484	A	अनुसूची 115 AD(1)(iii) परन्तुक में, स्तंभ 9 "यदि दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ परिसंपत्ति 01.02.2018 से पहले अर्जित की गई थी" स्तंभ 6 और स्तंभ 11 से कम होना चाहिए	अनुसूची 115 AD(1)(iii) परन्तुक में, स्तंभ 9 यदि दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ परिसंपत्ति 01.02.2018 से पहले अर्जित की गई थी स्तंभ 6 और स्तंभ 11 से कम होना चाहिए टिप्पणी : कॉलम 7 के लिए +2 और -2 पूर्णांकन करने की अनुमति दी जाएगी।

485	A	अनुसूची 115AD[1](iii) परन्तुक में, स्तम्भ 13 कुल कटौती स्तम्भ [7+12] की राशि के बराबर होनी चाहिए।	अनुसूची 115AD[1](iii) परन्तुक में, स्तम्भ 13 कुल कटौती स्तम्भ [7+12] की राशि के बराबर होनी चाहिए। टिप्पणी: हर क्षेत्र का +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
486	A	अनुसूची 115AD[1](iii) परन्तुक में, स्तम्भ 14 अतिशेष स्तम्भ 6-स्तम्भ 13 के उत्पादन के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 115AD(1)(iii) परन्तुक के अनुसार कॉलम 14 में अतिशेष राशि कॉलम 6 - कॉलम 13 के आउटपुट के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी: हर क्षेत्र का +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
487	A	अनुसूची 115AD(1)(iii) परन्तुक में, स्तंभ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14 का कुल क्रम संख्या (1+2+3+4+.....) के योग के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 115AD(1)(iii) में, कुल योग क्रम संख्या (1+2+3+4+.....) के योग के बराबर होना चाहिए स्तम्भ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14 का कुल व्यक्तिगत पंक्तियों की राशि के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी: हर क्षेत्र का +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
488	A	"अनुसूची OS" में सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य आय सकल आय को [1] [1a+1b+1c+1d+1e] की राशि के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची OS में - 1a+1b+1c+1d+1e की राशि Sl.no.1 की राशि के बराबर नहीं है।
489	A	"अनुसूची OS" में, 3d को 3a +3b+3c के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची OS में, 3a+3b+3c की राशि 3d के बराबर नहीं है।
490	A	यदि अनुसूची OS में, Sl.no 1c शून्य या अमान्य के बराबर है तो Sl.no.3b अवक्षयण कटौती शून्य या	अन्य स्रोत अनुसूची में - 1c शून्य या अमान्य के बराबर है और Sl.no 3 b शून्य से अधिक है
491	A	"अनुसूची OS" में 7 अन्य स्रोतों से आय [दौड़ के घोड़ों के मालिक होने और उनका रख रखाव करने के अलावा] [2 +6] की राशि के बराबर होनी चाहिए।	अनुसूची OS में, Sl.no 2+6 की राशि [यदि ऋणात्मक है तो 0 दर्ज करें] Sl.no. 7 के बराबर केवल तब नहीं होती यदि sl.no.6 0 या > 0 है। टिप्पणी: यदि sl.no.6 पर मूल्य नकारात्मक है, तो sl.no. 7 को sl.no.2 के बराबर होना चाहिए।
492	A	अनुसूची OS में, Sl.no 8e अतिशेष sl.no 8a-8b+8c+8d की राशि के	अनुसूची OS में, 8a -8b+ 8c+ 8d की राशि Sl.no 8e के बराबर नहीं है

493	A	"अनुसूची OS" में 9 "अन्य स्रोतों से आय" 7+8e की राशि के बराबर होनी चाहिए।	यदि अनुसूची OS में, 7 + 8e की राशि (यदि नकारात्मक है तो 8e शून्य है) Sl.no. 9 के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यह शर्त तभी लागू होगी जब 8e शून्य हो या शून्य से अधिक हो। यदि 8e नकारात्मक है, तो sl.no. 9 को sl.no.7 के बराबर होना चाहिए।
494	A	"अनुसूची OS" में "विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की प्रकृति में पास थू आय" की राशि को राशि स्तम्भ में दर्ज किए गए अन्य स्रोतों की राशि	"अनुसूची OS" में, यदि 2d सभी ड्रॉप डाउन की राशि के बराबर नहीं है। (नए अनुभाग जोड़े गए। तो कृपया संहिता में सम्मिलित करें)
495	A	"अनुसूची OS" में क्षेत्र 1(d) पर मूल्य (di + dii + diii + div + dv) की राशि के बराबर होना चाहिए।	Sl.no.1d पर मूल्य SL.no. 1di+1dii+1diii+1div+1dv की राशि के बराबर नहीं है।
496	A	करदाता एक अनिवासी है और धारा 115BBF के तहत आय प्रदर्शित कर रहा है।	स्थिति फ़ाइल करने में आवासीय स्थिति "अनिवासी" है और अनुसूची OS की क्रम संख्या 2cxvi शून्य से अधिक है। [JFI : PTI 115BBF और BP_115BBF को sl.no-263 पर नियम के अंतर्गत कवर किया गया है]
497	A	अनुसूची OS की - तालिका 2e के स्तम्भ 3 में, 1ai के स्तम्भ 2 की आय की राशि के सभी ड्रॉप डाउन मूल्यों की राशि क्षेत्र 1ai "लाभांश आय"	अनुसूची OS में, स्तम्भ "मद संख्या .1 और 2 जिसमें शामिल हैं" में sl.no.2e पर ड्रॉप डाउन "1ai" के लिए "राशि" की राशि क्षेत्र 1ai पर मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए
498	A	अनुसूची OS- तालिका 2e के स्तम्भ 3 में, 1b की आय की राशि स्तम्भ 2 के ड्रॉप डाउन मूल्य की राशि क्षेत्र 1b "ब्याज, सकल" से अधिक नहीं होनी चाहिए	अनुसूची OS में, स्तम्भ "मद संख्या .1 और 2 जिसमें शामिल हैं" के sl.no.2e पर, ड्रॉप डाउन "1b" के लिए "राशि" की राशि क्षेत्र 1b पर मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए टिप्पणी: यदि 1b नकारात्मक है, तो उससे DTAA की अनुमति नहीं होगी
499	A	अनुसूची OS में, तालिका 2e के स्तम्भ 3, स्तम्भ 2 के 1c की आय की राशि के सभी ड्रॉपडाउन मूल्यों का योग, क्षेत्र 1c "संयंत्र, पौधों, भवनों"	अनुसूची OS में, sl.no.2e पर स्तम्भ "जिसमें शामिल है मद संख्या .1 और 2", ड्रॉप डाउन "1c" के लिए "राशि" का योग खंड 1c में सभी ड्रॉपडाउन की राशियों के योग के साथ मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए

		सकल" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
500	A	अनुसूची OS में, तालिका 2e के स्तम्भ 3, स्तम्भ 2 के 1d की आय की राशि के सभी ड्रॉपडाउन मूल्यों का योग, क्षेत्र 1d "अनुभाग 56(2)(x) में निर्दिष्ट प्रकृति के आय, जो	अनुसूची OS में, sl.no.2e पर स्तंभ में "जिसमें शामिल है मद संख्या .1 और 2", ड्रॉप डाउन "1d" के लिए "राशि" का योग खंड 1d में सभी ड्रॉपडाउन की राशियों के योग के साथ मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए
501	A	अनुसूची OS - तालिका 2e के स्तम्भ 3 में, 2a की आय की राशि स्तम्भ 2 के ड्रॉप डाउन मूल्य की राशि क्षेत्र 2a "धारा 115BB के अंतर्गत प्रभार्य लॉटरियों, वर्ग पहलियों से	अनुसूची OS में, sl.no.2e पर स्तम्भ "मद संख्या .1 और 2 जिसमें शामिल हैं" में, ड्रॉप डाउन "2a" के लिए "राशि" की राशि क्षेत्र 2a पर मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए
502	A	अनुसूची OS में, तालिका 2e के स्तम्भ 3, स्तम्भ 2 के 2c की आय की राशि के सभी ड्रॉपडाउन मूल्यों का योग, क्षेत्र 2सी "अन्य कोई आय जो विशेष दर पर प्रभार्य हो" से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अनुसूची OS में, sl.no.2e पर स्तम्भ "जिसमें शामिल है मद संख्या .1 और 2", ड्रॉप डाउन "2c" के लिए "राशि" का योग खंड 2c में सभी ड्रॉपडाउन की राशियों के योग के साथ मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए (नए अनुभाग जोड़े गए। तो कृपया संहिता में सम्मिलित करें)
503	A	अनुसूची OS में - तालिका 2e, के स्तम्भ 3 में, 2d के आय की राशि स्तम्भ 2 की ड्रॉप डाउन मूल्य की राशि ऊपर के क्षेत्र 2d "विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पास करने	अनुसूची OS में, sl.no.2e पर स्तंभ में "जिसमें शामिल है मद संख्या .1 और 2", ड्रॉप डाउन "2d" के लिए "राशि" का योग खंड 2d में सभी ड्रॉपडाउन की राशियों के योग के साथ मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए (नए अनुभाग जोड़े गए। तो कृपया संहिता में सम्मिलित करें)

504	A	<p>nullअनुसूची OS क्षेत्र 6 में "सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय" [1 - 3 + 4 + 5 - 1 से संबंधित DTAA] के बराबर होनी चाहिए यानि "सामान्य लागू दरों पर कर के लिए प्रभार्य सकल आय" [1a+1b+1c+1d+1e] - धारा 57 के अंतर्गत कटौतियां + धारा 58 के तहत कटौती ना होने वाली राशियां + धारा 59</p>	<p>अनुसूची OS में - Sl.no.1 की राशि [DTAA हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद]-3+4+5 को 6 के बराबर होना चाहिए अनिवासी के लिए DTAA आय केवल तभी कम की जाएगी जब TRC फ्लैग " हाँ " हो। टिप्पणी: यदि 1b नकारात्मक है, तो उससे DTAA की अनुमति नहीं होगी</p>
505	D	<p>धारा 115BBF के अंतर्गत आय तभी घोषित की जा सकती है यदि विवरणी नियत तिथि के अंदर फ़ाइल कर दी गई हो</p>	<p>यदि धारा 139[4] के तहत विवरणी फ़ाइल की गई हो और अनुसूची OS की क्रम संख्या 2cxvi - 115BBF या 2dxiv 115BBF-PTI या अनुसूची BP में 3d शून्य से अधिक हैं। टिप्पणी: यदि 2c में 115BBF > 0 या 2d में PTI-115BBF > 0 या अनुसूची BP में 3d > 0 और ITR फ़ाइलिंग अनुभाग को ITR में 139[4] के तौर पर चुना गया है, तो श्रेणी D को अपलोड शुरू करना चाहिए। PFA प्रयोजन के लिए, नियत तिथि परिभाषित करें और यदि ITR नियत तिथि के बाद फ़ाइल की जाती है तो नियम शुरू करें</p>
506	A	<p>अनुसूची OS" में 2e में "स्तम्भ 10 पर लागू दर" संधि के अनुसार स्तम्भ दर की निम्नतर होनी चाहिए या I.T. अधिनियम के अनुसार दर</p>	<p>अनुसूची OS, क्रम संख्या 2e में, स्तम्भ 10 स्तम्भ 6 [संधि के अनुसार दर] और स्तम्भ 9 [IT अधिनियम के अनुसार दर] - निवासियों के लिए का निम्नतर नहीं है अनिवासियों के लिए - क्रम संख्या 2e, स्तम्भ 10 स्तम्भ 6 [संधि के अनुसार दर] और स्तम्भ 9 [IT अधिनियम के अनुसार दर] का निम्नतर नहीं है, केवल तभी यदि TRC फ्लैग Y है</p>

507	A	अनुसूची OS में - क्रम संख्या 1 से संबंधित $2a+2b+2c+2d+2e$ एलिमेंट का योग SL.no.2 के बराबर होना चाहिए	अनुसूची OS में - क्रम संख्या 1 से संबंधित $2a+2b+2c+2d+2e$ एलिमेंट का योग SL.no.2 के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि निवासी स्थिति "निवासी" है, तो sl.no.1 से संबंधित तत्वों को हमेशा जोड़ें। यदि निवासी स्थिति "अनिवासी" है, तो sl.no.1 से संबंधित तत्व तभी जोड़ें यदि TRC फ्लैग "हाँ" है। यदि TRC फ्लैग "नहीं" है, तो कृपया ना जोड़ें।
508	A	अनुसूची OS में, क्रम संख्या 1b, $(bi+bii+biii+biv+bv)$ के योग के बराबर होनी चाहिए	अनुसूची OS में, क्रम संख्या 1b, $(bi+bii+biii+biv+bv)$ के योग के बराबर होनी चाहिए
509	A	अनुसूची OS में, क्रम संख्या 10, "धारा 115BB के तहत लॉटरियों से जीतने पर प्राप्त होने वाली आय" का तिमाही ब्योरा, क्रम संख्या 2a "धारा 115BB के तहत प्रभार्य लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहेलियों आदि से जीत पर प्राप्त होने वाली राशि" के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची OS में, क्रम संख्या 10 धारा 2(24)(ix) $(i+ii+iii+iv+v)$ में निर्दिष्ट लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहेलियों, दौड़, खेल, जुआ, सट्टेबाजी आदि में जीतने पर प्राप्त होनी वाली आय का तिमाही ब्योरा क्रम संख्या 2a धारा 115BB के तहत प्रभार्य लॉटरियों, क्रॉसवर्ड पहेलियों आदि से जीत पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होनी चाहिए टिप्पणी: अनुसूची OS में, अनिवासियों के लिए - DTAA आय तभी कम की जाएगी यदि sl संख्या 2e की स्तंभ संख्या 7 पर TRC फ्लैग हाँ है
510	A	अनुसूची BFLA SI संख्या 2 "HP हानि अग्रणीत" क्रम संख्या 4c (xiii) "उपरोक्त हानियों का CFL की अनुसूची BFL" में समायोजन" के बराबर होना	अनुसूची BFLA CFL की SI संख्या 2(i) $4c(xiv)$ $4(xiii)$ के बराबर नहीं है
511	A	अनुसूची BFLA SI संख्या 2 $(ii+iii+iv+v)$ को CFL की sl संख्या xiii $(5+6+7+8)$ के	अनुसूची BFLA SI संख्या 2 $(ii+iii+iv+v)$ को CFL की sl संख्या xiii $(5+6+7+8)$ के बराबर होना चाहिए
512	A	अनुसूची BFLA SI संख्या 2(xiv) को CFL की sl संख्या 11(xiv) के बराबर होना	अनुसूची BFLA की SI संख्या 2(xiv) CFL की sl संख्या 11(xiiiiv) के बराबर नहीं है

513	A	यदि "अनुसूची BFLA में, क्षेत्र xvi पर स्तंभ 2 "समायोजित की गई अग्रणीत हानि का कुल" पर मूल्य स्तंभ 2 के [2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xii+2xiv] के बराबर होना	यदि क्षेत्र 2xvi पर मूल्य sl संख्या (2i+2ii+2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xi+2xii+2xiv) के योग के बराबर नहीं है।
514	A	"अनुसूची BFLA" में, क्षेत्र xvii पर मूल्य "समायोजन के बाद शेष वर्तमान वर्ष की आय का कुल(5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv) स्तंभ 5 का "(5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv) स्तंभ 5 के बराबर होना	यदि क्षेत्र 5xvii पर मूल्य sl संख्या [5i+5ii+5iii+5iv+5v+5vi+5vii+5viii+5ix+5x+5xi+5xii+5xiii+5xiv+5xv] के योग के बराबर नहीं है।
515	A	अनुसूची BFLA में, क्षेत्र xvi के स्तंभ 3 "अग्रणीत नुकसान का कुल समायोजन" का मूल्य स्तंभ 3 के [3i+3ii+3iii+3iv+3v+3vi+3vii+3viii+3ix+3x+3xi+3xii+3xiii+3xiv+3xv] के बराबर	यदि क्षेत्र 3xvi पर मूल्य sl संख्या [3i+3ii+3iii+3iv+3v+3vi+3vii+3viii+3ix+3x+3xi+3xii+3xiii+3xiv+3xv] की राशि के बराबर नहीं है
516	A	यदि अनुसूची BFLA में क्षेत्र xvi के स्तंभ 4 "अग्रणीत नुकसान का कुल समायोजन" पर मूल्य स्तंभ 4 के [4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii+4viii+4ix+4x+4xi+4xii+4xiii+4xiv+4xv] के बराबर होना	यदि क्षेत्र 4xvi पर मूल्य sl संख्या [4i+4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii+4viii+4ix+4x+4xi+4xii+4xiii+4xiv+4xv] की योग के बराबर नहीं है
517	A	अनुसूची BFLA में 1(i) "गृह संपत्ति" अनुसूची CYLA के	यदि BFLA में क्षेत्र 1i पर मूल्य अनुसूची CYLA की sl संख्या [5ii के बराबर नहीं है]
518	A	अनुसूची BFLA में 1(ii) "कारोबार [सट्टा आय और निर्दिष्ट कारोबार से आय के अलावा]" अनुसूची CYLA के	यदि BFLA में क्षेत्र 1ii पर मूल्य sl संख्या (अनुसूची CYLA के 5iii) के बराबर नहीं है

519	A	अनुसूची BFLA 1(iv) में "सट्टे आय" अनुसूची CYLA के	यदि BFLA में क्षेत्र 1iv पर मूल्य sl संख्या (अनुसूची CYLA की 5v) के बराबर नहीं है
520	A	अनुसूची BFLA 1(v) में "निर्दिष्ट कारोबार आय" अनुसूची CYLA के 5(vi) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1v पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5vi] के बराबर नहीं है
521	A	अनुसूची BFLA 1(vi) में "15% पर कराधेय अल्पकालिक पूँजीगत लाभ" अनुसूची CYLA के 5(vii) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1vi पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5vii] के बराबर नहीं है
522	A	अनुसूची BFLA 1(vii) में "30% पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ" अनुसूची CYLA के 5(viii) के समान होना	यदि BFLA में क्षेत्र 1vii पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5viii] के बराबर नहीं है
523	A	अनुसूची BFLA 1(viii) में "लागू दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूँजीगत लाभ" अनुसूची CYLA के 5(ix) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1viii पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5ix] के बराबर नहीं है
524	A	अनुसूची BFLA 1(ix) में "DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूँजीगत लाभ कराधेय" अनुसूची CYLA के 5(x) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1ix पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5x] के बराबर नहीं है
525	A	अनुसूची BFLA 1(x) में "10% पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ" अनुसूची CYLA के 5(xi) के समान	यदि BFLA में क्षेत्र 1x पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xi] के बराबर नहीं है
526	A	अनुसूची BFLA 1(xi) में "20% पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ" अनुसूची CYLA के 5(xii) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1xi पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xii] के बराबर नहीं है
527	A	अनुसूची BFLA 1(xii) में "DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ" अनुसूची CYLA के 5(xiii) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1xii पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xiii] के बराबर नहीं है

528	A	अनुसूची BFLA 1(xiii) में "सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय" अनुसूची CYLA के 5(xiv) के	यदि BFLA में क्षेत्र 1xiii पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xiv] के बराबर नहीं है
529	A	अनुसूची BFLA 1(xiv) "दौड़ के घोड़ों के मालिक होने और उनके रख रखाव से मुनाफ़ा" अनुसूची CYLA के	यदि BFLA में क्षेत्र 1xiv पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xv] के बराबर नहीं है
530	A	अनुसूची BFLA 1(xv) में "DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय" अनुसूची CYLA के 5(xvi) के समान	यदि BFLA में क्षेत्र 1xv पर मूल्य sl संख्या [अनुसूची CYLA की 5xvi] के बराबर नहीं है
531	A	"अनुसूची CFL पर अल्पकालिक पूँजी हानि" अनुसूची CG की तालिका E पर "समायोजन के बाद शेष बची अल्पकालिक पूँजीगत हानियाँ" की गणना के बराबर	अनुसूची CFL में अल्पकालिक पूँजी हानि के S.No. 9xv 9xiv में मूल्य [अनुसूची CG के मद E के $(2x+3x+4x+5x)$] के बराबर नहीं है। टिप्पणी : यह नियम तभी लागू होगा यदि विवरणी अनुभाग 139(1) के अंतर्गत फ़ाइल गई है।
532	A	"अनुसूची CFL पर दीर्घकालिक पूँजी हानि" अनुसूची CG की तालिका E पर "समायोजन के बाद शेष दीर्घकालिक पूँजी हानि" की	अनुसूची CFL में दीर्घकालिक पूँजी हानि के S.No. 10xv 10xiv में मूल्य [अनुसूची CG के मद E के $(6x+7x+8x)$] के बराबर नहीं है टिप्पणी : यह नियम तभी लागू होगा यदि विवरणी अनुभाग 139(1) के अंतर्गत फ़ाइल गई है।
533	A	अनुसूची CFL के 4xiv पर मूल्य अनुसूची CYLA के 2xviii के बराबर होना	अनुसूची CFL के 4xv 4xiv पर मूल्य अनुसूची CYLA के 2xviii के बराबर नहीं है।
534	A	अनुसूची CFL के 5xiv पर मूल्य अनुसूची CYLA के 3xviii के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची CFL के 5xv 5xiv पर मूल्य अनुसूची CYLA के 3xviii के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यदि धारा 139[1] के तहत विवरणी फ़ाइल की गई है तो इस शर्त की जाँच होनी चाहिए
535	A	sl.no.6(xiv) पर अनुसूची CFL पर सट्टा कारोबार हानि नुकसान के मामले में sl.no.B43 पर "अनुसूची BP	अनुसूची CFL के 6xv 6xiv पर मूल्य अनुसूची BP के B43 गुणा [-1] के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यदि धारा 139[1] के तहत विवरणी फ़ाइल की गई है तो इस शर्त की जाँच होनी चाहिए

		आय/हानि" की राशि के बराबर होनी चाहिए।	
536	A	sl.no.7xiv पर अनुसूची CFL पर हानि के मामले में निर्दिष्ट कारोबार हानि sl.no.C49 पर "अनुसूची BP पर निर्दिष्ट कारोबार से आय/हानि" की	अनुसूची CFL के 7xv 7xiv पर मूल्य अनुसूची BP के C49 गुणा [-1] के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यदि धारा 139[1] के तहत विवरणी फ़ाइल की गई है तो इस शर्त की जाँच होनी चाहिए
537	A	sl.no.11xvi पर अनुसूची CFL पर "दौड़ के घोड़ों का मालिक होने और उनके रख रखाव से मौजूदा वर्ष में हानि" अनुसूची OS के 8e पर राशि के बराबर होनी	अनुसूची CFL पर 11xiv में मूल्य अनुसूची OS के [-1] मूल्य गुणा S.No.8e के बराबर होना चाहिए। टिप्पणी : यह नियम तभी लागू होगा यदि विवरणी अनुभाग 139(1) के अंतर्गत फ़ाइल गई है।
538	A	अनुसूची CYLA में, क्रम संख्या 2xvii, रु.200000 से अधिक नहीं हो सकती है	क्रम संख्या 2xvii, रु.200000 से अधिक नहीं हो सकती है इस नियम का कार्यान्वयन केवल स्तंभ 2 अर्थात् "गृह संपत्ति" के लिए करना आवश्यक है
539	A	sl.no.2i पर अनुसूची CYLA पर दावा की गई गृह संपत्ति हानि" को हानि के मामले में sl.no "अनुसूची HP" के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची CYLA का 2i शून्य से अधिक है, और CYLA अनुसूची के 2i में मूल्य [(-1) मूल्य गुणा (HP अनुसूची के 4)] के बराबर नहीं है।
540	A	अनुसूची CYLA में, sl.no.3i पर मूल्य अनुसूची BP की तालिका E के SL.no.2vi के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची CYLA का 3i शून्य से अधिक है, और अनुसूची CYLA के 3i पर मूल्य [अनुसूची BP की तालिका F E के S.No 2vi] के बराबर नहीं है

541	A	अनुसूची CYLA में, sl.no.4i पर मूल्य हानि में अनुसूची OS SL.no.6 के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची CYLA का 4i शून्य से अधिक है, और अनुसूची CYLA के 4i में मूल्य द्वारा गुणा मूल्य[(-1) के बराबर नहीं है (अनुसूची OS का 6)]।
542	A	"अनुसूची CYLA में, क्षेत्र xvii पर स्तंभ 2 की "कुल समायोजित हानि" स्तंभ 2 के (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii + xiii + xiv + xv + xvi) के बराबर रु.200000 अधिकतम तक होनी चाहिए।	अनुसूची CYLA के 2xvii में मूल्य [2iii+2iv+2v+2vi+2vii+2viii+2ix+2x+2xii+2xiii+2xiv+2xv+2xvi] की राशि के बराबर नहीं है टिप्पणी: यह "कुल समायोजित हानि" क्षेत्र रु.200000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए यदि योग 200000 से अधिक होती है, तो 200000 तक प्रतिबंधित करें ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें
543	A	"अनुसूची CYLA में, क्षेत्र xvii स्तंभ 3 की "कुल समायोजित हानि" पर मूल्य स्तंभ 3 के (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii + xiii + xiv + xv + xvi) के	Sl.no 3xvii अर्थात् अनुसूची CYLA पर मूल्य [3ii+3vii+3viii+3ix+3x+3xi+3xii+3xiii+3xiv+3xv+3xvi] के योग के बराबर नहीं है ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें
544	A	"अनुसूची CYLA में, क्षेत्र xvii स्तंभ 4 की "कुल समायोजित हानि" पर मूल्य स्तंभ 4 के (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii + xiii + xiv + xv + xvi) के बराबर होना	Sl.no 4xvii अर्थात् अनुसूची CYLA में मूल्य [4ii+4iii+4iv+4v+4vi+4vii+4viii+4ix+4x+4xi+4xii+4xvi+4xv+4xi] के योग के बराबर नहीं है ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें
545	A	"अनुसूची CYLA में, खंड (xviii) स्तंभ 2 के "समायोजन के बाद बची हानि" पर मूल्य 2(i) - 2(xvii) के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची CYLA के 2xviii में मूल्य Sl.no.2i-2xvii के आउटपुट के बराबर नहीं है ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक हैं, तो शून्य तक प्रतिबंधित करें

546	A	"अनुसूची CYLA में, खंड (xviii) स्तंभ 3 के "समायोजन के बाद बची हानि" पर मूल्य 3(i) - 3(xvii) के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची CYLA के 3xviii में मूल्य, Sl.no. 3i-3xvii के आउटपुट के बराबर नहीं है ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक हैं, तो शून्य तक प्रतिबंधित रहें
547	A	"अनुसूची CYLA में, खंड (xviii) स्तंभ 4 के "समायोजन के बाद बची हानि" पर मूल्य 4(i) - 4(xvii) के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची CYLA के 4xviii में मूल्य, Sl.no. 4i-4xvii के आउटपुट के बराबर नहीं है ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक हैं, तो शून्य तक प्रतिबंधित रहें
548	A	अनुसूची CYLA में, स्तंभ संख्या 5 "समायोजन के बाद बची मौजूदा वर्ष की आय" स्तंभ संख्या 1-2-3-4 के आउटपुट के बराबर होना चाहिए	अनुसूची CYLA में, स्तंभ संख्या 5 "समायोजन के बाद बची मौजूदा वर्ष की आय" स्तंभ संख्या 1-2-3-4 के आउटपुट के बराबर होना चाहिए ध्यान दें : 115B खंड को हटा दें टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य पर प्रतिबंधित
549	A	अनुसूची CYLA में, 1iii में मूल्य केवल यदि A 38 सकारात्मक है तो, अनुसूची BP के A39 के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: केवल यदि A38	अनुसूची CYLA के 1iii में मूल्य अनुसूची BP के A38 के बराबर नहीं है टिप्पणी: केवल यदि A38 सकारात्मक है।
550	A	अनुसूची CYLA में, सट्टेबाजी आय अनुसूची BP की तालिका E के SL.no. 3ii के बराबर होनी चाहिए	Value in 1v of Schedule CYLA is not equal to E3ii of Schedule BP
551	A	अनुसूची CYLA में, निर्दिष्ट कारोबार आय अनुसूची BP की तालिका E के SL.no.	Value in 1vi of Schedule CYLA is not equal to E3iii of Schedule BP
552	A	अनुसूची CYLA में, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ @15% अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9ii के बराबर	अनुसूची CYLA के 1vii में मूल्य अनुसूची CG के मद E के Sl.no. 9ii के बराबर नहीं है

553	A	अनुसूची CYLA में, अल्पकालिक पूँजीगत लाभ @30% अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9iii के बराबर	अनुसूची CYLA के 1viii में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9iii के बराबर नहीं है
554	A	अनुसूची CYLA में, लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजीगत लाभ अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9iv के	अनुसूची CYLA के 1ix में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9iv के बराबर नहीं है
555	A	अनुसूची CYLA में DTAA के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजीगत लाभ अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9v के बराबर होना	अनुसूची CYLA के 1x में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9v के बराबर नहीं है
556	A	अनुसूची CYLA में, दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कराधेय @10% अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9vi	अनुसूची CYLA के 1xi में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9 के बराबर नहीं होना चाहिए
557	A	अनुसूची CYLA में, दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कराधेय @20% अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9vii	अनुसूची CYLA के 1xii में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9vii के बराबर नहीं है
558	A	अनुसूची CYLA में, DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9viii के	अनुसूची CYLA के 1xiii में मूल्य अनुसूची CG के मद E के SL.no. 9viii के बराबर नहीं है
559	A	अनुसूची CYLA में, sl.no. 1xiv पर अन्य स्रोतों से आय अनुसूची OS के SL.no. 6 के बराबर होनी	अनुसूची CYLA के 1xiv में मूल्य अनुसूची OS के SL.no. 6 के बराबर नहीं है (केवल यदि 6 सकारात्मक है)
560	A	अनुसूची CYLA में, sl.no. 1xv पर दौड़ के घोड़ों का मालिक होने और उनके रख रखाव से मुनाफ़ा अनुसूची OS के SL.no. 8e	अनुसूची CYLA के 1xv में मूल्य अनुसूची OS के SL.no. 8e के बराबर नहीं है (केवल यदि 8e सकारात्मक है)

561	A	अनुसूची CYLA में, DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय अनुसूची OS के SL.no. 2f के बराबर होनी	अनुसूची CYLA के 1xvi का मूल्य अनुसूची OS के Sl.no. 2 के बराबर नहीं है
562	A	केवल निवासी भागीदारी फर्म ही धारा 44AD और धारा 44ADA के तहत प्रकल्पित आय की घोषणा कर सकती है	यदि स्थिति अन्य है ["फर्म" और उपस्थिति है "भागीदारी फर्म" और "निवासी स्थिति" = "निवासी"] और अनुसूची BP में धारा 44AD के तहत sl.no.36(i) पर या धारा 44ADA के तहत क्रम संख्या 36(ii) पर आय शून्य से अधिक है।
563	A	DTAA के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य STCG अनुसूची BFLA में sl.no.5ix के बराबर होना चाहिए	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA offered in schedule SI is not equal to amount offered in sl no5ix of schedule BFLA
564	A	DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य LTCG अनुसूची BFLA में sl.no.5xii के बराबर नहीं है	LTCG chargeable at special rates in India as per DTAA offered in schedule SI is not equal to amount offered in sl no5xii of schedule BFLA
565	A	अनुसूची CG में तालिका F पर क्षेत्र "DTAA दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजीगत लाभ" की सभी तिमाहियों का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(ix) "DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 4 सभी तिमाहियों का ब्योरा अनुसूचि BFLA के मद 5ix से मूल्य के बराबर नहीं है
566	A	अनुसूची CG में तालिका F पर क्षेत्र "दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कराधेय @DTAA दर" की सभी तिमाहियों का कुल अनुसूची BFLA के क्षेत्र 5(xii) "DTAA	अनुसूची CG में, तालिका F क्रम संख्या 7 सभी तिमाहियों का ब्योरा अनुसूचि BFLA के मद 5xii से मूल्य के बराबर नहीं है

		दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ" के समान होना चाहिए	
567	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, '3a(iv)' DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य का मूल्य "अनुसूची CG" के मद E के 9v" के बराबर होना चाहिए	In Part B TI , the value in Pt3aiv -"Short term chargeable @ special rate in India as per DTAA > 0 और यह मूल्य अनुसूची CG में मद E के "क्षेत्र 9v के बराबर नहीं है"
568	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, '3b(iii)' "DTAA के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य" का मूल्य "अनुसूची CG" के "मद E के 9viii" के बराबर होना चाहिए	In Part B TI , the value in Pt3biii -"Long term chargeable @ special rate in India as per DTAA > 0 और यह मूल्य अनुसूची CG के "मद E के क्षेत्र 9viii" में मूल्य के बराबर नहीं है
569	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या A "DTAA तालिका" लागू दर स्तंभ 6 (संधि के अनुसार दर) या स्तंभ 9 (IT अधिनियम के अनुसार दर) से कम होना चाहिए	If in Schedule CG, Sl. No. A9 , Col. 10 Applicable Rate is not equal to lower of Col. 6 or Col. 9 - For residents For Non residents - sl no A9 , column 10 is not equal to lower of column 6 and column 9, only if TRC flag is Y
570	A	अनुसूची CG में, क्रम संख्या B "DTAA" स्तंभ 10 लागू दर स्तंभ 6 (संधि के अनुसार दर) या स्तंभ 9 (IT अधिनियम के अनुसार दर) से कम होना चाहिए	यदि अनुसूची CG में, क्रम संख्या B12, स्तंभ 10 लागू दर, निवासियों के लिए - स्तंभ 6 या स्तंभ 9 से कम या उसके बराबर नहीं है गैर निवासी के लिए - sl नंबर B12, स्तंभ 10 स्तंभ 6 और स्तंभ 9 के निचले हिस्से के बराबर नहीं है, केवल तब जब TRC फ्लैग Y है
571	A	अनुसूची BP में, "धारा 32(1)(i) के तहत मूल्यहास स्वीकार्य" का दावा वहाँ किया जा सकता है जहाँ "कारोबार की प्रकृति" को विद्युत क्षेत्र (कोड 05001	(i) अनुसूची BP के बिंदु 12(ii) में मूल्य "धारा 32(1)(i) के तहत अनुमत अवक्षयण " शून्य से अधिक है और व्यवसाय कोड की प्रकृति भाग A सामान्य (2) में 05001 या 06008 के अलावा है

572	A	<p>क्रम संख्या A4c पर अनुसूची BP अर्थात् नियम 7A, 7B(1), 7B(1A) और 8 के अंतर्गत शामिल गतिविधियों से आय से राशि को तभी घटाया जा सकता है जब कारोबार कोड को क्रमशः 1003 , 1002, 1001 के रूप में चुना गया हो</p>	<p>यदि क्रमांक A4c में राशि "नियम 7A" के अन्तर्गत अनुसूची BP >0 है और कोई भी कारोबार संहिता 1003 स्वरूप में कारोबार की अनुसूची प्रक्रिया में चयनित नहीं है----तो नियम लागू हो जाना चाहिए। या / और यदि अनुसूची BP की sl. संख्या A4c "नियम 7B(1) या नियम 7B(1A)" पर राशि >0 है और कारोबार की अनुसूची प्रकृति में 1002 के रूप में चुनी गई कारोबार कोड की प्रकृति में से कोई भी नहीं----- तो नियम लगना चाहिए या / और यदि अनुसूची BP की sl. संख्या A4c "नियम 8" पर राशि >0 है और कारोबार की अनुसूची प्रकृति में 1001 के रूप में चुनी गई कारोबार कोड की प्रकृति में से कोई भी</p>
573	A	<p>अनुसूची CG में, यदि A1(aii) A1(ai) से 1.10 गुना से अधिक नहीं होता, A1(aiii) पर मूल्य A1(ai) के बराबर होगा, अन्यथा A1(aiii) पर</p>	<p>अनुसूची CG में, यदि A1(aii) A1(ai) से 1.05 1.10 गुना से अधिक नहीं होता, A1(aiii) पर मूल्य A1(ai) के बराबर होगा, अन्यथा A1(aiii) पर मूल्य A1(aii) के बराबर होगा</p>
574	A	<p>अनुसूची CG में, यदि B1(aii) B1(ai) से 1.10 गुना से अधिक नहीं होता, B1(aiii) पर मूल्य B1(ai) के बराबर होना चाहिए, अन्यथा B1(aiii) पर मूल्य B1(aii) के</p>	<p>अनुसूची CG में, यदि B1(aii) B1(ai) से 1.05 1.10 गुना से अधिक नहीं होता, B1(aii) पर मूल्य B1(ai) के बराबर होगा, अन्यथा A1(aiii) पर मूल्य B1(aii) के बराबर होगा</p>
575	D	<p>निर्धारित लेखा वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म 3CFA प्रस्तुत किए बिना अनुभाग 115BBF के अंतर्गत आय दिखाई है या फॉर्म 3CFA नियम विधि के अंतर्गत</p>	<p>यदि अनुसूची OS के "S.No 2cxvi" अनुसूची OS के 2dxvi/अनुसूची BP के sl.no.3d पर दर्ज किया गया मूल्य शून्य से अधिक है लेकिन लेखा वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 3CFA दाखिल नहीं किया गया है</p>
576	A	<p>"अनुसूची EI" में sl.no.3 पर अन्य करमुक्त आय का कुल व्यक्तिगत स्तम्भों में दर्ज किए गए मूल्य के बराबर</p>	<p>"अनुसूची EI" में sl.no.3 पर अन्य करमुक्त आय का कुल व्यक्तिगत स्तम्भों में दर्ज किए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए</p>

57	A	"अनुसूची AMTC" में स्तम्भ D यह स्तम्भ B3 - स्तम्भ C के मूल्य के बराबर होना चाहिए	"अनुसूची AMTC" में स्तम्भ D अतिशेष जमा अग्रणीत राशि स्तम्भ B3 (चालू निर्धारण वर्ष को अग्रणीत अतिशेष) - स्तम्भ C (चालू निर्धारण वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई जमा राशि) के भेद के बराबर होनी चाहिए टिप्पणी: पंक्ति "चालू वर्ष" और "कुल पंक्ति" के लिए शर्त लागू नहीं। टिप्पणी 2: यदि 115BAD को "हाँ" के रूप में चुना जाता है, तो यह नियम लागू नहीं होगा
57	A	In "Schedule AMTC" in field 4 column (B3) Balance brought forward to the current assessment year should be equal to B1-B2	In "Schedule AMTC" in field 4 column (B3) Balance brought forward to the current assessment year should be equal to B1-B2 टिप्पणी: SL.no.i से SL.no.viii के लिए लागू
57	A	In "Schedule Part B TTI" point "Advance Tax" paid is not equal to the sum of total Tax Paid in schedule IT where date of deposit is between 01/04/2020 and 31/03/2021.	अनुसूची IT में सन्दत कुल कर की राशि जहाँ जमा की तारीख 01/04/2020 और 31/03/2021 के बीच है यह क्षेत्र 10a "अनुसूची भाग BTTI का अग्रिम कर" में बताई गई राशि के बराबर नहीं है
58	A	In "Schedule Part B TTI" Self-Assessment Tax is not equal to the sum of total Tax Paid in schedule IT where date of deposit is after 31/03/2021 for A.Y 2021-22.	अनुसूची IT में सन्दत कुल कर की राशि जहाँ लेखा वर्ष 2021-22 के लिए जमा की तारीख 31/03/2021 के बाद है अनुसूची भाग BTTI के क्षेत्र 10d स्व-निर्धारण कर में बताई गई राशि के बराबर नहीं है
58	A	In schedule BP, Total depreciation allowable under Income-tax Act at Sl no A12iii should be equal to sum of Sl no A(12i+12ii)	Sl no A12iii should be equal to sum of Sl no A(12i+12ii)
58	A	अनुसूची BP में, Sl.no.23 भाग A OI के sl.no.5a से 5d पर दर्ज की गई राशि का	अनुसूची BP की क्रम संख्या 23 भाग A OI के 5(a+b+c+d) की राशि से कम होनी चाहिए

583	A	If Assessee selects field , "Whether during the year total sales/turnover/gross receipts of business exceeds 1 Crore Rupees but does not exceed 10 Crore Rupees" as Yes, then a2ii should be filled.	Audit Information, Sl. No. a2ii cannot be blank, if a2i is selected as Yes
584	A	If Assessee selects field , "Whether during the year total sales/turnover/gross receipts of business exceeds 1 Crore Rupees but does not exceed 5 Crore Rupees" as Yes, then a2iii should be filled.	Audit Information, Sl. No. a2iii cannot be blank, if a2i is selected as Yes
585	A	In Schedule CG Sl.no. A6g of STCG should be equal to the sum of A(6c+6d+6e-6f)	If in Sch CG A6g is not equal to A(6c+6d+6e-6f) टिप्पणी: यह शर्त केवल तभी लागू होगी जब (6c+6d+6e) का परिणाम > 0 हो Note : If 6c+6d+6e is <= 0, then A6g should be equal to 6c+6d+6e
586	A	अनुसूची 112A में, स्तम्भ संख्या 4,5 और 11 का मूल्य शून्य से अधिक नहीं हो सकता यदि ड्रॉप डाउन " 31 जनवरी 2018" के बाद के रूप में चुना गया है से प्रश्न "क्या शेयरों को 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किया गया था	अनुसूची 112A में, स्तम्भ संख्या .4 या 5 या 10 > पर मूल्य शून्य और स्तम्भ 1a पर ड्रॉप डाउन 31 जनवरी 2018" के रूप में चुना गया है" प्रश्न क्या शेयर 31.01.2018 को या उससे पहले अर्जित किए गए थे या 31.01.2018 के बाद?
587	A	अनुसूची 115AD(1)(b)(iii) में, स्तम्भ संख्या 4,5 या 11 पर मूल्य शून्य से अधिक नहीं हो सकता यदि ड्रॉप डाउन "null 31 जनवरी 2018 के बाद के रूप में चुना गया है" प्रश्न "क्या शेयर 31.01.2018 को या उससे पहले अर्जित किए गए थे	अनुसूची 115AD(1)(b)(iii) में, स्तम्भ संख्या .4 या 5 या 10 > पर मूल्य शून्य और ड्रॉप डाउन स्तम्भ संख्या 1a 31 जनवरी 2018 के बाद" के रूप में चुना गया है" प्रश्न क्या शेयर 31.01.2018 को या उससे पहले अर्जित किए गए थे या 31.01.2018 के बाद?

588	A	अनुसूची DPM में, क्रम संख्या 3a पर राशि शून्य होनी चाहिए यदि निर्धारिती ने धारा 115BAD के तहत कराधान का विकल्प नहीं	अनुसूची DPM में, क्रम संख्या 3a >0 और धारा 115BAD के तहत कर के लिए सामान्य भाग a में फ्लैग "हाँ" के अतिरिक्त कुछ और हैं
589	A	115BAD कराधान चुनने वाले निर्धारिती sl.no.12, 13 और 14 पर अतिरिक्त अवक्षयण का दावा नहीं कर सकते	अनुसूची DPM में, सभी दर स्तम्भों के लिए क्रम संख्या 12 पर राशि >0 या क्रम संख्या 13 पर राशि >0 या क्रम संख्या 14 पर राशि >0 या और धारा 115BAD के तहत कराधान के लिए भाग a में सामान्य फ्लैग
590	A	अनुसूची CFL में, क्रम संख्या 5b पर मूल्य "0" होना चाहिए यदि निर्धारिती ने 115BAD	अनुसूची CFL में, क्रम संख्या 5b >0 और धारा 115BAD के तहत कर प्रशासन को सामान्य भाग a में फ्लैग को "नहीं" या "खाली/अमान्य" के रूप में चुना गया है
591	A	अनुसूची UD में, क्रम संख्या 3a पर मूल्य "0" होना चाहिए यदि निर्धारिती ने 115BAD	अनुसूची UD में, क्रम संख्या .3a >0 और धारा 115BAD के तहत कर प्रशासन को सामान्य भाग a में फ्लैग को "नहीं" या "खाली/अमान्य" के रूप में चुना गया है।
592	A	कटौतियां धारा के तहत (i) अनुसूची 10AA या (ii) अनुसूची 80 या (iii) अध्याय VI-A के अंतर्गत भाग C की कटौतियां सिवाय 80JJAA और 80LA(1A) के 115BAD चुनने वाले	भाग BTI में sl.no.12a पर मूल्य >0 या VIA अनुसूची में क्रम संख्या 2d या 2e या 2f या 2g या 2h या 2i या 2j या 2l या 2n पर राशि सिस्टम परिकलित मूल्य >0 है और धारा अनुभाग 115BAD के अंतर्गत कर प्रशासन को सामान्य भाग a में फ्लैग को हाँ के रूप में चुना गया है

593	A	115BAD केवल निवासी सहकारी समाज द्वारा चुना जा सकता है"।	<p>धारा अनुभाग 115BAD के अंतर्गत कर प्रशासन को सामान्य भाग a में फ्लैग को हाँ के रूप में चुना गया है</p> <p>&</p> <p>स्थिति "AOP" के अतिरिक्त है या स्थिति AOP है लेकिन उप स्थिति नीचे दिए गए के अतिरिक्त है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राथमिक कृषि जमा समाज या 2. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या "एक प्राथमिक कृषि जमा समिति" या "एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के अलावा 3.Co-चालू बैंक या 4. अन्य सहकारी समिति" <p>या</p> <p>निवासी स्थिति "निवासी" के अतिरिक्त है [115BAD केवल AOP+ (प्राथमिक कृषि जमा समिति/प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/"प्राथमिक कृषि जमा समिति" या "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के अतिरिक्त सहकारी बैंक/अन्य सहकारी समिति) + निवासी] के लिए हाँ होना चाहिए। यदि यह इस संयोजन के अतिरिक्त किसी और के लिए "हाँ" है, नियम ट्रिगर करना चाहिए)</p>
594	A	अनुसूची DPM में 115BAD चुनने वाला निर्धारिती अवक्षयण @45% का दावा नहीं कर सकता	अनुसूची DPM में, स्तम्भ दर 45% पर मूल्य > 0 और धारा अनुभाग 115BAD के तहत कर प्रशासन को सामान्य भाग a में फ्लैग को "हाँ" के रूप में चुना गया है।

595	A	<p>अनुसूची BP में sl.no.48 पर 115BAD चुनने वाला निर्धारिती "अनुभाग 35AD(1)" के अनुसार कटौतियों का दावा नहीं कर सकता</p>	<p>अनुसूची BP में {sl.no. 48 "अनुभाग 35AD(1) के अनुसार कटौतियां"} पर मूल्य > 0 या SL.no.28 > 0 में "अनुभाग 32AD के अंतर्गत अनुज्ञेय कटौती" या अनुसूची ESR में क्षेत्रों के कॉलम 3 पर मूल्य 35(1)(ii) या 35(1)(ia) या 35(1)(iii) या 35(2AA) या 35CCC > 0 } हैं। और धारा अनुभाग 115BAD के तहत कर प्रशासन को सामान्य भाग</p>
596	A	<p>अनुसूची BP में sl.no.24(e) पर मूल्य अनुसूची ESR में सभी अनुभागों के लिए स्तम्भ 3 - स्तम्भ 2 के नकारात्मक मूल्यों की राशि के पूर्ण का न्यूनतम होना चाहिए</p>	<p>यदि अनुसूची BP की क्रम संख्या 24(e) अनुसूची ESR में प्रत्येक अनुभाग के लिए स्तम्भ 3-2 के ऋणात्मक मूल्यों के योग की समग्र मूल्य से कम है (टिप्पणी: पहले सभी अनुभागों के लिए स्तम्भ 3 - स्तम्भ 2 के अंतर का परिकलन करें। केवल "नकारात्मक मूल्यों" की राशि लें यदि sl.no.24(e) "इस राशि" के पूर्ण मूल्य से कम है, तो नियम ट्रिगर होना चाहिए।)</p>
597	A	<p>अनुसूची 112A में, स्तम्भ 6 कुल बिक्री मूल्य "31 जनवरी 2018 को या उससे पहले" खरीदे गए शेयरों के लिए स्तम्भ 4*स्तम्भ 5 के बराबर होना चाहिए</p>	<p>अनुसूची 112A में, स्तम्भ 6 कुल विक्रय मूल्य स्तम्भ 4* स्तम्भ 5 के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि अनुसूची 112A में ड्रॉप को "31 जनवरी 2018 के बाद" के रूप में चुना जाता है टिप्पणी: प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।</p>

598	A	अनुसूची 112A में, स्तंभ 11 "धारा 55(2)(ac) के अनुसार पूँजी परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य" 31 जनवरी 2018 को या उससे पहले खरीदे गए शेयरों के लिए स्तंभ 4* स्तंभ 10 के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 112A में, स्तम्भ 11 अनुभाग 55(2)(ac) के अनुसार पूँजी आस्ति का कुल उचित बाजार मूल्य स्तम्भ 4*स्तम्भ 10 के बराबर होना चाहिए टिप्पणी: यह नियम तभी लागू होगा यदि अनुसूची 112A में ड्रॉप को "31 जनवरी 2018 के बाद" के रूप में चुना जाता है टिप्पणी : प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
599	A	अनुसूची 115AD(1)(iii) परन्तुक में, स्तम्भ 6 "कुल बिक्री मूल्य" "31 जनवरी 2018 को या उससे पहले" खरीदे गए शेयरों के लिए स्तंभ 4* स्तंभ 5 के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 115AD (1) (iii) परन्तुक के अनुसार, कॉलम 6 कुल विक्रय मूल्य कॉलम 4*कॉलम 5 के बराबर होना चाहिए। यदि अनुसूची 115AD(i)(b)(iii) में ड्रॉप को "31 जनवरी 2018 के बाद" के रूप में चुना गया है तो यह नियम लागू नहीं होगा टिप्पणी : प्रत्येक क्षेत्र के कुल योग को +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
600	A	अनुसूची 115 AD(1) (iii) परन्तुक में, स्तम्भ 11 "धारा 55 (2) (ac) के अनुसार पूँजी परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य" "31 जनवरी 2018 को या उससे पहले" खरीदे गए शेयरों के लिए स्तंभ 4* स्तंभ 10 के बराबर होना चाहिए।	अनुसूची 115AD(1) (iii) परन्तुक में, स्तंभ 11 धारा 55(2)(ac) के अनुसार पूँजी आस्ति का कुल उचित बाजार मूल्य स्तंभ 4*स्तंभ 10 के बराबर होना चाहिए यदि अनुसूची 115AD(i)(b)(iii) में ड्रॉप को "31 जनवरी 2018 के बाद" के रूप में चुना गया है तो यह नियम लागू नहीं होगा टिप्पणी: हर क्षेत्र का +100 या -100 के लिए पूर्णांकन करें।
601	A	अनुसूची OS में, केवल यदि लाभांश अनुसूची OS के sl.no.1a में घोषित किया जाता है तो sl.no.3c पर कटौती का दावा नहीं किया	अनुसूची OS में, 1a शून्य के बराबर या अमान्य है और Sl.no 3c (उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किया गया मूल्य) शून्य से अधिक है
602	A	अनुसूची DPM में, स्तम्भ 45% दर खण्ड पर sl.no.4 और sl.no.7 यह 0 से अधिक	अनुसूची DPM में, स्तम्भ दर 45% पर sl.no.4 और sl.no.7 पर मूल्य > 0 है
603	A	अनुसूची "AMTC" में, यदि 115BAD "हाँ" है तो स्तम्भ C और स्तम्भ D पर मूल्य "0"	स्तम्भ C/स्तम्भ D में किसी भी पंक्ति पर (कुल पंक्ति सहित) मूल्य > 0 और

604	A	अनुसूची CFL में, sl.no.5c पर मूल्य 5a - 5b के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची CFL में, 5c 5a - 5b के बराबर नहीं है। टिप्पणी: यदि परिणाम नकारात्मक है, तो "0" पर प्रतिबंधित करें
605	A	अनुसूची DPM में, sl.no.3b पर मूल्य 3 + 3a के बराबर होना चाहिए	यदि अनुसूची DPM में, 3b 3+3a के बराबर नहीं है।
606	A	अनुसूची 80G में, आदाता के PAN की खण्डों के किसी भी समुच्चय में पुनराव्यवसाय नहीं हो सकती (यानि 100%, 50%, योग्यता सीमा के साथ,	अनुसूची 80G में, खण्डों समुच्चय में पहले से दर्ज किया गया PAN (यानि 100%, 50% योग्यता सीमा के साथ, योग्यता सीमा के बिना) और वही PAN किसी अन्य खण्ड में दर्ज किया गया
607	A	Once a proceeding is initiated u/s148, 153A or 153C, the original return filed u/s 139 cannot be revised	यदि रिटर्न धारा 139 के तहत दाखिल हुआ है और 148, 153A या 153C धारा के तहत फ़ाइल प्रविष्टि ई-कार्यवाही तालिका में मूल रिटर्न के AY में चयन के साथ उपलब्ध है।
608	A	यदि "इंबंत ऋण राशि" को अनुसूची लाभ और हानि लेखा में भरा जाता है तो sl.no. 48(i) में PAN / आधार अनिवार्य है	यदि sl.no.48(i) में क्षेत्र "राशि" में मूल्य > 0 है और अनुसूची P&L में PAN या आधार भरे नहीं गए हैं (यदि PAN/आधार में से कोई एक भरा गया है, तो नियम ट्रिगर नहीं होगा। यदि दोनों नहीं भरे गए हैं, केवल तभी नियम ट्रिगर होना चाहिए)
609	A	अनुसूची UD में, sl.no.4 पर मूल्य sl.no.3 - sl.no.3a से अधिक नहीं होना चाहिए	यदि Sl.no.4 > (Sl.no.3 -sl.no.3a) में किसी भी पंक्ति में मूल्य (कुल सहित), तब नियम को सीमित करें
610	A	P&L खाते में तालिका 44AE पर sl.no.64 में दी गई पंजीकरण संख्या अनोखी	यदि sl.no.64 तालिका में "पंजीकरण संख्या" क्षेत्र की पुनराव्यवसाय की जाती है, तो नियम ट्रिगर होना चाहिए
611	A	यदि sl.no.2(v) पर अनुसूची EI में कृषि-आय > 500000 है तो भूमि का ब्यौरा तालिका sl.no.2vi पर उपबंध किया	यदि sl.no.2v पर मूल्य > 500000 है और sl.no 2vi पर ब्यौरा भरा नहीं गया है

612	A	अनुसूची 80G में, आदाता का PAN पूर्ण अनुसूची 80G में अनोखा होना चाहिए	अनुसूची 80G में, यदि "आदाता का PAN" तालिका A या तालिका B या तालिका C या तालिका D में दोहरा रहा है। (पूर्ण अनुसूची में, आदाता का दर्ज किया PAN विशिष्ट होना चाहिए। यदि इसकी किसी भी स्थान पर पुनराव्यवसाय हो रही है, नियम ट्रिगर होना चाहिए)
613	A	अनुसूची OS में, sl.no 3c पर पद्धति संगणित मूल्य पर राशि 1a के 20% से अधिक	यदि अनुसूची OS में, sl.no.3c पद्धति संगणित मूल्य पर मूल्य > 1a के 20% है
614	A	अनुसूची OS, Sl.no 2c में, विशेष महसूल पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय सभी ड्रॉप डाउन की राशि के बराबर	"अनुसूची OS" में यदि 2c सभी ड्रॉप डाउन की राशि के बराबर नहीं है (नए अनुभाग जोड़े गए। तो कृपया संहिता में सम्मिलित करें)
615	D	अनुसूची OS में, Sl.No.3c पर धारा 57(1) के तहत ब्याज व्यय इस व्यय पर विचार किए बिना कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय के 20% से अधिक नहीं होना	Sl.No. 3c पर धारा 57(1) के तहत पद्धति संगणित ब्याज व्यय शून्य से अधिक है
616	A	अनुसूची VIA में, 80G के सिस्टम परिकलित मूल्य के sl.no.1a पर मूल्य अनुसूची 80G में sl.no. E पर पात्र दान पर मूल्य के साथ मेल खाना	"अनुसूची VIA" में यदि पद्धति संगणित 1a अनुसूची 80G के sl.no.E पर "पात्र दान" के बराबर नहीं है

617	D	<p>Deduction u/s 80-I(7) or u/s 80-IA(7) or 80IAB or 80IAC or u/s 80-IB or u/s. 80 IC/80IE can be claimed only if Form 10CCB filed within due date</p>	<p>यदि भाग BTI > 0 में sl.no 11b और sum of System calculated values of { (Sl.no.d_80IA TO sl.no.g_80IAC + sl.no.i_80IE/80IC)+ (sum of S.No (a+b+c+f+g+h+i+j+l) of "Schedule 80-IB"> 0) } > 0 , and form 10CCB for the AY 2021-22 is not filed/ 10CCB is not filed within due date/ extended due date (i.e 30th September, 2021) (अपलोड के प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10CCB दाखिल नहीं किया गया है तो चेतावनी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)</p>
618	D	<p>धारा 80-IB(11B) के तहत कटौती का दावा तभी किया जा सकता है यदि फॉर्म 10CCBC नियत तिथि के भीतर दाखिल कर दिया गया हो</p>	<p>यदि भाग BTI > 0 में sl.no 11b और "अनुसूची 80-IB" के S.No (k) पर दर्ज की गई राशि >0, और लेखा वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 10CCBC दाखिल नहीं किया गया है/फॉर्म 10CCBC नियत तिथि यानि 30 सितंबर 2021 के भीतर दाखिल नहीं किया गया है। (अपलोड प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10CCBC दाखिल नहीं किया गया है, तो चेतावनी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)</p>

619	A	Sl.no.2d में धारा 80IA के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती	अनुसूची VI-A में, Sl.No.2.d में, "भाग- C कतिपय आय के संबंध में कटौती" के अंतर्गत अनुभाग 80IA के अंतर्गत दावा की गई कटौती अनुसूची BP की अनुसूची BP - 36(iii) की अनुसूची BP - 36(ii) की अनुसूची BFLA - 36(i) की क्रम संख्या ii5 में दिखाई गई राशि से अधिक है
620	D	धारा 80-IB(11C) के तहत कटौती का दावा तभी किया जा सकता है यदि फॉर्म 10CCBD नियत तिथि के भीतर भरा जाता है	यदि भाग BTI > 0 में sl.no.11b और "अनुसूची 80-IB" के S.No (I) 80IB(11C) पर दर्ज की गई राशि >0 है, और लेखा वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 10CCBD दाखिल नहीं किया गया है/फॉर्म 10CCBD नियत तिथि यानि 30 सितंबर 2021 या बढ़ाई गई के रूप में तिथि को या उससे पहले दाखिल नहीं किया गया है। (अपलोड प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10CCBD दाखिल नहीं किया गया है, तो चेतावनी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)
621	D	धारा 80-IB(7A) के तहत कटौती का दावा तभी किया जा सकता है यदि फॉर्म 10CCBA नियत तिथि के भीतर भरा जाता है	भाग BTI में यदि sl.no.11b > 0 है और "अनुसूची 80-IB" के S.No(d)) 80IB(7A) पर दर्ज की गई राशि > 0 है, और लेखा वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 10CCBA दाखिल नहीं किया गया है/फॉर्म 10CCBA नियत तिथि यानि 30 सितंबर 2021 या बढ़ाई गई के रूप में तिथि को या उससे पहले दाखिल नहीं किया गया है। (अपलोड प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10CCBA दाखिल नहीं किया गया है तो चेतावनी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)

621	D	धारा 80-IB(7B) के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है यदि फॉर्म 10CCBB नियत तिथि के भीतर दाखिल किया गया हो	यदि "अनुसूची 80-IB" के S.No. (e) 80IB(7B) पर दर्ज की गई राशि > 0 है, और लेखा वर्ष 2021-22 फॉर्म 10CCBB दाखिल नहीं किया गया है/फॉर्म 10CCBB नियत तिथि के भीतर यानि 30 सितंबर 2021 या बढ़ाई गई नियत तिथि को या उससे पहले दाखिल नहीं किया गया है। (अपलोड प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10CCBB दाखिल नहीं किया गया है तो चेतवानी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)
623	A	Sl.no.2g में धारा 80IB के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती	अनुसूची VI-A में, कतिपय आय के संबंध में भाग-C कटौती" के अंतर्गत, Sl.No.2.g में, अनुभाग 80IB अंतर्गत दावा की गई कटौती अनुसूची BP के 36(iii) - अनुसूची BP के 36(ii) - अनुसूची BP 36 के (i) - अनुसूची BFLA की क्रम संख्या ii5 में दिखाई गई राशि से अधिक है
624	A	Deduction u/s 80IC/80IE in Sl.no.2i cannot be more than non speculative and non specified business income and non presumptive income in Schedule VIA	In Schedule VI-A, under "Part -C deduction in respect of certain incomes", in Sl.No.2.i deduction under section 80IC/80IE claimed is more than the amount shown in sl no ii5 of schedule BFLA - 36(i) of Sch BP- 36(ii) of Sch BP - 36(iii) of Sch BP
625	A	अनुसूची 80P में, धारा 80P(2)(a)(i) से (vii) के तहत कटौती गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार और अप्रकल्पित आय से अधिक	अनुसूची BP के 36(iii) - अनुसूची BP के 36(ii) - अनुसूची BP के 36(i) - अनुसूची BFLA की क्रम संख्या ii5 के अनुसार धारा 80P(2)(a)(i) से (vii) के तहत कुल कटौती सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार आय की राशि से अधिक है
626	A	अनुसूची 80P में, धारा 80P(2)(b) के तहत कटौती गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो	अनुसूची BP के 36(iii) - अनुसूची BP के 36(ii) - अनुसूची BP के 36(i) - अनुसूची BFLA की क्रम संख्या ii5 के अनुसार धारा 80P(2)(b) के तहत कुल कटौती सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट कारोबार आय की राशि से अधिक है

62	D	<p>AMT पर अधिभार का दावा केवल तभी किया जा सकता है यदि अनुसूची AMT में sl.no.3 पर AMT आय > 1 करोड़ या 50 लाख हो, यथास्थिति</p>	<p>यदि उप स्थिति है फर्म/LA/प्राथमिक कृषि साख समिति/प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ अन्य सहकारी समिति और अनुसूची B TTI में, क्रम संख्या 1b शून्य से अधिक है और अनुसूची AMT में क्रम संख्या 3 रु.1,00,00,000 से कम या उसके बराबर है यदि स्थिति AJP है / उप स्थिति "कारोबार न्यास"/"निवेश निधि"/"संस्था अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था", "ITR 7 के अलावा अन्य निर्धारिती"/"अन्य AOP/BOI" है और अनुसूची B TTI में, क्रम संख्या 1b शून्य से अधिक है और अनुसूची AMT की क्रम संख्या 3 रु. 50,00,000 से कम या उसके बराबर है.</p>
62	D	<p>PY 2020-21 धारा 80JJAA के तहत कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म 10DA भरने की आवश्यकता है</p>	<p>यदि भाग B TI में क्रम संख्या sl.no.11b>0 है और यदि अनुसूची VI-A में भाग C - कटौती के क्षेत्र (k) पर मूल्य शून्य से अधिक है और फॉर्म 10DA नियत तिथि के भीतर फाइल नहीं किया गया है (अपलोड के प्रयोजन के लिए, यदि अपलोड के समय फॉर्म 10DA फाइल नहीं किया गया है तो चेतावनी संदेश और ईमेल संप्रेषण ट्रिगर करें। लेकिन PFA के लिए, नियम तभी ट्रिगर होना चाहिए जब फॉर्म नियत तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया गया हो। नियत तिथि और बढ़ाई गई नियत तिथि के लिए "नियत तिथि SRS" का संदर्भ लें। अभी के लिए नियत तिथि 30 सितंबर 2021 है।)</p>

629	A	<p>अनुसूची VIA में, क्रम संख्या 2 "भाग C - कुछ निश्चित आय के संबंध में कटौती", क्रम संख्या e "अनुभाग 80-IA" से क्रम संख्या o "अनुभाग 80P" के कुल योग के बराबर होना चाहिए</p>	<p>अनुसूची VIA में क्रम संख्या 2 क्रम संख्या d से n के कुल के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि क्रम संख्या sl.no. 2n=0 का पद्धति संगणित मूल्य = 0 है तो क्रम संख्या Sl.no.2 (अनुसूची BP के अनुसूची व्यव./व्यवसाय-36(iii) के अनुसूची व्यव./व्यवसाय-36(ii) के अनुसूची व्यव./व्यवसाय - 36(i) - अनुसूची BFLA के ii5) से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए d से n के योग को उपरोक्त की सीमा तक प्रतिबंधित करें Note : Sl.no.2 cannot exceed the (ii5) of schedule BFLA-36(i) of Sch BP -36(ii) of BP -36(iii) of Sch BP +5(i) of BFLA+ 5(xiii) of BFLA if system calculated value of sl.no. 2n > 0. इसलिए d से n के योग को उपरोक्त की सीमा तक प्रतिबंधित करें</p>
630	A	<p>क्रम संख्या Sl.no.2k के अंतर्गत धारा 80JJAA के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट व्यावसायिक आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती</p>	<p>अनुसूची VIA की क्रम संख्या 2k पर 80JJAA के लिए मूल्य अनुसूची BFLA की क्रम संख्या (ii)5 - 44AD (व्यव./व्यवसाय का 36i) - 44ADA आय (व्यव./व्यवसाय का 36ii) - अनुसूची व्यव./व्यवसाय का 36(iii) से अधिक है</p>
631	A	<p>क्रम संख्या Sl.no.2e के अंतर्गत धारा 80IAB के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट व्यावसायिक आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती</p>	<p>अनुसूची VIA की क्रम संख्या 2e पर 80IAB के लिए मूल्य अनुसूची BFLA की क्रम संख्या (ii)5-44AD (BP का 36i) - 44ADA आय (BP का 36ii) - अनुसूची BP का 36(iii) से अधिक है</p>
632	A	<p>Sl.no.2h के अंतर्गत धारा 80IBA के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट व्यवसायिक आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती</p>	<p>अनुसूची VIA की क्रम संख्या 2h पर 80IBA के लिए मूल्य अनुसूची BFLA की क्रम संख्या (ii)5 - 44AD (व्यव./व्यवसाय का 36 i) - 44ADA आय (व्यव./व्यवसाय का 36 ii) - अनुसूची व्यव./व्यवसाय का</p>

633	A	Sl.no.2j के अंतर्गत धारा 80JJA के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट व्यावसायिक आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती	अनुसूची VIA की क्रम संख्या 2j पर 80JJA के लिए मूल्य अनुसूची BFLA की क्रम संख्या (ii)5 - 44 AD (व्यव./व्यवसाय का 36 i) - 44 ADA आय (व्यव./व्यवसाय का 36 ii) - अनुसूची व्यव./व्यवसाय का 36
634	A	Sl.no.2f के अंतर्गत धारा 80IAC के तहत कटौती अनुसूची VIA में गैर सट्टेबाज़ी और अनिर्दिष्ट व्यावसायिक आय और अप्रकल्पित आय से अधिक नहीं हो सकती	अनुसूची VIA की क्रम संख्या 2f पर 80IAC के लिए मूल्य अनुसूची BFLA की क्रम संख्या (ii)5 - 44 AD (व्यव./व्यवसाय का 36 i) - 44 ADA आय (व्यव./व्यवसाय का 36 ii) - अनुसूची व्यव./व्यवसाय का 36
635	A	अनुसूची BP में क्रम संख्या A3b में कम की गई राशि अनुसूची CG में प्रस्तुत आय से अधिक नहीं हो सकत	In schedule BP SL no A3b is more than SUM of row no. [A(1)(a)(i) of all blocks, A(2)(a), A(3)(ia), A(3)(iia),A4a, A4b, A(5)(a)(iii),A(6)(a)(iii),A8, B(1)(a)(i),B(2)(a),B(3)(a),B(4)(ia), B(4)(iia),B6a, B(7)(ia)(iii), B(7)(iia)(iii) ,B(7)(iia)(iii),B(7)(iva)(iii),B9(a)(i)(a), B9(a)(ii), B10(a)(iii), B12 in Capital Gain Schedule, Column 6 of Schedule 112A, Column 6 of Schedule 115AD and Sr.no 5 & 8 in Schedule DPM and Sr.no. 5 & 8 in Schedule DOA + Sr.no 6 of Schedule DCG
636	A	अनुसूची BP में, क्रम संख्या 20 धारा 41 के अंतर्गत मान्य आय, भाग A -OI के खंड 14	अनुसूची BP के क्षेत्र A20 पर मूल्य अनुसूची OI की क्रम संख्या 14 पर मूल्य के बराबर होना चाहिए
637	A	क्षेत्र 33AB,33ABA और 33AC अनुसूची OI sl.no पर मूल्य 13 का मेल sl.no.21 पर अनुसूची BP में संबंधित मूल्यों से होना चाहिए।	क्षेत्र 33AB,33ABA और 33AC अनुसूची OI sl.no पर मूल्य 13 का मेल sl.no.21 पर अनुसूची BP में संबंधित मूल्यों से होना चाहिए।

638	A	<p>अनुसूची व्यव./व्यवसाय के Sl.No.3 और/या Sl.No.5 पर कम की गई आय/प्राप्तियाँ उन आय/प्राप्तियों से उच्चतर नहीं हो सकती जो P और L चालू खाते में जमा की गई हैं</p>	<p>In Schedule BP, SUM of Row no. (A3a, A3b, A3c, A3d, A3e and A5d is more than zero) और राशि व्यापार खाता भाग A का 4D + क्रम संख्या sl.no.14 में अलग क्षेत्रों पर धनात्मक मूल्य + P&L भाग A के 62(i)+63(i)+64(ii)+65(ia)+65(iaa)+66(i) से अधिक है</p>
639	A	<p>अनुसूची DPM में Sr.no 21 Sr.no 6+9-15 के बराबर होना चाहिए और यदि राशि ऋणात्मक है तो मूल्य 0 होगा</p>	<p>क्रम संख्या 21 क्रम संख्या 6+9-15 के बराबर होनी चाहिए और यदि परिणाम ऋणात्मक है तो मूल्य 0 पर प्रतिबंधित होगा ध्यान दें : यह नियम केवल तभी लागू होगा जब sl.no.20 पर मूल्य "0" या "अमान्य" है। यदि sl.no.20 पर मूल्य है तो sl.no.21, "0" के बराबर होना चाहिए।</p>
640	A	<p>अनुसूची DOA में Sr.no 18 Sr.no 6+9-12 के बराबर होना चाहिए या परिणाम ऋणात्मक होने पर शून्य होगा</p>	<p>यदि क्षेत्र 18 पर मूल्य क्रम संख्या 6+9-12 के बराबर नहीं है या परिणाम ऋणात्मक होने पर शून्य नहीं है ध्यान दें : यह नियम केवल तभी लागू होगा जब sl.no.sl.no.17 पर मूल्य "0" या "अमान्य" है। यदि sl.no.17 पर मूल्य है तो sl.no.18, "0" के बराबर होना चाहिए।</p>
641	A	<p>यदि व्यवसाय का विक्रय/सकल प्राप्तियाँ 10 करोड़ से अधिक हैं या व्यवसाय से सकल प्राप्तियाँ 50लाख से अधिक हैं तो निर्धारित धारा 44AB के तहत लेखा-परीक्षा के लिए दायी होना चाहिए 44AB.So"क्या धारा 44AB के अंतर्गत लेखा परीक्षा के</p>	<p>व्यापार खाता भाग A में, क्रम संख्या 4Aiv रु10 करोड़ से अधिक है या 4B रु50 लाख से अधिक है और लेखा-परीक्षा जानकारी क्रम संख्या b में "क्या अनुभाग 44AB के अंतर्गत लेखा-परीक्षा के लिए दायी है?" *फ्लैग 'NO' है</p>

642	A	sl.no 46 में राशि का योग और अनुसूची की क्षेत्र संख्या 64(iii) में दर्ज की गई राशि को भाग A सामान्य-2 के बिंदु E के स्तम्भ 9 (संदत/संदेय पारिश्रमिक) में मूल्य के बराबर होना चाहिए।	क्रम संख्या sl.no 46 में राशि का योग और अनुसूची P&I की क्षेत्र संख्या 64(iii) में दर्ज की गई राशि को भाग A सामान्य-2 के बिंदु E के स्तम्भ 9 (संदत/संदेय पारिश्रमिक) में दर्ज की गई कुल राशि के समान होना चाहिए। टिप्पणी: पूर्णांकन +100 और -100
643	A	"अनुसूची भाग B - TI" में, चालू वर्ष की हानि का समायोजन करने के बाद अतिशेष '7 का मूल्य 5-6 के	भाग BTA के बिंदु 7 में मूल्य, बिंदु 5-6 के बराबर नहीं है टिप्पणी: यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
644	D	अनुसूची व्यव./व्यवसाय के Sl.no.D में "व्यवसाय या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ" से आय 2.5लाख से अधिक है, तो निर्माण खाता या व्यापार खता या	कारोबार या पेशे से "लाभ या हानि से प्राप्त होने वाली आय" अनुसूची BP का Sl.No. D 2.5 लाख से अधिक है लेकिन तुलन पत्र का Sl.No. A और Sl.No. B या लाभ और हानि खाते का Sl.No. 1 से 57 शून्य या अमान्य है।
645	D	आयकर विवरणी में धारा 10AA के तहत कटौती का दावा तभी किया जाता है जब फॉर्म 56F फाइल किया गया	यदि अनुसूची भाग BTA में sl.no.12a में राशि > 0 है और अनुसूची 10AA में "कुल कटौती" की राशि 0 से अधिक है और AY 2021-22 के लिए फॉर्म 56F दाखिल नहीं किया गया है।
646	A	अनुसूची BFLA SI क्रमांक 2(vi+vii+viii+ix+x+xi+xii) CFL के sl क्रमांक 9(xiii)+10(xiii) के बराबर	अनुसूची BFLA क्रम संख्या 2(vi+vii+viii+ix+x+xi+xii) CFL की क्रम संख्या 9(xiii)+10(xiii) के बराबर नहीं है
647	A	स्थिति "स्थानीय प्राधिकारी" और "AJP" के लिए धारा 80GGC के अंतर्गत कटौती की अनुमति नहीं होगी	यदि स्थिति का चयन "AJP"/स्थानीय प्राधिकारी" के रूप में किया गया है और अनुसूची VIA में sl no 1c 80GGC पर मूल्य > 0 है

648	D	अनुसूची DPM, sl.no.20 पर मूल्य "5+8-4-7-19" के बराबर होना चाहिए।	<p>"यदि मूल्य 0 के अलावा कुछ है, तो $20 = (5+8-3b-4-7-19)$ यदि sl.no का सुनियोजित मूल्य $20 > 0$, और उपयोगकर्ता का प्रविष्ट क्षेत्र > 0 है मगर 20 के सुनियोजित मूल्य से कम है तो त्रुटि है।</p> <p>"यदि क्रम संख्या sl.no.20 < 0 का संगणित मूल्य है, और उपयोगकर्ता दर्ज क्षेत्र < 0 है लेकिन 20 के संगणित मूल्य से अधिक है तो त्रुटि दिखाएं"</p>
649	D	अनुसूची DOA, sl.no.17 पर मूल्य "(5+8-3-4-7-16)" के बराबर होना चाहिए	<p>यदि $""7-8+(3+4-5)"" < 0$ है और $""(5+8-3-4-7-16)"" > 0$ है तो इस क्षेत्र को (5+8-3-4-7-16) का न्यूनतम होना चाहिए। यदि $""(5+8-3-4-7-16)"" < 0$ है, तो यह क्षेत्र 0 होना चाहिए।</p> <p>यदि $""7-8+(3+4-5)"" > 0$ है और यदि $""5+8-3-4-7-16""$ का संगणित मूल्य > 0 है, और उपयोगकर्ता ने sl.no.17 > 0 दर्ज किया तो 17 को $""5+8-3-4-7-16""$ का न्यूनतम होना चाहिए। यदि $""5+8-3-4-7-16"" < 0$ है, और उपयोगकर्ता ने sl.no.17 < 0 दर्ज किया तो 17 को $""5+8-3-4-7-16""$ का अधिकतम होना चाहिए।</p> <p>"</p>
650	A	अनुसूची UD में, sl.no.5 पर मूल्य सभी पंक्तियों में sl.no. 3-sl.no.3a-4 के बराबर होना चाहिए	<p>यदि अनुसूची UD में किसी भी पंक्ति में (कुल सहित) Sl.no.5 में मूल्य sl.no.3.3b-4 से अधिक है</p> <p>यदि परिणाम ऋणात्मक है तो "0" पर सीमित करें</p>
651	A	अनुसूची HP में, भाग A सामान्य में निर्धारित का PAN, HP में सह स्वामियों के	<p>अनुसूची HP में, यदि सह स्वामी का PAN भाग A सामान्य में निर्धारित के PAN के समान है</p>
652	B	अनुसूची OS में, क्रम संख्या 10 लाभांश आय का तिमाही ब्यौरा sl.no.1a(i) में राशि के बराबर होना चाहिए अर्थात् सामान्य लाभांश - TRC के अधीन लाभांश के लिए DTAA -धारा 57(i) के तहत समायोजित व्यय समन्वय व्यय 57(i) धारा के	<p>अनुसूची OS में, क्रम संख्या 10 लाभांश आय का तिमाही ब्यौरा sl.no.1a(i) में राशि के बराबर होना चाहिए अर्थात् सामान्य लाभांश - TRC के अधीन लाभांश के लिए DTAA -धारा 57(i) के तहत समायोजित व्यय</p> <p>समन्वय व्यय 57(i) धारा के तहत = $\text{Max}(0, \text{व्यय } 57(1) \text{ धारा के तहत में sl.no.3c - मान्य लाभांश } 2 (22e) \text{ धारा के तहत में sl.no.1a(ii))$</p>

		मान्य लाभांश 2 (22e) धारा के तहत में sl.no.1a(ii))	
653	A	अनुसूची CFL में, sl.no.xvi पर मूल्य xiv - xv के बराबर होना चाहिए। यदि परिणाम ऋणात्मक है,	यदि अनुसूची CFL में, sl.no.xvi पर मूल्य xiv - xv के बराबर नहीं है। यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो "0" तक सीमित रखें
654	A	अनुसूची VIA में, 80LA(1) और 80LA(1A) दोनों पर एक साथ दावा नहीं कर	यदि अनुसूची VIA में, 80LA(1) और 80LA(1A) दोनों में पद्धति संगणित मूल्य "0" से अधिक हैं
655	A	अनुसूची VIA में 80LA(1A) पर दावा तभी किया जा सकता है यदि सामान्य के भाग A में, "क्या करदाता किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र में स्थित है और संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय लेता है?"	यदि अनुसूची VIA में, कटौती 80LA(1A) के पद्धति संगणित क्षेत्र पर मूल्य > 0 है लेकिन भाग A सामान्य में "क्या निर्धारिती किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय पाता है? " "हाँ" के रूप में चयन नहीं हुआ,
656	A	अनुसूची VIA 80LA(1) में दावा तभी किया जा सकता है जब ये सामान्य भाग A में हो "क्या निर्धारिती किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तसेवाकेन्द्रमें स्थित है और सिर्फ संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में	यदि अनुसूची VIA में, कटौती 80LA(1) के पद्धति संगणित क्षेत्र पर मूल्य > 0 है लेकिन भाग A सामान्य में "क्या निर्धारिती किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित है और केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय पाता है? " "नहीं" के रूप में चुना जाता है,
657	A	अनुसूची OS में, sl.no.1a को 1a(i) + 1a(ii) के बराबर	यदि अनुसूची OS में, sl.no.1a 1a(i) + 1a(ii) के बराबर नहीं है
658	A	यदि अनुसूची व्यव./व्यवसाय में sl.no.3c	यदि अनुसूची व्यव./व्यवसाय में, sl.no.3c 3c(i) + 3c(ii) के बराबर नहीं है

		3c(i) + 3c(ii) के बराबर नहीं है	
65	A	अनुसूची BP में, क्रम संख्या sl.no.3ci पर मूल्य अनुसूची लाभ और हानि खाता के क्रम संख्या sl.no.14iii में दर्ज किए गए मूल्य से अधिक नहीं हो	अनुसूची BP में, यदि sl.no.3ci पर मूल्य अनुसूची लाभ और हानि लेखा में sl.no.14iii दर्ज मूल्य से अधिक है।
66	A	अनुसूची BP में, 36(iv) से 36(xi) तक दर्ज किए गए मूल्यों की राशि अनुसूची P&L में क्रम संख्या sl.no.65(id) और 65(iid) में घोषित "शुद्ध लाभ" की राशि	यदि अनुसूची BP में, 36(iv) से 36(xi) तक दर्ज किए गए मूल्यों की राशि अनुसूची P&L में क्रम संख्या sl.no.65(id) और 65(iid) में घोषित "शुद्ध लाभ" की राशि के बराबर नहीं है
66	A	अनुसूची BP में, 36(iv) से 36(xi) तक दर्ज किए गए मूल्यों की राशि क्रम संख्या sl.no.4a(iv) से 4a(xi) में घोषित मूल्यों की राशि के	यदि अनुसूची BP में, 36(iv) से 36(xi) तक दर्ज किए गए मूल्यों की राशि क्रम संख्या sl.no.4a(iv) और 4a(xi) में घोषित मूल्यों की राशि के बराबर नहीं है
66	A	यदि निर्धारित भाग A सामान्य 2 में तालिका F में "sl.no.2" "नहीं" के रूप में चुनता है तो भाग BIA में SL.no.2v घोषित नहीं किया	भाग BIA में, sl.no.2v में मूल्य > 0 है & सामान्य भाग A, तालिका F में, sl.no.2 "नहीं" के रूप में चुना गया है
66	A	In Part A Gen, Table F, sl.no.1 is selected as "Yes" then sum of "Percentage of share (if determinate)" should be equal to 100	सामान्य भाग A, तालिका F में, sl.no.1 को "हाँ" के रूप में चुना गया है & is sum of "Percentage of share (if determinate)" is not equal to 100

Pr. DGIT(पद्धति) या DGIT(पद्धति), यथास्थिति, तकनीकी संभाव्यता के आधार पर उपरोक्त नियमों में जोड़ने या हटाने के लिए अधिकृत हैं और कुछ को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है

उपाबंध 2

Following fields of ITR should be tallied with corresponding amount mentioned in Tax Audit report i.e Form 3CA-3CD/3CB-3CD

ITR में अनुसूची का नाम	ITR में क्षेत्र का नाम	ITR में क्षेत्र	फॉर्म 3CD में क्षेत्र
अनुसूची 01	अनुभाग 28		
	अनुभाग 28 की सीमा में आने वाली राशियाँ	क्रम संख्या 5(a)	फॉर्म 3CD खंड 16 (a)
	प्रारूप क्रेडिट, कमियां, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर का प्रतिदाय, या बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, या GST का प्रतिदाय, जहाँ ऐसे क्रेडिट, कमियां या प्रतिदाय संबंधित	क्रम संख्या 5(b)	फॉर्म 3CD खंड 16 (b)
	पूर्व वर्ष स्वीकार किए गए वृद्धिदर दावे।	क्रम संख्या 5(c)	फॉर्म 3 CD खंड 16 (c)
	आय का कोई अन्य मद	क्रम संख्या 5(d)	फॉर्म 3CD खंड 16 (d)
	अनुभाग 36		
	किसी कर्मचारी को दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में सन्दत्त राशि, जहाँ अन्यथा ऐसी राशि उसे मनाफे या लाभांश के रूप	क्रम संख्या 6(c)	फॉर्म 3CD खंड 20(a)
	उधार ली गई पूँजी के संबंध में सन्दत्त कोई भी ब्याज राशि	क्रम संख्या 6(d)	फॉर्म 3CD खंड 21(i)
	कर्मचारियों से अंशदान के रूप में मिली कोई भी राशि जो किसी भी भविष्य निधि खाते या सेवानिव्यवसाय खाते या ESI अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी तरह के स्थापित खाते या अन्य खाते जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाए गए,	क्रम संख्या 6(k)	फॉर्म 3CD खंड 20(b) जैसा कि नीचे दिया गया है (1+2) की राशि: 1) यदि सन्दत्त वास्तविक राशि भुगतान की नियत तिथि के भीतर है तो कर्मचारियों से प्राप्त राशि में भेद जिसमें से सन्दत्त वास्तविक राशि कम की गई है

नहीं की जा सकती।		से अधिक है 2) यदि राशि भुगतान की नियत तिथि के बाद सन्दत की जाती है या भुगतान की नियत तिथि खाली/शून्य/अमान्य है तो
अनुभाग 37		
पूँजीगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	क्रम संख्या 7(a)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "क्षेत्र पूँजी व्यय" स्तम्भ "राशि"
वैयक्तिक प्रकृति का व्यय [37(1)]	क्रम संख्या 7(b)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "क्षेत्र पूँजी व्यय" स्तम्भ "राशि"
किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सूवनियर, विवरणिका, भूभाग, प्रचार - पुस्तिका या इसी तरह	क्रम संख्या 7(d)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "क्षेत्र विज्ञापन व्यय.." स्तम्भ "राशि"
तत्समय प्रवृत्त में लागू किसी कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना या जुर्माना के रूप में	क्रम संख्या 7(e)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "किसी भी कानून का उल्लंघन करके फील्ड जुर्माना या शास्ति" स्तम्भ
कोई अन्य शास्ति या जुर्माना;	क्रम संख्या 7(f)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "कोई अन्य शास्ति या जुर्माना" स्तम्भ
किसी भी प्रयोजन के लिए उपगत व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध	क्रम संख्या 7(g)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (a) "किसी भी प्रयोजन के लिए उपगत व्यय जो एक अपराध है या जो कानून
अनिश्चित प्रकृति के किसी भी दायित्व की राशि	क्रम संख्या 7(i)	फॉर्म 3CD, खंड 21 (g) "अनिश्चित प्रकृति में किसी भी दायित्व की विशिष्टियां" स्तम्भ
अनुभाग 40		
अनुभाग 40 (a)(i) के अंतर्गत, अध्याय XVII-B के उपबंधों की अवज्ञा के कारण अनुमति नहीं	क्रम संख्या 8A(a)	फॉर्म 3CD, खंड 21(b)(i) 21(b)(i)(A) की राशि "अस्वीकृति" और 21(b)(i)(B)
अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अवज्ञा के कारण अनुभाग 40 (a) (ia) के अंतर्गत अस्वीकार्य राशि	क्रम संख्या 8A(b)	फॉर्म 3CD का 30%, खंड 21(b)(ii), 21(b)(ii)(A) का योग "अस्वीकृति" और 21(b)(ii)(B) क्षेत्र "{(कर कटौती की राशि - जमा किए गए कर की राशि) / करौती की गई कर की

वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के प्रावधानों के साथ अनुपालन न किए जाने के कारण धारा 40(a)(ib) के तहत अस्वीकृत राशि	क्रम संख्या 8A(c)	खंड 21(b)(iii) क्षेत्र "भुगतान की राशि" 21(b)(iii)(A) और क्षेत्र "{(कटौती किए गए कर की राशि - निक्षिप्त कर की राशि)/कटौती किए गए कर की राशि} 21(b)(iii)(B) की राशि
अध्याय XVII-B के प्रावधानों की अवज्ञा के कारण अनुभाग 40 (a) (iii) के अंतर्गत	क्रम संख्या 8A(d)	फॉर्म 3CD, खंड 21(b)(vii) क्षेत्र "भुगतान की राशि"
धन-कर के रूप में सन्दत की गई राशि [40(a)(ii-a)]	क्रम संख्या 8A(f)	फॉर्म 3CD, खंड 21(b)(v)
अनुभाग 40(a)(iib) के अनुसार रॉयल्टी, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि. के	क्रम संख्या. 8A(g)	फॉर्म 3CD, खंड 21(b)(vi)
अनुभाग [40(b)/40(ba)] के अंतर्गत अस्वीकार्य किसी भी भागीदार या अमान्य सदस्य को सन्दत की गई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या	क्रम संख्या 8A(h)	फॉर्म 3CD के क्रमांक. 21(c) के रूप में फॉर्म 3CD, "कुल कॉलम "अमान्य राशि" से
अनुभाग 40A		
भुगतान की गई राशि, अन्यथा भुगतान पाने वाला चेक या आदाता खाता बैंक-ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति का उपयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से जो निर्धारित किया जा सकता	क्रम संख्या 9(b)	फॉर्म 3CD, खंड 21(d)(A) क्षेत्र "राशि"
उपदान के भुगतान के लिए उपबंध [40A(7)]	क्रम संख्या 9(c)	फॉर्म 3CD, खंड 21(e)
निर्धारिती द्वारा नियोक्ता के तौर पर कोई भी निधि, न्यास, कम्पनी, AOP, या BOI या समाज या कोई अन्य संस्था शुरू करने या योगदान के लिए सन्दत की गई राशि	क्रम संख्या 9(d)	फॉर्म 3CD, खंड 21(f)
अनुभाग 43B (अनुज्ञेय)		

किसी भी विधि के अंतर्गत कर, कर्तव्य/शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति में कोई भी	Sr.no 10(a)	फॉर्म 3CD "खंड 26 (A)(a)" कॉलम "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड
किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अंशदान के रूप में	Sr.no 10(b)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" यदि खंड 43B(b) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" पर बताए गए आंकड़े की राशि
किसी कर्मचारी को बोनस या कमीशन के रूप में देय राशि प्रदान की गई सेवाएं	Sr.no 10(c)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" यदि खंड 43B(c) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" पर बताए गए
किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम से ऋण या उधार लेने पर ब्याज	Sr.no 10(d)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड 43B(d) चुना गया है
प्राथमिक कृषि जमा समाज या प्राथमिक सहकारी कृषि को छोड़कर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक या सहकारी बैंक से उधार लेने या ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि	Sr.no 10(e)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" यदि खंड 43B(e) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" पर बताए गए आंकड़े की राशि
अवकाश नकदीकरण के लिए देय कोई भी राशि	Sr.no 10(f)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड
रेल के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे को देय कोई राशि	Sr.no 10(g)	फॉर्म 3CD "खंड 26(A)(a)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड 43B(g) चुना गया है
अनुभाग 43B (अस्वीकार्य)		
किसी भी विधि के अंतर्गत कर, कर्तव्य/शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति में कोई भी	Sr.no 11(a)	फॉर्म 3CD "खंड 26)(B)(b)" यदि खंड 43B(a) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" पर बताए गए
किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के	Sr.no 11(b)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित

	निधि में अंशदान के रूप में देय कोई राशि		आंकड़े का योग यदि खंड 42B(b) चुना गया है
	किसी कर्मचारी को प्रदत्त सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में देय कोई	Sr.no 11(c)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" स्तम्भ "राशि" पर उल्लिखित आंकड़ा का राशि यदि खंड
	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम से ऋण या उधार लेने पर ब्याज	Sr.no 11(d)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड 43B(d) चुना गया है
	इस तरह के ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित द्वारा किसी भी ऋण पर ब्याज के रूप में देय गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी या जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय	Sr.no 11(da)	फॉर्म 3CD "26(B)(b)" यदि खंड 43B(da) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" पर बताए गए आंकड़े की राशि
	निर्धारित द्वारा किसी ऋण या अनुसूचित बैंक या एक सहकारी बैंक से ऋण लेने या प्राथमिक कृषि ऋण समितिया प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के	Sr.no 11(e)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड 43B(e) चुना गया है
	अवकाश नकदीकरण के लिए देय कोई भी राशि	Sr.no 11(f)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" यदि खंड 43B(f) चुना जाता है तो स्तम्भ "राशि" में बताए गए
	रेलवे आस्तियाँ के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे को देय कोई भी राशि	Sr.no 11(g)	फॉर्म 3CD "खंड 26(B)(b)" स्तम्भ "राशि" में उल्लिखित आंकड़े का योग यदि खंड
	अनुभाग 41 के अंतर्गत कर योग्य प्रभार्य मुनाफा की कोई	क्रम संख्या 14	फॉर्म 3CD, खंड 25
	14A धारा के तहत अस्वीकृत व्यय की राशि	क्रम संख्या 16	फॉर्म 3CD खंड 21(h)
अनुसूची BP	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के	क्रम संख्या 19	फॉर्म 3CD खंड 22

	अनुभाग 23 के अंतर्गत अनुसूची नहीं देने योग्य व्याज		
अनुसूची ESR	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	फॉर्म 3CD का खंड 19 "अनुभाग 35(1)(i)" में "लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई राशि"
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	खंड 19 फॉर्म 3CD का उल्लेखित राशि स्तम्भ "लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	फॉर्म 3CD का खंड 19 "अनुभाग 35(1)(ii)" में "लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई राशि"
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग 35	फॉर्म 3CD का खंड 19 "अनुभाग 35(1)(iii)" में "लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई राशि"
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)" अनुभाग " 35(1)(iv)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग 35(1)(iv)	"अनुभाग 35(1)(iv)" में स्तम्भ "मुनाफा और नुकसान खाते में डेबिट की गई राशि" में उल्लिखित फॉर्म 3CD राशि का
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	फॉर्म 3CD का खंड 19 "अनुभाग 35(2AA)" में स्तम्भ लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	"अनुभाग 35(2AB)" में स्तम्भ "मुनाफा और नुकसान खाते में डेबिट की गई राशि" फॉर्म 3CD
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	"अनुभाग 35CCC" में स्तम्भ " मुनाफा और नुकसान खाते में डेबिट की गई राशि" फॉर्म 3CD
	कॉलम 2 "राशि, यदि कोई , लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई हो (2)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 2 , अनुभाग	फॉर्म 3CD का खंड 19 "अनुभाग 35CCD" में स्तम्भ लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई
	कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुसूची(3)" अनुभाग " 35(1)(i)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(1)(i)	फॉर्म 3CD का खंड 19, स्तंभ में उल्लिखित राशि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि, इस

		दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि के तहत निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, को भी पूरा करती है।" "अनुभाग 35(1)(iii) के
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग " 35(1)(ii)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(1)(ii)	फॉर्म 3CD का खंड 19, स्तंभ में उल्लिखित राशि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि, इस संबंध में जारी प्रासंगिक अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि के तहत निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो,
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग " 35(1)(iia) "	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(1)(iia)	अनुभाग 35(1)(iia)" में स्तम्भ में उल्लिखित राशि फॉर्म 3CD का खंड 19 "आय-कर अधिनियम, 1961, के प्रावधानों के रूप में स्वीकार्य राशि, और "इस निमित्त में जारी सुसंगत अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि., के
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग "35(1)(iii)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35 (1)(iii)	फॉर्म 3CD का खंड 19, स्तंभ में उल्लिखित राशि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि, इस संबंध में जारी प्रासंगिक अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि के तहत निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो,
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग " 35(1)(iv)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(1)(iv)	अनुभाग 35(1)(iv)" में स्तम्भ में उल्लिखित फॉर्म 3CD राशि का खंड 19 "आय-कर अधिनियम, 1961, के प्रावधानों के रूप में स्वीकार्य राशि, और "इस निमित्त में जारी सुसंगत अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि., के
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय (3)" अनुभाग "35(2AA)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(2AA)	अनुभाग 35(2AA)" में स्तम्भ में उल्लिखित फॉर्म 3CD राशि का खंड 19 "आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के रूप में

		स्वीकार्य राशि, और "इस निमित्त में जारी सुसंगत अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि., के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग "35(2AB)"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35(2AB)	फॉर्म 3CD का खंड 19, स्तंभ में उल्लिखित राशि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि, इस संबंध में जारी प्रासंगिक अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि के तहत निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो,
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग "35CCC"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35CCC	अनुभाग 35CCC" में स्तम्भ में उल्लिखित फॉर्म 3CD राशि का खंड 19 "आय-कर अधिनियम, 1961, के प्रावधानों के रूप में स्वीकार्य राशि, और "इस निमित्त में जारी सुसंगत अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र, आदि., के
अनुसूची ESR के कॉलम 3 "कटौती की राशि अनुज्ञेय(3)" अनुभाग " 35CCD"	अनुसूची ESR का स्तंभ 3 , अनुभाग 35CCD	आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म 3CD राशि में उल्लिखित खंड 19, जो आयकर अधिनियम, स्वीकार्य राशि है, और यदि कोई संबंधित अन्य दिशानिर्देशों, परिपत्र आदि के तहत विनिर्दिष्ट है, तो यह भी

उपाबंध 3

अनुसूची OS के sl.no.3c(ii) पर "पात्र ब्याज व्यय" की परिकलन पर टिप्पणी:

- अस्थायी कुल आय* में शामिल लाभांश की राशि संगणित निम्न तरीके से की जाएगी:
- निम्न का न्यूनतम लें:
 - BFLA के 5xiii पर अस्थायी परिकलित मूल्य**
 - अनुसूची OS का 1a
 - अधिकतम (0, भाग BTI के Sl.no.13 - sl.no.14 के अस्थायी परिकलित मान)

- इसके बाद न्यूनतम उपरोक्त को "कुल आय में शामिल लाभांश आय की राशि" के रूप में माना जाएगा। चलिए इसे "A" के रूप में लेते हैं
- तो पद्धति परिकल्पित मूल्य "ब्याज व्यय की पात्र राशि" इनमें से निम्नतर होगा
 - "'A" का 20% या
 - उपयोगकर्ता फील्ड 3c में मूल्य दर्ज करें।
- * अस्थायी कुल आय का अर्थ है, "धारा 57(1) के तहत ब्याज व्यय गिने बिना" परिकल्पित कुल आय।
- ** BFLA के 5xiii पर अस्थायी गणना मूल्य का अर्थ है शुद्ध OS आय (BFLA का 5xiii) "ब्याज व्यय की धारा 57(1) धारा के तहत पर विचार किए बिना गणना की गई।

उपाबंध 4

2(22)(e) और 1(iii) लाभांश आय 2(22)(e) धारा के तहत के अलावा 234C के लिए "sl.no.1(i) OS लाभांश आय का विभाजन कैसे प्रदान करें" पर ध्यान दें:

- ऊपर परिकल्पित "पात्र ब्याज व्यय" को 234C गणना के लिए नीचे दिए गए अनुक्रम में लाभांश के लिए आवंटित किया जाएगा:
 - सबसे पहले व्यय "धारा 2(22)(e) के तहत लाभांश आय" को बाँटें
 - यदि कोई अतिशेष हो, "धारा 2(22)(e) के अलावा लाभांश आय" को बाँटें।
- "2(22)(e) के अलावा लाभांश आय" में से आवंटित व्यय को कम करने के बाद, निर्धारिती "2(22)(e) के अलावा शुद्ध लाभांश आय" पर पहुंचेगा।
- "निर्धारिती को इस लाभांश null के 2(22)(e) - DTAA हिस्सा के अलावा अन्य शुद्ध लाभांश आय (TRC और निवासी शर्त के अधीन रहते हुए #)" का त्रैमासिक विभाजन अनुसूची OS के sl.no.10(i) पर प्रदान करना होगा निर्धारिती के हित के लिए।
- साथ ही, निर्धारिती को "DTAA लाभांश आय को त्रैमासिक ब्रेक अप प्रदान करना होता है जो अनुसूची OS के sl.no.10(iii) पर "2(22)(e) " के अलावा अन्य शुद्ध लाभांश आय" से कम हो जाता है।

स्पष्टीकरण के लिए नीचे दिए गए उदाहरण का निर्देश / संदर्भ लें:

उदाहरण: लाभांश आय 2(22)(e) धारा के तहत = 500

2(22)(e) के अलावा लाभांश आय = 2500

कुल आय में शामिल लाभांश आय = 3000

अधिकतम पात्र ब्याज व्यय = 600 (20% of 3000)

व्यय के आबंटन के बाद:

2(22)(e) धारा के तहत = 0 (500-500) शुद्ध लाभांश आय

2(22)(e) के अलावा शुद्ध लाभांश आय = 2400 [2500-(600-500)]

अतः निर्धारिती को Sl.no.10(i) में इस रु..2400/- के त्रैमासिक विभाजन को दिखाने की जरूरत है।

यदि निर्धारित के पास .2400 ,रुपये के 2(22)(e) के अलावा 1(i) लाभांश आय से ऊपर .200 रुपये का DTAA है तो, उसे .2400-200 रुपये = .2200 रुपये का विभाजन अनुसूची OS का Sl.no.10(i) में दिखाना होगा। साथ ही, अनुसूची OS में sl.no.10(iii) "DTAA महसूल के अंतर्गत प्रभार्य लाभांश आय" में प्रकट करने के लिए .200 रुपये के त्रैमासिक विभाजक की आवश्यकता है।
(# DTAA केवल "निवासी" या "अनिवासी और TRC चिह्न" "हा" के मामले में कम किया जा सकता है)

टिप्पणी: व्यय के आबंटन की उपरोक्त पद्धति संगणना की सरलता के लिए है

DTAA के अंतर्गत प्रभार्य लाभांश आय पर कर:

"DTAA के अंतर्गत प्रभार्य लाभांश आय" पर कर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

1. "राशि" स्तम्भ में sl.no.2e पर घोषित "DTAA लाभांश" को उन सभी पंक्तियों के लिए जिनमें अनुभाग "56(1)(i) लाभांश" के रूप में चुना गया है, के स्तम्भ 10 पर "लागू दर" से गुणा करें। प्रत्येक पंक्ति के लिए DTAA कर व्युत्पन्न किया जायेगा
2. ऊपर व्युत्पन्न सभी "DTAA कर" को राशि ले और 2e में "लाभांश" आय का योग भी लें।
3. DTAA की औसत दर यानी., कुल DTAA कर/कुल DTAA लाभांश का परिकलन करें।
4. 234C के परिकलन के लिए, DTAA लाभांश पर कर के परिकलन के लिए इस "औसत दर" का उपयोग करें।

234C की परिकलन के लिए आय का निर्धारण:

234C की गणना के प्रयोजन के लिए, कुल आय को निम्नानुसार विभाजित करने की आवश्यकता है:

- त्रैमासिक आधार पर सामान्य महसूल पर प्रभार्य आय (नीचे टिप्पणी का संदर्भ लें)
 - 44AD/44ADA income
 - 2(22) (e) के अलावा लाभांश आय
 - सामान्य दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत लाभ आय
- तिमाही 1 . से सामान्य महसूल पर आय प्रभार्य
- 115BBE (अनुसूची SI से) के अलावा तिमाही 1से विशेष दर पर विशेष प्रभार्य आय
- तिमाही अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य आय
 - दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ आय टैक्स @ 10% और 20% (Sch CG तालिका E से)
 - अल्पावधि के लिए पूँजी अभिलाभ पर लगा कर @15% और 30% (अनुसूची CG तालिका E से)
 - OS लाभांश DTAA आय (Sch OS sl.no.10(iii) से)
 - पूँजी लाभ DTAA आय (SCH CG तालिका ई से)
- धारा 115BBE के तहत प्रभार्य आय (अनुसूची SI से)

टिप्पणी: त्रैमासिक आधार पर और तिमाही 1 से सामान्य महसूल पर प्रभार्य आय:

1. 44AD/44ADA आय: **में से निम्नतर**
 - a. "सामान्य महसूल पर प्रभार्य कुल आय"
 - b. अनुसूची BP में घोषित 44AD + 44ADA आय
2. 2(22)(e) के अलावा लाभांश आय : निम्न में से
 - a. "सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय" - "44AD+44ADA आय"
 - b. अनुसूची OS के sl.no.10(1) की सभी तिमाहियों में घोषित लाभांश आय का योग
 - c. BFLA से सामान्य महसूल पर प्रभार्य शुद्ध अन्य स्रोत आय
3. कम अवधि पूँजी लाभ : निम्न में से
 - a. "सामान्य दरों पर प्रभार्य कुल आय" - "44AD+44ADA आय" - "2(22)(e) के अलावा लाभांश आय"
 - b. अनुसूची CG की तालिका E में सभी तिमाहियों में घोषित STCG लागू दर आय की राशि
 - c. BFLA से शुद्ध STCG लागू दर आय
4. सामान्य महसूल पर आय प्रभार्य 1 तिमाही से =
"सामान्य महसूल पर प्रभार्य कुल आय" – (उपरोक्त 1 +2+3 पर परिकलित मूल्य)

उपाबंध 5

234C का परिकलन:

1. "आय जो सामान्य दरों पर प्रभार्य है" के लिए, प्रत्येक तिमाही में कर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
 त्रैमासिक आय जो सामान्य महसूलों पर प्रभारित हो * (सामान्य दरों पर कुल कर अधिभार और उपकर) / (सामान्य दरों पर कुल आय प्रभार्य)।

टिप्पणी: 44AD और 44ADA आय को Q4 में विचार करने की आवश्यकता है। "STCG ऐप दर" और "2(22)(e)" को अनुसूची OS और अनुसूची CG में त्रैमासिक विभाजन के अनुसार माना जाना चाहिए।

2. "115BBE के अलावा 1 तिमाही से विशेष दर पर प्रभार्य आय" के लिए, ऐसी आय पर अधिभार सहित कुल कर पर 1 तिमाही से विचार किया जाएगा।
3. "धारा 115BBE के तहत प्रभार्य आय" के लिए, अधिभार सहित कुल कर पर तिमाही 1 से विचार किया जाएगा।
4. "तिमाही के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य आय" के लिए प्रत्येक तिमाही में कर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:
 - a. पूँजी अभिलाभ के लिए:

त्रैमासिक आय जो विशेष दरों पर प्रभार्य है * संबंधित कर दर

b. OS लाभांश DTAA आय के लिए:

त्रैमासिक आय जो विशेष महसूलों* पर प्रभार्य है औसत दर (ऊपर परिभाषित) प्रत्येक तिमाही के लिए कर का परिकलन करने के बाद, 234C का परिकलन अनुभाग के उपबंध लागू करके यानि, अनुभाग में उल्लिखित 80% शर्त के अधीन रहते हुए यदि सन्दत अग्रिम कर तिमाही 1,

तिमाही 2, तिमाही 3, तिमाही 4 के लिए क्रमशः 15%, 45%, 75%, 100% से कम है तो ब्याज 1% पर प्रभारित होगा।

टिप्पणी: यदि ऊपर निर्धारित कुल आय में सम्मिलित 2(22)(e) के अलावा लाभांश", निर्धारिती द्वारा दी गई अनुसूची OS के sl.no.10(i) में घोषित लाभांश के त्रैमासिक द्विभाजन की राशि से कम है तो ऊपर संगणित कुल आय में सम्मिलित 2(22)(e) के अलावा लाभांश" QTR1 पर QTR 5(16 मार्च से 31 मार्च) को अधिमान देकर 5 तिमाहियों में वितरित कर दिया जाएगा क्योंकि यह निर्धारिती के लिए अधिक हितप्रद है।

उपाबंध 6

अधिभार का परिकलन:

- यदि आय > 1 करोड़ है तो निम्न स्थिति के लिए 115BBE के अलावा आय पर अधिभार 10% पर प्रभारित होगा.
 - फर्म
 - स्थानीय प्राधिकरण
 - सहकारी बैंक
 - अन्य सहकारी समिति
 - प्राथमिक कृषि ऋण समिति
 - ग्रामीण विकास बैंक
 - LLP

टिप्पणी: यदि सहकारी समिति द्वारा 115BAD चुना जाता है, तो आय को अप्रासंगिक करके अधिभार 10% पर प्रभारित होगा / गणना क्र 1 / से आगे।

- उपरोक्त स्थिति के अलावा अन्य यानी, निम्न स्थिति/उपस्थिति के लिए, अधिभार की गणना नीचे दिये बिंदु "गणना" में उल्लिखित अलग-अलग की जायेगी.
 - कोई अन्य AOP/BOI
 - अन्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति
 - मृतक की संपत्ति
 - दिवालिया की संपत्ति
 - ITR 7 में रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र ट्रस्ट के अलावा अन्य ट्रस्ट, कोई अन्य AOP/BOI
 - समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 या उस राज्य के समरूपी किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत समिति
 - कारोबार न्यास
 - निवेश निधि

गणना: अधिभार की गणना के प्रयोजन के लिए, आय को निम्नानुसार विभाजित किया जाना आवश्यक है.

1. आयकर करधेय 115BBE धारा के तहत - अधिभार दर 25 % (अनुसूची SI से) है
2. वह आय जिस पर 25% और 37% का वर्धित अधिभार लागू है (नीचे टिप्पणी का संदर्भ लें)
3. वह आय जिसमें वर्धित अधिभार लागू नहीं है। (नीचे टिप्पणी देखें)

ऐसी आय जिसमें अधिभार लागू हो:

- धारा 111A, 115AD और 112A के तहत कराधेय पँजी अभिलाभ (अनसूची SI से)
- लाभांश आय कराधेय 115AD धारा के तहत अर्थात्, आय (लाभांश हो कर) प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त की गई (अनुभाग 115AB के संदर्भित में अन्य इकाई) - प्रभार्य 115AD(1)(i) धारा के तहत
- लाभांश आय जो कल आय में सामान्य महसूलों पर प्रभार्य हो।
 - (अर्थात्, कम से कम
 - भाग BTA के अनुसार सामान्य महसूल पर प्रभार्य कल आय या
- [(sl.no.1a पर लाभांश आय - 3c(ii) पद्धति परिकलित ब्याज व्यय) या (अनुसूची BFLA में लागू महसूल पर प्रभार्य शुद्ध OS आय) में से निम्नतर] की राशि और [(sl.no'14 पर अनुसूची P&L में घोषित लाभांश आय - अनुसूची व्यव./व्यवसाय के Sl.no.3 में कम किया गया लाभांश) या अनुसूची BFLA से कारोबार/व्यवसाय के अंतर्गत शुद्ध आय में से निम्नतर]

वह आय जिस पर 25% और 37% का वर्धित अधिभार लागू है:

ऊपर की आय के अलावा अर्थात्, अन्य विशेष दर आय और सामान्य दर आय।

अधिभार कम महसूलों पर होगा :

- 115BBE आय पर, अधिभार 25% होगा
- नीचे दी गई अन्य आय पर:
 - यदि कल आय > 50 लाख < 1 करोड़ है, अधिभार 10% होगा
 - यदि कल आय > 1 करोड़ < 2 करोड़ है, अधिभार 15% होगा
 - यदि {ऊपर निर्धारित कुल आय बाहर निकालने के बाद "वह आय जिसमें वर्धित अधिभार लागू नहीं है"} > 2 करोड़ < 5 करोड़ है, तो "जिस आय में वर्धित अधिभार लागू नहीं है" उस पर अधिभार 15% होगा और "जिस आय में 25% और 37% का अधिभार लागू है"
 - यदि {ऊपर निर्धारित कुल आय बाहर निकालने के बाद "वह आय जिसमें वर्धित अधिभार लागू नहीं है"} > 5 करोड़ है, तो "जिस आय में वर्धित अधिभार लागू नहीं है" उस पर अधिभार 15% होगा और "जिस आय में 25% और 37% का अधिभार लागू है"
 - यदि {ऊपर निर्धारित कुल आय बाहर निकालने के बाद "वह आय जिसमें वर्धित अधिभार लागू नहीं है"} < 2 करोड़ है, तो 115BBE की आय के अलावा पूरी आय पर
 - टिप्पणी: सीमांत राहत की परिकलन करने के लिए भी एक ही विधि का उपयोग किया जाएगा और घाटना आय की गणना के लिए "सामान्य महसूलों पर लाभांश आय प्रभार्य"